दशम माला, खंड 32, अंक 1

सोमवार, 13 जून 1994

23 ज्येष्ठ 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

13 जून, 1994 के लोकसभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	2	राष्ट्रगान की धुन बजाई गई	राष्ट्रगान धुन बजाई गई
(i)	नीचे से 5	13।	13।
	नीचे से 1	इनमकोण्डा	हनमकोण्डा
25	नीचे से 10	राष्ट्रगान की धुन बजाई गई	राष्ट्रगान राष्ट्रगान की धुन बजाई गई
27	1	व्यवस्थ	व्यवसाय
94	नीचे से 12	(श्री आ0एल0भाटिया)	(श्री आर॰एल॰भाटिया)
239	13	महपत्तन	महापत्तन
242	नीचे से 7 और 9	श्री मोहन सिंह (देवारिया)	श्री मोहन सिंह (देवरिया)
253	13	श्री महोन सिंह (देवरिया)	श्री मोहन सिंह (देवरिया)
262	नीचे से 11	कूंपनी मंत्रालय	कंपनी कार्य मंत्रालय
308	नीचे से 14	श्री ए0वर्ल्स	श्री ए0 वार्ल्स
347	पृष्ठ तल पर लगाया गया स्लग वहां से हटाकर पंक्ति 12 के बाद लगाया जाये ।		
348	4	(तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 14 जून, 1994 24 ज्येष्ठ, 1916 (शक) के 11.00 म0पू0 तक के लिए स्थगित हुई)	तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 14 जून, 1994/24 ज्येष्ठ, 1916 (शक) के 11.00 म॰पू॰ तक के लिए स्थगित हुई ।

विषय–सूची

दशम माला, खंड 32, दसवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 1, सोमवार, 13 जून, 1994/23 ज्येष्ठ, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्र.गान की धुन बजाई गई	25
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	25
निधन संबंधी उल्लेख	26–30
श्री पी० वी० नरसिंह राव	27
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	27
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	28
श्री सोमनाथ चटर्जी	28
श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन	29
श्री इन्द्रजीत गुप्त	29
श्री राम विलास पासवान	29
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	30-41
* तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2	30-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	41-230
* तारांकित प्रश्न संख्या 3 से 20	41-99
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 94, 96 से 109,	99-230
स्थगन प्रस्ताव के संबंध में 111 से 129 और 31 से 138	231-33
फूलबनी-उड़ीसा में हरिजनों के शोषण/उनकी हत्या के संबंध में	234-38
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	239

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	239-40
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	241
सातवां प्रतिवेदन— रखा गया	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	241-43
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित	
वापस लेने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	241
श्री गुमान मल लोढा	241
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	241
संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक	243-62
राज्य सभा द्वारा यथापारित	243
वापस लेने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	243
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	243
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	245
श्री सोमनाथ चटर्जी	246
श्री सैयद शहाबुद्दीन	247
श्री चन्द्रशेखर	247
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	248
श्री गुमान मल लोढा	249
श्री चन्द्रजीत यादव	250
श्री पवन कुमार बंसल	252
श्री नीतीश कुमार	253
श्री राम कापसे	253
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	262-73
पुर: स्थापन के लिए प्रस्ताव	

विषय	पृष्ठ
श्री एच० आर० भारद्वाज	262
श्री गुमान मल लोढा	262
श्री विद्याचरण शुक्ल	263
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	265
श्री मल्लिकार्जुन	266
श्री पवन कुमार बंसल	268
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	270
श्री ई० अहमद	271
चीनी की स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा	263-73
मणिपुर नगरपालिका विधेयक	273-79
पुर: स्थापन करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	273
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	274
श्री नीतीश कुमार	274
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	275
श्री चन्द्रचीत यादव	277
श्री एस० बी० चव्हाण	278
मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण	279
पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक	279-82
पुर: स्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	279
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	280
श्री अटल विहारी वाजपेयी	280
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	280

विषय		पृष्ठ
	प्रो० प्रेम धूमल	280
	श्री पवन कुमार बंसल	280
	श्री जगमीत सिंह बरार	281
पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण		282
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद विधेयक		282-84
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव		
	श्री एस० बी० चव्हाण	282
	श्री बी० एल० शर्मा प्रेम	282
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	283
	श्री कालका दास	283
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण		284
नियम 377 के अधीन मामले		284-87
(एक)	उन किसानों को, जिनकी फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं, राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	284
(दो)	मानसिक रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता श्री विजय कृष्ण हान्डिक	284
(तीन)	अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में रामघाट रोड स्थित रेल फाटक पर उपरि पुल/भूमिगत परिपथ के निर्माण की आवश्यकता श्रीमती शीला गौतम	285
(चार)	उत्तर प्रदेश, विशेषकर बरेली जिले में गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की आवश्यकता श्री राजवीर सिंह	285

विषय		पृष्ठ
(पांच)	छपरा (बिहार) में कृषि पर आधारित लघु उद्योग तथा एक भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
	श्री लाल बाबू राय	286
मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक		287-93
	राज्य सभा द्वारा यथापारित, तथा प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विचार करने के लिए प्रस्ताव	287
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	287
स्थगन प्रस्ताव		293-347
	चीनी की स्थिति (अस्वीकृत)	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	293
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	295
	श्री शरद दिघे	300
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	302
	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	307
	श्री प्रकाश वी. पाटील	311
	श्री पी. जी. नारायणन	313
	श्री सूर्य नारायण यादव	315
	श्री चन्द्रशेखर	317
	श्री डी. वेंकटेश्वर राव	320
	श्री भोगेन्द्र झा	322
	श्री श्याम बिहारी मिश्र	324
	श्री उमराव सिंह	327
	श्री मोहन सिंह (देवरिया)	328
	डा. वसंत पवार	331
	श्री प्रणव मुखर्जी	332
	श्री कल्पनाथ राय	333
राज्य सभा से संदेश		347-48

लोक सभा

सोमवार, 13 जून, 1994/23 ज्येष्ठ, 1916 (शक)

लोक सभा 11.00 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, डा० मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी० (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराजू, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अन्बारासु आर० श्री, (मद्रास मध्य)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अमरपाल सिंह, श्री (मेरठ)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर श्रीमणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री० ए० (पैरम्बलूर)

असंत श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (इनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर० धनुष्कोडी (तिरुचेन्दूर)

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्बालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरुल (धुबरी)

उन्नीकृष्णन् श्री के० पी० (बडागरा)

उपाध्याय श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कमोजिया, डा० जी० एल० (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)

कांशीराम श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी० पी० (कुड्डालूर)

काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)

कस्वा, श्री राम सिंह (चुरू)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लौर)

कुंन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारासामी, श्री पी० (पलानी)

कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)

कृष्ण स्वामी, श्री एम (वन्डिवाशी)

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्री काकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (कुरनूल)

कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कोरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)

कोली, श्री गंगा राम (ब्याना)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)

खनोरिया, मेजर डी० डी० (कांगड़ा)

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री असलम शेर (बैतुल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री सुखेन्दु (विशनुपुर)

खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (विराचिकिल)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोहिल, डा० महाबीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)

गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव (वर्धा)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिबूगढ़)

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरुम्बुदूर)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी (कराड)

चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

छिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)

चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (मालदा)

चौधरी, स्कवाड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा० के० वी० आर (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौर श्री बापू हरि (धूले)

चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

जगबीर सिंह, श्री (भिवानी)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा० बी० जी० (गुलबर्ग)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जीवरत्नम, श्री आर० (अकोनिम)

जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री अन्ना (पुणे)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

टंडेल, श्री डी० जे० (दमन और दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवला, श्री के० राममूर्ति (किंडिवनाम)

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच० (बड़ौदा)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़बंज)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

डामौर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभुम)

तंगकाबालु, श्री के० वी० (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुर द्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी क्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा० रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी० सी० (मुक्तुपुजा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)

थौरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीशचन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवगौड़ा, श्री एच० डी० (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती विभू कुमारी (त्रिपुरा-पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहाडी)

नायक, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)

निकम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

न्यामगौड, श्री सिदप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

पांडियन, श्री डी० (मद्रास-उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (कैराना)

पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)

पटेल, श्री बृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)

पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)

पवार, डा० बसंत (नासिक)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)

पाटील, प्रो० (श्रीमती) प्रतिभा देवी सिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन0 (इरूदोल)

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)

पायलट, श्री राजेश (दोसा)

पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)

पालाबोला, श्री वी० आर० नायडू (खम्माम)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री बलराज (नेनीताल)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)

पेरूमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश, श्री शशि (चेल)

प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)

प्रमाणिक, प्रो० आर० आर० (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराज नगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रेम, श्री बी० एल शर्मा (पूर्वी दिल्ली)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारुक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मरमागाओ)

बंडारु, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नवद्वीप)

बालयोगी, श्री जी. एम. सी. (अमालपुरम)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बुटासिंह, श्री (जालौर)

बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बाहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाग्ये गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव, (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मरान्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरन्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)

मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडे गोडा, श्री जी० (माण्डया)

माने, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरंजी)

माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)

मिश्रा, श्री जर्नादन (सीतापुर)

मिश्रा, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्रा, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरू लाल (सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री प्रमोथेस (बहरामपुर)

मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़-दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (विमूर)

मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)

मुन्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरुगेसन, डा० एन० (करूर)

मुरुमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० वी० वी० एस० (विशाखापटनम)

मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू श्री पाला के० एम० (इडुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)

मोर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

यादव, श्री राम शरण सिंह (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा० एस० पी० सिंह. (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

राजनारायण, श्री (बासगांव)

राजरविवर्मा, श्री बी० (पोल्लावी)

राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)

राजुलू, डा० आ० के० जी० (शिवकासी)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर० (चिंगल पट्ट)

राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री एन० जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव, राम, श्री (पलामू)

राम बदन, श्री (लालगंज)

राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)

राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)

राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)

राव, श्री जे० चौक्का (करीमनगर)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)

राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री वी. कृष्ण (चिक्कल्लापुर)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)

रावत, डा० लाल बहादुर (हाथरस)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)

राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी० (मछलीपट्नम)

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री जी० मंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बी० एन. (मिरयालगुंडा)

रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

रोशन लाल, श्री (खुजा)

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)

लवली आनंद, श्रीमती (वैशाली)

लालजान वाशा, श्री एस० एस० (गुन्टूर)

लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वान्डायार, श्री के० टी० (थंजावुर)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

विलियम्स, मेजर जनरल आर० जी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)

व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, कैप्टन, सतीश कुमार (अमेठी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)

शिगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)

शिवप्पा, श्री के० जी० (शिमोगा)

शिवरामन, श्री एस० (ओट्टापलम)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल श्री विद्याचरण (रायपुर)

शुल्क, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्री निवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)

संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्तुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)

साक्षी, जी० डा० (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मप्पा मोइय्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)

सिल्वेरा, डा० सी० (मिजोरम)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, डा० छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)

सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सिंह देव, श्री के० पी० (देकानाल)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरुदासपुर)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुडुक्कोट्टाई)

सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नान)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भाद्रक)

सैकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)

सैयद, श्री शहाबुद्दीन (किशनगंज)

सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरुचेंगोड़)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

स्वामी,, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)

स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जौरहाट)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

श्री पीटर जी० मरबनिआंग

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री दारा सिंह

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री राम नाईक

श्री पी० सी० चाक्को

श्रीमती संतोष चौधरी

प्रो० रीता वर्मा

महा-सचिव

श्री आर० सी० भारद्वाज

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रोनिकी, अंतरिक्ष, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय एवं अन्य विषयों जिनका आवंटन किसी अन्य कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को न किया गया हो के भी अतिरिक्त प्रभारी	श्री पी० वी० नरसिंह राव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री ए०के० एन्टनी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
रेल मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
विदेश मंत्री	श्री दिनेश सिंह
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	श्री एन०के०पी० साल्वे
वाणिज्य मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
रसायन तथा उर्वरक मंत्री	श्री राम लखन सिंह यादव

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जी० वेंकट स्वामी
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के० पी० सिंह देव
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० वी० तंगकाबालू
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम० अरूणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० के० थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० एम० सईद
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० वी० रंगय्या नायडू
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर० एल० भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राव राम सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई हरिजीभाई पटेल
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० सी० सिलवेरा

उप मंत्री

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई

11.02 म० पू०

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश (करनूल)
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़)
श्री मारुति देवराम शेल्के (अहमदनगर)
श्री बापू साहिब थिटे (बारामती)
कुमारी सुशीला तिरिया (मयुरभंज)
श्री अमर पाल सिंह (मेरठ)
श्री प्रमोथेए, मुखर्जी (बरहामपुर)

11.10 म0 घू0

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण : सभा को अपने तीन भूतपूर्ण सहयोगियों श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, डा० महिपतराय एम० मेहता तथा एस० थंगाराजु के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी वर्ष 1977–84 ते दौरान आन्ध्र प्रदेश के नरसारावपैट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1974–77 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने वर्ष 1974 में केन्द्रीय संचार मंत्री तथा वर्ष 1974–77 के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री रहे। उन्होंने, वर्ष 1977 में उद्योग, कम्पनी कार्य, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। वर्ष 1979 में वह उद्योग मंत्री रहे। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार भी संभाला।

श्री रेड्डी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए वर्ष 1941 में उन्हें जेल भेजा गया तथा उन्हें जुर्माना भी किया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए वर्ष 1942–45 के दौरान वह कारावास में रहे।

श्री रेड्डी 1952–55 की अवधि को छोड़कर वर्ष 1946–71 के दौरान मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभाओं के सदस्य रहे। वर्ष 1956 के पश्चात् से उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा वर्ष 1964 में राज्य के मुख्य मंत्री बने। वर्ष 1964 से 1971 तक उन्होंने कुशलता से आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का कार्यभार संभाला। वर्ष 1972–93 में वह भारत सरकार के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे।

एक प्रसिद्ध संसदविद के रूप में श्री रेड्डी ने लोक सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री ब्रह्मानंद रेड्डी का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मई, 1994 को हैदराबाद में हुआ।

डा० महिपतराय एम० मेहता वर्ष 1971–77 तथा 1980–84 के दौरान गुजरात के कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः पांचवीं तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1960–66 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

इससे पूर्व वह वर्ष 1967 से 1971 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से चिकित्सक डा० मेहता 1959 तथा 1960 में क्रमशः मुम्बई तथा गुजरात राज्यों के स्वास्थ्य बोर्डों के सदस्य भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में वह युवा आन्दोलन से संबद्ध रहे।

एक संसदविद के रूप में डा० मेहता ने सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया।

डा० महिपतराय एम० मेहता का निधन 78 वर्ष की आयु में 27 मई, 1994 को अहमदाबाद में हुआ।

श्री एस० थंगाराजु आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1984–89 के दौरान तमिलनाडु के पैरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

व्यवस्य से कृषक श्री थंगाराजु एक सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वह तमिलनाडु के भारती दासन विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे।

श्री थंगाराजु सभा की कार्यवाही में गहन रुचि लेते थे।

श्री थंगाराजु का निधन 45 वर्ष की आयु में 6 जून, 1994 को पैरम्बलूर में एक दुर्घटना में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते है। तथा मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों से संवेदना व्यक्त करने में यह सदन मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख और शोक से श्री कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रतिष्ठित वकील, संसदविद् तथा वयोवृद्ध राज[illegible]ख खो दिया है। मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति है।

आन्ध्र प्रदेश में उनके मंत्रिमंडल में आठ वर्ष तक कार्य कर[illegible] परिणामस्वरूप मेरा उनका साथ काफी लम्बे अर्से तक रहा। मैंने कई बार उनके विलक्षण परामर्श लि[illegible] हमेशा अपनी विवेकपूर्ण सलाह, अपने अटल समर्थन तथा अनुरक्ति के साथ तैयार रहते थे।

श्री कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अनेक सरकारी कार्यभार संभाले। वे आन्ध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे तथा बाद में मुख्य मंत्री बने। सन् 1974 में वे राज्य सभा के सदस्य बने। केन्द्र में भी उन्होंने गृह, कृषि, सिंचाई, संचार इत्यादि महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्य-भार संभाला। इन सबमें, उन्होंने अपनी प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। वे पुस्तक प्रेमी भी थे। उन्होंने खेल तथा संगीत में भी रुचि दिखाई।

डा० महिपतराय एम० मेहता एक कुशल संसदविद् थे और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कच्छ के विकास में विशेष रुचि ली और इसके लिए सतत् प्रयास किया। वे प्रतिष्ठित चिकित्सक और सम्माननीय समाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री एस० थंगाराजु के निधन से हमने एक ऐसे युवा साथी को खो दिया है जिसने तमिलनाडु के पेरम्बलूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दलितों विशेष, रूप से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्हें भारती दासन विश्वविद्यालय के सैनेट के सदस्य के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में दिए योगदान के लिए याद किया जाता रहेगा।

मैं संसद तथा देश को योगदान देने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी. डा० महिपात्रे मेहता और श्री थंगाराजु जी के दुखद देहावसान पर आपने, सदन के नेता ने जो शोक उद्गार प्रकट किए हैं मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं। मुझे तीनों दिवंगत महानुभावों के साथ काम करने का अवसर मिला था। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए और स्वतंत्रता के बाद प्रशासन के कई दायित्व उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ और सफलता के साथ निभाए। मुझे

याद है जब वह केन्द्र में गृह मंत्री थे तो अनेक जटिल समस्याएं उस समय उठीं और उन्होंने बड़ी चतुरता से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। वह जिस पद पर रहे उसके साथ उन्होंने न्याय किया, विवादों से बचने की कोशिश की और अगर मैं कहूं कि आंध्र की राजनीति के एक महारथी थे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

डॉ० महिपात्रे मेहता का व्यक्तित्व अनूठा था। वह राजनीतिक प्राणी नहीं थे, डॉक्टर थे। मगर वह जनसेवा के लिए चुनाव लड़े, सदस्य निर्वाचित हुए और इस सदन में अगर उन्हें सबसे बड़ी कोई चिन्ता थी तो वह कच्छ के विकास की थी। सदियों से प्यासा कच्छ का रेगिस्तान बार-बार उनका ध्यान आकृष्ट करता था और वह अपनी पीड़ा को सदन में बड़े प्रभावी रूप से व्यक्त करते थे। अभी मुझे फिर से कच्छ जाने का अवसर मिला था, लगता है कच्छ की पीड़ाएं अनंत हैं और उनका निकट भविष्य में शायद समाधान नहीं होगा लेकिन जब-तब कच्छ की बात आएगी तो डॉ० महिपात्रे मेहता का स्मरण किया जाएगा, इसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। तीसरे जो माननीय सदस्य दिवंगत हुए हैं मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं अपने तेलुगुदेशम, दल की ओर से श्री कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी गारू की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं जोकि अनुभवी राजनीतिज्ञ थे और जिन्होंने राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह आन्ध्र प्रदेश के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने पूरे देश के अधिकांश लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में अनेक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करवाया और लोग उन्हें आने वाले समय में लम्बी अवधि तक याद रखेंगे। मैं एक बार फिर शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल अपने तीन भूतपूर्व सम्माननीय सहयोगियों के निधन पर सभा के माननीय नेता तथा विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हैं।

महोदय, मुझे सभा में उनका साथी होने का सौभाग्य प्राप्त था। निश्चय ही श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि जब वे गृह मंत्री थे तब मैं गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य था। वे मंत्री के रूप में सौम्य प्रकृति के सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे। मैंने उन्हें सदस्यों के उचित सुझावों पर विचार करने तथा जनता की समस्याओं के हल के प्रति सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखा है और इसीलिए वह सभा के भीतर तथा बाहर सभी के प्रिय थे।

डा० महिपतराय एम० मेहता भी इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे जो आम आदमी की परेशानियों को दूर करने के प्रति सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने जिस तरह से दलित लोगों की सहायता की उसे हम सहसूस कर सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं।

श्री एस० थंगाराजु भी एक युवा सदस्य थे। जिन दुखद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ वह अत्यन्त हृदयविदारक है।

हम भारत के इन तीनों सपूतों के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाओं से अवगत करायें।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : इन माननीय नेताओं के साथ मैं भी अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से अपने इन भूतपूर्व साथियों के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री अन्नादुरै का श्री के ब्रह्मानन्द रेड्डी से घनिष्ट संबंध रहा था और मुझे तमिलनाडु में विद्यार्थी के रूप में कांग्रेस में उनके क्रियाकलापों के दिन याद आते हैं तथा विशेषरूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में उनके द्वारा की गई सेवाएं याद आती हैं। वे बहुत महान व्यक्ति थे और उनकी भूमिका प्रशंसनीय रही थी।

मैं डा० महिपंतराय एम० मेहता के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

हमारी पार्टी के युवा साथी श्री एस० थुंगाराजु अनुसूचित जाति के नेता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। वे बहुत कम उम्र के थे। उनके निधन से हमारे देश को और हमारे दल को भारी क्षति पहुंची है। वे प्रगति के पथ पर अग्रसर थे और उन्होंने नेता के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक की ओर से अपनी सवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अपनी पार्टी की ओर से मैं इन तीनों साथियों के निधन पर अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी राजनैतिक नेताओं की विशिष्ट विभूतियों में से एक थे। सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश जहां वे काफी लम्बे समय तक मुख्य मंत्री के रूप में रहे, के विकास में काफी योगदान दिया और बाद में दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। मुझे उनकी भूमिका अच्छी तरह से याद है। उन्होंने इस सभा के विचार-विमर्श में भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया और अपने मंत्रालयों के कार्यों को भी अच्छी तरह निभाया। वे बहुत ही भले और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे और चाहे जिस भी पार्टी से उनका संबंध रहा हो, अन्य सदस्यों के बीच भी वह काफी अधिक लोकप्रिय रहे थे।

मैं डा० महिपतराय एम० मेहता को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूं।

लेकिन मुझे याद है कि एक सदस्य के रूप में वे इस देश के उन निर्धन लोगों की दशा पर निरन्तर चिन्ता व्यक्त करते रहते थे। जिन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री थंगाराजु की जिन दुःखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उनसे उनका निधन और भी हृदयविदारक हो जाता है। उनके इस तरह के निधन से मुझे बहुत दुःख हुआ है।

मुझे उम्मीद है कि हमारे दल की ओर से हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के सदस्य तक पहुंच जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने और नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो अपनी शोक संवेदनायें यहां व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उसमें शामिल करता हूं। ब्रह्मानन्द जी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। वे एक शांत प्रवत्ति के और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, वैसे तो सभी लोगों को जाना है। सदन की तरफ से हम सब उनके शोकाकुल परिवार को अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।

डा० महिपात्रे एम० मेहताजी भी हमारे बीच में नहीं हैं। हम अपने दल की ओर से उनके प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री थंगाराजु से हमें बातचीत करने का मौका मिला था। उनके

दिल में गरीबों के प्रति बहुत सम्मान था। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहें।

11.28 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

11.30 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा

*1. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :**
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री और उनके दल ने हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के उद्देश्य क्या थे तथा उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर अमरीकी राष्ट्रपति और अन्य अमरीकी नेताओं/निकायों के साथ चर्चा की गई; और

(ग) चर्चा के क्या परिणाम रहे तथा उनकी यात्रा के दौरान अमरीकी सरकार के साथ किये गये समझौतों/समझौता–ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री 14 से 20 मई, 1994 तक अमरीका की यात्रा पर गए थे। उनके यात्रा कार्यक्रम में न्यूयार्क, ह्यॉस्टन, बोस्टन तथा वाशिंगटन शामिल थे। न्यूयार्क और ह्यॉस्टन में प्रधानमंत्री ने अमरीका के विविध व्यापारिक नेताओं और भारत-अमरीकी समुदाय से मुलाकात की जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए अपना उत्साह दिखाया। बॉस्टन में उन्होंने जोडिडी स्मारक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने भारत के विकासात्मक उद्देश्यों को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया तथा प्रमुख अमरीकी व्यापारिक नेताओं और

शिक्षाविदों से मुलाकात की तथा अमरीकी कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की। उपराष्ट्रपति अल गोर ने प्रधानमंत्री तथा उनके प्रतिनिधिमण्डल के लिए मध्याह्न भोज का आयोजन किया। इसके बाद राष्ट्रपति क्लिंटन से उनकी बातचीत हुई। निजी तौर पर बातचीत के बाद प्रधान सलाहकारों के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तर की बैठक हुई। उसके पश्चात्, राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक कार्यकारी मध्याह्न भोज का आयोजन किया जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। बैठक के पश्चात् राष्ट्रपति क्लिंटन और हमारे प्रधान मंत्री ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा एक संयुक्त बयान जारी किया गया। कार्यकारी विदेश मंत्री, अमरीकी रक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के लिए अलग-अलग मुलाकात की।

2. प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना तथा शीत-युद्ध से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उत्पन्न कड़वाहट को दूर करके और भारत के आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप विस्तारित व्यापार और पूंजीनिवेश के लिए नये अवसरों का लाभ उठा कर भारत-अमरीकी संबंधों में स्थायी सुधार की नींव रखना था।

3. राष्ट्रपति, क्लिंटन और हमारे प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा आपसी हित-चिन्ता के बहुत से सार्वभौमिक मसलों पर बातचीत की जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध मसले भी शामिल थे। यह विचार-विमर्श बहुत ही सौहार्दपूर्ण, सुस्पष्ट और उपयोगी था। राष्ट्रपति क्लिंटन के प्रशासन तथा अमरीकी निगमित विश्व ने भारत के आर्थिक सुधारों का समर्थन किया और वे उन नये अवसरों के प्रति आशावान थे जिनका सृजन हमारे द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने तथा व्यापक बनाने के लिए इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम ने किया है विशेषकर व्यापार तथा पूंजी निवेश के क्षेत्र में ठोस कदम तय किए गए जिनमें मंत्रीमंडल स्तरीय अनेक यात्राओं का आदान-प्रदान भी शामिल है।

4. नाभिकीय तथा प्रक्षेपास्त्र प्रसार के विवादास्पद मसलों पर भी चर्चा हुई जिनके संबंध में दोनों देशों की स्थितियां पर्याप्त रूप से अलग-अलग हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और अमरीका एक सार्वभौमिक और भेदभावरहित व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि सम्पन्न करने और नाभिकीय अस्त्रों के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर सत्यापनीय रोक की व्यवस्था करने के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से अपने पारस्परिक सहयोग को और प्रगाढ़ करेंगे। सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार तथा उनमें उत्तरोत्तर कमी करके अन्ततः उन्हें समाप्त करने के लक्ष्य समर्थन के बारे में यह कहा गया कि यह एक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र है। अमरीका के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर द्विपक्षीय बातचीत जारी रखी जानी चाहिए।

5. प्रधानमंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति क्लिंटन को भारत में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सीमापार के समर्थन के बारे में अवगत कराया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने इस मसले पर चिंता से सहमति व्यक्त की और कहा कि वे इस बात से सहमत हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिये हल किया जाना चाहिए जैसा कि शिमला समझौता में कहा गया है।

6. प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए—एक समझौता ज्ञापन गैर-कानूनी औषध द्रव्यों के उत्पादन, वितरण और प्रयोग को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति जागरूकता तथा समर्थन को बढ़ाने के लिए सहयोगी उपायों से सम्बद्ध है; तथा दूसरा समझौता ज्ञापन प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत स्थलों के आयोजन, संरक्षण और प्रबन्धन से सम्बद्ध है। एक

समग्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सहयोग से सम्बद्ध एक करार तथा प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने के बारे में भी बातचीत आगे बढ़ी। द्विपक्षीय पूंजी निवेश संरक्षण करार सम्पन्न करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

7. इस संयुक्त वक्तव्य में एक ओर तो भारत और अमरीका की यह इच्छा शामिल है कि वे ऐसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे जिनमें दोनों के भेद समान हो तथा दूसरी ओर उन मामलों पर एक समान आधार का संकेत भी शामिल है जिन पर दोनों देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। दोनों पक्षों ने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेद अपेक्षाकृत अधिक सहयोग की संभावना के मार्ग में आड़े नहीं आयें विशेषकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में इस संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमरीका के बीच एक नई भागीदारी की बात कही गई है दोनों नेताओं ने यह वायदा किया कि वे सामूहिक विनाश के हथियारों एड्स, पर्यावरण विकृति, जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा स्वापक द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार से उत्पन्न सार्वभौमिक चुनौतियों के समाधान तलाशने में सहयोग करेंगे। इस संबंध में भी सहमति हुई कि राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सामाजिक मसलों के संबंध में व्यापक स्तर पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों की गति और गुंजाइश का विस्तार किया जायेगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीके तलाशेंगे।

8. प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा का उद्देश्य सद्भावना बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रपति क्लिंटन तथा उनके प्रशासनिक अधिकारियों, अमरीका की कांग्रेस के नेताओं और अग्रणी अमरीकी व्यापारियों के साथ विचारों का सुस्पष्ट आदान-प्रदान करना भी था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से राष्ट्रीय हित के मसलों पर भारत की स्थिति को अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से समझाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई संभावनाए उत्पन्न हुई हैं। उम्मीद है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को इस यात्रा के परिणामतः और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : माननीय प्रधान मंत्री जी की अमरीका यात्रा के पूर्व कश्मीर में मानवाधिकारों और परमाणु अप्रसार के मामलों में भारत और अमरीका के बीच गहरे मतभेद थे। यह बात अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने प्रेस कांफ्रेंस में स्वीकार भी की है। क्या प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बाद इन मतभेदों की तीव्रता में कमी हुई है और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है?

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री का प्रश्न है और वे उठकर चले गये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री अमरीका की यात्रा करके आये हैं। वे सदन में उपस्थित थे। उनसे सम्बन्धित प्रश्न यहां विचार के लिए उपस्थित हुआ है। वे स्वयं हस्तक्षेप करते तो बहुत अच्छा था। अब राज्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं, हम उससे भी थोड़ा समाधान कर सकते हैं, अगर वह समाधान कारक हो। लेकिन प्रधान मंत्री जो कि सदन के नेता भी हैं उनका सदन से यूं उठकर चले जाना न तो सदन की ओर न उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है।

श्री राम विलास पासवान : यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, इससे ऐसा आभास होता है कि प्रधान मंत्री, सभा का महत्व कम कर रहे हों। और हमें इस पर कड़ी आपत्ति है।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : प्रधानमंत्री जी उपस्थित होकर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो मैं इस प्रश्न को नहीं पूछना चाहूंगा। उनको सदन में हाजिर रहना चाहिए था। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रधानमंत्री उठकर चले गये हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहता हूं यदि वे यहां नहीं हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। वे इस सदन की अवमानना करके चले गये क्या सदन की गरिमा का कोई महत्व नहीं है? मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को यहां आकर खेद प्रकट करना चाहिये और जब तक यह प्रश्न चले, उनको यहां रहना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को यहां आना चाहिये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का सदन में से उठकर चले जाना सदन की गरिमा के विरुद्ध है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या जाने से पहले आपकी अनुमति ली?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी को कहां जाना है, हो सकता है दूसरी सभा में जाना हो अथवा न जाना हो। लेकिन मेरा विचार है कि संसदीय कार्य मंत्री यह देखें कि यदि सम्भव हो तो प्रधानमंत्री सभा में वापस आ जाये। अब मंत्री जी उत्तर दें।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, उस समय तक हम प्रश्न संख्या 2 पर बातचीत कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री आर० एल० भाटिया : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी की अमरीका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान जो कश्मीर में टैररिज्म की स्पांसरशिप कर रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई थी और बड़े जोर से इस बात को उनको बताया गया था कि पाकिस्तान का यह रवैया भारत की तरफ है और वह हमारे मामलात में दखल दे रहा है व टैररिस्ट्स की मदद कर रहा है।

[अनुवाद]

वे कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

तो प्रजीडेंट किंस्टन ने जवाब में कहा कि बायलेटरेल रिलेशन्स का जो मामला है, भारत और पाकिस्तान को आपस में बैठकर डायलाग के जरिये शिमला एग्रीमेंट के अंडर बात करनी चाहिये।

श्री फूल चंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन की भावनाओं का ध्यान रखकर यहां पर वापस आयें, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी अपनी अमरीकी यात्रा पर 14 मई को गये थे जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की लेकिन मैं विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अमरीका एफ-16 लड़ाकू विमानों की जो पहली खेप 38 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बात की और क्या वे अमरीका के राष्ट्रपति को यह समझाने में सफल हुए कि यदि एफ-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दिये गये तो इस भूखंड में शान्ति स्थापित नहीं हो सकेगी और यहां पर हथियारों की होड़ बढ़ेगी? साथ ही सदन की यह मांग है कि क्या अमरीका पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान नहीं देने जा रहा है, इस संबंध में स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें। अधिकारों का हनन करना हमारा काम है और वे हमें उपदेश देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विदेश मंत्रालय ने कभी ऐसा रुख अपनाया है कि यह हमारी समस्या है, हमें कोई उपदेश न दे, क्या इस बात को हमारी ओर से जरा जोर से कहने का प्रयास किया गया है। क्या प्रधानमंत्री जी की ओर से इन्हें ऐसा कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आज अखबारों में निकला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये। आपने बिना प्रश्न पूछे ही इतना समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि मानवीय अधिकारों के हनन का आरोप हमारे देश पर ही क्यों लगता है? इस देश की गरिमा के हनन का प्रयास क्यों हो रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लिंटन के साथ बातचीत में जोर से इस बात को कहा या नहीं कि आप अपनी बात कीजिये।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० भाटिया : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह वार्ता प्रधानमंत्री और श्री क्लिंटन के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से जोर दिया है और श्री क्लिंटन को भारत के दृष्टिकोण के बारे में बताया है कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, यह एक स्वतंत्र समाज है, हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारी स्वतंत्र प्रैस है और हमारा एक संविधान है जिसमें सभी लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत इस संबंध में किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसे यदि कश्मीर से जोड़ दें, तो यह पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने से संबंधित हो जायेगा। इसलिए भारत में मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न ही नहीं उठता। राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी दे दी गई है और राष्ट्रपति ने इस बात का प्रस्ताव रखा है कि वे इस विचार-विमर्श को जारी रखेंगे।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, मैंने इस सभा में बार-बार यही मांग की है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के एक स्थायी सदस्य के रूप में लिया जाये। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि

प्रधानमंत्री जी केवल हमारे देश के नेता ही नहीं हैं बल्कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता भी हैं। भारत को गुट निरपेक्ष आन्दोलन तथा तृतीय विश्व का मुख्य सूत्रधार है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री ने क्लिंटन प्रशासन से भी बातचीत की है और इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह भारत को सुरक्षा परिषद् में शामिल करने पर निर्भर करता है। मैं इसे पूरा कर देता हूं।

श्री आर० एल० भाटिया : संयुक्त राष्ट्र की पुर्नरचना के संबंध में सामान्य बातचीत की जा रही थी क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था तो उसमें केवल 54 सदस्य थे। अब इसमें 184 से भी अधिक सदस्य हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतन्त्रीकरण किया जाना चाहिए, इसकी पुर्नरचना की जानी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके और यदि इसका अधिक लोकतंत्रीकरण हो जाता है तभी उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अमरीका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री की यहयात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी जैसा कि समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हमारे पास यह जानने के लिए प्रैस ही एक मात्र स्रोत है कि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई थी। अमरीका में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले भी वहां तैयारी के लिए बैठकें हुई थीं ताकि यात्रा से कुछ ठोस परिणाम निकलें। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जब उन्होंने राष्ट्रपति क्लिंटन से बातचीत की तो क्या राष्ट्रपति क्लिंटन ने हमारे मिजाइल अनुसंधान को समाप्त करने के मुद्दे को उठाया था।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति क्लिंटन ने मानवाधिकार के संबंध में और जम्मू और कश्मीर तथा आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। लेकिन उसके साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बुद्धिजीवियों तथा उद्योगपतियों के साथ अनेक बैठकें की थीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने भारत का सही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और क्या उन्हें उम्मीद है कि अमरीका के साथ संबंध विकसित होंगे।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है "नहीं"। राष्ट्रपति क्लिंटन ने कैपिंग का प्रश्न नहीं उठाया था। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने भरसक प्रयास किया है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सफल यात्रा के लिए बधाई देता हूं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के मन में आशंकाएं थीं कि भारत में पृथ्वी और अग्नि प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण और उपयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का कैपिंग होगा। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के लौटने के बाद पृथ्वी को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था और उसे रक्षा सेनाओं में शामिल किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रक्षेपास्त्रों के कैपिंग के बारे में कोई चर्चा हुई थी या ऐसी प्रक्षेपास्त्रों का भविष्य में परीक्षण न करने के बारे में कोई दबाव डाला गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि तथ्य स्वयं बोलते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, उत्तर के पैरा तीन में कहा गया है कि वार्ता में व्यापार और विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा शामिल थी। हमें मालूम है कि कुछ महीने पहले अमेरिका

ने सुपर 301 के तहत भारत विरुद्ध कतिपय बदले की कार्रवाई करने की धमकी दी थी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह बात भी चर्चा के दौरान उठी थी चूंकि हमें जून के महीने तक अस्थाई विराम दिया गया है अतः बहुपक्षीयता के मौजूदा व्यवसाय के अन्तर्गत चर्चा के दौरान क्या हमने अमेरिका को अपने कानून से इस बदले की कार्रवाई सम्बन्धी प्रावधानों को समाप्त करने के लिए राजी कर लिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इन प्रश्नों पर अन्य स्तरों पर चर्चा होती है। वास्तव में ऐसे प्रश्न हमारे बीच नहीं आए। हमने विशिष्ट मुद्दों से हटकर चर्चा की विशिष्ट मुद्दो पर चर्चा सरकारी स्तर पर की जाती है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

*2. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार किन-किन स्थानों पर दस हजार लाइनों वाले इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ख) इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा; और

(ग) इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994–95 के दौरान निम्नांकित स्थानों पर दस हजार लाईनों वाले इलैक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव

1	2	3	
1. तमिलनाडु			
	मद्रास	1,00,000	लाइनें
	मदुराई	10,000	"
	त्रिची	10,000	"
	सलेम	10,000	"
	कोयम्बटूर	20,000	"
2. केरल			
	एर्णीकुलम	20,000	"

1	2	3	
	कालीकट	10,000	लाइनें
	त्रिवेन्द्रम	10,000	"
3.	कर्नाटक		
	बंगलौर	90,000	"
	मैसूर	10,000	"
4.	आंध्र प्रदेश		
	हैदराबाद	60,000	"
	विजयवाड़ा	10,000	"
	विशाखापत्तनम	10,000	"
5.	बिहार		
	पटना	10,000	"
	रांची	10,000	"
6.	गुजरात		
	अहमदाबाद	60,000	"
	सूरत	30,000	"
	बड़ोदरा	30,000	"
	राजकोट	10,000	"
7.	हरियाणा		
	फरीदाबाद	10,000	"
8.	महाराष्ट्र		
	मुम्बई	4,53,000	"
	नागपुर	20,000	"
	पुणे	30,000	"
	नासिक	10,000	"

1	2	3	
9.	**मध्य प्रदेश**		
	इन्दौर	20,000	लाइनें
	भोपाल	10,000	"
	इंदौर	10,000	"
10.	**पंजाब**		
	अमृतसर	20,000	"
	जालंधर	20,000	"
	चंडीगढ़	45,000	"
	लुधियाना	50,000	"
	पटियाला	10,000	"
11.	**राजस्थान**		
	जयपुर	63,000	"
	जोधपुर	10,000	"
	कोटा	10,000	"
	उदयपुर	10,000	"
12.	**उत्तर प्रदेश**		
	गाजियाबाद	10,000	"
	इलाहाबाद	10,000	"
	लखनऊ	10,000	"
	मेरठ	10,000	"
13.	**पश्चिम बंगाल**		
	कलकत्ता	50,000	"
14.	**दिल्ली राज्य**		
	दिल्ली	4,02,000	"

इन उपरोक्त लाइनों को डालने का अनुमानित खर्च लगभग 4532.50 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

श्री एन० जे० राठवा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर देखने से ऐसा महसूस होता है कि देश में 10 हजार लाइनों वाले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज बहुत कम हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हर राज्य के बड़े-बड़े शहरों में 10 हजार लाइनों वाले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने का क्या प्रयोजन है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रावधान है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात का निर्णय लिया है कि नई टैक्नोलौजी वाली लार्ज स्केल डिजिटल सिस्टम की जो छः टैक्नोलोजी कंट्री में इन्ट्रोडयूस की है, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में उस टैक्नोलौजी के एक्सचेंजेस लगाए जाऐंगे। लेकिन धन के अभाव की वजह से जितनी आवश्यकता है उतना नहीं हो सकता फिर भी जितनी मैंने सूची दी हुई है, हम 18.13 लाख लाइनें इसी वर्ष उन महानगरों में लगाने वाले हैं।

श्री एन० जे० राठवा : अध्यक्ष महोदय, वैसे पूरे देश में बड़े-बड़े शहरों में ओ० वाई० टी० और नॉन ओ० वाई० टी० टैलीफोन्स की वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ गई है। स्टेट लैवल पर हमारी जो ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग होती है, खास तौर से गुजरात में 4 ही बड़े शहरों में 10 हजार लाइनों वाले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं लेकिन दूसरे शहरों में वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए क्या गुजरात में 10 हजार लाइनों वाले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने का प्रावधान है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से बाकी जगहों के मुकाबले गुजरात को ज्यादा मिला है लेकिन मैं यह बात मानता हूं कि हमें वेटिंग लिस्ट को लिक्विडेट करने के लिए तकरीबन 25 लाख लाइनें और लगानी हैं। यदि धन उपलब्ध हुआ तो उसमें से काफी हद तक इसी वर्ष पूर्ति कर पाएंगे। हमारी अभी जो नई नैशनल नीति आई है, उसके मुताबिक 1997 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें वेटिंग लिस्ट को खत्म करना है।

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : मैं मंत्री जी के पश्चिम बंगाल के बारे में अत्यंत सुसंगत दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। हमने पिछले कई वर्षों, लगभग चार-पांच वर्षों से डायरेक्ट्री उपलब्ध न होने की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था। क्योंकि कोई टेलीफोन डायरेक्ट्री नहीं है इसलिए अतिरिक्त टेलीफोन कनैक्शनों का कोई कार्य नहीं रह जाता है, क्योंकि कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। यह दिखाने के लिए कि यह कितना सुसंगत है जो जानकारी दी गई है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि केवल दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हरियाणा में ही एक स्थान पर यह टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध करवाया गया है। गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि जैसे राज्यों में बहुत से स्थानों पर इनकी पेशकश की जा रही है। मैं उन्हें बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पांच नगर निगम हैं। यह सुसंगतता का एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि इस एक्सचेंज से कलकत्ता को 50,000 लाइनें दी गई हैं। अब आप ही कल्पना कीजिए जबकि तमिलनाडु में एक लाख, कर्नाटक में 9,000 हैदराबाद में 60,000 और गुजरात में 60,000 लाइनें दी गई हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : मैं यह उत्तर से पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मत कीजिए। आप प्रश्न पूछिए।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : अन्यत्र हर कहीं यह संस्था 50,000 से कहीं अधिक है। मैंने इसमें उनकी सुसंगता की प्रशंसा की है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि आप, अलकत्ता, पश्चिम बंगाल के बारे मे इतने सुसंगत क्यों हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देश क्या हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इनके आवंटन के लिए आपके क्या मार्ग निर्देश हैं?

श्री सुख राम : हमें राजस्व भी अर्जित करना है। हम जो भी राजस्व अर्जित करते हैं उसे लाइनें बिछाने में निवेश कर देते हैं। सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले राज्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा केवल राजस्व में वृद्धि करने और उसे अन्यत्र निवेश करने के लिए किया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप अपने तर्क के बारे में आश्वस्त हैं?

श्री सुख राम : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैंने राशि जुटाने के लिए कुछ पहल की है और यदि मैं इसमें सफल हो जाता हूं तो मैं पट्टे के आधार पर उपकरण खरीद सकूंगा। कलकत्ता में प्रतीक्षा सूची बहुत कम है। यदि मैं पट्टे के आधार पर उपकरण खरीदने में सफल हो जाता हूं तो आपकी प्रतीक्षा सूची को निश्चित रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान या अगले वर्ष के दौरान समाप्त कर दिये जाने की संभावना है। मैं महसूस करता हूं कि हमें 1997 तक भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी समस्या यह है कि कुछ वित्तीय कठिनाईयां हैं।

टेलीफोन डायरेक्ट्री के बारे में, मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें असाधारण विलंब हुआ है और आपको मालूम है कि इसमें विलम्ब किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन अब मैंने कदम उठाए हैं और केवल कलकत्ता की टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रकाशित करने के लिए 5.05 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं। मैं समझता हूं कि निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और जैसे ही इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा हमारे राजस्व से ही कलकत्ता के उपभोक्ताओं को डायरेक्ट्रियों की आपूर्ति की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन वित्तीय कमी ने केवल पश्चिम बंगाल को ही इस तरह प्रभावित क्यों किया? आपको यह बात स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री सुख राम : कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, आज देश में सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो वह टेलीफोन का है। जिन को टेलीफोन मिला है, उनका भी बुरा हाल है और जिन को नहीं मिला है, उनका नाम भी पैंडिंग लिस्ट में है। क्या मिनिस्टर साहब को मालूम है कि एम० पीज० के साथ इस मामले में कैसा डिसक्रिमिनेशन होता है? .....**(व्यवधान)** राजीव गांधी जी ने इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज्स को चालू किया था। आज इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हर गांव और हर जिले में कहीं न कहीं हैं। आपका क्या प्लान आफ ऐक्शन है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस क्षेत्र में डिपराव्ड हैं। टेलीफोन एक्सचेंज्स को इम्प्रूव करने के लिए आगे आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेज्स का जहां तक ताल्लुक है, आज देश में 70 परसैंट इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं और 30 परसैंट नॉन इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। हमारी कोशिश है कि किसी तरह से फंड उपलब्ध हों जिससे उनको एक साथ रिप्लेस कर दें लेकिन फंड्स की कमी है। अगले दो वर्षों में हम नॉन इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज्स को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेज्स में रिप्लेस करेंगे। जहां तक कलकत्ता का ताल्लुक है, वहां के बारे में कुछ शिकायतें हो सकती हैं। जहां एक्सपेंशन का कार्य हो रहा है, वहां शिकायतें आ रही हैं। जो कलकत्ता से सारी दुनिया में बात करते हैं, वे शिकायतें लेकर कभी नहीं आयेंगे। जहां शिकायत होगी, वहीं उसको लेकर आयेंगे। यह वाजिब भी है। अगर 85 लाख टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें होंगी तो वे सदन में भी आयेंगी और प्रेस के जरिये बाहर भी आयेंगी। मैं इस बात को एप्रिशियेट करता है। कलकत्ता में पुरानी टैक्नीलॉजी के एक्सचेंज लगे हैं जिस के कारण शिकायतें आ रही हैं। हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। जहां तक विकास का ताल्लुक है, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं आती है और न ही आयेगी, चाहे वह कलकत्ता हो या दूसरा कोई सूबा हो। धन और दूसरी सुविधायें कलकत्ता और दूसरे प्रदेशों को भी उपलब्ध होंगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी भी राज्य को आधुनिक टेलीफोन कनेक्शन के लिए सुविधाएं मिलने से हमें ईर्ष्या नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस देश के संसाधन को संतुलित ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ताकि देश का संतुलित विकास हो सके। पूर्वी भारत में उड़ीसा के लिए शून्य बिहार के लिए केवल पच्चीस हजार, कलकत्ता जैसे शहर के लिए केवल पचास हजार है, जबकि केवल बम्बई के लिए चार लाख तिरेपन हजार से अधिक है। महाराष्ट्र को पांच लाख तेरह हजार दिए गए हैं। मुझे आपके राज्य से ईर्ष्या नहीं है। आपको दस लाख मिलें, हमें बुरा नहीं लगेगा। क्या आप इसी तरह से संसाधनों का बंटवारा करेंगे? दक्षिण कलकत्ता के माननीय सदस्य बिलकुल ठीक कह रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि हम किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। — **(व्यवधान)**—

श्री सुख राम : मुझे एक बात स्पष्ट करने दीजिए। बहुत बड़ा डिजीटल स्विचिंग सिस्टम है। लगभग दस लाख पचास हजार ई-10 बी लाइनें हैं जो इन 18.20 लाख लाइनों के अतिरिक्त हमें स्थापित करनी हैं। इसके अतिरिक्त वी. सी-डॉट तकनीक के छोटे और मझौले एक्सचेंज भी हैं। उन लाइनों को भी स्थापित करना होगा। ई-10-बी भी दस हजार लाइनों के हैं। जहां कहीं कमी है उसकी इसमें प्रतिपूर्ति कर दी जाऐगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का निवेश

*3. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश के बारे में नये मार्गनिर्देश तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूरसंचार क्षेत्र में अब तक किन-किन कम्पनियों ने प्रवेश किया है;

(ग) नई दूरसंचार नीति में विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इक्विटी भागीदारी का क्या तरीका है; और

(घ) नई नीति में भारतीय दूरसंचार उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारत सरकार ने जुलाई, 1991 में एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी जिसमें सभी प्रकार के दूरसंचार उपस्कर बनाने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश करने की अनुमति दी गई थी। निजी क्षेत्र को मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं में भी निवेश करने की अनुमति दी गई है जिसके विस्तृत मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अन्तर्गत मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में भी निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति दी गई है जिसके मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बड़ी संख्या में भारतीय कम्पनियों ने भी दूरसंचार उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश किया है। सरकार ने किसी भी किस्म के दूरसंचार उपस्कर के निर्माणार्थ कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया है। सरकार को अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन इकाइयों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए 1494 करोड़ रु० के कुल प्रस्तावित निदेश के 278 सूचना ज्ञापन प्राप्त हुए हैं (विवरण-I) मूल्य वर्धित सेवाओं के क्षेत्र में 46 कम्पनियों को आशय-पत्र दिये गए हैं (विवरण-II)

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन हेतु अन्य मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के साथ-साथ, विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इक्विटी भागीदारी के प्रश्न पर भी सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत दूरसंचार उपस्कर के एक प्रमुख विनिर्माण आधार और प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आए।

विवरण-I

अगस्त, 1991 से मार्च 94 तक दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश हेतु उद्योग से प्राप्त आई० आर० की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विनिर्माण की मद	प्रस्तावित निवेश
1	2	3	4
1.	इण्डकेम कम्यूनिकेशन लि०	आर० ए० एक्स०	0

1	2	3	4
2.	टेलीडेटा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	उपभोक्ता लूप कैरियर प्रणाली	7100
3.	लारसन एण्ड टयूबरों लि०	टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक स्विच	198
4.	इण्डियन रेपरोग्रेफिक्स सिस्टमज प्रा० लि०	इलेक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग इक्यूपू	600
5.	सीमेन्स लि०	लाइन टी ई के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण	0
6.	सीमेन्स लि०	लाइन टी ई के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण	0
7.	नेशनल टेलीकॉम इण्डिया लि०	डिजिटल स्विचिंग प्रणालियां	2180
8.	इण्डकेम इलेक्ट्रानिक्स लि०	लाइन टी ई एल के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण	178
9.	एरिदस्सन इण्डिया लि०	स्विचन उपस्कर इंक्ल ए सेसरी	2450
10.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज 512 पी ओ आर	0
11.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	10,000 लाइनों तक मैक्स	0
12.	रेडियन्ट टेलीसिटम लि०	स्विचन प्रणालियां	183
13.	अम्बेर एन्टरप्राइजेज इण्डिया प्रा० लि०	इले० तथा बेतार पथ एंड प्रणालियों के लिए कैबिनेट संबंधी घटक	154
14.	एडर टेलीकाम लि०		369
15.	कनाजिया डिजिटल सिस्टमज प्रा० लि०	ई जी ए एक्स, ई पी ए बी एक्स अन्य डिजिटल हाइब.	6964

1	2	3	4
16.	पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि०	मैक्स लार्ज 2 के से 10 के	465
17.	स्ट्रा प्रोडक्स लि०	इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर	0
18.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर	0
19.	जे० के० टेलीटोनिक्स लि०	इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर	0
20.	अपट्रान इण्डिया लि०	संचारण उपस्कर	331
21.	क्राम्पटन ग्रिवज लि०	टेलीफोन स्विचन उपस्कर	850
22.	संचार एन्टिना एण्ड कम्यूनिकेशन सिस्टम	संचारण उपस्कर इनकार्पोटिंग	80
23.	सीमेन्स लि०	लाइन के लिए संचारण उपकरण	0
24.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज	89
25.	ए० आई० कम्यूनेकिशन्स लि०	डिजिटल स्विचन उपस्कर	0
26.	ए० आई० कम्युनिकेशन्स लि०	डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	2590
27.	सेमीकण्डक्टरकाम्पलेक्स लि०	टेलीफोन एक्सचेंज एवं स्विचन	165
28.	नार्दरन डिजिटल एक्सचेंज लि०	इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उककरण	65
29.	ए टी एंड टी	डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचन उपकरण	4250
30.	डब्ल्यू एस टेलीसिटमज	इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर	282
31.	इन्टरसिटी केबलज प्रा० लि०	इलेक्ट्रानिक पी ए बी एक्स	0
32.	स्ट्रा प्रोडेक्ट लि०	ई पी ए बी एक्स	0

1	2	3	4
33.	जे. के. टेलीट्रानिक्स लि०	ई पी ए बी एक्स	0
34.	नेशनल टेलीकॉम इंडिया लि०	ई पी ए बी एक्स 2000 लाइनों तक	0
35.	नेशनल रेडिया एंड इलेक्ट्रानिक कं० लि०	ई पी ए बी एक्स/आर ए एक्स/ 0128/512 पी	792
36.	नेशलन रेडियों एंड इलेक्ट्रानिक कं० लि०	ई पी ए बी एक्स/आर ए एक्स 0128, 0256, 0512 पोर्ट एम ए एक्स-एल	244
37.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	आर ए एक्स 128 पोर्ट 256 पोर्ट	0
38.	राइजिंग सन इंजिनियरिंग लि०	128 पोर्ट आर ए एक्स	132
39.	एसकोर्ट्स लि० (टेलीकम्यूनिकेशन्स)	आर एक्स 128 पोर्ट	103
40.	प्रियराज इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	128/256 पोर्ट आर ए एक्स मिनी इंटिग्रेटिड	0
41.	इन्स्ट्रयूमन्टेशन लि०	ग्रामीण आटोमेटिक एक्सचेंज 128/25	220
42.	हारट्रन कम्यूनिकेशन्स लि०	512 पोर्ट एस बी एम आर ए एक्स	199
43.	केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक डिवि० काप० लि०	512 पोर्ट एस बी एम आर ए एक्स	222
44.	सिमेन्स लि०	ई पी ए बी एक्स-ई पी ए एक्स-इंटरकाम एंड की टी ई एल	80
45.	डेलटेल सिस्टमज प्रा० लि०	ई पी ए बी एक्स और की टेलीफोन्स	180
46.	टेलीसिस्टमज	ई पी ए बी एक्स/ई पी ए एक्स	10
47.	नोवेल इलेक्ट्रानिक एंड कम्यूनिकेशन्स	ई पी ए बी एक्स- ई पी ए एक्स इंटरकॉम	814

1	2	3	4
48.	सिमेन्स लि०	ई पी ए बी एक्स-ई पी ए एक्स-इंटरकॉम एंड की टेली०	0
49.	नोवेल इलेक्ट्रानिक एंड कम्यूनिकेशन्स	ई पी ए बी एक्स/ई पी ए एक्स/इंटरकॉम	0
50.	टेली सिस्टमज	ई पी ए बी एक्स तथा की टेलीफोन्स	0
51.	सलोरा इंटरनेशनल	ई पी ए बी एक्स प्रणालियां	0
52.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	640 पोर्ट/128 पोर्ट/256 पोर्ट के ई पी ए बी एक्स	199
53.	ग्लोबल वायरलेस टेक्नोलाजी लि०	ई पी ए बी एक्स/पी ए बी एक्स/पी बी एक्स	0
54.	टाटा टेलीकाम लि०	ई पी ए बी एक्स/ई पी ए एक्स	0
55.	हिंद कन्डेन्सर लि०	डे टेलीफोन्स क्वायन तथा ओ आर कार्ड ओ पी	44
56.	पोर्टा इंडिया प्रा० लि०	मुख्य वितरण फ्रेम	150
57.	एक्स एल टेलीकॉम प्रा० लि०	एस डी एफ के लिए उत्पादन माड्यूल्स	90
58.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	128 के लिए मुख्य वितरण फ्रेम	0
59.	पोर्टा सिस्टमज इंडिया प्रा० लि०	मुख्य वितरण फ्रेम	89
60.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	मल्टीपल के लिए डिजिटल वितरण फ्रेम	0
61.	टाटा केल्ट्रान लि०	की टेलीफोन्स	154
62.	टाटा केल्ट्रान लि०	की टेलीफोन्स	130
63.	टाटा टेलीकाम	की टेलीफोन्स सिस्टम अतिरिक्त पूर्जे एवं	47

1	2	3	4
64.	सलोरा इंटरनेशनल	की टेलीफोन सिस्टम्स	0
65.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नालाजी लि०	की टेलीफोन्स प्रणालियां	0
66.	जयन्ती बिजनेशमशीस लि०	2 लाइन टेलीफोन्स	352
67.	स्ट्रा प्रोडेक्ट्स लि०	की टेलीफोन प्रणालियां	0
68.	एचसीएल लि० (टेलीकम्यूनिकेशन्स डि०)	ई पी ए बी एक्स प्रणालियां के टी एस	290
69.	जे० के० टेलेक्ट्रानिक्स लि०	की टेलीफोन प्रणालियां	0
70.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	ई-10वीं एक्सचेंजों के लिए लाइन कार्ड	0
71.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	बड़े इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	500
72.	कनाजिया डिजिटल सिस्टमज प्रा० लि०	माइक्रोप्रोसेसर बेस के लिए साफ्टवेयर	0
73.	आंध्रा इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	पैकट स्विचड पब्लिक डाटा नेटवर्क	0
74.	जी० वी० के० टेलीकाम लि०	दूरसंचार पेंजिग सेवा	25
75.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नोलाजी लि०	इंसटेंट एक्सेस वायस कम्यूनिकेशन	0
76.	ग्लोबल वायरलेस टेक्नोलाजी लि०	इंटरअक्टिव वायस रिसपोन्स प्रणाली	0
77.	ग्लोबल वायरलेस टेक्नोलाजी लि०	विडियो क्रान्फेसिंग उपस्कर/प्रणाली	0
78.	टाटा टेलीकाम लि०	वायस प्रोसेसिंह यूनिट एवं संबद्ध	8
79.	न्यूकेशन मार्किटिंग प्रा० लि०	फोटोकापियर	0
80.	ग्लोबल वायरलेस टेक्नालाजी लि०	टेलीफोन फीचरफोन/विन्त सहित	0

1	2	3	4
81.	लारसेन एंड टयूबरो लि०	टेलीफोनिक और टेलीग्राफिक स्विच	50
82.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	आप्टिकल लाइन टर्मिनल उपस्कर	0
93.	जे० के० टेलीट्रानिक्स लि०	आप्टिकल लाइन टर्मिनल उपस्कर	0
84.	नेशनल टेलीकाम इण्डिया लि०	उपभोक्ता लूप कैरियर	535
85.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	आप्टिकल लाइन टर्मिनल एंड रेजनर	635
86.	हिंमाचल फयूचरिस्टिक कम्यूनिकेशल लिमिटेड	आप्टिकल फाइबर लाइन टर्मिनल ई क्यू यू आई	710
87.	यूनाइटेड टेलीकाम लि०	एम आई एल टी–64	348
88.	सीमेन्स लि०	लाइन टी ई के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण	2600
89.	सीमेन्स लि०	आप्टिकल लाइन टर्मिनेशन उपस्कर	0
90.	इन्टरसिटी केबल सिस्टमज प्रा० लि०	ई पी ए बी एक्स/ई पी बी टी/संचारण उपस्कर	0
91.	सलोरा इन्टनेशनल	सामान्य पुश बटन टेलीफोन	0
92.	यूनाइटेड टेलीकॉम लि०	इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोन	0
93.	आइडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज लि०	पुश बटन किस्म के टैलीफोन सेट	336
94.	प्रियराज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०	टेलीफोन उपकरण	229
95.	इंटरसिटी केबल सिस्टमज प्रा० लि०	पुश टेलीफोन बटन	0
96.	अपट्रान इंडिया लि०	पुश बटन टेलीफोन सेट	25

1	2	3	4
97.	इंडिया टेली-कम्प. लि०	टेलीफोन उपकरण	207
98.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि०	टेलीफोन उपकरण	15
99.	जे. के. टेलीट्रॉनिक्स लि०	पुश बटन टेलीफोन	0
100.	एलोरा टाईम प्रा० लि०	पुश बटन टाइप टेलीफोन सेट	801
101.	मेक विडियो प्रा० लि०	लाइन जैक यूनिट	0
102.	सिल्की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०	सिलिकॉन रबड़ की पैड स्विच	110
103.	मेक विडियो प्रा० लि०	हैडफोन	0
104.	आइडर टैलीकॉम लि०	वर्गलिर/फयर एलार्म तंत्र और एस	0
105.	नेशनल टेलीकॉम इंडिया लि०	मल्टीलाइन ओवजर मेसल उपस्कर	0
106.	केल्ट्रान इलेक्ट्रो सेरमिक्स लि०	पिज्जो सीरमिक बजर	5
107.	ट्रान्समैटिक सीस्टम लि०	टेलीफोन कॉल मोनीटर	114
108.	बी पी एल सिस्टम आंर प्रोजेक्स लि०	मल्टीयुजर टेलेक्स	0
109.	डायनावीजन लि०	टेलीफोन आन्सरीग मशीन	0
110.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि०	टेलीफोन आन्सरीय मशीन	0
111.	मेक वीडियो प्रा० लि०	पानवाला पे-फोन	50
112.	सन इलेक्ट्रॉनिक लि०	पे-फोन	149
113.	लक्ष्मी मशीन वर्क लि०	इलेक्ट्रॉनिक पे-फोन मॉडल क्वायल	2365
114.	लक्ष्मी मशीन वर्क लि०	इलेक्ट्रॉनिक पे-फोन मॉडल क्वायल	899

1	2	3	4
115.	मेकास्टर टेलीमेटिक्स लि०	पे-फोन्स	275
116.	मोदी टेलीमेटिक्स लि०	डीजीटल फेसीमाइल एसवाईएल और एलाइड	330
117.	माकन इंमेस पेन्टस एंड ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०	फेंसीमाइल मशीन	77
118.	नेटवर्क लि०	फैंसीमाइल मशीन	12
119.	ग्लोवल टेली सिस्टम	फैंसीमाइल मशीन	90
120.	एस वी इलेक्ट्रॉनिक	फैक्स	100
121.	माइकेल इम्पेक्स प्रा० लि०	फैक्स	22
122.	वेस्टाविजन इलेक्ट्रानिक लि०	फैक्स	248
123.	टी वी एस इलेक्ट्रानिक लि०	फैक्स	35
124.	हेमंग एन बुद्धदेव	फैक्स	154
125.	कल्याणी सर्प इंडिया लि०	फैक्स	285
126.	इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी	फेसीमाइल मशीन	150
127.	एलोरा इन्टरनेशनल	फेसीमाइल मशीन	950
128.	न्यू कैनन मार्केटिंक प्रा० लि०	फैक्स	2130
129.	सेमी कंडक्टर कॉम्पलेक्स लि०	फेसीमाइल मशीन	115
130.	न्यू वीडियो लि०	फेसीमाइल मशीन फैक्श	170
131.	एच सी एल लि० (टेलीकम्यूनिकेशन डिवीजन)	फेसीमाइल इक्वीपमेन्ट	200

1	2	3	4
132.	एच सी एल लि० (टेलीकम्यूनिकेशन डीविजन)	फेसीमाइल इक्वीपमेन्ट	2000
133.	बी पी एल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट लि०	फैक्स मोडम	467
134.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नोलाजी लि०	फेसीमाइल मशीन	110
135.	वी पी एल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट लि०	फेसीमाइल ट्रांसीवर उपस्कर	467
136.	जयन्ती बिजनेस मशीन लि०	डेस्म डॉप फेसीमाइल मशीन	352
137.	नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रानिक कं० लि०	एक्स. 25/मल्टी प्रोटोकॉल कनवर्टर/सी० ओ०	276
138.	नेलको	कार्डलेस टेलीफोन	120
139.	नेलको	कार्डलेस टेलीफोन	120
140.	स्काईटेली कॉम्नीकेशन लि०	टेलीफोन, काडलेस टी ए एम, एफ ई ए टी यू	0
141.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	कार्डलेस फोन	0
142.	सलोरा इंटरनेशनल	कार्डलेस फोन	0
143.	हिंद कन्डेन्सर	कार्डलेस फोन	20
144.	डायनावीजन लि०	कार्डलेस फोन	188
145.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नालोजी लि०	कार्डलेस फोन	0
146.	जयन्ती बिजनेस मशीन लि०	कार्डलेस फोन	352

1	2	3	4
147.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	कार्डलेस फोन	0
148.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि०	कार्डलेस फोन	16
149.	जे० के० टेलीट्रोनिक्स लि०	कार्डलेस फोन	0
150.	एसीयन ब्राऊन बोइरी लि०	डाटा कम्यूनिकेशन उपस्कर	0
151.	कनाजिया डिजीटल प्रा० लि०	टेलीकॉम उपस्कर एडवायस एंड डाटा क०	1204
152.	सीमन्स लि०	डाटा बेस प्रिपरेशन एडसॉफ्ट वेयर	128
153.	मेगाटेक एंडवांस टेन्ड० प्रा० लि०	ऑपटिकल फाइबर केबल ज्वाइंट क्लोजर	5
154.	वी एक्स एल इंजीनियर्स लि०	डाटा कम्यूनिकेशन उपस्कर	1742
155.	क्रोम्पटन ग्रोप्स लि०	डिजीटल मल्टीफ्लेक्स प्रणाली	75
156.	ओमनी टेल इंडस्ट्रीज लि०	मल्टीप्रोटोकॉल कम्यूनिकेशन	50
157.	ग्लोवल वायरंगल टेक्नोलाजी लि०	पैकेट मोडेम/डाटा कंट्रोलरस एफ	0
158.	स्ट्रा प्रोडक्ट लि०	मल्टीफ्लैक्स	2265
159.	जे० के० टेलेक्ट्रानिक्स लि०	मल्टीफ्लैक्सर्स	2265
160.	नेशनल टेली काम इंडिया लि०	डिजीटल मल्टीफ्लेक्सर प्रणाली	0
161.	हिमाचल 'फ्यूटिरिस्टी कंम्यूनिकेश लि०	डिजीटल मल्टीफ्लेक्सर उपस्कर	0
162.	हिमाचलफ्यूटिरिस्टीक कम्यूनिकेश लि०	इटीगरेटेड उस्कर (ओ एफ एंड मल्टी)	0
163.	पंजाब कंम्यूनिकेशन लि०	पल्स कोड मोडुलेशन मल्टीप्लेक्स	210

1	2	3	4
164.	भारती टेलीकाम लि०	सेल्यूलर टेलीफोन टर्मीनल	10000
165.	श्याम एंटीना इलेक्ट्रोनिक प्रा० लि०	सेल्यूलर फोन सीस्टम डुप्लेक्सर	0
166.	कर्नाटक टेलीकेबल लि०	सेल्यूलर टेलीफोन कंफोरमीग टी ओ	812
167.	जे० के० टेलेक्ट्रानिक्स लि०	सेल्यूलर फोन्स	0
168.	फिलिप्स इंडिया लि०	पार्ट्स सुटेबल फोस धुज्ञविथ अपा०	4
169.	नेशनल टेलीकाम, इंडिया लि०	रेडियो पेजर	0
170.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नोलोजी लि०	रेडियो पेजर	0
171.	ग्लोवल वायरलेस टेक्नोलोजी लि०	रेडियो पेजिंग प्रणाली	0
172.	गोवा टेलीकम्यूनिकेशन एंड प्रणालियां लि०	वी एच एफ/यू एच एफ एंड माइक्रोवेव संचार	2
173.	क्रियेटिव इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	लाइन एक्सटेंडर	4
174.	सुप्रीम टेलीकम्यूनिकेशन प्रा० लि०	डिजीटल यू एच एफ माइक्रोवेव उपस्कर	429
175.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो कंयूनिकेशन	8776
176.	नेशनल टेलीकाम, इंडिया लि०	डिजिटल माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर	0
177.	सिमेन्स लि०	ट्रांसमिशन एपरेटस फार रेडियो	2600
178.	सिमेन्स लि०	ट्रांसमिशन एपरेटस फार रेडियो	0
179.	श्याम एंटीना इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	1+10+30 चैनल रेडियो+एम यू एक्स 2/15+4/	255

1	2	3	4
180.	सिमेन्स लि०	ट्रांसमिशन एपरेटस फार रेडियो	0
181.	सिमेन्स	3 चैनल ओपन वायर कैरिया प्रणाली	5798
182.	प्रियराज इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	7.2 मीटर डाइआं नारमल एक्सटेंडैड सीवेन	103
183.	प्रियराज इलेक्ट्रानिक्स लि०	कॉइल एंड ट्रांसफारमर्स फार टेलकाम	4500
184.	एडवान्स्ड रेडियो मास्ट्स प्रा० लि०	2/15 शेयर्ड रेडियो सिस्टम्स	109
185.	इरिक्सन इंडिया लि०	ट्रांसमिशन एपरेटस फार रेडियो	0
186.	अम्बर एण्टर प्राइजेज इंडिया प्रा० लि०	केविनिटरी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रानिक	159
187.	मेकास्टर टेलीमैटिक्स लि०	प्रिंटिड वायर बोर्डस फार टैली/टैल	2590
188.	स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०	सेंट्रल ट्रांसमिशन मैनेजमेंट	0
189.	विकास हाइब्रिड्स एंड इले० लि०	ट्रांसमिशन उपस्कर	585
190.	गीलडाटा टेक्नीक लि०	टाइम एसाइनमेंट स्पीच इंटरपोला	192
191.	विंधा टेलेलिक्स लि०	इंसुलेटिड केवल्स काईस एंड फ्लेक्स	0
192.	एस एम इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	रेडियो कम्यूनिकेशन रिसीवर	151
193.	विधा टेलेलिक्स लि०	इंसुलेटिड केवल्स काईस एंड फ्लेक्स	0
194.	विरला इरिक्सन आप्टीकल लि०	इंसुलेटिड केवल्स काईस एंड फ्लेक्स	0
195.	विधा टेलेलिक्स लि०	इंसुलेटिड केवल्स काईस एंड फ्लेक्स	0
196.	प्रिसिजन इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	ट्रांसफारमर्स	384

1	2	3	4
197.	एडवान्स्ड रेडियो मास्ट्स लि०	ट्रांसमिशन एपरेटस	220
198.	एस एस वी इन्डस्ट्रीज	यू एच एफ आर आर एस अप टू 120 वाईस/डाटा चैनल	20
199.	हिंदुस्तान पेंजिग लि०	एनालोग एंड डिजिटल सब्सक्राइवर सी ए आर आर	18
200.	यू एम एस रेडियो फैक्टरी प्रा० लि०	वायरलेस पेंजीग प्रणाली	10
201.	हिंदुस्तान पेंजीग लि०	रेडियो पेंजीग प्रणाली	4828
202.	स्काई टेलीकमनीकेशन लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	4250
203.	सिटी वाइड कंयूनिकेशन एंड कंप्यूटर्स	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	4300
204.	स्टार पेजिंग लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	3727
205.	सिटी वाइड कंयूनिकेशन एंड कंप्यूटर्स	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	0
206.	स्टार पेंजीग लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	3727
207.	कर्नाटक टेलेकेवल्स लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	610
208.	माइक्रोवेव कंयूनिकेशंस लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	536
209.	वेवेल कंयूनिकेशन इंडस्ट्रीज लि०	रेडियो पेंजीग प्रणालियां	84
210.	मोटोरोला प्रा० लि०	पेजर्स एंड पेजिंग सिस्टम	2700
211.	मेटोरोला प्रा० लि०	पेजर्स	1015
212.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि०	पेजिंग रिसीवर्स	1200

1	2	3	4
213.	हिंदुस्तान पेजींग लि०	सैल्यूलर रेडियो इन्कल्यूडिंग बेस सीओ	0
214.	आर्य कंयूनिकेशंस एंड इलेक्ट्रानिक सि०	रेडियो कम्यूनिकेशन्स उपस्कर	100
215.	डब्ल्यू एस टेलेसिस्टम्स	रेडियो कम्यूनिकेशन्स उपस्कर 10 चैनल	0
216.	जे० के० टेलेक्ट्रानिक्स लि०	माइक्रोवेव कंयूनिकेसन उपस्कर	0
217.	ए० पी० इंटरनेशनल	कार्डलेस बिजनेस टेलीफोन्स	65
218.	नेशनल इनफोर्मेशन टेक्नालाजी	माइक्रोवेव रेडियो कंयूनिकेशन इक्विपमेंट	680
219.	मेक विडियो प्र० लि०	प्लान 104/103 डिजिटल	0
220.	राइजिंग सन इंजीनियर्स लि०	10 चैनल डिजिटल यू एच एफ ब्रू सिस्टम	0
221.	ग्लोबल वाइरलैस टेक्नालाजी लि०	यू एच एफ/ वी एच एफ हैंड हैल्ड ट्रांस रिसीवर	110
222.	ग्लोबल वाइरलेस टेक्नालाजी लि०	यू एच एफ/वी एच एफ बेंस/मोबाइल ट्रांसरिसीवर	0
223.	ग्लोबल बाइरलैस टेक्नालाजी लि०	यू एच एफ/ वी एच एफ डिजीटल सेल्कल मोबाइल/बी ए	0
224.	ग्लोवल वाइरलैस टेक्नालाजी लि०	यू एच एफ/वी एच एफ रिपीटर्स आटो/ बैकटूबी	0
225.	वीनब्रेडकाम केवल्स प्र० लि०	को एक्सियल केबल्स	149
226.	राजस्थान कंयूनिकेशन लि०	डिजीटल माइक्रोवेव रेडियो	1100
227.	पंजाब स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवल, एड प्रा०	डिजीटल इलेक्ट्रानिक	1530
228.	सिमेन्स लि०	डिजीटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग एस	1390

1	2	3	4
229.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	मल्टी चैनल पर कैरियर टरमिन	1220
230.	गुजरात कंयूनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक	टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सप्रेस उप०	0
231.	रमैया इलेक्ट्रानिक लि०	दूवे रेडियो कंयूनिकेशन एंड ए एल	25
232.	एडर टेलेकाम लि०	दूवे रेडियो कंयू० उपस्कर एच एफ	0
233.	एडिनो टेलेकाम लि०	दूवे रेडियो कंयूनिकेशन उपस्कर	52
234.	प्रगति कंयूटर्स पीसी लि०	पीसी बेस्ड टेलेकम्यूनिकेशन उपस्कर	92
235.	नेशनल टेलीकाम इंडिया लि०	पी सी एम एम यू एक्स उपस्कर	0
236.	हनीकॉब टेलेकाम सिस्टम प्रा० लि०	रेडियो कंयूनिकेशंस उपस्कर वी एच एफ यू एच	105
237.	श्याम एंटिना इलेक्ट्रानिक प्रा० लि०	एंटीना इनक्लूडिंग वी एच एफ/यू एच एफ यागी+एम	0
238.	सिमेन्स लि०	वी एच एफ यू एच एफ माइक्रो कंयूनिकेशन	0
239.	इंटरसिटी केबल सिस्टम प्रा० लि०	वी एच एफ/यू एच एफ सेटेलाइट एंटीना	0
240.	यू एस एस रेडियो फैक्ट्री प्रा० लि०	एरियल्स एंड एरियल रिफलेक्टर्स आफ ए	74
241.	सालिडेयर इंडिया लि०	सेटेलाइट कंयूनिकेशन रिसीव	5
242.	सालिडेयर इंडिया लि०	सेटेलाइट कंयूनिकेशन सिसटम	5
243.	कर्नाटक टेलीकेबल्स लि०	सेटेलाइट कंयूनिकेशन सिस्टम	715
244.	विनटेक आर एफ प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	माइक्रोवेव सेटेलाइट टर्मिनल	130
245.	पारस इलेक्ट्रानिक	सेटेलाइट कंम्यूनिकेशन उपस्कर	3585

1	2	3	4
246.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	माइक्रोवेव कम्युनीकेशन उपस्कर	0
247.	आन्ध्रा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	सेटेलाइट अर्थ स्टेशन	610
248.	कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक	सी० वी० वायरलेस ट्रांस सिवरस वी एच एफ वायर	9
249.	गुजरात कम्यूनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक्स	हाई पावर टी वी ट्रांसमीटर	0
250.	सत्कार इलेक्ट्रानिक लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	318
251.	सुसी स्पेस टैक प्रा० लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	56
252.	हिमाचल टेलीमैटिक्स लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	47
253.	इन्टुमेन्टेशन लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	645
254.	वी पी एल सीस्टमस् एंड प्रोजेक्टस लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	35
255.	एडर इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीज लि०	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	266
256.	नेशनल इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी	सेटलाइट कम्यूनिकेशन उपस्कर	275
257.	यूनिवैर्सल केवलस लि०	टेलीकम्यूनिकेशन केबल्स्	0
258.	यूनिवर्सल केवलस लि०	इन्सुलेटेड केवलस	0
259.	क्रोमटन ग्रीवस लि०	एनोलोग कैरियर सिस्टम	10
260.	विनटैक आर एफ प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	माइक्रोवेव अप/डाउन कन्वर्टेड रिसिवरस्	0
261.	वीडीयोकोन वी सी आर लि०	रिसेप्सन एप्रेटस फोर रेडियो टेल वी	117

1	2	3	4
262.	ग्लोबल वायरलेस टेकनोलोजी लि०	माइक्रो/मास्टर अर्थ स्टेशन इक्वीपमैंट	195
263.	समर्थ सीपिंग एंड मेरिन कम्पनी	फैक्स	125
264.	स्कोर्टस लि० (टेलीकम्यूनिकेशन डिविजन)	वी सेंट नेटवर्कस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन ई	0
265.	आन्ध्रा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	वेरी स्माल एपट्चर टर्मिनल	0
266.	नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रानिक्स	स्माल एपट्चर टर्मीनल	75
267.	ग्लोबल वायरमेस टेक्नोलोजी लि०	एच एफ-एस एस बी ट्रांस रिसीवरस	0
268.	इन्टर सीटी कंवल सीस्टम्स प्रा० लि०	मास्ट फोर कम्यूनिकेशन एनटीना	195
269.	जी आर केवलस लि०	जैली फिल्ड टेलकम केवलस	1545
270.	जी आर केवलस लि०	जैली फिल्ड टेलकम केवलस	1600
271.	गुजरात टेलीफोन्स केवलस् लि०	जैली फिल्ड टेलकम केवलस	3594
272.	एम. पी टेलीलिंक्स लि०	पोलीथीलिन इन्सुलेटेड जे एफ सी	975
273.	कनाजोया डिजीटल सिस्टम प्रा० लि०	प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड एसेम्बली	0
274.	कनाजोया डिजीटल सिस्टम प्रा० लि०	सौफ्टवेयर फोर टेस्टींग पीसीबीएस	0
275.	प्रासा इलैक्ट्रोनिक्स लि०	प्रेसिजन शीट मेटल कम्पोनेन्टस	160
276.	क्रिस्टल केबल इंडस्ट्रीज लि०	पी वी सी पावर माइनिंग एंड कन्ट्रोल केवलस	60

1	2	3	4
277.	क्रिस्टल केबल इंडस्ट्रीज लि०	एस एल पी ई इन्सुलेटेड पावर केबल्स्	0
278.	फिलिप्स इन्डीया लि०	मेटल पीसपार्टस औरइलेक्ट्रानिक इन्डस्ट्रीज।	150

सभी आई इ० एम० के लिए कुल प्रस्तावित निवेश = रु० 149454.58 लाख

विवरण -II

रेडियो पेजिंग सेवा (27 शहरों में) अनन्तिम रूप से चुने गए बोली दाताओं की सूची जिन्हें आशय-पत्र जारी किए गए हैं। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है लेकिन कोई स्थगन आदेश नहीं है

क्रमांक	कम्पनी का नाम	शहर	निदेशी सहयोगकर्त्ता	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	मै० आर्य कम्यूनिकेशन्स एण्ड इलैक्ट्रानिक्स, 105 मेकन चैम्बर्स VI 220, नरीमान पॉइन्ट, बम्बई-400021	बम्बई, बंगलौर	मोढ़ोरोला इन्टरलेशनल पेजिंग इनकार्पोरेशन सं० रा० अमेरिका	
2.	मै० मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा० लिमिटेड, अनिल चैम्बर्स (क्राउन मिल्स के पास) अंधेरी, कुरला रोड, साकीमका, बम्बई—400022	पुणे, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत	मैट्रिक्स टैलकम लि० आस्ट्रेलिया	
3.	मै० टेलेसिस्टम (इंडिया) लि० 23/1, xi मैन रोड, पोस्ट आफिस के पास, वसन्त नगर, बंगलौर—560052	मद्रास, बंगलौर, परनाकुलम, कोइम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, मदुरई	टैलेसिस्टम एस डी एन. बी एच डी, मलेशिया	
4.	मै० एस जे टेलकम सर्विसेज प्राईवेट लि० 13, मसजिद मोठ, डी डी ए कामिर्शियल कम्पलैक्स, नई दिल्ली—110048	दिल्ली बम्बई	टैलकम इण्टरनेशनल न्यूजीलैंड	

1	2	3	4	5
5.	मै० इण्डिया टैलेकमप, टेलकम हाऊस, एल-12, साउथ एक्सटेंशन-II नई दिल्ली-110049	बंबई, अहमदाबाद, बंगलौर, पुणे, हैदराबाद कानपुर, लखनऊ दिल्ली, कलकत्ता मद्रास	1. स्टीमर्स टैलकम प्रा० लि० सिंगापुर 2. इलैक्टकॉम्प, एसडी एन, बी एच डी, मलेशिया	
6.	मै० मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि० 505, न्यू दिल्ली हाऊस, 27, बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, हैदराबाद, जयपुर, पुणे।	1. एन० आई० टी० टी० आई० जापान 2. सी-आई टी ओ एच, जापान	
7.	मै० हचीसन मैक्स टैलकम, 12वां तल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	अहमदाबाद, बंगलौर पुणे, बड़ोदरा, चण्डीगढ़, हैदराबाद, लुधियाना।	हचिन्सन टैलकम, हांगकांग	
8.	मै० मोदी टैलेकम्यूनिकेशन्स लि० 12, फैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065	मद्रास, भोपाल, कानपुर, जयपुर, चण्डीगढ़ लखनऊ, इन्दौर, वाराणसी	निनैक्स नेटवर्क सिस्टम, स० रा० अमेरिका	
9.	मै० ई जी काल कम्यूनिकेशन्स (इण्डिया) प्रा० लि०, एल बी/5, अन्सल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	कलकत्ता, हैदराबाद, नागपुर, इन्दौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, पटना	ईजी कॉल कम्यूनिकेशन्स, फिलिपीन्स	
10.	मै० माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि०, 1202, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बम्बई कलकत्ता, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट	फोड्स वेस्ट स० रा० अमेरिका	
11.	एबीसी कम्यूनिकेशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड नरीमान पॉइन्ट, 44/बी बम्बई-400021	दिल्ली, कानपुर, जयपुर, चण्डीगढ़ वाराणसी, लुधियाना, अमृतसर	ए बी सी कम्यूनिकेशन्स, हांगकांग	

1	2	3	4	5
12.	मै० उषा मार्टिन टैलकम लि०, 16, कम्यूनिटी सैंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	नागपुर, राजकोट, एरनाकुलम, इंदौर, कोयम्बटूर, भोपाल, वाराणसी, पटना, मदुराई, विशाखापट्टनम	टेलकम मलेशिया बेरहाद, मलेशिया	17.5.94 को लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए
13.	मेव वेस्टन पेजर्स प्रा० लि० वैस्टन हाउस, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली-110020	कानपुर, सूरत, जयपुर, बड़ोदरा, चण्डीगढ़, राजकोट, लखनऊ, विशाखापट्टनम, त्रिवेन्द्रम।	1. चैम्पियन टैक्नालॉजी लि० हांगकांग 2. हरीलैला कन्टोन टैलकम लि० हांगकांग	
14.	मै० बी पी एल सिस्टम एण्ड प्रोजेक्ट लि०, 64 चर्च स्ट्रीट बंगलौर-560001	एरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम	1. फ्रांस टैलकम, मोबाइल्स इण्टर-नेशनल। 2. एल सी सी इनकार्पोरेशन स० रा० अमेरिका।	
15.	मै० बैलट्रॉन टेलेकम्यूनिकेशन्स लि० जे—189, पीपुल्स को-आपरेटिव, लोहियानगर, पटना-800020	सूरत, नागपुर, पटना, लुधियाना, अमृतसर	आई एम. एस, स० रा० अमेरिका	

सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा

अनंतिम रूप से चुने गये बोलीदाताओं की सूची। मामला सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है। मामले पर सुनवाइयां पूरी हो गई हैं और फैसले की प्रतीक्षा है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	निदेशी साझीदारी का नाम	शहर
1	2	3	4
1.	मै० हयूचिसन मैक्स टेलकाम देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	मै० हयूचिसन हुयापोवा	बंबई

1	2	3	4
2.	मै० भारती सेल्युलर लि० 15वीं मंजिल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	(i) मै० जनरल मोबाइल यू० के० (ii) एम० एफ० आर० फ्रांस	बंबई
3.	मै० बी० पी० एल० सिस्टम और प्रोजेक्ट लि० 1/1 पैलेस रोड, बंगलौर	मै० फ्रांस टेलीकाम	दिल्ली
4.	मै० स्टरलिंग सेल्युलर लि० 19 कैथड्रल गार्डन रोड, नुंगम्बक्कम, मद्रास	मै० सेल्युलर कम्युनिकेशन इन्टर-नेशलन इंक- यू० एस० ए०	दिल्ली
5.	मै० ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि० 503 हेमकुंट चेम्बर्स 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	मै० टेलीकाम, मलेशिया	कलकत्ता
6.	मै० इंडिया टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड, 13वीं मंजिल, हेमकुंट टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	मै० ओ० टी० सी० इन्टरनेशनल, आस्ट्रेलिया	कलकत्ता
7.	मै० स्काईसेल कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड सरदार मोहन सिंह बिल्डिंग, कनॉट लेन, नई दिल्ली-110001	मै० बेल साउथ, यू० एस० ए०	मद्रास
8.	मै० मोबाइल टेलीकाम सर्विस लिमिटेड, एन-83, प्रताप बिल्डिंग, पहली मंजिल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001	मै० वोडोफाइल, यू० के०	मद्रास

इलेक्ट्रानिक मेल सेवा

क्रमांक	कम्पनी का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	आईसीनेट प्रा० लि० सौरे टो, 6 सेटिस ब्रिज रोड, आडयार, मद्रास	लाइसेंस करार पर 7-1-94 को हस्ताक्षर किये गए।

1	2	3
2.	डाटाप्रो इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी प्रा० लि० ई एल-21, इलेक्ट जोन एम आई डी सी भोसारी पुणे	लाइसेंस करार पर 3-6-94 को हस्ताक्षर किए गए।
3.	डायनेमिक टेली सर्विस (आई) प्रा० लि० 156 ए, लेनिन सरणी कमरा नं० 302 डी कलकत्ता	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
4.	मै० सी एम सी लि० 1, रिंग रोड, कितोकरी, महारानी बाग के सामने नई दिल्ली	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
5.	मै० आर पी जी टेलीकाम लि०, टी एम प्रताप भवन पहली मंजिल एन—83 कनाट सर्कस, नई दिल्ली	-वही- (i) स्प्रिंट इंटनेशनल इंक० यू० एस० ए० (ii) आर पी जी इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन कारपोरेशन यू० एस० ए०
6.	मै० विप्रो इनफीटेक लि०, 88, एम जी रोड बंगलौर	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
7.	मै० डाटालाइंस एंड रिसर्च टेक्नोलाजी 31 ए नोबल चेंबर 4वीं मंजिल, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट बम्बई	लाइसेंस करार पर 11-5-95 को हस्ताक्षर किये गये।
8.	मैं बिजनेस इंडिया इन्फारमेशन बी-3/86 सफदरजंग ऐन्कलेव, नई दिल्ली।	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
9.	मै० स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स प्लाट नं० 16 और 17, विकसित प्लाट औद्योगिक क्षेत्र पुरूंदगुडी मद्रास	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
10.	मै० वी० एस० एन० एल० विदेश संचार भवन, फोर्ट बम्बई	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
11.	मै० अर्चना टैलकम सर्विस प्रा० लि० ग्रिंडले सिनेमा कम्पलैक्स, कम्यूनिटी कम्पलैक्स, नई दिल्ली	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।

1	2	3
12.	मै० ग्लोवल टैलकम सर्विस लि० 412, जन्मभूमि चैम्बर्स, 29 वालचन्द, हीरा चन्द मार्ग, बम्बई	संशोधित आशयपत्र 15-3-94 को जारी किया गया।
13.	मै० क्रॉम्पटन ग्रीवज, वन्दना, II-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1	आशय पत्र 6-5-94 को जारी किया गया।

बोइस मेल

क्रमांक	कम्पनी का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	इंडियन टैलकम प्रा० लि०, 13वां तल, हेमकुन्ट टावर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (शहर- नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता)	संशोधित आशयपत्र 22-4-94 को जारी किया गया
2.	मै० टी सी आई एल, देविका टावर, 5वां तल, 6-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (शहर- नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता)	संशोधित आशय पत्र 22-4-94 को जारी किया गया
3.	मै० डार्कन सिस्टम्स प्रा० लि०, 18 शकुन्तला पार्क, मंजलपुर, बड़ोदरा-390004 (शहर- अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा)	संशोधित आशयपत्र 22-4-94 को जारी किया गया

उपग्रह के माध्यम से 64 के बी पी एस डाटा सर्विस

क्रमांक	कम्पनी का नाम	स्थिति	विदेशी सहयोगकर्ता
1	2	3	4
1.	मै० ह्युज्स एस्कॉर्ट कम्यूनिकेशन द्वितीय तल, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	आशयपत्र 22-9-93 को जारी किया गया	ह्युज्स नेटवर्क सिस्टम, स० रा० अमेरिका

1	2	3	4
2.	मै० आर पी जी टैलकम लि०, प्रथम तल, प्रताप बिल्डिंग, एन-83, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	आशयपत्र 17-12-93 को जारी किया गया	कमस्ट्रीम कार्पोरेशन स० रा० अमेरिका
3.	मै० मैक्स इंडिया लि०, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-1100019	आशयपत्र 22-9-93 को जी किया गया	कॉमसेट कारपोरेशन स० रा० अमेरिका
4.	मै० एच सी एल-हैव्लेट पैकार्ड लि०. 503-504, सिद्धार्थ, 96-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	आशयपत्र 21-2-94 को जारी किया गया	जी टी ई स्पेसनेट कार्पोरेशन स० रा० अमेरिका
5.	मै० विप्रो इनफोटेक 88, एम जी रोड, बंगलौर-560001	आशय पत्र 17-12-93 को जारी किया गया	—
6.	मै० एमेडियस इन्वेस्टमैन्ट्स एंड फाइनेंस लेन्टिन चैम्बर्स, दलाल स्ट्रीट, बम्बई-400023	आशयपत्र 21-2-94 को जारी किया गया	टैलस्ट्रा होल्डिंग्स प्रॉप्राइटरी लि० आस्ट्रेलिया
7.	मै० विन्टैक आर एफ प्रॉडक्ट्स प्रा० लि०, नं० 600/677/2, विले कहाली, बन्नरगट्टा रोड, बंगलौर—560076	आशय पत्र 3-5-94 को जारी किया गया	—

नई दूरसंचार नीति

*4. डा० रमेश चंद तोमर :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) नई दूरसंचार नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

(क) दूरसंचार, सभी के लिए और सभी की पहुंच के भीतर।

(ख) सभी गांवों को शामिल करते हुए यथाशीघ्र विश्वव्यापी सेवा सुलभ करना।

(ग) दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता विश्व के मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत दूरसंचार उपस्करों के एक मुख्य विनिर्माण आधार और मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे।

(ड.) देश के रक्षा और सुरक्षा हितों का संरक्षण।

इस नीति के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कम्पनियों को मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और जनता को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में दूरसंचार विभाग के प्रयासों का अनुपूरण करने की दृष्टि से भी भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। इस नीति में, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संवृद्धि के उपयुक्त प्रबंध करने और निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करने की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए विभाग में ही एक समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

(ड.) सरकार द्वारा मार्गनिर्देशक सिन्द्धान्तों को अन्तिम रूप दिए जाने अथवा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एकक

*5. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) सरकार को भारत में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु अनिवासी भारतीयों तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से गत दो वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सकार ने इनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर कर लिए हैं;

(ग) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या इन एककों में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन एककों में उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा;

(छ) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी, विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान तथा औद्योगिक रूप से अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में 1992-93 और 1993-94 के दौरान अनिवासी भारतीयों, विदेशियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्यों से प्राप्त 148 प्रस्तावों में से 135 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें 1368.38 करोड़ रु० का विदेशी पूंजीनिवेश किया जाएगा।

(घ) से (च) 10 यूनिटें उत्पादन आरंभ कर चुकी हैं और अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। ऐसी यूनिटों के कार्यान्वयन में करीब दो वर्ष का समय लगता है।

(छ) और (ज) फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मांस और मांस उत्पाद क्षेत्र तथा उपभोक्ता उद्योग में विदेशी सहयोग के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से तीन की स्थापना महाराष्ट्र में करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में भारतीय

*6. **श्री कासी राम राणा :**
श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने सैनिक और गैर-सैनिक लोग विदेशी जेलों में हैं;

(ख) सरकार द्वारा उनकी शीघ्र रिहाई के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप कितने भारतीय रिहा किए गए ; और

(घ) भारत से भागे हुए कितने लोग विदेशों में रह रहे हैं और उनकी भारत वापसी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) सरकार द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार लगभग 9,000 भारतीय सैनिक/असैनिक व्यक्ति

विदेशों में जेलों में बंद हैं। 1992-93 के वर्षों से सम्बद्ध सूचना संलग्न विवरण में दिए अनुसार है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संख्या में से 54 भारतीय रक्षा कार्मिकों के बारे में यह माना जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों में हैं। तथापि पाकिस्तान की सरकार का यह मानना है कि उसकी हिरासत में कोई भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है।

(ख) भारतीय मिशन सभी मामलों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से उठाते हैं ताकि इनकी समीक्षा की जा सके और सम्बन्धित व्यक्तियों को शीघ्रतापूर्वक रिहा करवाया जा सके। जेल प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के अलावा आवश्यकतानुसार मामले सम्बन्धित विदेश कार्यालयों के साथ उठाए जाते हैं तथापि बहुत-सीसरकारें न्यायालय द्वारा निर्णीत कारावास की अवधि की समीक्षा से सम्बद्ध अनुरोधों पर विचार नहीं करती और वे कैदियों को उनके कारावास की सजा पूरी होने पर ही रिहा करती है । भारतीय मिशन यह सुनिश्चिय करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध हो।

(ग) 1992 और 1993 के दौरान जो कैदी रिहा हुए उनकी संख्या इस अनुबंध के स्तम्भ 4 के अनुसार है। इनमें वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी रिहाई विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रयासों के परिणामतः हुई तथा वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी सजा पूरी होने पर समय-समय पर रिहा हुए।

(घ) भारत सरकार ने 89 भगोड़ों की वापिसी की मांग की है जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी राष्ट्रिक पहचान का सुनिश्चिय किया जा रहा है। इन भगोड़ों की गिरफ्तारी तथा उनकी वापिसी के लिए अनुरोध इन्टरपोल के जरिये तथा द्विपक्षीय आधार पर किए गए हैं।

विवरण

क्र. सं०	देश का नाम	जेल में भारतीयों की संख्या	1992 तथा 93 के दौरान मुक्त किए गए भारतीयों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरब गणराज्य मिस्र	14	शून्य
2.	आस्ट्रेलिया	3	शून्य
3.	आस्ट्रिया	3	शून्य
4.	बंगलादेश	310	157
5.	भूटान	52	शून्य
6.	बर्मा	12	शून्य

1	2	3	4
7.	कनाडा	10	शून्य
8.	डेनमार्क	2	शून्य
9.	जर्मन संघ गणराज्य	27	6
10.	घना	1	शून्य
11.	यूनान	9	185
12.	गयाना	1	शून्य
13.	हांगकांग	16	शून्य
14.	हंगरी	9	24
15.	इन्डोनेशिया	2	2
16.	ईरान	26	14
17.	इराक	3	1
18.	आयरलैण्ड	1	1
19.	इटली	122	6
20.	जापान	4	1
21.	जोर्डन	2	11
22.	कीनिया	3	शून्य
23.	कुवैत	52	शून्य
24.	लेबनान	4	5
25.	मलेशिया	99	361
26.	मालदीव	2	शून्य
27.	मारीशस	19	शून्य
28.	मेक्सिको	23	45
29.	नेपाल	186	शून्य
30.	नीदरलैण्ड	9	शून्य
31.	न्यूजीलैण्ड	1	शून्य

1	2	3	4
32.	नाइजीरिया	1	शून्य
33.	ओमान सल्तनत	66	शून्य
34.	पाकिस्तान	960 (सैनिकों सहित)	184
35.	पनामा	18	शून्य
36.	पुर्तगाल	1	शून्य
37.	कतर	56	445
38.	रूस	2	1
39.	सऊदी अरब	5555#	9558#
40.	सिंगापुर	251	702
41.	स्पेन	11	शून्य
42.	श्री लंका	20	28
43.	सीरिया अरब गणराज्य	6	21
44.	थाईलैण्ड	6	13
45.	संयुक्त अरब अमीरात	500#	4377#
46.	युगाण्डा	शून्य	2
47.	यूनाईटिड किंगडम	354	1201
48.	यू॰ एस॰ ए॰	34	शून्य
49.	उजबेकिस्तान	1	1
50.	यमन	6	शून्य
51.	यूगोस्लाविया	48	24
52.	जिम्बावे	2	शून्य
	कुल योग :	8925	17,427

#इन आंकड़ों में वे भी शामिल है जिन्हें अप्रवासी कानूनों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया तथा बाद में देश से निकाल दिया है।

सभी आंकड़े अस्थायी हैं।

निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र

*7. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ग) इनमें से उत्तर भारत में कितने संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों की कमी के सन्दर्भ में और विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए, विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश को प्रेत्साहन देने के लिए वर्ष 1991 में एक नीति तैयार की गई थी। कानूनी ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और वर्तमान में यह नीति क्रियान्वयनाधीन है।

(ख) अब तक, लगभग 104151.00 करोड़ रुपये लागत वाली 32661 मे० वा० क्षमता अभिवृद्धि के लिए, निजी क्षेत्र में, 75 विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से सात विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) अब तक उत्तरी क्षेत्र में लगभग 17.242 करोड़ रुपये लागत वाली 6033.50 मे० वा० क्षमता अभिवृद्धि के लिए निजी क्षेत्र में 16 विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से एक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) और (ङ) इस नीति में विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी का प्रावधान है। नीति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नीति का ब्यौरा

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत् है :

- विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों हेतु नया विधि सम्मत, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संसोधित किया गया है।

- निजी क्षेत्र किसी भी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजना अधिष्ठापित कर सकते हैं।

- ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल मिलाकर परिव्यय की राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती, उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

- निजी क्षेत्र की कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम अधिष्ठापित कर सकती हैं।

- इसके पश्चात्, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी कम्पनियां ऋण इक्विटी 4 : 1 के अनुपात में अनुमत्य होंगी।

- समग्र परिव्यय की राशि की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि इक्विटी घटक के रूप में होनी चाहिये।

- प्रवर्त्तक के अंशदान की न्यूनतम राशि समग्र परिव्यय की राशि का 11 प्रतिशत होनी चाहिये।

- भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई राशि समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने में परियोजना की समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा की कम-से-कम 60 प्रतिशत राशि निश्चय ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिये।

- विदेशी निजी निवेशकों द्वारा परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के मामलों में शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

- निर्यात अर्जन के जरिए तुलन लाभांश की शर्त जोकि 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के मामलों में सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेश पर लागू नहीं होगी।

- परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित मूल्यह्रास की दरों को उद्धार बनाया गया है।

- ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के अनुमोदन से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति भी दी जाएगी।

- विद्युत उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क की राशि में 20% की कटौती की गई है तथा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हेतु भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

- विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम अधिष्ठापित करने पर लाभांश के बारे में पांच वर्ष तक कर की छूट की अनुमति दी जाएगी। पांच वर्ष की कर छूट की अवधि की शुरूआत वह वर्ष माना जाएगा जिस वर्ष से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

- विद्युत क्षेत्र के अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों पर उत्पादन शुल्क को घटा कर कम दर पर कर दिया गया है।

- टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश की राशि सम्बन्धित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।

- निर्धारित लागतें 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जा सकेंगी। इससे अधिक संयंत्र भार अनुपात पर कार्य निष्पादित किए जाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

- परियोजना लागत में बीमा की राशि शामिल किए जाने के लिए नम्यता प्रदान की गई है।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए निम्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव रखे गए हैं :

- मानक मानदंड जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियां प्रचालन कार्य करेंगे इनको अधिसूचित कर दिया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रदत्त एवं निर्धारित इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश अर्जित किया जाए।

- विद्युत उत्पादन कम्पनियां जिनका प्रचालन कोयला, गैस पर आधारित है और जल विद्युत परियजनाएं समुचित निर्धारित टू-पार्ट-टैरिफ के आधार पर विद्युत बेच सकेंगी।

- निजी विद्युत कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाने वाले भुगतान से सम्बन्धित दायित्व के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रति गारंटी दिए जाने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन निम्नवत् हैं :

- दीर्घावधि के लाइसेंस पहली बार 30 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तथा अनुवर्ती नवीकरणों की अवधि 2 वर्ष होगी जबकि पहले यह अवधि क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष की थी।
- आर० वी० आई० की दर से 2 प्रतिशत अधिक पहले की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत उच्च लाभांश की दर।
- आर० बी० आई० की दर से 1 प्रतिशत अधिक पहले वाली दर की अपेक्षा वास्तविक लागत (विस्तार परियोजनाओं हेतु भी) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण।
- ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोजन।

विदेशी सहायता से चलने वाली विद्युत परियोजनाएं

*8. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी वित्तीय सहायता के कुछ विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या क्या थी और उनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या थी;

(ग) इन परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत क्या है और विदेशी वित्तीय कम्पनियों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी;

(घ) क्या इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं किया जा सका;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(च) इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी वित्तीय सहायता से चलने वाली निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण —I में दिया गया है।

(घ) से (च) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी वित्तीय सहायता से चलने वाली निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं जो कि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी नहीं की जा सकी है, उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विदेशी सहायता से चलने वाली विद्युत परियोजनायें

क्रम. सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	निर्माण की अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वित्त पोषण करने वाली एजेंसी	विदेशी वित्तीय सहायता की राशि (दाता मुद्रा)
1	2	3	4	5	6
ताप विद्युत परियोजनाएं					
1.	अनपारा "ख"	2x500	3825.00	ओईसीएफ/एक्जिम बैंक	17638.00 मिलियन येन
2.	रायचूर यूनिट-4	210	651.20	ओ ई सी एफ	23142.00 मिलियन येन
3.	बेसिन ब्रिज जी टी	4x30	376.13	ओ ई सी एफ	11450.00 मिलियन येन
4.	काठलगुड़ी सी सी जी टी	6x33.5(जी टी)+ 3x30 (एस टी)	895.00	ओ ई सी एफ	30000.00 मिलियन येन
5.	गांधार सी सी जी टी	3x131(जीटी)+ 1x255 (एस टी)	2291.27	ओ ई सी एफ	13046.00 मिलियन येन
6.	उरान डब्ल्यू एच आर	2x120	045.00	जर्मनी	310.00 मिलियन डी एम
7.	येलाहांका डीजी सैट्स	6x21.32	287.70	फ्रांस	304.740 मिलियन एफ एफ

1	2	3	4	5	6
8.	दादरी सी सी जी टी	4x31 (जी टी)+ 2x146.5 (एस टी)	979.20	जर्मनी	484.900 मिलियन डी एम
9.	कहलगांव	4x210	1928.45	यू एस एस आर (अब रूस)	224.000 मिलियन रूबल्स
10.	रायलसीमा	2x210	795.00	ए डी बी	230.00 मिलियन अमरीकी डालर
11.	उत्तरी मद्रास	3x210	1192.93	ए डी बी	350.00 मिलियन अमरीकी डालर
12.	बजबज	2x250	1638.00	एडीबी/आईएफसी/ सी डी सी	
13.	चन्द्रपुर यूनिट-7	500	963.00	विश्व बैंक	280.00 मिलियन अमरीकी डालर
14.	दहानू	2x250	1472.00	आई बी आर डी/ विश्व बैंक	
15.	ट्राम्बे सी सी जी टी	180	510.00	आई बी आर डी/आई एफसी/सी एच एफ (स्विस क्रेडिट) विदेशी मुद्रा ऋण	134.409 मिलियन अमरीकी डालर
16.	राष्ट्रीय राजधानी टी पी पी	4x210	1579.17	विश्व बैंक	373.000 मिलियन अमरीकी डालर

1	2	3	4	5	6
17.	फरक्का चरण-2	2x500	2136.87	विश्व बैंक	273.000 मिलियन अमरीकी डालर
18.	तलचेल चरण-1	2x500	2634.01	विश्व बैंक	367.00 मिलियन अमरीकी डालर
	जल विद्युत परियोजनाएं				
19.	नाथका झाकरी	6x250	4337.95	विश्व बैंक	485.000 मिलियन अमरीकी डालर
20.	कोयना चरण-4	4x250	1118.05	विश्व बैंक	354.000 मिलियन अमरीकी डालर
21.	लोअर पेरियार	3x60	260.00	विश्व बैंक	156.000 मिलियन अमरीकी डालर
22.	प० यमुना कैनाल	2x8	52.00	ओ ई सी एफ	4000.00 मिलियन येन
23.	उज्जैनी	1x12	43.76	ओ ई सी एफ	1500.00 मिलियन येन
24.	घाटघर पी एस एस	2x125	554.26	ओ ई सी एफ	11414 मिलियन येन
25.	श्रीसेल्लम एल बी पी एच	6x150	1466.42	ओ ई सी एफ	26101 मिलियन येन
26.	इस्टर्न गण्डक कैनाल	3x5	58.45	ओ ई सी एफ	1630 मिलियन येन
27.	तीस्ता कैनाल फाल्स	3x7.5	366.27	ओ ई सी एफ	8025 मिलियन येन

1	2	3	4	5	6
28.	लोअर बोरपानी	2x50	284.30	ओ ई सी एफ	1700 मिलियन येन
29.	चमेरा चरण–I	3x100	2400.00	सी आई डी ए/ एफ डी सी	370.125 मिलियन कैनेडीयन डालर
30.	दुलहस्ती	3x130	2362.94	फ्रेंच कन्सोर्टियम	2582.61 मिलियन एफ एफ
31.	उरी	4x120	3424.29	स्वीडिश कन्सोर्टियम	ग्रांट–715 मिलियन सेक ऋण–765 मिलियन सेक ग्रांट–17.160 मिलियन पौण्ड
जल विद्युत परियोजनाएं (जिनके लिए विदेशी सहायता रद्द कर दी गई है)					
32.	श्रीनगर	6x55	592.45	विश्व बैंक	24.374 मिलियन अमरीकी डालर
33.	कालीनदी चरण-2	3x40+3x50	393.40	विश्व बैंक	260.000 मिलियन अमरीकी डालर
34.	शारावती	4x60	282.00	विश्व बैंक	220.00 मिलियन अमरीकी डालर
35.	अपर इन्द्रावती	4x150	991.40	विश्व बैंक	170.00 मिलियन अमरीकी डालर

विवरण-II

विदेशी सहायता से चलने वाली विद्युत परियोजनाएं

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	चालू करने का कार्यक्रम		विलम्ब होने का कारण
		वास्तविक	नवीनतम	
1	2	3	4	5
विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
जल विद्युत परियोजनाएं				
1.	नायपा झाकरी (एच पी) 1500 मे०वा०	1995–97	1998–99	सिविल और विद्युत कार्यों को सौंपने में देरी होना
2.	कोयना चरण-4 (महाराष्ट्र)-100 मे० वा०	1992-93	1996–98	टी जी सैट के लिए आदेश देने में विलम्ब होना
3.	लोअर पेरियार (केरल)–180 मे० वा०	1990-91	1995–97	बांध के ठेके का निलम्बन, विद्युत गृह सम्बन्धी कार्य और इन कार्यों का पुनः सौंपना
4.	श्रीनगर (उत्तर प्रदेश)-330 मे० वा०	1191-92	1996–98	ऋण निधियों की कमियों का रद्द होना, निजी भूमि का अधिग्रहण न होना।
5.	सरदार सरोवर (गुजरात)-1450 मे० वा०	1994–97	1995-2000	वित्त पोषण की अनुपलब्धता, आर बी पी एच गुफा के विपदाग्रस्त क्षेत्र में विकास करना।
6.	कालीनदी चरण-2 (कर्नाटक)-270 मे०वा०	1987-88	1996-97	विश्व बैंक ऋण का रद्द होना, सिविल कार्यों की खराब प्रगति

1	2	3	4	5
7.	शारावती टेल रेस (कर्नाटक) -240 मे० वा०	1993–94	1997–99	न्यायालय के स्थगन आदेश और विश्व बैंक ऋण का रद्द होना
8.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)-600 मे० वा०	1986-88	1997-98	विश्व बैंक ऋण का रद्द होना, ठेके का खराब अनुपालन करना और ठेकों को निलम्बित करना और पुनः सौंपना।
ओ ई सी ए की सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
1.	पश्चिमी यमुना कैनाल चरण-2 (हरियाणा)–16 मे० वा०	–	9वीं योजना	अन्तर्राज्यीय विवाद और निवेश सम्बन्धी निर्णय का जारी होना
2.	उज्जैनी पी एस एस (महाराष्ट्र)– 12 मे० वा०	1989-90यूनिट	2-5-94 को चालू हुई	
3.	घाटघर पी एस एस (महाराष्ट्र)– 250 मे० वा०	9वीं योजना	1999-2000	कोई विलम्ब नहीं
4.	श्री सेलम एल बी पी एच (आंध्र प्रदेश)– 900 मे० वा०	1993-95	1996-2000	भौगोलिक समस्याओं के कारण एच आर टी एवं टी आर टी को धीमी प्रगति
5.	ईस्टर्न गण्डक कैनाल (बिहार)– 15 मे० वा०	1987–88	1994–95	टी जी यूनिटों के उत्थान में विलम्ब और शीतलन जल प्रणाली का आपूर्ति
6.	तीस्ता कैनाल फाल्स (पश्चिम बंगाल)– 67.5 मे० वा०	1990-92	1995–97	सिविल कार्यों की धीमी गति

1	2	3	4	5
7.	लोअर बोरपानी (असम)— 100 मे० वा०	1985-86	1995-96	बांध को पूरा करने में विलम्ब होना। परियोजना को निष्पादन हेतु संयुक्त उद्यम को सौंप दिया गया।
8.	सरदार सरोवर (गुजरात)— 1450 मे० वा०	1994-97	1995-2000	क्रम संख्या 5 के समान विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत
	द्विपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	चमेरा चरण-I (हिमाचल प्रदेश)— 540 मे० वा०	1989—90	28-4-94 25-4-94 22-4-94 को यूनिटें चालू की गईं।	कनाडा की वन सम्बन्धी स्वीकृति के साथ समझौते के निष्पादन में विलम्ब होना, सिविल निर्माण कार्य एच आर टी सितम्बर, 88 में खराब भौगोलिक परिस्थितियों और बाढ़ आने के कारण हुई क्षति।
2.	दुलहस्ती (जम्मू व कश्मीर)— 390 मे० वा०	1990—91	1996—97 (9वीं योजना में प्रवेश करने की सम्भावना)	कानून व्यवस्था के कारण परियोजना कार्यों का 24-8-92 से बन्द होना।
3.	उरी (जम्मू एवं कश्मीर)— 480 मे० वा०	1995-96	1996-97	कानून व्यवस्था के कारण, अप्रैल, 91 से जनवरी, 92 तक कार्यों के स्थगित हो जाने में विलम्ब

अनुबन्ध–2 (क्रमशः)

क्रम. सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	चालू करने का कार्यक्रम		पिछड़ने के कारण
			वास्तविक	वास्तविक अब प्रत्याशित	
1	2	3	4	5	6
ताप विद्युत					
1.	अनपारा "ख"				(क) मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना। यह आदेश 9/88 में दिया गया था। (ख) निधियों की कमी।
	यूनिट-4	500	86-87	7/93 (वास्तविक)	
	यूनिट-4	500	87-88	7/94	
2.	रायचूर यूनिट-4	210	91-92	10/94	(क) द्विपक्षीय सहायता के सुनिश्चित होने में विलम्ब के कारण मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब होना। (ख) विभिन्न उपस्करों के लिए आदेश देने में विलम्ब होना। (ग) टी जी उत्थापना के प्रारम्भ होने में विलम्ब होना। (घ) निधियों में कमी होना।

1	2	3	4	5	6
3.	बेसिन ब्रिज जी टी				
	यूनिट-1	30	1/92	2/95	(क) ओ ई सी एफ वित्त पोषण में विलम्ब
	यूनिट-2	30	3/92	4/95	(ख) मुख्य उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब होना
	यूनिट-3	30	5/92	5/95	
	यूनिट-4	30	7/92	6/95	
4.	कठलगुड़ी सी सी जी टी				
	जी टी-1	33.5	8/90	2/95	(क) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना।
	जी टी-2	33.5	9/90	2/95	
	जी टी-3	33.5	10/90	4/95	(ख) निविदाओं का प्राप्त न होना और सदुपरान्त निविदाकार द्वारा उल्लिखित मूल्य के कारण मुख्य उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब होना।
	जी टी-4	33.5	11/90	5/95	
	जी टी-5	33.5	12/90	6/95	
	जी टी-6	33.5	1/91	7/95	
	एस टी –1	30	9/91	11/95	(ग) मुख्य संयंत्र के लिए साख पत्र खोलने में विलम्ब होना
	एस टी –2	30	11/91	1/96	
	एस टी –3	30	1/92	3/96	(घ) निधियों की कमी।
5.	उराण डब्ल्यू एच आर पी				
	यूनिट-1	120	91-92	3/94 (ए)	(क) सिविल कार्यों के पूरा होने में विलम्ब होना।
	यूनिट-2	120	91-92	9/94	(ख) टरबाइन मैटिरियल के पोत सदान में विलम्ब होना।
					(ग) केबलिंग मैटिरियल और आनुषंगिक उपस्करों यथा ए सी संयंत्र आदि की आपूर्ति में विलम्ब होना।

1	2	3	4	5	6
					(घ) चालू यूनिट के लिए जी टी 5–6 को तैयार होने में विलम्ब और चालू यूनिट-2 के लिए जी टी 7 एवं 8 के तैयार होने में विलम्ब।
6.	येलाहांका डी जी सैट				
	यूनिट-6	21.32	6/90	3/93 (ए)	(क) पी एफ सी से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में विलम्ब
	यूनिट-5	21.32	7/90	6/93 (ए)	(ख) मुख्य उपस्कर आपूर्ति कर्ता को आरम्भिक भुगतान करने में विलम्ब होना।
	यूनिट-4	21.32	8/90	7/93 (ए)	(ग) कावेरी विवाद समस्या के कारण उपस्कर के उत्थापन में विलम्ब होना।
	यूनिट-3	21.32	9/90	10/93 (ए)	(घ) सिविल कार्य के पूरा होने में विलम्ब होना
	यूनिट-2	21.32	10/90	11/93 (ए)	
	यूनिट-1	21.32	11/90	1/94 (ए)	
7.	दादरी सी सी जी टी				
	जी टी -1	131	9/91	2/92 (ए)	(क) आयातित सी एण्ड आई/विद्युत उपस्कर के लिए विदेशी विनिमय दर हेतु साख पत्र खोलने में विलम्ब होना।
	जी टी-2	131	11/91	3/92 (ए)	
	जी टी-3	131	1/92	6/92 (ए)	
	जी टी-4	131	3/92	10/92 (ए)	(ख) भेल द्वारा डब्ल्यू एच आर बी के लिए उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब होना
	एस टी-1	146.5	9/92	2/94 (ए)	
	एस टी-2	146.5	1/93	3/94 (ए)	

1	2	3	4	5	6
8.	कहलगांव				
	यूनिट-1	210	1/91	3/92 (ए)	(क) तत्कालीन यू एस एस आर के साथ ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना।
	यूनिट-2	210	7/91	3/94 (ए)	
	यूनिट-3	210	1/92	3/95	(ख) मै॰ टी पी ई, यूएसएसआर द्वारा उपस्करों की गैर-अनुवर्ती आपूर्ति और विलम्ब
	यूनिट-4	210	7/92	3/96	(ग) स्थल पर गम्भीर आई आर समस्या
					(घ) एच पी पाइपिंग उत्थापन ठेके के पुनः आदेश के कारण विलम्ब
9.	रायलसीमा				
	यूनिट-1	210	93-94	3/94 (रोल्ड)	(क) आदेश देने में विलम्ब होना।
	यूनिट-2	210	93-94	9/94	
10.	उत्तरी मद्रास				
	यूनिट-1	210	3/91	10/94	(क) सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका के कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना।
	यूनिट-2	210	12/91	3/95	(ख) यूनिट-3 के लिए एडीबी ऋण करार में विलम्ब होना।
	यूनिट-3	210	12/92	9/95	(ग) मुख्य उपस्करों और आनुषंगिक उपस्करों के लिए आदेश दिए जाने में विलम्ब होना।
					(घ) टी जी डेक (यूनिट-1) की खराब निक्षेपण के कारण विलम्ब होना।

1	2	3	4	5	6
11.	**चन्द्रपुर**				
	यूनिट-7	500	96-97	97-98	(क) मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब होना।
12.	**ट्राम्बे सी सी जी टी**				
	जी टी	120	10/93	7/93(ए)	(क) भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब होना।
	एस टी	60	5/94	10/94	
13.	**नेशनल कैपिटल टी पी पी चरण-1**				
	यूनिट-1	210	11/91	10/91 (ए)	(क) यूनिट-2 : टी जी उत्थापन की धीमी गति
	यूनिट-2	210	5/92	12/92 (ए)	(ख) यूनिट-2 : टी जी उत्थापन के प्रारम्भ होने में विलम्ब होना।
	यूनिट-3	210	11/92	3/93 (ए)	(ग) यूनिट-4 : एस टी आर स्टील उत्थापन
	यूनिट-4	210	5/93	3/94 (ए)	शुरू करने में विलम्ब/उत्थापन आरम्भ करने के लिए टी जी हाल की तैयारी।
14.	**फरक्का एस टी-2**				
	यूनिट-4	500	7/90	6/92 (ए)	(क) मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश को अंतिम रूप देने में विलम्ब
	यूनिट-5	500	7/91	2/94 (ए)	(ख) औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं जिन्होंने संयंत्र क्षेत्र में एकत्रिकरण कार्य को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है।

1	2	3	4	5	6
					(ग) टी जी डेक/टी जी हाल और स्टेक की तैयारी में विलम्ब।
					(घ) x-20 पाइप कार्य का उत्थापन और भेल एवं एन टी पी सी द्वारा महत्वपूर्ण पाइपिंग कार्य को पूरा किया जाना।
					(ङ) जनरेटर और ट्रांसफार्मर की आपूर्ति तथा उनकी कार्यस्थल पर प्राप्ति में विलम्ब।
					(च) एस टी स्टील कार्य में धीमी प्रगति
					(छ) सी एच पी की तैयारी में विलम्ब।
15.	तलचेर				
	यूनिट-1	500	2/94	10/94	(क) डी एम संयंत्र की तैयारी में विलम्ब
	यूनिट-2	500	2/95	5/95	(ख) डी डी सी एम आई एस की आपूर्ति में विलम्ब ।

टिप्पणी : ए (वास्तविक)

परिवहन क्षेत्र

*9. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में नार्वे के उद्योगपतियों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगपतियों ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह पूंजी-निवेश किया जाएगा; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनके अनुरोधों को कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ संबंध

*10. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने अपनी-अपनी सीमा पर अमन-चैन सुनिश्चित करने तथा सैनिकों की संख्या कम करने के लिए और अधिक परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय ढूंढ निकालने की दिशा में कोई प्रगति की है;

(ख) क्या बीजिंग में अप्रैल, 1994 में आयोजित भारत-चीन विशेषज्ञ दल की दूसरी बैठक में इस आशय का कोई व्यापक समझौता हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस शिष्टमंडल ने अपनी उक्त बैठक में नई दिल्ली में फरवरी, 1994 में आयोजित अपनी पहली बैठक में इस दिशा में हुई प्रगति की पुनरीक्षा की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत-चीन सीमा संबंधी शेष सभी मुद्दों की पूरी तरह पुनरीक्षा कर ली गयी है; और

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एस० भाटिया) : (क) से (ड.) भारत-चीन विशेषज्ञ दल की दूसरी बैठक 21-22 अप्रैल, 1994 तक बीजिंग में हुई। इस दल ने अपनी पहली बैठक में हुई प्रगति पर विचार किया और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और अमन बनाए रखने से संबद्ध करार के अधीन इसे सौंपे गए कार्यों पर विचार-विमर्श जारी रखा। इस विशेषज्ञ दल को दिए गए प्रादेश में भारत तथा चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण करने, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की पुनः तैनाती, अन्य विश्वासोत्पादक उपायों तथा सत्यापन के तौर-तरीकों में संयुक्त कार्यकारी दल की सहायता करना शामिल है।

दूसरी बैठक में दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ दल के कार्य विनियमों पर सहमति व्यक्त की। दोनों प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने 22 अप्रैल, 1994 को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें इस कार्यदल के प्रदेश, उसके भावी कार्य और कार्य-संचालन के तौर-तरीकों का उल्लेख है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने उन विश्वासोत्पादक उपायों पर भी संतोष व्यक्त किया जिन पर वह पहले से ही विचार कर रहे हैं और ऐसे और उपायों पर विचार विनिमय किया जिनका उल्लेख विशेषज्ञ दल की स्थापना से सम्बद्ध करार में है।

दोनों पक्षों ने इन विचार-विमर्श के दौरान रचनात्मक तथा आशावादी रवैया इख्तियार किया और ये विचार-विमर्श मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए। विशेषज्ञ दल द्वारा विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम के ऋण

*11. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम अब तक केवल राज्य और केन्द्रीय विद्युत अभिकरणों को ही ऋण देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन अभिकरणों को अभिकरण-वार दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम ने हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों को भी ऋण सुविधा देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो स्थापित नीति से हटने के क्या कारण हैं;

(ड.) क्या यह ऋण सुविधा सभी गैर-सरकारी विद्युत कम्पनियों को दी जाएगी या कुछ चुनी हुई कम्पनियों को ही दी जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार/उक्त निगम द्वारा कोई दिशा-निर्देश/शर्त निर्धारित की गई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) विद्युत वित्त निगम ने अब तक केवल राज्य बिजली बोर्डों, राज्य उत्पादन निगमों और राज्य विद्युत विभागों को सहायता प्रदान की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/ राज्य उत्पादन निगमों/राज्य विद्युत विभागों को प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विद्युत वित्त निगम निजी क्षेत्र में विद्यमान विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए संसाधन बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए जाएं।

(घ) यह निर्णय विद्युत वित्त निगम के पोर्ट फोलियो ढांचे का विविधीकरण करने, विद्युत क्षेई के लिए संसाधनों की अभिवृद्धि करने, सह-वित्त पोषण के लिए अवसर प्रदान करने और विद्युत वित्त निगम के विस्तार और विशेषज्ञता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर आधारित था।

(ड़) और (च) शुरूआत में यह प्रस्ताव प्रमुख शहरों में कार्यरत विद्यमान निजी लाइसेंसधारकों को ऐसे ऋण प्रदान करने को नियंत्रित करने से सम्बन्धित था।

(छ) और (ज) इस प्रकार के वित्त पोषण प्रबन्धों से सम्बन्धित ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	उधारकर्ता	निम्नलिखित वर्षों के दौरान		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
(क)	**राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारें**			
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	138.27	167.84	174.22
2.	अरूणाचल प्रदेश सरकार	—	—	—
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	4.39	2.74	0.48

1	2	3	4	5
4.	गुजरात बिजली बोर्ड	89.78	19.22	13.29
5.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	17.82	9.71	2.45
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	10.75	17.17	10.88
7.	जम्मू व कश्मीर राज्य बिजली बोर्ड	—	—	—
8.	कर्नाटक बिजली बोर्ड	102.04	4.07	61.78
9.	केरल राज्य बिजली बोर्ड	12.59	3.31	0.78
10.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	116.83	79.53	92.73
11.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	24.99	59.34	36.63
12.	मणिपुर सरकार	—	—	2.75
13.	मिजोरम सरकार	8.13	4.23	5.64
14.	नागालैंड सरकार	—	—	7.43
15.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	13.96	13.96	15.35
16.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	—	—	—
17.	राज्यस्थान राज्य बिजली बोर्ड	3.36	19.43	81.97
18.	सिक्किम सरकार	4.73	—	—
19.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	142.10	66.86	66.76
20.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	47.19	77.76	26.75
21.	प० बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	10.38	3.02	4.58
22.	राजस्थान सरकार	—	3.08	1.48
23.	हरियाणा सरकार	—	7.01	3.38
24.	हिमाचल प्रदेश सरकार	—	0.42	0.21
(ख)	राज्य उत्पादन निगमें			
1.	तेनुघाट बिद्युत निगम लि०	68.52	—	—

1	2	3	4	5
2.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि०	1.82	—	1.34
3.	उड़ीसा पावर जैनरेशन कारपोरेशन लि०	38.76	24.73	70.51
4.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	—	—	—
5.	प० बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	55.00	28.65	25.80
6.	दुर्गापुर प्रोजैक्टस लि०	1.57	0.89	0.31
7.	बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि०	7.07	—	—
	जोड़ :	920.05	612.97	707.50

विद्युत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

*12. **श्री० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययनों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण विद्युत क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया को औपचारिक रूप से तैयार नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है;

(ग) कितने राज्यों ने व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है तथा अन्य राज्यों के मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य राज्य सरकारों से रिपोर्टें कब तक प्राप्त हो जायेंगी?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दूरदर्शन पर विज्ञापन

*13. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रॉनिक प्रचार-माध्यम पर कतिपय उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित उद्योग संघों के बीच कोई त्रिपक्षीय वार्ता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विज्ञापनों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों और/अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विज्ञापनों से संबंधित एसोसिएशनों के साथ पारस्परिक कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है जोकि आवश्यकतानुसार अपनाई जाती है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देना

*14. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय साहित्य का प्रचार करने तथा वहां बुद्धिजीवियों के साथ साहित्यिक-सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए अपने दूतावासों में पुस्तकालय-सेवाओं के प्रसार की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने भारतीय दूतावासों में पुस्तकालय-सेवा उपलब्ध है तथा इन पुस्तकालयों का स्तर क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आ० एस० भाटिया) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है भारत के विभिन्न पहलुओं से संबंधित पुस्तकों की आपूर्ति मिशनों और केन्द्रों को नियमित रूप से की जाती है तथा ये मिशन और केन्द्र अपने सामान्य राजनयिक कार्य के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से नियमित क्रियाकलाप बनाए रखते हैं। और इसका उद्देश्य उन्हें भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की अद्यतन घटनाओं से अवगत कराना है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत विशेषज्ञों का सम्मेलन

*15. **डा० लाल बहादुर राव** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 में नई दिल्ली में राज्य विद्युत बोर्डों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के विद्युत विशेषज्ञों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान विद्युत की उपलब्धता और उसकी मांग के अन्तर को दूर करने के पहलू पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) सरकार ने अप्रैल 1994 के दौरान नई दिल्ली में राज्य बिजली बोर्डों, एन० टी० पी० सी० और एन० एच० पी० सी० के विद्युत विशेषज्ञों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र के संबंध में अप्रैल, 1994 में कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए हों। सरकार से जिन एजेंसियों का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, उन एजेंसियों द्वारा अप्रैल, 1994 में आयोजित किए गए सभी विद्युत सम्मेलनों के बारे में सरकार न तो जानकारी रख सकती है और न ही सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है।

ईंधन की बचत

*16. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ईंधन की बचत करने संबंधी विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इन विज्ञापनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान ईंधन की बचत के लिए विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं किया था।

(ख) परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा बचत तथा प्रचार और जन चेतना कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1994-95 के लिए 25.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विश्व बैंक सहायता

*17. **श्री तारा सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में राज्य विद्युत बोर्डों की ओर अपनी बकाया धनराशि कम करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने उक्त निगम को कोई ऋण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऋण समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नई वाणिज्यिक एवं निवेश नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष उपाय अपेक्षित हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) राज्य विद्युत बोर्डों के साथ व्यापक विद्युत आपूर्ति समझौता (वी० पी० एस० ए० एस) पर हस्ताक्षर करना।

(2) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जहां कहीं भी प्राकृतिक एवं तकनीकी दृष्टि से संभव हो, उचित साख पत्र (एल० सी) सहित वित्तीय एवं वाणिज्यिक शर्तों के पालन न करने पर अपने विद्युत केन्द्रों से विद्युत को नियंत्रित करना।

(3) यदि किसी राज्य द्वारा वी० पी० एस० ए० में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उस राज्य में नए निवेश में देरी करना तथा अन्य क्षेत्र में आवंटित किए जाने वाले उत्पादन के पर्याप्त हिस्से के साथ किसी क्षेत्र में परियोजनाएं आरंभ करना।

(4) साख पत्र में निर्दिष्ट से अधिक विद्युत प्राप्त करने पर जुर्माना दर लागू करना।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने 400 मिलियन अमरीकी डालर ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। उक्त ऋण की वापसी अदायगी बैंक की मानक परिवर्तनीय ब्याज दर पर पांच साल की रियायती अवधि सहित बीस वर्षों में की जानी है। ऋण की मुख्य शर्तें ये हैं :—

(क) एन टी पी सी अपने लेखा प्राप्तियों को एक ऐसे स्तर पर बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जो पिछले दो महीने के लिए विद्युत की इसकी बिक्री की आय के बराबर की राशि के स्तर से अधिक नहीं होगा।

(ख) एन० टी० पी० सी० पहली अप्रैल, 1993 से आरंभ वित्तीय वर्ष में उत्पादन के लिए आंतरिक स्रोतों से निधियां जुटाने के वास्ते अपेक्षित ऐसे सभी उपाय (बिना किसी सीमा के इसको टैरिफों की संरचना और स्तरों के समायोजनों सहित) करेगा, जो पिछले, चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च हुई या खर्च होने वाली एन० टी० पी० सी० की पूंजी के वार्षिक औसत के 15% के बराबर, लेकिन उससे कम नहीं और जो उसके पश्चात् के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20% से कम नहीं होगी।

(ग) विश्व बैंक तथा एन० टी० पी० सी० के मध्य हुए समझौते के अनुसार एन० टी० पी० सी० समयबद्ध तरीके से पुनर्वास कार्य योजना का क्रियान्वयन करेगा।

(घ) एन० टी० पी० सी० द्वारा :

1) एन० टी० पी० सी० की चालू परियोजनाओं से वर्तमान में लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का जायजा लेने के लिए 31 दिसम्बर, 1994 तक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा;

2) इन सर्वेक्षणों के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो बैंक के परामर्श से उपचारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम निर्धारित करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों के आर्थिक स्तर को बनाए रखना होगा।

3) तत्पश्चात् ऐसे उपचारात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा।

(ङ) एन० टी० पी० सी० तथा विश्व बैंक के बीच दिनांक 10 मई, 1993 को हुए समझौते के अनुसार पर्यावरणीय कार्य योजना का एन० टी० पी० सी० द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा।

(च) एन० टी० पी० सी० क्षेत्रीय आधार पर सभी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ व्यापक विद्युत आपूर्ति समझौते करेगा बशर्ते कि कम-से-कम दो ऐसे समझौतों पर 31 दिसम्बर, 1993 तक हस्ताक्षर किए गए हों।

एन० टी० पी० सी० विश्व बैंक ऋण के प्रतिज्ञा पत्र का अनुपालन कर रहा है।

रेडियो लोकल लूप

*18. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन्स ने "रेडियो लोकल लूप" (आर० एल० एल०) नामक नई प्रौद्योगिकी आरम्भ करने हेतु 510 करोड़ रुपये की कोई परियोजना दूरसंचार विभाग को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रौद्योगिकी की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह नई आर० एल० एल० प्रौद्योगिकी बम्बई और दिल्ली में भी आरम्भ की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) इस नई प्रौद्योगिकी द्वारा तांबे की भूमिगत केबलों को बिछाने की आवश्यकता कम करने अथवा समाप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) स्थानीय लूपों में रेडियो का क्षेत्र परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) रेडियो स्थानीय लूप (आर० एल० एल०) संबंधी दो अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का क्षेत्र परीक्षण, कलकत्ता, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) नई दिल्ली, बम्बई और मदुरई (तमिलनाडु) में करने का प्रस्ताव है।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारत-ब्रिटेन संबंध

*19. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन अपने-आपसी संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई भागीदारी शुरू करने तथा साहसिक सांस्कृतिक प्रयास करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री की यात्रा के पश्चात् ब्रिटेन के साथ संबंधों को व्यापार, वाणिज्य,, अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए दृढ़ आधार मिला है;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में कितना सुधार हुआ है; और

(घ) वर्ष 1994-95 में ब्रिटेन के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) यद्यपि इस समय नई भारत-यू० के० विज्ञान एवं प्रौद्योगिक भागीदारी के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार आदान-प्रदान के समुचित तौर-तरीकों के माध्यम से, जिसमें दोनों देशों में इच्छुक संस्थाओं में संयुक्त कार्यक्रमों को समर्थन देना शामिल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी हित के क्षेत्रों में यू० के० के साथ और अधिक संबंध स्थापित करना चाहती है। सरकार अन्य क्षेत्रों में जिनमें संस्कृति भी शामिल है, भारत-यू० के० संबंधों को और अधिक मजबूत करने को भी इच्छुक है। नेहरू केन्द्र, जो एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र है, जिसके लिए धन की व्यवस्था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद करती है, लंदन में जुलाई, 1992 से सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्तरों पर भारत-ब्रिटिश वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है।

2. मार्च, 1994 में प्रधान मंत्री की यू० के० की यात्रा से इस बात का सुनिश्चय हुआ है कि भारत- यू० के० संबंधों में विगत दो वर्ष में जो प्रगतिशील बल उत्पन्न हुआ है, वह और अधिक सुदृढ़ होगा। जनवरी, 1993 में दोनों देशों के व्यवसाय और उद्योग द्वारा प्रारम्भ की गई भारत-ब्रिटिश साझेदारी पहल कदमी को, जिस से व्यापार और निवेश बढ़ाने में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो चुके हैं; प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यू० के० यह स्वीकार करता है कि भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम से व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतरण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने की संभावनाएं मिली हैं।

3. भारत-यू० के० संबंध कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं और आपसी विश्वास तथा भरोसा इनकी विशेषता है जो आतंकवाद को समाप्त करने में संतोषजनक रूप से सहयोग तथा जम्मू एवं कश्मीर और भारत-पाक मसलों के बारे में ब्रिटेन की सामान्यतया सकारात्मक और संतुलित अवस्थिति से सुदृढ़ हुए हैं।

4. भारत और यू० के० के बीच दोहरे कराधान के परिहार से सम्बंध संशोधित करार पर 25 जनवरी, 1993 को हस्ताक्षर हुए थे। 14 मार्च, 1994 को यू० के० के साथ द्विपक्षीय पूंजी निवेश संरक्षण करार सम्पन्न किया गया था। इन दोनों करारों से संवर्धित आर्थिक संबंधों और यू० के० से निवेश की संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी।

हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इन्जीनियर्स लिमिटेड

*20. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इन्जीनियर्स लिमिटेड को बंद करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इन्जीनियर्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि एच डी पी ई में और निधि लगाकर उसे पुनः जीवित किया जाए अथवा उसे बंद कर दिया जाए।

नाविक कल्याणनिधि सोसायटी

1. **श्री राम कापसे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नाविक कल्याण निधि सोसायटी की विभिन्न सहकारी बैंकों में जमा राशि की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के पास कितनी राशि जमा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस सोसायटी ने 10 सहकारी बैंकों में 9.78 करोड़ रु० का निवेश किया है। तीन सहकारी बैंक जिनमें 1.90 करोड़ रु० का निवेश किया गया है, जमाराशि पर नियमित रूप से ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। तीन अन्य सहकारी बैंकों के मामले में जिनमें 2.14 करोड़ रु० की राशि का निवेश किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा जारी किए गए निदेश में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक राशि का भुगतान करने से उन्हें रोक दिया है क्योंकि इन बैंकों में नकदी-संकट है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि शेष चार सहकारी बैंकों के संबंध में जिनमें 5.74 करोड़ रु० का निवेश किया गया है और नकदी-संकट का सामना कर रहे हैं, सोसायटी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। सोसायटी ने दो सहकारी बैंकों के खिलाफ पहले ही दिनांक 17-5-94 के बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है। शेष पांच बकायादार सहकारी बैंकों से ब्याज के साथ-साथ मूलधन वसूल करने के लिए वकील ने सोसायटी को पहले कानूनी नोटिस जारी करने की सलाह दी है।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला/गैस का आयात

2. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र की कौन-कौन-सी विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव कोयला/गैस के आयात पर आधारित हैं;

(ख) उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार कोयला/गैस का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ग) किन-किन देशों से इनका आयात किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परियोजना पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) डभोल विद्युत परियोजना (2015 मे० वा०), जिसे महाराष्ट्र में डभोल विद्युत कम्पनी (एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, यू एस ए द्वारा सम्प्रवर्तित) द्वारा स्थापित किया गया, तरल प्राकृतिक गैस के आयात पर आधारित है। 695 मे० वा० का इसका पहला चरण आयातित डिस्टिलैट तेल पर आधारित है। इस परियोजना को विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी, कुछ

शर्तों के तहत इसे अनुमोदित कर दिया गया है। कर्नाटक में मंगलूर विद्युत संयंत्र कर, जिसे मै० कोजेंट्रिक्स, यू एस ए द्वारा स्थापित किया जाना है, आयातित कोयले पर आधारित किए जाने का प्रस्ताव है। जिन देशों से ईंधन का आयात किया जाना है, उनके बारे में जानकारी केवल ईंधन ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही होगी। अभी तक इन परियोजनाओं के लिए ईंधन ठेके को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ईंधन के आयात के परिणामस्वरूप, सम्भावित विदेशी मुद्रा विनिमय के बाह्य बहाव के बारे में जानकारी परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा ईंधन ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

फिल्म सोसाइटियों की कार्यप्रणाली

3. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत फिल्म सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन सोसाइटियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इन सोसाइटियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है और जिससे इनकी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सोसाइटियों को दी जाने वाली सहायता अनुदान में वृद्धि करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (ङ.) केन्द्रीय निकाय अर्थात फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज़ ऑफ इंडिया से वर्तमान में दिए जा रहे सहायता अनुदान (3.00 लाख रुपये वार्षिक) की अपर्याप्तता अथवा इसमें वृद्धि किए जाने के बारे में कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। तथापि, संचार संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 1994-95 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करते समय माना कि फिल्म सोसायटियों को किया जा रहा आबंटन अपर्याप्त था। इसलिए समिति की सातवीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि फिल्म सोसायटियों द्वारा किए जा रहे कार्य का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और भविष्य में बजटीय आबंटनों में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जानी चाहिए। इस दिशा में कार्यवाही शुरू की जा रही है।

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलियों की दशा

4. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलियां हैं तथा उनकी स्थिति अच्छी नहीं हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुरूप परिवहन योग्य बनाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में 1994-95 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में उक्त अवधि के दौरान मरम्मत किए गए अथवा उन्नत किए गए राजमार्ग का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार तथा उन पर बने संकरी पुलियों को चौड़ा करना एक सतत् प्रक्रिया है। ये सुधार कार्य निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता इत्यादि के आधार पर चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं।

(ग) शून्य।

(घ) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत मरम्मत करके/ सुधारकर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

तांबा गैल्वनीकरण संयंत्र

5. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कोई नया तांबा गैल्वनीकरण संयंत्र स्थापित करेगी;

(ख) क्या सरकार ने बालाघाट जिले (मध्य प्रदेश) में मलंजखंड में एक तांबा गैल्वनीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए जापान से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार का तांबा गैल्वनीकरण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में टी० वी० ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र

6. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 के दौरान राजस्थान में कितने टी० वी० ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गये और इनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) ये ट्रांसमीटर और केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए गये हैं और इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) 1994-95 के दौरान राजस्थान में कितने टी० वी० ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जायेंगे और इनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी तथा ये कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या राजस्थान सूचना और प्रसारण मीडिया की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या उपाय किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राजस्थान राज्य के बूंदी में एक उच्च शक्ति टी० वी० (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर 368.19 लाख रुपये की पूंजीगत लागत से स्थापित किया था। इसके अलावा, मैट्रो सेवा रिले करने के लिए जयपुर में अल्पशक्ति ट्रांसमीटर गंगापुर, सुजानगढ़, श्री डुंगरगढ़, रतनगढ़, भाद्रा तथा बसावा में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और चमोहला, देवगढ़ तथा कुंभलगढ़ में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए गए थे। बाड़मेर में अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि० वा०) सैट अप और जैसलमेर में 10 कि० वा० उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार किए गए थे। कुल 2005.54 लाख रुपये का खर्चा हुआ।

इस अवधि के दौरान जैसलमेर में आकाशवाणी का एक 2x5 कि० वा० एफ० एम० ट्रासमीटर 389 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया।

(ग) और (घ) जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन ने राजस्थान में सेवाओं में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से इस राज्य में 5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 15 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 7 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना की है। इसी तरह दूरदर्शन के पास माउन्ट आबू में एक नया रेडियो केन्द्र, जयपुर में 50 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें, उदयपुर में उन्नयन स्कीम (10 कि० वा० मी० वे० से 2x10 कि० वा० मी० वेव) तथा जोधपुर में प्रतिस्थापन स्कीम) 1 कि० वा० मी० वेव से 2x3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर) कर दिया है।

इसके अतिरिक्त 8वीं योजना अवधि के दौरान उदयपुर में पत्र सूचना कार्यालय की अपनी शाखा खोलने की योजना है।

विवरण

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ट्रांसमीटरों के संबंध में स्थान, क्षमता तथा खर्च को दर्शाने वाला ब्यौरा

स्थान	क्षमता	वर्ष 94-95 के लिए अनुमानित धनराशि (लाखों में)
1	2	3
दूरदर्शन		
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर		
बारन	100 वा०	28.20
बारीसद्री	"	"
हिंडौन	"	"
रावतसर	"	"
मकराणे	"	33.95
करमली	"	"
फलोदी	"	"
राजगढ़ (चुरू)	"	"
माउन्ट आबू	"	"
प्रतापगढ़	"	"
नोहर	300 वा०	33.70
नोखा	100 वा०	"
शाहपुरा	"	"
चिरवा	"	शून्य
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर		
अमेट	10 वा०	17.30
फतेहपुर	"	"
गंगापुर	"	"
लक्ष्मणगढ़	"	2.50

1	2	3
भीम	10 वा०	17.30
राजगढ़ (अलवर)	"	17.30
लालसोट	"	17.30
आकाशवाणी		
माउन्ट आबू	2x3 कि० वा० ए० एम०	17.93

[अनुवाद]

बस्तर में इस्पात संयंत्र

7. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन प्रस्तावों पर पुनः विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) लोहे और इस्पात की नई इकाइयां स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है तथा स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है। इसलिए लोहे और इस्पात की इकाइयां स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित उद्यमियों को स्वयं ही अपनी परियोजनाओं के संबंध में कार्रवाई करनी है। तथापि, इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स मुकन्द लिमिटेड और मैसर्स एस० एम० आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एक-एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में रुचि दिखाई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के मार्ग में परिवर्तन

8. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के मार्ग को मध्य प्रदेश के रीवा जिले

में सोहाग पहाड़ी के शिव मन्दिर से परिवर्तित करके और तयोधर नगर को जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त हुई है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परियोजना की व्यवहार्यता और लागत का अनुमान लगाने हेतु कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है/कराये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) इस बारे में संभवतः माननीय सदस्य का आशय नगर व्यापार मंडल, तयोधर, जिला रीवा की मांग से है। इस पर राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही आगे कार्रवाई की जा सकती है।

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

9. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों को बिना बारी के श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

एल्यूमिनियम उद्योग में मूल्य-वृद्धि

10. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 के एल्यूमिनियम के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार (एल० एम० ई०) मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या स्वदेशी उत्पादकों द्वारा अत्यधिक निर्यात के कारण देश में एल्यूमिनियम की भारी कमी हो गई है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्वदेशी एल्यूमिनियम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) एल्यूमिनियम की लन्दन मेटल एक्सचेंज कीमत जनवरी, 1994 में औसत 1192 अमरीकी डालर से बढ़कर मई, 1994 में औसत 1350 अमरीकी डालर हो गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) घरेलू औद्योगिक इकाइयां अपनी आवश्यकतानुसार एल्यूमिनियम स्वदेशी उत्पादकों या आयात द्वारा प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं क्योंकि वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार एल्यूमिनियम खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अंतर्गत आता है।

दक्षिण दिल्ली में टेलीफोन

11. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में प्रायः टेलीफोन स्वतः ही ठप्प हो जाते हैं और फिर स्वयं कार्य करने लगते हैं;

(ख) क्या वाराखम्बा रोड, मयूर विहार आदि से दक्षिण दिल्ली के आर० के० पुरम जैसे क्षेत्रों में किया गया टेलीफोन मुश्किल से मिल पाता है और हमेशा यही सूचित किया जाता है कि "इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं;"

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा दिल्ली में टेलीफोन सेवा में आ रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे;

(घ) क्या 27 मई और 9 मई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेलीफोन : नो ट्रीटमेंट फॉर दिस हेडेक" तथा "एम. टी एन. एल. : ऑफ विल्स... एंज वैल्स..." शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कर्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) व्यस्त समय के दौरान होने वाले भारी परियात से निपटने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर किए गए विस्तार कार्यों के कारण नेटवर्क में संकुलन से ग्राहकों को अपनी कालें मिलाने में कठिनाई का अनुभव हुआ होगा। तथापि एक्सचेंजों के बीच जंक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यनिष्पादन पर निरन्तर नजर रखने के संबंध में कड़े अनुदेश जारी किये गए हैं और टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता कायम रखने के लिए कारवाई की जा रही है।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्राप्त शिकायतों और साथ-ही-साथ दिल्ली के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन पर निरंतर नजर रखी जा रही है और जहां जरूरी होता है वहां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

विद्युत क्रय समझौता

12. **श्री राम नाईक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड तथा अमरीका स्थित "इनरोन डेवलपमेंट कारपोरेशन" के बीच हुए विद्युत क्रय समझौते के मुख्य खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने समझौते को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) चरण-1 में द्विचरणीय संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र के 695 मे० वा० शामिल हैं। चरण-2 में 1320 मे० वा० शामिल होंगे।

(2) चरण-1 को नं० 2 डिस्टीलेट फ्यूल ऑयल द्वारा दहन किया जाएगा। चरण-2 के पश्चात् चरण-1 और 2, दोनों तरल प्राकृतिक गैस द्वारा दहन किए जायेंगे।

(3) चरण-1 की पूंजीगत लागत 910 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें ये शामिल हैं, एक बन्दरगाह और ईंधन सम्बन्धी सुविधा, महाराष्ट्र सरकार और एम० एस० ई० बी० द्वारा निर्मित की जा रही सम्बद्ध आधारभूत सुविधाओं की लागत जैसे सड़कें, पानी आदि और निर्माण के दौरान का ब्याज।

(4) चरण-1 का निर्माण वित्तीय समापन के बाद होने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य जुलाई/अगस्त, 1994 में है और संयंत्र का प्रचालन 33 माह बाद मार्च, 1997 के अंत में होने का अनुमान है। बेचतेल मुख्य सिविल ठेकेदार और जी ई (यू एस ए) मुख्य उपस्कर आपूर्तिकर्ता होंगे।

(5) चरण-1 के लिए योजनाबद्ध ऋण इक्विटी अनुपात 70 : 30 है।

(6) विद्युत क्रय करार पी पी ए चरण-2 को आरम्भ करने के लिए उपयुक्त नम्यता उपलब्ध कराता है, चरण-2 को चरण-1 से किसी भी पक्ष पर बिना किसी कानूनी पाबन्दी के अलग किया गया है।

(ख) से (घ) विद्युत क्रय करार (पी पी ए) की जांच की जा रही है।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग

13. **डा० चुन्नीराम दुंगरोमल जेस्वानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक एकक स्थापित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार ने एक शाखा खोलने के लिए उनसे औपचारिक तौर पर कोई आग्रह नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

14. **श्री अमल दत्ता** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से आरंभ की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के लिए प्रत्येक श्रेणी के कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है और कितने व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में वर्षवार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया है किन्तु जिन्हें अनुमति नहीं मिली और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) डी टी सी में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम मार्च, 1993 में शुरू की गई थी।

(ग) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के प्रावधानों के अनुसार डी टी सी प्रबंध मंडल को यह अधिकार है कि वह अपने किसी भी कर्मचारी को निगम के कार्य हित में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मंजूर न करे।

विवरण-I

श्रेणी	1993		1994	
	वी आर एस हेतु आवेदकों की संख्या	स्वीकृत अनुरोध	वी आर एस हेतु आवेदकों की संख्या	स्वीकृत अनुरोध
1	2	3	4	5
कंडक्टर	1341	1111	42	27
ड्राइवर	1613	883	—	—

1	2	3	4	5
वर्कशाप/श्रेणी- IV	1146	923	163	110
लिपिक वर्ग	709	596	23	14
यातायात	1248	788	—	—
पर्यवेक्षी स्टाफ अधिकारी	80	37	23	4
कुल	6737	4338	251	155

विवरण-II

वर्षवार उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया।

श्रेणी	1993-94	1994-95 (मई, 94 तक)
1	2	3
कंडक्टर	26	शून्य
ड्राइवर	435	शून्य
वर्कशाप/श्रेणी- IV	83	शून्य
लिपिक वर्ग	43	शून्य
यातायात पर्यवेक्षी स्टाफ	51	शून्य
अधिकारी	16	शून्य
कुल :	654	शून्य

आन्ध्र प्रदेश में आई० एस० डी०/एस० टी० डी/ पी सी ओ बूथ

15. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में आई एस डी/एस टी डी/ पी सी ओ बूथों के आबंटन के लिए जिला-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों पर कार्यवाही की गई और अभी तक कितने बूथ आबंटित किए गए हैं; और

(ग) बकाया आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

16. **श्री राम निहोर राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी होगी,

(ख) क्या वाराणसी और गोरखपुर मंडलों में टेलीफोन प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) 1993 के दौरान (30 दिसम्बर, 1993 तक) दिल्ली में पश्चिम बिहार में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे और 1994-95 के दौरान (30 दिसम्बर, 1994 तक) कितने व्यक्तियों के इस प्रतीक्षा सूची में रह जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों में 1994-95 के दौरान नए स्वतः चालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां, वाराणसी के एक पुराने एस्ट्रोजर एक्सचेंज, जिसे बदलने की योजना है, को छोड़कर वाराणसी तथा गोरखपुर की अन्य टेलीफोन प्रणालियां संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।

(ग) दिनांक 13-12-1993 को टेलीफोन प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या 11,310 थी और आशा की जाती है कि 1994-95 के दौरान सारी प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा।

विवरण

1	2
उत्तर प्रदेश	
मेरठ	10,000 लाइनें
गाजियाबाद	10,000 लाइनें
इलाहाबाद	10,000 लाइनें
लखनऊ	10,000 लाइनें

1	2
गंगानगर (मेरठ)	1,000 लाइनें
शताब्दी नगर (मेरठ)	1,000 लाइनें
श्रृद्धापुरी (मेरठ)	1,000 लाइनें
शुक्लागंज (उन्नाव)	1,000 लाइनें
रतनलाल नगर (कानपुर)	2,000 लाइनें
कैंट (वाराणसी)	2,000 लाइनें
मंण्डुआडीह (वाराणसी)	1,000 लाइनें
संजय नगर (वाराणसी)	1,000 लाइनें
वृज इन्कलेव (वाराणसी)	1,000 लाइनें
अल्लाहपुर (इलाहाबाद)	2,000 लाइनें
बरेली	4,000 लाइनें
ट्रांसपोर्ट नगर (गोरखपुर)	1,000 लाइनें
रायबरेली	2048 लाइनें
जयपुर हाऊस (आगरा)	2,000 लाइनें
संजय नगर (आगरा)	5,000 लाइनें
ट्रांसपोर्ट नगर (आगरा)	2,000 लाइनें
सी० टी० ओ० कम्पाउण्ड (आगरा)	2,000 लाइनें
मोदीनगर (गाजियाबाद)	2,000 लाइनें
राजेन्द्र नगर (गाजियाबाद)	2,000 लाइनें
प्रताप विहार (गाजियाबाद)	1,000 लाइनें
फैजाबाद	2048 लाइनें
गोमती नगर (लखनऊ)	2,000 लाइनें
जानकी पुरम (लखनऊ)	1,000 लाइनें
इंदरा नगर (लखनऊ)	5,000 लाइनें

इन नये एक्सचेंजों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार 60 (साठ) और कम क्षमता वाले नये टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की संभावना है।

1	2
दिल्ली	
भीकाजी कामा प्लेस	30, 000 लाइनें
वसन्त विहार	15, 000 लाइनें
वसन्त कुंज	10, 000 लाइनें
नेहरू प्लेस	20, 000 लाइनें
हौजखास	10, 000 लाइनें
ओखला (ए एक्स ई-10)	10, 000 लाइनें
सविता विहार	20, 000 लाइनें
तुगलकाबाद	10, 000 लाइनें
ओखला 10 सी वी-2837	20, 000 लाइनें
बेखण्ड	8, 000 लाइनें
ईदगाह	27, 000 लाइनें
तीस हजारी	10, 000 लाइनें
लोठीयां रोड	15, 000 लाइनें
लक्ष्मीनगर	10, 000 लाइनें
मयूर विहार फेस-II	20, 000 लाइनें
शाहदरा	10, 000 लाइनें
कड़कड़ दूमा	25, 000 लाइनें
यमुना विहार	22, 000 लाइनें
जोरबाग	13, 000 लाइनें
जवाहरलाल नेहरू मार्ग	8, 000 लाइनें
राजपथ	10, 000 लाइनें
जनपथ	8, 000 लाइनें
नजफगढ़	5, 000 लाइनें
पश्चिम विहार	13, 000 लाइनें
जनकपुरी	15, 000 लाइनें

1	2
नांगलोई	13, 000 लाइनें
राजोरीगार्डन	35, 000 लाइनें
हरी नगर	16, 000 लाइनें
केशवपुरम	10, 000 लाइनें
शक्तिनगर	10, 000 लाइनें
सरस्वती विहार	25, 000 लाइनें
रोहिणी सेक्टर-VI	25, 000 लाइनें

[अनुवाद]

असम में गीत एवं नाटक प्रभाग एकक

17. **प्रवीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थापित गीत एवं नाटक एककों की संख्या कितनी है और ये एकक कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा 1993-94 के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक पर किए जा रहे वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों पर जनसाधारण की प्रतिक्रिया से सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है।

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार असम में इन एककों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) गीत और नाटक प्रभाग, असम का एक क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी में स्थित है। इस क्षेत्रीय केन्द्र के अंतर्गत गुवाहाटी तथा इम्फाल में दो सीमावर्ती केन्द्र स्थित हैं।

(ख) गीत और नाटक प्रभाग के एककों ने 1993-94 के दौरान 3220 असम में शो प्रस्तुत किए।

(ग) क्षेत्रीय केन्द्र तथा इसके दो सीमावर्ती एककों द्वारा 1993-94 के दौरान किया गया कुल व्यय 84.40 लाख रुपये था।

(घ) और (ड.) यद्यपि, कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है, तथापि, कार्यक्रम तैयार करते तथा प्रस्तुत करते समय जन-प्रतिक्रिया को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

(च) और (छ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत केन्द्र

18. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विद्यमान विद्युत केन्द्रों के केन्द्रवार और राज्यवार संयंत्र भार अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात 55.3 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है। यह संतोषजनक माना गया है।

विवरण

राज्य/प्रणाली/केन्द्र का नाम	संयंत्र भार अनुपात (%)		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
दिल्ली			
इन्द्रप्रस्थ	60.8	57.1	47.2
राजघाट	49.5	47.8	52.5
डेसू	57.11	54.0	49.0
बदरपुर	64.2	74.1	71.9
दिल्ली	61.5	66.7	63.4
हरियाणा			
फरीदाबाद विस्तार	56.6	61.9	51.1
पानीपत	43.2	46.9	37.5
एच एस ई बी	45.9	49.9	40.3
हरियाणा	46.9	50.2	41.3
राजस्थान			
कोटा	66.3	76.9	81.1
आर एस ई बी	66.3	76.9	81.1

1	2	3	4
पंजाब			
भटिण्डा	49.8	59.8	70.7
रोपड़	54.5	57.9	60.6
पंजाब	52.8	58.5	63.5
उत्तर प्रदेश			
ओबरा	50.6	55.6	51.0
पनकी	15.6	26.8	34.6
हरदुआगंज "क"	—	—	—
हरदुआगंज "ख" व "ग"	21.3	26.9	29.7
परिछा	29.5	38.0	39.0
अनपारा	72.0	74.5	75.8
टाण्डा	23.3	31.6	30.6
यू पी एस ई बी	44.4	50.5	50.1
राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र (सिंगरौली)	77.9	75.2	81.5
रिहन्द	74.2	73.9	78.0
दादरी		—	73.1
एन टी पी सी ऊंचाहार		55.0	68.8
उत्तर प्रदेश	59.1	61.9	65.4
गुजरात			
धुवरण	63.6	58.4	50.6
उकई	57.4	58.2	56.0
गांधीनगर	63.5	69.5	68.1
वानाकबोरी	52.7	63.0	64.8
सिक्का	53.5	61.5	56.4
कच्छ लिग्नाइट	47.5	45.5	54.5
जी ई बी	57.0	61.6	60.4

1	2	3	4
ए० ई० कम्पनी	49.7	35.0	38.4
साबरमती	69.5	66.1	70.8
गुजरात प्राईवेट	67.2	62.5	67.0
गुजरात	58.0	61.7	61.0
महाराष्ट्र			
नासिक	60.6	62.7	63.4
कोराडी	63.7	64.2	66.1
पारस	61.9	50.9	51.4
भुसावल	65.1	71.2	60.8
पारली	42.5	36.4	52.5
चन्द्रपुर	68.9	62.4	67.3
खापरखेड़ा	68.0	63.1	71.3
एम एस ई बी	61.3	59.7	64.1
ट्राम्बे	53.8	54.3	48.8
महाराष्ट्र	59.4	58.5	60.7
मध्य प्रदेश			
सतपुरा	43.6	46.4	50.7
कोरबा	41.6	45.5	49.8
अमरकंटक	40.6	48.7	53.6
कोरबा वैस्ट	63.2	65.6	67.2
एम एस ई बी	49.4	52.5	56.0
एन टी पी सी कोरबा	70.8	70.3	77.8
एन टी पी सी विन्ध्याचल	69.5	57.1	75.2
मध्य प्रदेश	60.7	59.7	67.7
आन्ध्र प्रदेश			
कोठागुडम	50.5	53.4	55.6
विजयवाड़ा	72.5	77.0	80.3

1	2	3	4
रामागुण्डम "ख"	56.5	39.8	65.9
नेल्लौर	45.2	39.6	42.6
ए पी एस ई बी	62.1	65.0	68.7
एन टी पी सी रामागुण्डम	61.4	67.3	79.3
आन्ध्र प्रदेश	61.7	66.3	74.7
कर्नाटक			
रायचूर	59.1	49.4	66.9
तमिलनाडु			
एन्नौर	47.6	52.0	47.1
तूतीकोरिन	70.1	76.0	73.8
मैत्तूर	48.5	64.2	76.4
टी एन ई बी	55.4	65.2	69.1
नैवेली	66.8	56.5	55.5
तमिलनाडु	60.1	61.2	62.6
बिहार			
पतरातू	19.7	27.9	27.5
बरौनी	19.6	21.3	18.4
मुजफ्फरपुर	28.8	20.5	21.9
बिहार	21.3	25.2	24.4
उड़ीसा			
तलचेर	30.2	34.5	35.6
इब घाटी	—	—	—
प० बंगाल			
बन्देल	44.0	27.1	48.3
सन्तालडीह	15.9	35.5	31.8
डब्ल्यू बी एस ई बी	30.7	31.1	40.5
कोलाघाट (डब्ल्यू बी पी डी सी सी)	61.1	58.1	68.2

1	2	3	4
दुर्गापुर प्रोजैक्ट लि०	17.3	28.9	26.3
कलकत्ता विद्युत प्रदाय कं०	58	67.5	71.3
एन टी पी सी फरक्का	60.6	67.0	64.6
पश्चिम बंगाल	46.0	49.9	55.0
दामोदर घाटी निगम			
चन्द्रपुर	29.7	29.5	34.4
दुर्गापुर	34.1	27.7	53.6
बोकारो	40.5	38.5	46.0
दा० घा० निगम	33.6		42.3
असम			
चन्द्रपुर	45.5	26.1	20.0
नामरूप	28.6	30.5	23.8
बांगईगांव	18.9	21.8	14.8
गैस टर्बाइन	20.4	21.3	28.3
असम	24.7	24.3	19.9
अखिल भारत	55.3	57.1	61.0

[अनुवाद]

यातायात और परिवहन पर सेमीनार

19. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1994 को दिल्ली में यातायात और परिवहन पर कोई सेमीनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सेमीनार में मुख्यतः कौन-कौन से सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. चूंकि एम आर टी सी की प्रतीक्षा अवधि लम्बी होती है अतः भूतल रेलवे नेटवर्क को, जिसमें रिंग रेलवे और इसके रेडियल्ज शामिल हैं, पुनः क्रियाशील बनाया जाए। दि० प० नि० की फीडर बस सेवा के साथ-साथ इससे सड़कों पर भीड़-भाड़ काफी कम होगी।

2. दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को सन् 2010 तक अद्यतन कर दिया जाए।

3. भूमिगत और भूतल एम आर टी एस को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है।

4. विश्व के विभिन्न भागों में एम आर टी एस की अन्य प्रणालियों के साथ इसकी तुलना करके इसकी विस्तृत रूप से वास्तविक और वित्तीय योजना संबंधी अध्ययन किया जाए।

5. एम आर टी एस और बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने तक सड़कों की मरम्मत, उपयुक्त संकेत/सूचना पट्ट चौराहों पर बिजली की उपयुक्त व्यवस्था, बिजली के खंभों जैसी छोटी रुकावटों को हटाए जाने जैसे अल्प कालिक उपाय किए जाने चाहिए।

6. दिल्ली की लाइटों को उपयुक्त रूप से समक्रमिक बना दिया जाए और लेन संबंधी अनुशासन लागू किया जाए। यातायात को, विशेष रूप से व्यस्त चौराहों पर क्लोज टी वी सर्किट प्रणाली स्थापित करके नियंत्रित किया जाना चाहिए।

7. पैदल पथ पर बनी रुकावटों को एक निश्चित समय में हटाया जाए।

8. पुराना दिल्ली-शहर, करोल बाग और पुराने शाहदरा इत्यादि जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बैटरी द्वारा चालित बसें लाभदायक हो सकती हैं।

9. गाजीपुर, नरेला, द्वारका और मदनपुर खादर में आई एफ सी एम, आनन्द विहार नरेला, द्वारका और तुगलकाबाद में यात्री रेलवे टर्मिनल, आनन्द विहार, नरेला, द्वारका तुगलकाबाद और सराय काले खां में आई एस बी टी, दिल्ली मेन जंक्शन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दूसरा प्रवेश जैसी महत्वूर्ण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाए। और इस प्रयोजन हेतु डी डी ए, दिल्ली सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, एन जी ओ और डी टी टी जी इत्यादि के अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर समन्वय होना चाहिए।

10. बाहरी रिंग रोड के आउटर/एक्स प्रेसवे का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। इस परियोजना की लागत अधिक होने के कारण इसमें नीजी क्षेत्र की भागीदारी तथा उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

11. यातायात अनुशासन में एन जी ओ/नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।

12. भूमि के प्रयोग की पद्धति और नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए।

13. एम आर टी एस और एकीकृत फ्रेट परिसरों के अतिरिक्त नए टर्मिनलों इत्यादि जैसे अल्प आवधिक उपायों का अध्ययन करके उन्हें अंतिम रूप दिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए ताकि आधारभूत संरचना का इष्टतम उपयोग हो सके।

14. धीमी गति से चलने वाले वाहनों के चरणबद्ध रूप से हटाने और उनके स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल गैर-प्रदूषण वाली तेज गति की परिवहन प्रणाली शुरू करके सड़क पर मौजूदा आधारभूत संरचना का इष्टतम उपयोग किए जाने के बारे में अध्ययन किया जाए।

उत्तर प्रदेश की लंबित जल-विद्युत परियोजनाएं

20. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कई जल-विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के पास भी लंबित पड़ी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन तथा प्रारूप प्रस्ताव रिपोर्ट पेश किया जा चुका है;

(ङ) क्या कार्यकारी एजेन्सी का चयन विशिष्ट नियमानुकूल किया गया है;

(च) क्या इनकी छानबीन की गई है और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है; और

(छ) इस विद्युत परियोजना पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमों की परियोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है :

		अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)
1.	गौरी गंगा चरण-III	140
2.	बोबाला नन्द प्रयाग	132
3.	तपोवन विष्णुगढ़	360
4.	विष्णु प्रयाग	400

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अभिज्ञात की गई कुछ नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में सौंपने का नीतिगत निर्णय लिया है। विष्णु प्रयाग जल-विद्युत परियोजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में थी, लेकिन, निधियों की कमी के कारण निर्माण संबंधी कार्य रुक गया था। इसलिए, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निजी उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गये थे। प्राप्त किए गए प्रस्तावों की जांच पड़ताल की गई थी और इन्हें, उ० प्र० सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने उद्यमियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है और परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त फर्म का चयन किया है।

(छ) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना पर कार्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने और मै० जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता

21. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार स्थाई सदस्यता पाने के लिए क्या प्रयास कर रही है और भारत को स्थाई सदस्यता दिए जाने के पक्ष में कितने देश हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) "सुरक्षा परिषद की सदस्यता में न्यायोचित प्रतिनिधित्व और उसमें वृद्धि" के शीर्षक से संकल्प संख्या 47/62 प्रस्तुत करने में भारत ने 1992 में पहल की थी जो आम सहमति से पारित हुआ था। इसी तरह 1993 में एक अनुवर्ती संकल्प 48/26 पारित कराने में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। इस संकल्प के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक मुक्त-छोर कार्यकारी दल सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि करने तथा परिषद संबंधी अन्य मामलों के सवाल के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बनाया गया है। इस समय अलग-अलग देशों का सदस्यता के सवाल पर यह कार्यकारी दल विचार नहीं कर रहा है।

कमीशन के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

22. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कमीशन के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु अनुमति देने के लिए कोई योजना चलायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। सरकार ने कमीशन आधार पर फ्रेन्चाइज स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट कम्पनीयों/व्यष्टियों बहुमंजीले भवनों में ग्रुप इ पी ए बी एक्स चलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

जनता को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में दूसंचार विभाग के प्रयासों का अनुपूरण करने के लिए फ्रेन्चाइज स्कीम के अंतर्गत इनडायलिंग इ पी ए बी एक्स संस्थापित करने, उनका अनुरक्षण और प्रचालन करने के लिए निजी प्रचालकों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

इस स्कीम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. स्कीम के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र, प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवा के विनिर्देशनों सहित 1000 रु० का भुगतान करके (यह राशि वापस नहीं की जाएगी) स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जा सकता है।

2. इस स्कीम के अंतर्गत केवल 128 पोर्ट की न्यूनतम क्षमता और 1024 पोर्ट की अधिकतम क्षमता तथा दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित इन्टरफेस के इलेक्ट्रॉनिक पी ए वी एक्स की ही अनुमति दी जाएगी।

3. ऐसे इ पी ए वी एक्स से एक्सटेन्सनों की अनुमति उस बहुमंजिली इमारत के भीतर ही अथवा 500 मीटर की दूरी पर स्थित संलग्न बहुमंजिली इमारत में ही दी जाएगी। किसी प्राइवेट परिसर में चारों तरफ दीवार अथवा वाड़ से घिरी हुई गैर बहुमंजली इमारतों में भी इ पी ए वी एक्स की अनुमति दी जाएगी।

4. आवेदक कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कंपनी अथवा सरकारी समिति अथवा समूह आवास समिति अथवा स्वयं भवन का मालिक हो सकता है।

5. ई पी ए पी एक्स से "आउटगोईंग" जंक्सन, गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिना बारी अग्रता आधार पर प्रदान किये जाएंगे। प्रति जंक्शन प्रतिभूति जमा के तौर पर 5000 रु० वसूल किये जाएंगे।

6. जंक्सन लाइनों के लिए किराया प्रभार दूरसंचार विभाग की दरों के अनुसार वसूल किये जाएंगें। इनमें निःशुल्क कॉलों का प्रावधान नहीं है। कॉल प्रभार एक्सचेंज के मीटर में दर्ज प्रति कॉल यूनिट पर 1.25 रुपए की दर से वसूल किये जाएंगे।

7. निजी स्वामित्व वाले पी ए वी एक्स का वार्षिक लाइसेन्स, शुल्क, लाइसेन्स धारक से दूसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर वसूल किया जाएगा।

8. लाइसेन्स धारक को प्रत्येक आडर गोइंग जंक्सन पर एक महीने के दौरान की गई दस हजार कॉलों तक प्रति कॉल 20 पैसे, 10,000 से 20,000 कॉलों के बीच प्रति कॉल 15 पैसे और 20,000 कॉलों से अधिक कॉलों पर प्रति कॉल 10 पैसे कमीशन अदा किया जाएगा।

9. लाइसेन्स धारक को एक्सटेन्सन के प्रयोग-कर्ताओं से अधिकतम 100 रु० तक मासिक किराया वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

10. एक्सटेन्सन के प्रयोगकर्ता मासिक किराए के प्रति किसी प्रकार की निःशुल्क कॉल के लिए पात्र नहीं हैं और इनसे किसी स्लैब के वगैर समान दर पर प्रति कॉल 1.25 रु० के हिसाब से प्रभार वसूल किया जाएगा।

11. लाइसेन्स धारक, इच्छुक प्रयोगकर्ताओं से अधिकतम 1000 रु० तक की राशि पंजीकरण प्रभार के रूप में वसूल कर सकता है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और इस राशि को, टेलीफोन प्रदान किये जाने के समय प्रतिभूति जमा राशि में समायोजित किया जाएगा।

12. लाइसेन्स धारक आरंभ में अधिकतम 2500 रुपये तक प्रतिभूति जमा वसूल कर सकता है। इस में दूसरे और तीसरे महीने में संशोधन हो सकता है जो पिछले महीने के बिल पर निर्भर करेगा। तीन महीने बाद प्रतिभूति-जमा राशि औसत मासिक बिल से दुगनी, लेकिन कम-से-कम 2500 रुपये तक हो सकती है अथवा इससे भी कम वह राशि हो सकती है जो लाइसेन्स धारक वसूल करना चाहे।

13. लाइसेन्स धारक को दूरसंचार विभाग की दरों पर, प्लग और सॉकिट, प्लान उपकरण आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रभार वसूलने की अनुमति दी जाएगी।

14. एक्सटेन्सन के प्रयोग कर्त्ताओं को, दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में सहायक उपकरणों के लिए निर्धारित लाइसेन्स शुल्क अदा करने पर, कॉर्ड-लेस टेलीफोन, फैक्स, माडेम आदि सहायक उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेन्स शुल्क के राजस्व का 10% ई पी ए वी एक्स के लाइसेन्स धारक को अदा किया जाएगा।

15. संस्थापना प्रभार अधिकतम 800 रु० तक होंगे। एक्सटेन्सन के प्रयोगकर्ता को दूरसंचार विभाग की दरों पर संस्थापना प्रभारों में उस स्थिति में छूट दी जाएगी यदि वह अपना स्वयं का उपकरण लगाना चाहता है और स्वयं अपनी आन्तरिक वायरिंग की व्यवस्था करना चाहता है।

शिशु आहार प्रसंस्करण संयंत्र

23. **डा० साबीजी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शिशु आहार प्रसंस्करण दुग्ध संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1994-95 के दौरान उद्यमियों द्वारा उत्तर प्रदेश में शिशु आहार प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु कितना निवेश किए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उत्तर प्रदेश में 4 संयंत्र हैं जिनमें शिशु आहार का निर्माण किया जा सकता है लेकिन केवल दो द्वारा ही शिशु आहार का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) दूध-उत्पाद उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश से 36 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य उत्पादों के अलावा शिशु आहार का उत्पादन करने की भी इच्छा व्यक्त की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 9.95 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश वाली एक परियोजना को लागू किया गया है।

[अनुवाद]

अन्नेय समिति

24. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्नेय समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सरकार ने अत्रेय समिति की सिफारिशों पर विचार किया था और नई दूरसंचार नीति की रोशनी में इनका निपटान हो गया है।

[हिन्दी]

झींगा मछली का निर्यात

25. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को झींगा प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनको शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) झींगा प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु स्थापना के पश्चात् यूनिटों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों में 16, 31 और 32 यूनिटों को पंजीकृत किया गया।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल और गढ़वाल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

26. **श्री बलराज पासी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के नैनीताल और गढ़वाल जिलों में इस समय कम और उच्च क्षमता के कितने-कितने ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये ट्रांसमीटर इन जिलों की जनसंख्या के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन जिलों में दूरदर्शन के और ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये कहां-कहां और कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) वर्तमान में नैनीताल जिले में चार अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर (अ०श०ट्रा०) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ० अ० श० ट्रा०) और गढ़वाल जिले में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा ट्रांसपोजर प्रचालन में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को तकनीकी रूप से तैयार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल जिले के लैंसडाउन तथा कल्जीखाल में एक-एक अर्थात दो अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, तथा नैनीताल जिले के हलद्वानी में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (मौजूदा अ० अ० श० ट्रा० के स्थान पर) कार्यान्वयनाधीन हैं। इनके 1994-95 के दौरान चालू हो जाने की आशा है बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उप-डाकघर

27. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में 1993-94 के दौरान खोले जाने वाले उप-डाकघरों और ई० डी० शाखा डाकघरों को अब अंतिम रूप से अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त डाकघर कब तक चालू हो जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकार ने उड़ीसा राज्य में 42 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा 4 विभागीय उप डाकघरों को मंजूरी दी है। स्थानों के नाम सहित जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये सभी डाकघर दिनांक 31-3-94 तक खोले जा चुके हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान उड़ीसा राज्य में स्वीकृत किए गए डाकघरों का जिलावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम	विभागीय उप डाकघर का नाम
1	2	3	4
1.	अंगुल	अरिकिली	दीपशिखा (एनटीपीसी कानिहा)
2.	भद्रक	बड़ानौगांव	
3.	कटक	कल्याणपुर नौगांव	
4.	धेनकनाल	बालीगोराडा	

1	2	3	4
5.	गंजम	टाहर	
		कुमारीपारी	
6.	जाजपुर	चितालो	
7.	केन्द्रपाड़ा	डेरा	[illegible]
8.	कालाहांडी	बीरीकोटे	
		बड़ाबफल	
		मलकाडेल	
		सिरमस्का	
		कंडेरी	
		रानीदुमेर	बोडेन
9.	खुर्द		दमदम हाऊसिंग कालोनी
10.	कोरापुट	चिपाखार	
		सोदाबारी	
		अउनली	
11.	क्योंझर	रायघाटी	
		पुरूजोडा	
		जड़ीछत्तर	
		सिलीटिया	
12.	मयूरभंज	शालगांव	
		राघवपुर	
		बेरहीपानी	
		बेगुनियां	
13.	नवरंगपुर	कुमुली	
		डोलाबेडा	
		चट्टीगुड्डा	
		परचीपाडा	
14.	नयागढ़	सिमिलिशाही	

1	2	3	4
15.	फूलबनी	लुईसिंग	
		पोकारी	
		टेकनगिया	
		मरलांगा	
		माझीपाडा	
16.	पुरी	सिरेई	
17.	संबलपुर	तलसारा	
		नुआडीही	
18.	सुंदरगढ़	चिकटमाटी	
		शकरापोश	

"पे–फोन" आपरेटरों की मांगें

28. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में और 1-1-1993 से 30-4-1994 के दौरान अखिल भारतीय पे-फोन आपरेटर कल्याण संगठन (पंजीकृत), दिल्ली की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या पे-फोन आपरेटरों ने 30-4-1994 और 1-5-1994 को मावलंकर हाल आडीटोरियम, रफी मार्ग, नई दिल्ली में कोई सम्मेलन आयोजित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस सम्मेलन में लिए गये निर्णय और पारित किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इनके कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, । जनवरी, 1994 के दौरान "अखिल भारतीय पे-फोन आपरेटर कल्याण संघ (पंजीकृत) दिल्ली से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :

(i) एम टी एन एल द्वारा फ्रैंचाइजी आधार पर एस टी डी पी सी ओ संचालकों से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि की मांग अन्यायपूर्ण है,

(ii) एम टी एन एल द्वारा धारित प्रतिभूति जमा राशि पर ब्याज दिया जाना चाहिए, और

(iii) फ्रेंचाइजी आपरेटरों को कम्प्यूटरीकृत बिल/प्रिंटआउट सप्लाई जारी करना।

इन मांगों पर विचार किया गया था। जहां तक उक्त (i) और (ii) मांग का संबंध है, ये सरकार के विचाराधीन हैं और उक्त (iii) मांग के संबंध में, फ्रेंचाइजी आपरेटरों की मांग पर कंप्यूटरीकृत बिल/प्रिंट आउट जारी करने के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(ग) सरकार को पे-फोन आपरेटरों के ऐसे किसी सम्मेलन की जानकारी नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

29. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने भारत के विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) क्या उनके आमंत्रण के प्रतिक्रिया स्वरूप विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश के कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमरीकी अवस्थित निजी कम्पनियों से अब तक लगभग 38122 करोड़ रूपये लागत वाली 11589 मे० वा० की कुल क्षमता अभिवृद्धि के लिए 22 विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विजयनगर में इस्पात संयंत्र

30. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विजयनगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए संसाधन जुटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) जी, नहीं। विजयनगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। विजयनगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए विजयनगर स्टील लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता को परिसम्पत्तियों, देनदारियों और भूमि सहित कर्नाटक राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

31. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा ओ० बी० नम्बर जारी कर दिये गये हैं परन्तु कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामले कब तक निपटाये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कुल 168 मामलों में अभी टेलीफोन संस्थापित किए जाने हैं।

(ख) क्षेत्रों की तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण ये ओ० बी० विचाराधीन हैं जिन्हें अब व्यवहार्य बनाने के लिए वहां केबलें बिछायी जा रही हैं। कनेक्शन सितम्बर, 1994 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के नए केन्द्र

32. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान स्थापित किए गए दूरदर्शन/आकाशवाणी के नए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) स्थापित किए गए प्रत्येक दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है और इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	स्थान	स्कीम	मार्च, 1994 तक व्यय (आंकड़े लाख रुपए में)
	1	2	3
दूरदर्शन			
1.	विलियम नगर (मेघालय)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	52.16
2.	सिद्दीपेट (आंध्र प्रदेश)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	52.33
3.	कामाख्यानगर (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	7.08
4.	देवगढ़ (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	14.34
5.	नवरंगपुर (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	9.77

1	2	3	
6.	पदमपुर (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	14.79
7.	पदमपुरम (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	•
8.	अतमाकुर (आंध्र प्रदेश)	अ० श० ट्रा० 300वाट	72.21
9.	भुज (अंतरिम) 1 कि० वा० (गुजरात)	उ० श० ट्रा० 1 कि० वा०	24.49
10.	जबलपुर (10 कि० वा०) (म० प्र०)	उ० श० ट्रा० 10 कि० वा०	275.16
11.	मैट्रो हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	2.62
12.	मांड्या (कर्नाटक)	अ० श० ट्रा० 300 वाट	66.32
13.	वाशिम (महाराष्ट्र)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	51.86
14.	अकोट (महाराष्ट्र)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	52.1
15.	1 कि० वा० मैट्रो कटक (उड़ीसा)	उ० श० ट्रा० 1 कि० वा०	•
16.	मलकानगिरि (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	48.29
17.	भुवन (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	18.41
18.	जावरा (म० प्र०)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	52.43
19.	खम्वात (गुजरात)	अ० श० ट्रा० 300 वाट	59.54
20.	मैट्रो अहमदाबाद (गुजरात)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	7.22
21.	भुवनेश्वर (मैट्रो) (उड़ीसा)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	•
22.	कावारत्ती (लक्षद्वीप)	अ० श० ट्रा० 100 वाट	•
23.	कावारत्ती (मेट्रो चैनल)	अ० अ० श० ट्रा० 10 वाट	•
आकाशवाणी			
1.	बोलांगीर (उड़ीसा)	3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	230.00
2.	भवानी पटना (उड़ीसा)	2x100 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो केन्द्र	557.85
3.	कावारत्ती (लक्षद्वीप)	1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर सहित नया रेडियो केन्द्र	110.85
4.	पणजी (गोवा)	2x3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर स्टीरियो ट्रांसमिशन सर्विस (नया चैनल)	14.24
5.	कारवाड़ (कर्नाटक)	3 कि० वा० एफ० एम० ट्रा० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	230.32

1	2	3	
6.	हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)	2x3 कि० वा० एफ एम ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	256.31
7.	नौगांव (असम)	3 कि० वा० एफ एम ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	226.00
8.	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	2x5 कि० वा० एफ एम ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	272.26
9.	इडुक्की (केरल)	2x3 कि० वा० एफ एम ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केंद्र	293.52
10.	धुले (महाराष्ट्र)	2x3 कि० वा० एफ० एम० ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	237.27
11.	जैसलमेर (राजस्थान)	2x5 कि० वा० एफ एम ट्रां० सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	393.18
12.	आहवा (गुजरात)	1 कि० वा० मी० वे० ट्रां० सहित नया रेडियो केंद्र	217.16
13.	उटकमण्ड (तमिलनाडु)	1 कि० वा० मी० वे० ट्रां० सहित नया रेडियो केंद्र	237.58
14.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	2x100 कि० वा० मी० वे० ट्रां० सहित नया रेडियो केन्द्र	825.90

*मार्च, 1994 तक व्यय के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

संकेत चिह्न : उ० श० ट्रां० — उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ० श० ट्रां० — अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

ट्रां० — ट्रांसमीटर

अ० अ० श० ट्रां० — अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

33. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू किया जाएगा;

(ख) उनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को वास्तव में चालू किया गया है;

(ग) इन एक्सचेंजों की 50% क्षमता का उपयोग करने में कितना समय लगेगा,

(घ) क्या एक्सचेंजों को चालू करने से पूर्व और पश्चात् निगरानी करने की कोई व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) विभाग की नीति के अनुसार 2000 या इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करते समय उनकी 60 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता है तथापि, छोटे तथा मध्यम क्षमता के एक्सचेंजों के संबंध में ऐसी कोई सीमा नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) ब्यौरे विवरण– II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1. **टेलीफोन एक्सचेंज (2000 लाइन और इससे अधिक)**

1993-94 के दौरान चालू किए जाने वाले एक्सचेंज	–246
1993-94 के दौरान वास्तविक रूप से चालू किए गए एक्सचेंज।	–565

2. **छोटे तथा मध्यम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज**

1993-94 के दौरान चालू की जाने वाली योजनाबद्ध एक्सचेंज यूनिटें	–2295
1993-94 के दौरान वास्तविक रूप से चालू की गई एक्सचेंज यूनिटें।	–6085

उपर्युक्त चालू किए एक्सचेंज/एक्सचेंज यूनिटों में योजनाबद्ध कार्यक्रम के अतिरिक्त एक्सचेंज/एक्सचेंज यूनिटें भी शामिल हैं।

विवरण-II

विभाग की नीति के अनुसार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. जब किसी स्थान पर दत्त पंजीकृत आवेदकों की संख्या 10 या इससे अधिक हो जाती है तो छोटे आकार के एक नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई जाती है।

2. 2000 या इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों के मामलों में एक्सचेंज चालू करते समय 60 प्रतिशत तथा एक्सचेंज चालू करने के 6 माह के भीतर 92 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता है तथापि, छोटे तथा मध्यम क्षमता के एक्सचेंजों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।

विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट, 1996

34. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को विश्व कप क्रिकेट, 1996 के सभी मैचों का प्रसारण करने का अधिकार मिला है;

(ख) क्या दूरदर्शन एवं "वर्ल्ड टेली-लिंक" के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन ने, क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच, 1996 के कवरेज हेतु "वर्ल्ड टैल" इन्कॉर्पोरेटिड, यू० एस० ए० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि, दूरदर्शन भारत में खेले जाने वाले मैचों का सह-निर्माता होगा, तथापि, सभी विश्व कप मैचों के संबंध में टेलीविजन और रेडियो के सभी रूपों को भारत में सीधे प्रसारण का उसे एकमात्र अधिकार होगा। "वर्ल्ड टैल" को देय शुल्क 47,50,500/- अमरीकी डॉलर होगा।

[अनुवाद]

गुजरात में विद्युत परियोजना

35. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी लिमिटेड ने गुजरात में विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस परियोजना की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(घ) इस परियोजना के अनुमानतः कितनी विद्युत का उत्पादन होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तुतीकोरीन पत्तन से गाद निकालना

36. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान तुतीकोरीन पत्तन की ढुलाई क्षमता में कितना सुधार हुआ;

(ख) क्या इस पत्तन की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितना लाभ होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) टूटीकोरिन पत्तन प हैंडल की गई टनेज में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हैंडल की गई ट्रैफिक नीचे दर्शाई गई है :

	'000 टन
1990-91	5075
1991-92	5868
1992-93	6215

(ख) जी हां। पत्तन और निकर्षण के बारे में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है।

(ग) और अधिक निकर्षण से इस समय उपलब्ध 8.24 मीटर की गहराई को बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

बल्गारिया के साथ संबंध

37. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बल्गारिया ने हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों ने किन-किन क्षेत्रों में इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) समझौते की शर्तों और अन्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि समझौता कब तक लागू हो जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां। राष्ट्रपति की बल्गारिया यात्रा (26-29 मई, 1994) के दौरान 26 मई, 1994 को बल्गारिया के साथ छह करार सम्पन्न हुए अर्थात् संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार; दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार; पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार; संगरोध और पादप संरक्षण से सम्बद्ध करार; पशु-चिकित्सा और स्वास्थ्य से सम्बद्ध करार; और, विदेश मंत्रालय तथा बल्गारिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श और सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (घ) बल्गारिया के साथ सम्पन्न करारों की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :

(i) संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और स्वापक औषध-द्रव्यों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में सहयोग से सम्बद्ध करार को भारत के गृह मंत्रालय तथा बल्गारिया के आन्तरिक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापकों, संगठित अपराध जिसमें आर्थिक अपराधों, धोखाधड़ी अवैध हथियारों के सौदे आदि भी शामिल हैं, को रोकने के प्रयोजन के लिए सूचना

विनियमों, अनुसंधान के परिणामों, उपस्कर और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

(ii) भारत के विदेश मंत्रालय और बल्गारिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श और सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधिमण्डलों, तीसरे देशों में स्थित राजदूतावासों और कौंसलावासों के स्तर पर विचार-विमर्श की व्यवस्था है।

(iii) पशु-चिकित्सा और स्वास्थ्य से सम्बद्ध करार दोनों देशों के कृषि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस करार में पशु-प्रजनन की सामग्रियों के निर्यातों, आयातों और पारगमन के मामले में पशु-महामारियों तथा संक्रामक रोगों से अपने-अपने प्रदेशों को बचाने में सहयोग की व्यवस्था है। इसमें सूचना, विनियमों, विशेषज्ञों के आदन-प्रदान की व्यवस्था के साथ-साथ अनुसंधान, विकास एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास करने की व्यवस्था है।

(iv) पादप संरक्षण और संगरोध से सम्बद्ध करार दोनों देशों के कृषि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस करार में पादपों, और वनस्पति उत्पादों में बीमारियों, कीट तथा खर-पतवार को रोकने के लिए सहयोग की व्यवस्था है। इसमें पादप-आरोग्य प्रमाण पत्रों को जारी करने में संयुक्त कार्यवाही, सूचना के आदान-प्रदान; वनस्पतियों, बीजों, वनस्पति उत्पादों के आयात, निर्यात और पारगमन की निगरानी की व्यवस्था है ताकि संक्रामक रोगों को रोका जा सके।

(v) पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार दोनों देशों के पर्यटन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसमें संयुक्त पर्यटन संवर्धन एवं प्रचार; यात्रा औपचारिकताओं को सरल बनाने; पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहित करना, सूचना तथा कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इस करार की निगरानी संयुक्त कार्य दल द्वारा की जाएगी।

(vi) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस करार में यह व्यवस्था है कि एक-दूसरे के देश में व्यवसाय, नियोजन, खेलकूद या कलात्मक कार्यक्रमों से अर्जित आय पर दोहरे कराधान से नागरिकों को बचाने तथा कर-अपवंचन के रोकथाम की व्यवस्था है। यह एक बुनियादी स्वरूप का करार है जिसका उद्देश्य विशेषकर दोनों देशों के व्यवसायिक तथा उद्यमी समुदाय के बीच अपेक्षाकृत अधिक क्रियाकलाप को सुविधाजनक बनाना है।

विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श और सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल 26 मई, 1994 को लागू हो गया लेकिन शेष अन्य करार दोनों देशों द्वारा उनके अपने-अपने कानून की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद लागू होंगे। उम्मीद है यह प्रक्रिया निकट भविष्य में लागू हो जाएगी।

बिहार में डाकघर

38. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 में बिहार में नए डाकघरों को खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिलावार उपरोक्त अवधि के दौरान कितने डाकघर खोले गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) बिहार सर्किल में वर्ष 1993-94 में 90 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 8 विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य था।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष के दौरान बिहार में खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1	2	3	4
1.	अररिया	1	—
2.	औरंगाबाद	—	—
3.	बांका	1	—
4.	बेगूसराय	—	—
5.	भभुआ	1	—
6.	भागलपुर	1	—
7.	भोजपुर	2	—
8.	बी० एस० सिटी	1	—
9.	बक्सर	2	—
10.	छपरा	1	—
11.	दरभंगा	1	—
12.	देवघर	1	—
13.	धनबाद	—	—
14.	दुमका	3	—
15.	पूर्व चंपारन	1	—

1	2	3	4
16.	गढ़वा	1	—
17.	गया	4	—
18.	गिरिडीह	1	—
19.	गोड्डा	1	—
20.	गोपालगंज	—	—
21.	गुमला	7	—
22.	हजारीबाग	1	—
23.	जहानाबाद	1	—
24.	जमुई	1	—
25.	कटिहार	1	—
26.	खगरिया	2	—
27.	किशनगंज	1	—
28.	लोहरडागा	5	—
29.	माधेपुरा	2	1
30.	मधुबनी	1	—
31.	मोध्या	2	—
32.	मुजफ्फरपुर	5	1
33.	नालंदा	1	—
34.	नवादा	2	—
35.	पटना	2	2
36.	पलामू	2	—
37.	पूर्णिया	1	—
38.	रांची	4	—
39.	रोहतास	1	—
40.	सहरसा	2	1
41.	सारन	3	—
42.	समस्तीपुर	3	—
43.	सिंहभूम (पूर्व)	3	—
44.	सिंहभूम (पश्चिम)	4	—

1	2	3	4
45.	सीतामढ़ी	2	–
46.	सीवान	2	–
47.	साहिबगंज	2	–
48.	सुपौला	1	–
49.	वैशाली	2	–
50.	पश्चिम चंपारन	1	–
		90	5

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रणाली के लिए धनराशि

39. **श्री पी० सी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के लिए दूरसंचार प्रणाली के विकास हेतु धनराशि आबंटित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) दूर संचार प्रणाली के विकास के लिए धनराशि का आबंटन सर्किल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में

क्र० सं०	सर्किल का नाम	आबंटित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	412.00
2.	असम	38.20
3.	बिहार	137.48
4.	गुजरात	277.07
5.	हरियाणा	74.68
6.	हिमाचल प्रदेश	45.96
7.	जम्मू व कश्मीर	14.68
8.	कर्नाटक	308.00
9.	केरल	227.84

10.	महाराष्ट्र	468.00
11.	मध्य प्रदेश	278.74
12.	उत्तर-पूर्व	33.53
13.	उड़ीसा	50.00
14.	पंजाब	148.77
15.	राजस्थान	210.80
16.	तमिलनाडु	288.00
17.	उत्तर प्रदेश	342.64
18.	पश्चिम बंगाल	75.35
19.	कलकत्ता टेलीफोन्स	118.99
20.	मद्रास टेलीफोन्स	100.00
21.	पश्चिमी परियोजना, बंबई	133.00
22.	पूर्वी परियोजना, कलकत्ता	127.03
23.	दक्षिणी परियोजना, मद्रास	162.00
24.	उत्तरी परियोजना, नई दिल्ली	149.82
25.	दूसरी सहायक इकाईयां	66.02
		कुल 4288.60

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रुग्णता

40. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घाटे में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्यगों की रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) रुग्ण खाद्य प्रसंकरण उद्योगों को पुनः चालू करने हेतु केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। अतः देश में घाटे में चल रहे सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। परन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 8वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहायता देने के वास्ते अनेक योजना स्कीमें तैयार की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की

स्थापना या विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन सहायता, सुअर मांस, पाल्ट्री और दूसरी मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, ट्ना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण की सुविधाओं, गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास और कुछ सेक्टरों में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों, संयुक्त क्षेत्र आदि को सहायता देना शामिल है।

इंडियन मैरिटाइम यूनीवर्सिटी की स्थापना

41. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मैरिटाइम यूनीवर्सिटी नामक किसी स्वायतशासी संस्था की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस यूनीवर्सिटी के प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका होगी; और

(ग) इंडियन मैरिटाइम यूनीवर्सिटी की स्थापना के बाद वर्तमान समुद्री अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थानो की स्थिति क्या होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसका स्तर यूनिवर्सिटी के समकक्ष होगा और जिसमें तीन सरकारी मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् टी एस चाणक्य, न्यू बाम्बे, मैरीन अभियात्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता/बम्बई तथा लाल बहादुर शास्त्री कालेज-एडवांस मैरीटाइम स्टडीज एवं रिसर्च, बम्बई शामिल होंगे। यह यूनिवर्सिटी स्वायत्तशासी संस्था होगी। तथापि, प्रस्तावित यूनिवर्सिटी के विभिन्न निकायों जैसे कि संचालक मंडल, कार्यकारिणी परिषद शैक्षिक परिषद, परीक्षा बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव है।

(ग) मैरीन अभियात्रिकी प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का भाग होगा।

काहिरा में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की बैठक

42. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों ने शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका पर चर्चा करने के लिए काहिरा में एक सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किये गये; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों के विदेश मंत्रियों का ग्यारहवां मंत्री स्तरीय सम्मेलन काहिरा में 31 मई से 3 जून, 1994 तक मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों पर विचार करने के लिए हुआ। इस सम्मेलन के बाद जारी की गई घोषणा के विवरण की एक प्रति संलग्न है

जिसमें सम्मेलन में अभिव्यक्त विचार समाहित हैं। चूंकि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर पर हुआ था और घोषणा आम राय से स्वीकार की गई थी। अतः भारत इस घोषणा में व्यक्त विचारों से सहमत है।

विवरण

13 जून, 1994 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर में उल्लिखित घोषणा काहिरा घोषणा

"चुनौती का मामना"

गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री 31 मई से 3 जून, 1994 तक काहिरा, मिस्र में ग्यारहवें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के मौजूदा राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक सभी आयामों से समीक्षा करने के उपरान्त इस बात पर सहमत हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में आए परिवर्तनों का प्रत्युत्तर इस आन्दोलन के लिए आगामी पांच वर्ष तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

इस आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्त समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अपने आदर्शों के प्रति इसकी वचन बद्धता अड़िग है। आन्दोलन अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है ताकि मानव जाति की समान नियति तय करने में सभी की पूर्ण भागीदारी ली जा सके।

वे इस बात से आश्वस्त थे कि 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को निरन्तरता की आवश्यकता और परिवर्तन की अपरिहार्यता दोनों के बीच एक समुचित सन्तुलन खोजना ही होगा उसे एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण की दिशा में विकासशील गति और दूसरी ओर घरेलू और क्षेत्रीय संघर्षों के ओप-भंगकारी प्रभावों के बीच के पारस्परिक विरोध को दूर करना ही होगा। उसे व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा को संवर्धित करना होगा जिसकी परिधि में आर्थिक और सामाजिक आयाम समान हित और साझा दायित्व सभी आते हों। मंत्रीगण इस बात के लिए कृत-संकल्प थे कि शान्ति और सुरक्षा, उप निवेशीकरण और अधिग्रहण, निरस्त्रीकरण, विकास, व्यापार, गरीबी, मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे सार्वभौम महत्व के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर वे अपने-अपने देशों के दष्टिकोणों में निकट तालमेल रखेंगे। वे इस बात का सुनिश्चय करने के लिए भी कृत संकल्प थे कि इन मसलों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में इस आन्दोलन के सदस्यों के हित को भी ध्यान में रखा जाए।

मंत्रीगण इस बात के लिए भी कृत संकल्प थे कि वे दक्षिण-सहयोग को और मजबूत करेंगे तथा हित और लाभ की पारस्परिकता, सच्ची अन्योनश्रितता साझा जिम्मेदारी और भागीदारी पर आधारित विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से उत्तर-दक्षिण वार्ता जारी रखेंगे।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

43. **श्री कालका दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ बी नम्बर जारी होने के बाद एक माह के अंदर टेलीफोन कनेक्शन लगाना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार ने फरवरी-मार्च, 1994 में चाणक्यपुरी और किदवई भवन एक्सचेंज की बढ़ी संख्या में ओ० बी० नम्बर जारी किए हैं;

(ग) क्या सभी टलीफोन एक माह के निर्धारित समय में लगा दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन संबंधी बुकिंग की तिथि की वरिष्ठता के अनुसार नहीं लगाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जो क्षेत्र तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होते हैं उन्हें छोड़कर, सामान्य तथा ओ बी जारी करने के एक मास के भीतर टेलीफोन प्रदान कर दिए जाते हैं। ओ बी जारी करने के बाद दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुरूप लगभग 75% टेलीफोन प्रदान कर दिए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, उन मामलों को छोड़कर जिनमें क्षेत्र तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हों या उपभोक्ता संबंधी कारण हों, जैसे पार्टी का उपलब्ध न होना अथवा उपभोक्ता द्वारा मामले को विचाराधीन रखने का अनुरोध किया गया हो।

(घ) क्षेत्रों के तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण, लगभग 1214 ओ बी निष्पादनार्थ विचाराधीन पड़ी हैं। इन क्षेत्रों के व्यवहार्य हो जाने पर ये कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान किए जा रहे हैं।

(ङ) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य मामलों को छोड़कर, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में बुकिंग की वरीयता का पालन किया जाता है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो

44. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो के निर्माण में अत्याधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विजयवाड़ा में इस स्टूडियो के निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) विजयवाड़ा में टेलीविजन स्टूडियो को 7वीं योजना के अन्तर्गत "सांस्कृतिक केन्द्रों में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना" संबंधी स्कीम में शामिल किया गया था। तथापि, संसाधनों संबंधी बाध्यताओं के कारण स्कीम के कार्यक्षेत्र की समीक्षा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। अब इस परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया गया है और संबंधित प्राधिकारियों को परियोजना की लागत लगभग 10 करोड़ रुपये तक रखने को कहा गया है। विजयवाड़ा में टी० वी० स्टूडियो का निर्माण कार्य 1994-95 के दौरान आरंभ होने की संभावना है और परियोजना को 1996-97 तक पूरा किए जाने की आशा है।

परमाणु विद्युत संयंत्र

45. **श्री राज नारायण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक क्षमता वाले पुराने परमाणु विद्युत संयंत्र की तुलना में नए परमाणु विद्युत संयंत्र में प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन व्यय अनुमानतः कितना होगा;

(ख) प्रति मेगावाट विद्युत पारेषण की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) पनविद्युत संयंत्र की तुलना में परमाणु विद्युत संयंत्र में प्रति मेगावाट खपत पर कितना व्यय होगा; और,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) न्यूक्लीय विद्युत संयंत्र की पूंजीगत लागत बहुत से घटकों पर निर्भर करती है, यथा अपनाई गई तकनीक, चालू करने का वर्ष, वित्त पोषण पैटर्न, ब्याज और मुद्रा स्फीति दरें। निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं में से कैगा परमाणु विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 2x220 मे० वा० है और जिसे 1996 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है, की पूंजीगत लागत परियोजना के पूरा होने तक की अभिवृद्धि को मिलाकर और निर्माण के दौरान ब्याज को घटाकर, प्रति मे० वा० पर 3.61 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की गई है। इस परियोजना के लिए आई डी सी जोकि 2 : 1 की ऋण इक्विटी अनुपात पर आधारित है। 1.56 करोड़ रुपये पर अनुमानित की गई है।

(ख) विद्युत पारेषण की लागत विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है, यथा उत्पादित विद्युत की मात्रा और पारेषण वोल्टेज का मूल्य निर्धारण, कुल पारेषण दूरी, उस भू-भाग का प्रकार जिससे होकर पारेषण लाइन गुजरती है। सम्मिलित उपकेन्द्र आदि, इसीलिए, विद्युत पारेषण की कोई विशिष्ट लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

पारेषण की लागत परियोजना के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जो कि उपरोक्त घटकों पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता स्थल पर निवेश भी काफी परिवर्तित होता रहता है, जो कि भार के संकेन्द्रण और प्रकार तथा विभिन्न वितरण वोल्टेज आपूर्ति प्रणालियों पर निर्भर करता है। एक परमाणु विद्युत संयंत्र से विद्युत का पारेषण की लागत और उपभोक्ता स्थल पर अतिरिक्त निवेश किसी भी ताप विद्युत या जल विद्युत केन्द्र से पृथक नहीं है।

रामागुंडम, कलपक्कम और नेवेली विद्युत एकक

46. **श्री आर० धनुषकोडि आदित्यन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान रामागुंडम, कलपक्कम और वे नेवेली विद्युत एककों द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) इन एककों से विद्युत वितरण के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान इन एककों से प्रत्येक राज्य को कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(घ) क्या किसी राज्य द्वारा अधिक विद्युत लेने संबंधी कोई शिकायत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति बंद होने की बड़ी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र में पावर ग्रिडों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ची० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान रामागुंडम, कलपक्कम एवं नैवेली विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा निम्नवत है :

ताप विद्युत केंद्र का नाम	निम्नलिखित वर्ष के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा	
	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94 (मि० यू०)
रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केंद्र	12384	14593
कवपक्कम (न्यूक्लीय)	1976	1389
नैवेली	8317	9397
जोड़ :	22677	25379

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों जैसे रामागुंडम एस टी पी एस, कलपक्कम ए पी एस और नैवैली-2 टी पी एस में उत्पादित विद्युत को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के अनुसार लाभग्राहियों में वितरित किया जाता है। नेवैली-1 टी पी एस की संपूर्ण उत्पादित विद्युत तमिलनाडु को आबंटित की जाती है। अन्य केन्द्रों के लिए आबंटन निम्नवत है :

राज्य/केन्द्र शासित	रामागुंडम एस टी पी एस 2100 (मे० वा०) मे० वा० हिस्सेदारी (%)	कलपक्कम ए पी एस (470 मे० वा०) मे० वा० हिस्सेदारी (%)	नैवैली द्वितीय माइन कट	
			चरण-1 (630 मे० वा०) हिस्सेदारी (%)	चरण-2 (840 मे० वा०) हिस्सेदारी (%)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	580 मे०वा० (27.6%)	40 मेवा (8.5%)	97 मेवा (15.4%)	180 मेवा (21.4%)

1	2	3	4	5
कर्नाटक	345 मे०वा० (16.4%)	30 मेवा (6.4%)	84 मेवा (13.3%)	115 मेवा (13.7%)
केरल	245 मे० वा० (11.6%)	25 मेवा (5.3%)	63 मेवा (10.0%)	90 मेवा (10.7%)
तमिलनाडु	470 मे० वा० (22.4%)	350 मेवा (74.5%)	176 मेवा (28.0%)	265 मेवा (31.5%)
एन एल सी	—	—	50 मेवा (7.9%)	50 मेवा (6.0%)
पांडिचेरी	50 मे० वा० (2.4%)	5 मेवा (1.1%)	65 मेवा (10.3%)	15 मेवा (1.8%)
गोवा	100 मे०वा० (4.8%)	–	–	–
अनाबंटित	310 मे० वा० (14.8%)	20 मेवा (4.2%)	95 मेवा (15.1%)	125 मेवा (14.9%)

(ग) से (ङ.) दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों अर्थात रामागुंडम एस टी पी एस, कलपक्कम ए पी एस एवं नैवैली द्वितीय माइन कट (चरण-1 व 2) से वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित को वास्तविक विद्युत आपूर्ति की तुलना में पात्रता का विवरण निम्नवत है :

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अप्रैल, 92-मार्च, 93 (मे० वा०)		अप्रैल, 93-मार्च, 94 (मे० वा०)	
	पात्रता	आपूर्ति	पात्रता	आपूर्ति
आंध्र प्रदेश	5017	6783	6065	7752
कर्नाटक	3538	3609	4226	3509
केरल	2334	1231	2843	2087
तमिलनाडु (एनएलसी एवं पांडिचेरी सहित)	6579	5845	7255	7060
गोवा	217	217	358	339

1992–93, 1993–94 और अप्रैल, 1994 में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से आंध्र प्रदेश को उसकी पात्रता से अधिक विद्युत की आपूर्ति की गई। अधिक आपूर्ति को कम करने के उपाय किए गए हैं।

(च) 1992-93 के दौरान बिजली आपूर्ति मामूली रूप से दो बार दिनांक 3-1-1993 एवं 17-2-1993 को बन्द हुई थी, जिससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु प्रभावित हुए थे। 1993-94 के दौरान 7-9-1993 को मामूली रूप से बिजली बंद हुई, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में बिजली की आपूर्ति में बाधा हुई। इसी वर्ष दिनांक 2-6-1994 को एक प्रचालन संबंधी ब्रेक डाऊन होने से आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में अंधेरा छा गया था। वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान पावर ग्रिड व्यवधानों की एक समिति/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जांच की गई है तथा इनकी सिफारिशों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

डभोल विद्युत परियोजना

47. **श्री राम कापसे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनरोन" विकास निगम ने कुछ समय पूर्व काउन्टर गारंटी के लिए अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर अभी तक अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में डभोल विद्युत परियोजना को काउन्टर गारंटी देने में विलंब करने से 'एनरोन' की वित्तीय योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

गुजरात में टी० वी० ट्रांसमीटर

48. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न क्षमताओं वाले कितने टी० वी० ट्रांसमीटर मंजूर और अधिष्ठापित किए गए;

(ख) यह कहां-कहां पर स्थित हैं और प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या कोई नया प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) क्या गुजरात को मैट्रो चैनल सुविधा दी जायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वड़ोदरा, सूरत और पालिताना में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के लिए लम्बित है।

(ङ) और (च) दूरदर्शन के मैट्रो चैनल के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए अहमदाबाद में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर प्रचालन में है।

विवरण

1. वार्षिक योजना 1991-92, 1992-93 और 93-94 के अन्तर्गत स्वीकृत टी० वी० ट्रांसमीटर (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर)

क्र० सं०	स्थल	ट्रांसमीटर एवं शक्ति		लागत (लाख रु० में)
1	2	3		4
1.	धारंगधरा	अ० शा० ट्रा०	100 वा०	89.65
2.	महुआ	"	300 वा० (यू० एच० एफ०	101.34
3.	नखतराण	"	300 वा० तथैव	101.34
4.	रापर	"	300 वा०	101.34
5.	मंगरौल (जूनागढ़)	"	300 वा०	111.27
6.	ईदर	"	100 वा०	89.65
7.	दीसा	"	100 वा०	100.7
8.	पालीताना	"	100 वा०	100.7
9.	राजूला	"	100 वा०	100.7
10.	संजेली	"	100 वा०	100.7
11.	खम्बालिया	"	100 वा०	100.7
12.	अमोद	"	300 वा० (यू०एच०एफ०)	111.27
13.	मंगरौल (सूरत)	"	300 वा० तथैव	111.27

1	2	3		4
14.	झागड़िया	अ० शा० ट्रा०	300 वा० (यू०एच०एफ०)	111.27
15.	नाथरंग	अ०अ०शा०ट्रा०	10 वा०	77.65
16.	देवगढ़ बरिया	"	10 वा०	77.65
17.	अहमदाबाद (मैट्रो सेवा के लिए)	अ० शा० ट्रा०	100 वा०	33.74

11. गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए टी० वी० ट्रांसमीटर

1	भुज	उ० शा० ट्रा०	1 कि० वा० (अन्तरिम स्थापना)	331.6
2.	खम्बात	अ० शा० ट्रा०	300 वा०	101.74
3.	अहमदाबाद (मैट्रो सेवा के लिए)	अ० शा० ट्रा०	100 वा०	33.74

संकेत चिन्ह : उ० शा० ट्रा० : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ० शा० ट्रा० : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ० अ० शा० ट्रा० : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिल

49. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 और 1994-95 के दौरान संसद सदस्यों से दिल्ली में बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिलों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दूरसंचार कर्मचारियों की उस शरारत का पता लगाने हेतु विभाग में कोई विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है जिससे अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गए टेलीफोन कॉलों को वास्तविक टेलीफोन मालिकों के बिलों में शामिल कर दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च) : अपेक्षित सूचना मंगवाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड

50. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए कुल कितना योजना परिव्यय रखा गया है;

(ख) इसका वर्ष-वार विवरण क्या है;

(ग) क्या 1993-94 के लिए स्वीकृत धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) 1994-95 के दौरान हुगली डॉक एण्ड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड की गैर-योजनागत सहायता में कमी करने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजना में हुगली डांक एंड पोर्ट इंजीनियर्ज (एच डी पी ई) लि० के लिए कुल 15.00 करोड़ रु० का योजना परिव्यय दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

1992-93 अनुमोदित राशि	1993-94 अनुमोदित राशि करोड़ रु०	1994-95 अनुमोदित राशि
0.58	2.31	0.02

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 में प्लान स्कीमों के लिए अनुमोदित 2.31 करोड़ रु० में से केवल 1.64 करोड़ रु० जारी किए गए क्योंकि एच डी पी ई द्वारा दी गई अन्य स्कीमों को तकनीकी तौर पर मान्य नहीं पाया गया।

(ड.) चूंकि लम्बे समय से चली आ रही इस रुग्ण इकाई के भविष्य के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है इसलिए केवल 1.00 करोड़ रु० आवंटित किए गए।

फिल्म उद्योग को राहत

51. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री जी० देवराय नायक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13-5-94 को द स्टेट्समेन में "रिलीफ फार फिल्म इन्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में फिल्म सेंसर-व्यवस्था के एक सत्र में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म उद्योग को अच्छी और बेहतर फिल्में बनाने के काबिल बनाने हेतु और अधिक राहत का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का फिल्म उद्योग को जो राहत देने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 13-5-1994 के स्टेट्समैन में प्रकाशित "रिलीफ फॉर फिल्म इण्डस्ट्री सॉट, समाचार देखा है।

(ख) जी, हां। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा/बुलाई गई बैठक में फिल्म निर्माताओं ने फिल्म उद्योग हेतु निम्नलिखित राहत की मांग की थी।

(i) संस्थागत वित्त अनुदान;

(ii) मनोरंजन कर में राहत;

(iii) कच्चे फिल्म स्टाक पर प्रतितुलन शुल्क की समाप्ति

(iv) वीडियो चोरी की जांच; तथा

(v) आय कर अधिनियम की धारा 285-ख की समाप्ति ।

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक मांग के संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(i) संस्थागत वित्त प्रदान करना

इस मांग पर वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) के परामर्श से विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि यद्यपि फिल्म संबंधी क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथापि यह बैंकों के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा, किसी फिल्म की सफलता, जो कि विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, के संबंध, में अनिश्चितता के कारण बैंक सामान्यतया इस क्षेत्र में अपने संसाधनों को लगाने का जोखिम नहीं उठाते। यही स्थिति राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के वित्तीय संस्थानों की है। इसके अलावा किसी फिल्म परियोजना की पण्य योग्यता एवं अनुलाभों का निर्धारण करने हेतु इन संस्थानों के पास उसके मूल्यांकन की सुविज्ञता भी नहीं होती। तथापि आई डी बी आई द्वारा फिल्म प्रक्रिया प्रयोगशालाओं और सिनेमा उपस्करों संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिल्म से संबद्ध कार्यकलापों में लगे यूनिट भी पुनः वित्त पोषण के लिए पात्र हैं और इसलिए आधुनिकीकरण सहायता के लिए भी पात्र हैं।

(ii) मनोरंजन कर में राहत

यह विषय राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि मनोरंजन कर की दरें कम रखने संबंधी मामले पर, 1990 में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में विचार

किया गया था और इसे अपनाने के संबंध में सहमति हुई थी। जून, 1994 के अंत में होने वाले राज्यमंत्रियों के आगामी सम्मेलन में इस संकल्प के कार्यान्वयन के ब्यौरे में विचार किया जाएगा।

(iii) कच्चे फिल्म स्टॉक पर प्रतितुलन शुल्क की समाप्ति

इससे पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ इस मामले को उठाया गया था। तथापि वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसे नहीं माना है।

(iv) वीडियो के अनधिकृत निर्माण की रोकथाम

हाल ही में संसद द्वारा पारित कॉपीराइट (संशोधन) विधेयक में कानून के वर्तमान उपबंधों को और अधिक सशक्त बनाया गया है। आशा की जाती है, इस संशोधन अधिनियम से वीडियो के अनधिकृत निर्माण की घटनाओं में अत्यधिक कमी होगी।

(v) आयकर की धारा 285-ख की समाप्ति

फिल्म उद्योग की शिकायतों के निराकरण हेतु, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

तार-सुविधा का निजीकरण

52. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में तार-सेवाओं की बुकिंग तथा वितरण का कार्य कमीशन के आधार पर निजी व्यक्तियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बहुत से डाक-कर्मचारी फालतू हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो डाक कर्मचारियों की छंटनी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में तारों की बुकिंग और वितरण प्रयोगात्मक आधार पर फ्रेंचाइजिंग के संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

(ख) तार सेवा का व्यापक विस्तार करने तथा ग्राहकों तक सेवा आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से तार सेवाओं को फ्रेंचाइजिंग आधार पर प्रदान करने संबंधी प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र

53. **डा० खुशी राम दुंगरोमल जेस्वानी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोई ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गुजरात की किसी ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) एक संगठन, अर्थात गुजरात ऊर्जा विकास अभिकरण (जी० ई० डी० ए०) जिसकी गुजरात सरकार द्वारा स्थापना की गई है, राज्य में कार्य कर रहा है। इस राज्य में कोई अलग से ऊर्जा प्रबंध केन्द्र नहीं है।

कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता

54. **श्री अन्ना जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रैस रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार कश्मीर मुद्दे के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों द्वारा मध्यस्थता के खिलाफ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) सरकार की बराबर यही नीति रही है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है कि शिमला समझौते के अधीन पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से निपटाया जाना है और इसमें किसी बाहरी या किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को कई अवसरों पर तथा विभिन्न अवसरों एर बता दी गई है।

"मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड"

55. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने "मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड" से अपनी घाटे में चल रही "महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कोरपोरेशन लिमिटेड" को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड ने महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन से विद्यमान वित्तीय स्थिति, श्रम शक्ति आदि के बारे में कतिपय स्पष्टीकरण मांगा है।

आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन

56. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिए अब तक कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

जल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय बजट में अलग से कोई परिव्यय प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

केबलों की चोरी

57. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में "केबल चोरी के कारण सैकड़ों टेलीफोन बेकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) केबल मार्गों पर गश्त बढ़ा दी गई है।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस प्राधिकारियों से घनिष्ट तालमेल बनाए रखा जाता है।

बिजली का वितरण

58. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार विश्व बैंक के सुझाव पर कुछ राज्यों को बिजली की आपूर्ति में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विश्व बैंक के साथ निष्पन्न हुई प्रसविदाओं में यह प्रावधान है कि लाभ प्राप्तकर्ता राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त राशि उनके दो महीनों के बिल से अधिक नहीं होगी और इसके लिए एन० टी० पी० सी० द्वारा उन राज्यों की आपूर्ति को नियंत्रित करना होगा जो ली गई बिजली के लिए पूरा भुगतान करने में अधिकतर चूक करते हैं ।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और क्षेत्रीय बिजली बोर्डों/भार प्रेषण केन्दों को

एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का निदेश दिया है, जिससे राज्यों द्वारा किए गए भुगतान के अनुरूप राज्यों को विद्युत की आपूर्ति को किया जा सके।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पंचायतों को टेलीफोन

59. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन देने के क्या मानदंड है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1993 तक आगरा मंडल के प्रत्येक जिले में कितनी पंचायतों को ऐसे कनेक्शन दिए गए;

(ग) 1994-95 के दौरान ऐसे कितने कनेक्शन दिए जाने हैं;

(घ) सकार को उक्त अवधि के दौरान टेलीफोनों की त्रुटि/ठीक तरह से काम नहीं करने के संबंध में कितनी शिकायतें मिलीं और प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई;

(ड.) क्या पंचायतों में लगाए गए त्रटिपूर्ण टेलीफोनों की मरम्मत का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना के लिए, प्रत्येक पंचायत गांव में 31 मार्च, 1995 तक एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का वास्तविक स्थान (I) डाकघर अथवा (II) पंचायत मुख्यालय अथवा पंसारी की दुकान अथवा जनता की आसान पहुंच के भीतर कोई भी अन्य उपयुक्त स्थान निर्धारित किया गया है।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

जिले का नाम	1992-93	1993-94
आगरा	246	333
अलीगढ़	262	115
एटा	92	22
फिरोजाबाद	57	11
मथुरा	92	10
मैनपुरी	130	—
जोड़ :	879	491

(ग) ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

जिले का नाम	लक्ष्य
आगरा	157
अलीगढ़	300
एटा	400
फिरोजाबाद	300
मथुरा	200
मैनपुरी	200
	जोड़ : 1557

(घ) ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ.) और (च) जी हां, खुली तारलाइनों पर कार्य कर रहे पंचायत टेलीफोनों का रख रखाव अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और जब कभी भी किसी सामान्य दोष का पता चलता है उसे ठीक कर दिया जाता है यदि तूफान और लाइन सामग्री की चोरी होने के कारण भारी खराबी हो जाती है तो भण्डार सामग्री की व्यवस्था करने के बाद मरम्मत का कार्य किया जाता है।

एम ए आर आर पर कार्यरत पंचायत टेलीफोनों के मामले में, दोष आमतौर पर आधार केन्द्र के उपस्कर और पंचायत गांव में संस्थापित उपस्कर में खराबी के कारण होता है। क्योंकि अनुरक्षण कर्मचारी ऐसे दोष ठीक करने में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते हैं अतः कभी-कभी खराबी का पता लगाने के लिए आपूर्तिकर्त्ता की सहायता ली जाती है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (ङ.) और (च) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय मिशन/दूतावास

60. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों में भारतीय दूतावास/मिशन कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) किन-किन देशों में निकट भविष्य में भारतीय दूतावास खोले जायेंगे; और

(ग) ये दूतावास कब तक खोल दिए जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जिन देशों में भारत के राजदूतावास/मिशन नहीं हैं उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस समय जिन देशों में भारत की कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है उनमें नया राजदूतावास/मिशन खोलने का निर्णय मौजूदा राजनीतिक आर्थिक, वाणिज्यिक तथा अन्य अपेक्षाओं के

परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। इन बातों की सतत आधार पर तथा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और स्थिति अनुकूल पाए जाने पर नया मिशन खोलने का निर्णय लिया जाता है। इस समय निकट भविष्य में नया राजदूतावास खोलने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

उन देशों की सूची जिनमें निवासी भारतीय मिशन नहीं है

1	2
1. बेनिन	2. बुरकिना फासो
3. बुरूंडी	4. कैमरून
5. केप वर्डी आइलैंड	6. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
7. केप वर्डी चाड	8. कॉमॉरॉस
9. कॉगो	10. इक्वाटोरियल गिनी
11. एरीत्रिया	12. गेबॉन
13. गाम्बिया	14. गिनी
15. गिनी बिसाऊ	16. लेसाथो
17. लाइबेरिया	18. मलावी
19. माली	20. नाइजर
21. रुआंडा	22. साओ टीम एंड प्रिंसिपे
23. सियार लियोन	24. स्वाजीलैंड
25. टोगो	26. जाइरे
27. द बहमास	28. कुक आइलैंड्स
29. मार्शल आइलैंड्स	30. नारु
31. न्यू कैलेन्डोनिया	32. सोसाइटी आईलैंड्स
33. टोंगा	34. तुवालू
35. फिजी	36. किरीबाती
37. पापुआ न्यू गिनी	38. सोलोमन आईलैंड्स

1	2
39. वनॉतू	40. वेस्टर्न समोआ
41. आजरबैजान	42. अल्बानिया
43. अर्मेनिया	44. बोस्निया हर्जेगोविना
45. क्रोशिया	46. एस्तोनिया
47. जॉर्जिया	48. लात्विया
49. लिथुआनिया	50. मालदोवा
51. स्लोवाक गणराज्य	52. स्लोवेनिया
53. द होली सी	54. आइसलैंड
55. लिछटेन्स्टीन	56. लक्समबर्ग
57. मॉनाको	58. सॉन मेरीनो
59. एन्टीगुआ एंड बरबूडा	60. बारबाडोस
61. बेलीज	62. बोलिविया
63. कैनन आइलैंड्स	64. कोलम्बिया
65. कोस्टारिका	66. कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका
67. डोमिनिकन गणराज्य	68. इक्वाडोर
69. अल साल्वाडोर	70. ग्रेनाडा
71. ग्वाटेमाला	72. हैती
73. होंडुरास	74. नीदरलैंड्स एंटीलेस
75. परागवे	76. सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस
77. सेंट लूसिया	78. सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडिनेस
79. तुर्कस एंड कैकस आइलैंड्स	80. उरुग्वे
81. ताइवान	82. जिबूती
83. मॉरीतानिया	84. सोमालिया
85. जिब्राल्टर	

फिल्मों में अश्लीलता

61. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री गविन्दराव निकाम :
श्री गुमानमल लोढा :
श्री राम विलास पासवान :
श्री धर्मण्णा मोडयूया सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों में बढ़ते हुए फूहड़पन और अश्लीलता की समस्या पर विचार करने के लिए 11 मई, 1994 को नई दिल्ली में एक वृहत्त बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए; और

(ग) इस संबंध में बैठक में दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में संसद की महिला सदस्यों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग, सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों, फिल्म उद्योग और केबल टी० वी० आपरेटर संघ के प्रतिनिधियों तथा मीडिया समीक्षकों ने भाग लिया।

फिल्में और टेलीविजन में सैक्स और हिंसा के प्रदर्शन से समाज पर विपरीत प्रभाव के बारे में संसद में बढ़ती हुई चिन्ता की पृष्ठभूमि के खिलाफ फिल्म सेंसरशिप से संबंधित मामलों पर बैठक में चर्चा हुई।

बैठक में उभरा सर्वसम्मत विचार यह था कि फिल्मों में सैक्स तथा अश्लीलता की बढ़ती प्रवृत्ति, विशेषतः दूरदर्शन पर दिखाए गए फिल्मी गीतों तथा फिल्मों में बढ़ती हिंसा को रोका जाना चाहिए। माननीय संसद सदस्यों सहित अधिकतर भाग लेने वालों ने भारतीय सिनेमा की इस वर्तमान प्रवृत्ति में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्य पद्धति तथा भूमिका की चर्चा की और सेंसर नियमों को सख्ती से कार्यान्वित करने, सेंसर बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों का अत्यधिक सर्तकता के साथ नए सिरे से गठन करने की मांग की। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिल्म उद्योग के व्यक्ति को लेने के पक्ष तथा विपक्ष में विचार व्यक्त किए गए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विगत में दूरदर्शन पर कुछ गाने संबंधित फिल्मों के प्रमाणन से पहले दिखाए गए। इसे अब बंद कर दिया गया है। फिल्म उद्योग द्वारा उठाई जा रही समस्याओं नामतः छोटे पर्दे की बढ़ती हुई प्रतियोगिता जिसने थियेटरों को अलाभकारी बना दिया है, मनोरंजन कर

की बढ़ती दर और बॉक्स आफिस पर असफल फिल्मों के लिए किसी प्रकार की संस्थागत सहायता की कमी पर चर्चा हुई। एक विचार यह भी व्यक्त किया गया कि उद्योग को सेंसरशिप नियमों से स्वतंत्र रखा जाए और निर्माताओं/निर्देशकों को स्व-सेंसरशिप के जरिए फिल्मों में अश्लीलता पर नियंत्रण करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया जाए।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि छोटे पर्दे पर अप्रमाणित गाने न दिखाए जाएं। हांगकांग स्थित भारतीय उच्च आयोग को हांगकांग प्राधिकारियों को स्टार टी० वी० को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित न की गई हिन्दी फिल्मों के गानों और दृश्यों के भारत में प्रसारण को बंद करने के लिए सलाह देने को कहा गया है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि विशेषत: सैक्स तथा हिंसा से संबंधित मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जिससे कि प्रमाणित फिल्मों पर अश्लीलता और अत्यधिक हिंसा के आरोप न लगें। बोर्ड तथा इसके सलाहकार पैनलों का दुबारा गठन करते समय महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

2. जहां तक टेलीविजन का संबंध है दूरदर्शन कार्यक्रमों को सेंसरशिप से छूट है। तथापि, दूरदर्शन ने किसी फिल्म आधारित सामग्री को प्रसारण के लिए तब तक स्वीकार न करने का निर्णय लिया है जब तक कि उसके पास केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाणपत्र न हो। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन-2 तथा दूरदर्शन-1 पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूर्वदर्शन प्रक्रिया कड़ी कर दी गई है। गैर-फिल्म आधारित कार्यक्रमों में से उन दृष्य को जो सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन करते हो अथवा जो प्रसारण संहिता के अनुरूप निर्मित नहीं किए गए हैं, प्रसारण से पूर्व निकाल दिया जाता है।

चमेरा विद्युत परियोजना

62. **श्री गुमानमल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन विद्युत निगम के अन्तर्गत चमेरा परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या इस परियोजना की निर्माण लागत में मूल लागत से कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों की जांच-पड़ताल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) इस परियोजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन की प्रति मेगावाट लागत कितनी होगी; और

(छ) उक्त लागत सामान्य पन विद्युत उत्पादन लागत से अभी तक कितनी अधिक है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) चमेरा जल विद्युत परियोजना, जिसमें 180 मे० वा० की तीन यूनिटें शामिल हैं, चालू करने के कार्यक्रम जोकि मार्च, 1990 के स्थान पर मार्च, 1994 में पूरी हुई है।

(ख) और (ग) परियोजना की निर्माण संबंधी लागत, जिसमें संबद्ध पारेषण प्रणाली शामिल है, 809.29 करोड़ रु० से बढ़कर 2400 करोड़ रु० हो गई है।

(घ) और (ङ.) परियोजना की लागत में अभिवृद्धि का कारण मुख्यतः सिविल कार्यों के पूरा होने में लिया गया अतिरिक्त समय है, जोकि अप्रत्याशित भूगोलीय समस्याओं के कारण है, जिनके फलस्वरूप मूल्य में अभिवृद्धि और उधार ली गयी पूंजी पर ब्याज देयता में अभिवृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त परियोजना का क्रियान्वयन कनाडा की वित्तीय सहायता से हुआ है, विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़ ने भी लागत में अभिवृद्धि की है।

(च) चमेरा में अधिष्ठापित क्षमता की प्रति मे० वा० लागत 4.44 करोड़ रु० बैठती है।

(छ) जल विद्युत संयंत्र की प्रति मे० वा० लागत बहुत से घटकों, जैसे परियोजना का स्थल और प्रकार, सम्मिलित सिविल कार्यों का परिमाण और वित्त पोषण के पैटर्न/ स्रोत पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

राजधानी चैनल सेवा

63. श्री सत्य देव सिंह :
श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच नई डाक सेवा "राजधानी चैनल" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डाक सेवा के अंतर्गत किन-किन राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ा गया है;

(ग) नई डाक सेवा की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या उक्त डाक सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि ली जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) लखनऊ, अहमदाबाद, शिमला, जयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ ।

(ग) इस योजना के अंतर्गत दिल्ली से उपर्युक्त राज्यों की राजधानियों को और इन राज्यों की राजधानियों से दिल्ली को भेजी गई पिन-कोड अंकित प्रथम श्रेणी की पत्र-डाक कात्वरित पारेषण और 48 घंटे के भीतर वितरण करना शामिल है। ऐसी डाक प्रारंभिक छंटाई की अवस्था में ही अलग कर ली जाएगी और फिर उसकी अलग से छंटाई करके भेजा जाएगा। विभाग अगले चरण में अन्य राज्यों की राजधानियों को भी इस योजना में शामिल करने की संभावना का पता लगा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ.) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कार्यक्रम

64. **डा० साबीजी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ नहीं दिखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हालांकि, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के 79.0% क्षेत्र तथा 92.4% तक जनसंख्या को स्थानीय रूप से कवर किया जाता है, फिर भी मुख्यता स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों तथा टी० वी० ट्रांसमीटरों से मध्यवर्ती दूरी के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर टी० वी० रिसेप्शन संतोषजनक नहीं हो सकता है।

(ग) और (घ) राज्य में भिन्न-भिन्न शक्तियों वाले 41 टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित है जिनमें अन्यों के साथ-साथ बांदा, मऊ, लखीमपुर, बलरामपुर तथा सीतापुर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर शामिल है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण

65. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिला मुख्यालयों को दूरदर्शन प्रसारण योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है और किन-किन जिला मुख्यालयों में दूरदर्शन कार्यक्रम साफ नहीं देखे जा सकते हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण उपलब्ध कराने और असन्तोषजनक प्रसारण वाले क्षेत्र में संतोषजनक प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु बनायी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक कार्यन्वित की जाएगी; और

(घ) दूरदर्शन कार्यक्रम के सन्तोषजनक प्रसारण हेतु उज्जैन में टी० वी० ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थानीय प्रसारण उपलब्ध है। टी० वी० कवरेज को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, इस समय राज्य में 3 उच्च शक्ति तथा 19 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/लगाए जाने हेतु परिकल्पित हैं। इस प्रयोजनार्थ उपकरणों की सामयिक सप्लाई तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर इन अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान चरणों में तैयार हो जाने की आशा है। सिविल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को चालू करने में 3-4 वर्ष का समय लगता है।

(घ) उज्जैन, इंदौर स्थित उच्च शक्ति के क्षेत्र की कवरेज के अंतर्गत आता है। अतः वह वहां टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की कोई स्कीम नहीं है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अनियमितताएं

66. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में "टेलीफोन निगम का 119 करोड़ डूब खाते में" (टेलीफोन निगम के 119 करोड़ रुपये अशोध्य ऋण में) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रसारण संहिता

67. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण संहिता की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) महोदय, वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत परियोजनाएं

68. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी, सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अब तक राज्यवार, कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इस दौरान स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं से कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ होगा तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित और वास्तविक लागत कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं गत एक वर्ष से स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत संकट

69. **डा० लाल बहादुर राव्त :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1994 के "स्टेट्समैन" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "पावर क्राइसिस इन नार्दर्न स्टेट्स लाइकली" शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बीच विवाद के कारण राजधानी और देश के अन्य उत्तरी राज्यों में विद्युत संकट उत्पन्न होने वाला है; और

(ग) इस विवाद को हल करने तथा उत्तरी राज्यों में विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एन टी पी सी केन्द्रों से दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों को विद्युत आपूर्ति के तब तक प्रभावित होने की संभावना नहीं है, जब तक कि उ० प्र० राज्य बिजली बोर्ड विद्युत प्राप्ति को भुगतान के अनुरूप सीमित करता रहेगा। उ० प्र० राज्य बिजली बोर्ड को ऐसा करने के लिए मनाया गया है।

उ० प्र० राज्य बिजली बोर्ड ने ऋण पत्र की वर्तमान 72 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 84 करोड़ रुपये करने की वचनबद्धता दी है और सीमा से अधिक की प्राप्ति के बदले में वह नकद भुगतान करेगा।

राज्य बिजली बोर्डों के भुगतान के अनुरूप प्राप्ति को सीमित करने के लिए सहमत होने से एन टी पी सी केन्द्रों से उत्तरी राज्यों को विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रूप में बनाई रखी जाएगी।

निर्यात में गुणवत्ता नियंत्रण

70. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात किए जाने वाले संशोधित खाद्य पदार्थ विशेष रूप से निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संशोधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जिन संसाधित खाद्यों का आमतौर पर निर्यात किया जाता है उनमें फल और सब्जी उत्पाद, मांस उत्पाद (डिब्बाबंद मांस, फ्रोजन तथा चिल्ड मांस) पाल्ट्री उत्पाद, समुद्र उत्पाद आदि शामिल हैं। मंत्रालय में राज्यवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते। निर्यात (गुणवत्ता तथा निरीक्षण नियंत्रण) अधिनियम, 1953 (1963 का 22) के तहत गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। निर्यात निरीक्षण एजेंसियां, विपणन और निरीक्षण निदेशालय,

राज्य सरकारें आदि अधिनियम की मानिटरिंग करती हैं। उन बड़े निर्यात घरानों के लिए स्वतः प्रमाणन भी शुरू किया गया है जिनके पास परीक्षण की सुविधाएं और अन्य अपेक्षाएं हैं।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रानिक प्रचार-माध्यमों से लोगों को शिक्षित करने संबंधी नीति

71. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक प्रचार-माध्यमों से लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों को कृषि-प्रौद्योगिकी और कुटीर उद्योगों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी स्टेशन/केन्द्र प्रमुख समय में स्पोर्ट्स दिखाने के साथ-साथ परिवार कल्याण, कृषि-प्रौद्योगिकी तथा कुटीर उद्योग के बारे में विभिन्न रूपों में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट करते हैं ताकि लोगों के बीच इन कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके।

कश्मीर मामले पर रूस की मध्यस्थता का प्रस्ताव

72. **श्री बलराज पासी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सरकार ने शिमला समझौते के अन्तर्गत कश्मीर विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का आधुनिकीकरण

73. **श्री तारा सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख पत्तनों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजनावधि में पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कितना धनावंटन किया गया है,

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी फर्म की सहायता मांगी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महापत्तनों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में पुरानी और अप्रचलित परिसम्पत्तियों जैसे कार्गो हैंडलिंग उपस्कर, फ्लोटिंग क्राफ्ट इत्यादि को बदलना, जैट्टियों/बर्थों इत्यादि जैसी मौजूदा सुविधाओं का जहां तक व्यवहार्य हो, आधुनिकीकरण करना, और बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो तथा कन्टेनरों के लिए अतिरिक्त हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन/प्रावधान इत्यादि शामिल हैं।

(ख) महापत्तनों के लिए आठवीं योजना-1992-97 में शामिल की गई विकास की विभिन्न स्कीमों के लिए 2984 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तन सैक्टर में विदेशी फर्मों सहित निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

मंत्रियों की विदेश यात्रा

74. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने मई, 1994 के दौरान कुछ देशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक देश के साथ विभिन्न मुद्दों पर की गयी बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) प्रत्येक देश के साथ हस्ताक्षर किए गये प्रोटोकोल और समझौता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

1. श्री एस० बी० चव्हाण, गृह मंत्री।

2. श्री गुलाम नबी आजाद, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री।

3. श्री अरविन्द नेताम, कृषि तथा सहयोग राज्य मंत्री ।

4. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री।

ये सभी 26 से 29 मई, 1994 तक बल्गारिया की और 30 मई से 2 जून, 1994 तक रोमानिया की राष्ट्रपति की राजकीय यात्राओं के दौरान उनके साथ गए थे।

इन दोनों देशों में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताओं में हिस्सा लेने के अलावा इन मंत्रियों ने बल्गारिया तथा रोमानिया के अपने-अपने समकक्षों के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में सहयोग को संवर्धित करने के संबंध में बातचीत भी की थी।

सोफिया में बल्गारिया के साथ छः करार सम्पन्न हुए जो इस प्रकार हैं :—

(1) संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापक तथा मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार।

(2) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार

(3) पर्यटन से सम्बद्ध सहयोग पर करार।

(4) संगरोध तथा पादप-संरक्षण करार।

(5) पशु-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य से सम्बद्ध करार।

(6) विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श और सहयोग से सम्बद्ध, प्रोतोकोल।

रोमानिया के साथ तीन करार सम्पन्न हुए जो इस प्रकार हैं ;

(1) संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापक तथा मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार तथा अन्य गैर-कानूनी क्रियाकलापों को रोकने से सम्बद्ध करार।

(2) पर्यटन के सहयोग से सम्बद्ध करार ।

(3) सहयोग के सिद्धान्तों और दिशाओं की घोषणा।

1994-96 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी रोमानिया के साथ सम्पन्न हुआ।

इन यात्राओं से बल्गारिया और रोमानिया के साथ बेहतर सद्भाव बनाने और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिली।

(5) श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री,

(6) कुमारी शैलजा, संस्कृति उप-मंत्री।

श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 7 से 11 मई, 1994 तथा कुमारी शैलजा, संस्कृति उप-मंत्री ने 14 से 21 मई, 1994 तक चीन की यात्रा की। इन दोनों मंत्रियों की यह यात्रा चीन में भारत महोत्सव के सिलसिले में थी जिसका उद्घाटन बीजिंग में 9 मई, 1994 को हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने चीन के प्रधान मंत्री ली फंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने तथा भारत महोत्सव के सिलसिले में विशेष तौर पर बातचीत की।

इस यात्रा के दौरान कोई करार/प्रोतोकोल सम्पन्न नहीं हुआ।

इस यात्रा से चीन के साथ बेहतर समझबूझ और बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनाने में मदद मिली।

(7) डा० बलराम जाखड़, कृषि और सहयोग मंत्री ये नैसर्गिक आपदा कम करने से सम्बद्ध योकोहामा जापान में आयोजित विश्व-सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 से 27 मई, 1994 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में जापान की यात्रा पर गए थे।

इस यात्रा के दौरान कोई करार/प्रोतोकोल सम्पन्न नहीं हुआ।

(8) श्री आर० एल० भाटिया, विदेश राज्य मंत्री,

विदेश राज्य मंत्री श्री आर० एल० भाटिया मई, 1994 में दो बार काहिरा (मिस्र) गए थे। उनकी 4 मई, 1994 को पहली यात्रा इस्राइल फिलीस्तीनी करार पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के सिलसिले में थी तथा दूसरी यात्रा में उन्होंने 30 मई से 3 जून, 1994 तक गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश राज्य मंत्री ने 4 मई, 1994 को राष्ट्रपति मुबारक के साथ एक संक्षिप्त भेंट वार्ता की तथा वे अपने समकक्ष श्री अमरे मूसा से भी मिले और उन्होंने उनके साथ पाकिस्तान आधारित आतंकवाद का प्रश्न उठाया जो कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है और उन्हें बल देकर यह कहा कि पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला जाना चाहिए कि वह अपनी इन गतिविधियों को कम करे।

9. श्री कमालुद्दीन अहमद, वाणिज्य राज्य मंत्री; दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के सिलसिले में ये मई, 1994 के दौरान उपराष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान उनके साथ गए थे।

10. श्री नरसिंह राव, प्रधान मंत्री।

11. श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री।

12. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री।

13. श्री भुवनेश चतुर्वेदी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

ये तीनों मंत्री मई, 1994 के दौरान प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की राजकीय कार्यकारी यात्रा में उनके साथ गए थे।

इस यात्रा के दौरान परस्पर हित चिंता के बहुत से मसलों पर बातचीत हुई जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंध और आपसी हित-चिन्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मसले शामिल थे। अमरीकी पक्ष ने भारत के आर्थिक सुधारों का पर्याप्त समर्थन किया और आशा व्यक्त की कि इन सुधारों से जो नए अवसर उत्पन्न हुए है उनसे द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा विशेषकर व्यापार तथा पूंजी निवेश के क्षेत्र में। दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि वे यह सुनिश्चिय करेंगे कि मौजूदा मतभेद अपेक्षाकृत अधिक सहयोग की संभावना के आकड़े न आयें। यह निर्णय किया गया कि उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों की गति तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक सहयोग के तौर तरीकें तलाशें जायेंगे और सार्वभौमिक चुनौतियों के समाधान तलाशने में सहयोग किया जाएगा।

इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें से एक गैर-कानूनी औषध द्रव्यों के उत्पादन, वितरण और प्रयोग को रोकने से सम्बद्ध उपायों के प्रति जागरुकता बढ़ाने और उनका समर्थन करने से सम्बन्धित सहयोगात्मक उपायों से सम्बद्ध हैं, तथा इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक विषय स्थलों की आलोचना, संरक्षण और प्रबन्धन से सम्बद्ध है। एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया जिसमें भारत तथा अमरीका के बीच नई भागीदारी की बात कही गई है।

14. श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री

श्री मुखर्जी ने भारत-इटली संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 30 मई से 1 जून, 1994 तक इटली की यात्रा की। 30 और 31 मई, 1994 को सम्पन्न भारत इटली संयुस्त समिति के सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया था, इस सत्र के दौरान वाणिज्य मंत्री ने इटली के अपने समकक्ष डा० जियोर्जियो बरनीनी के साथ विस्तार से बातचीत की। जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर बनाने के तौर-तरीकों, भारत में इटली के पूंजी निवेश का प्रवाह तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं। 1 जून, 1994 को वाणिज्य मंत्री ने मिलान में सम्पन्न भारत-इटली व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया इसमें 300 से अधिक इटली के उद्योगपतियों ने भाग लिया।

यात्रा के दौरान वाणिज्य मंत्री ने इटली के राष्ट्रपति और इटली सीनेट के अध्यक्ष से भी भेंट की।

15. श्री सुख राम, संचार राज्य मंत्री।

श्री सुख राम ने स्वीडन के अपने समकक्ष के निमंत्रण पर 16 से 18 मई, 1994 तक स्वीडन की यात्रा की। संचार के क्षेत्र में भारत-स्वीडन सहयोग को और संवर्धित करने के लिए उनकी यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया गया था।

16. श्रीमती कृष्णा साही, उद्योग राज्य मंत्री।

श्रीमती साही ने 24 से 28 मई, 1994 तक स्वीडन की यात्रा की। भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए उद्योग राज्य मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया था। इस सत्र के दौरान भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग का विस्तार करने में संबंध में व्यापक बातचीत हुई। उद्योग राज्य मंत्री ने स्वीडन के आर्थिक कार्य तथा विदेश व्यापार एवं वित्त मंत्रियों से बातचीत की।

17. श्री सुख राम , संचार राज्य मंत्री।

श्री सुख राम ने डेनमार्क के अपने समकक्ष के निमंत्रण पर 19-20 मई, 1994 तक डेनमार्क की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत हुई थी।

18. श्री जगदीश टाईटलर, भूतल परिवहन राज्य मंत्री।

श्री टाइटलर ने 22 से 27 मई, 1994 तक नार्वे के अपने समकक्ष के निमन्त्रण पर नार्वे की यात्रा की। उन्होंने नार्वे के व्यापार तथा जहाजरानी और परिवहन मंत्रियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें जहाजरानी पोत निर्माण तथा पोतमरम्मत और सड़क निर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग शामिल है।

19. कैप्टन सतीश कुमार शर्मा, पेट्रोलियम राज्य मंत्री।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा ने चौदहवीं विश्व पैट्रोलियम कांग्रेस में भाग लेने के लिए 29 मई से 1 जून, 1994 तक नार्वे की यात्रा की।

विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता, 1994

75. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अमेरिका में आयोजित की जाने वाली विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता 1994 का प्रसारण करने का निर्णय किया है;

(ख) सीधा प्रसारण करने के अधिकार प्राप्त करने हेतु दूरदर्शन ने कितनी धनराशि का भुगतान किया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व कप फुटबाल 1994 संबंधी अधिकार शुल्क में दूरदर्शन के हिस्से के रूप में एशिया पैसिफिक ब्रडकास्टिंग यूनियन, क्वालालामपुर को 3,67,192/-स्विस फ्रेंक 51, 19, 438 रुपये के बराबर का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

बिजली की कमी

76. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ?

(ग) क्या "सौर ऊर्जा" भी बिजली का एक बड़ा स्रोत है;

(घ) क्या इस ऊर्जा के दोहन के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में ऊर्जा की उपलब्धता में समग्र कमी 7.3% थी, जबकि व्यस्ततमकालीन कमी 18.3 प्रतिशत थी।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ.) मौसम विज्ञान केन्द्रों से प्राप्त विद्यमान आंकड़ों के आधार पर, सौर ऊर्जा की उपलब्धता का 4 से 7 किलोवाट प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन अनुमान लगाया गया है। चूंकि सौर ऊर्जा शक्यता काफी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिये व्यवहारिक उपयोग कम लागत वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए दो आधारभूत तरीकों नामशः सौर ताप और सौर प्रकाश वाल्टीय तरीके जैसे प्रकाश व्यवस्था, जल पम्पिंग, दूर संचार, गांवों के लिए लघु स्तर पर विद्युत आपूर्ति आदि, जो लगभग 3-4 मे० वा० विद्युत के बराबर बैठती है, को उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर और सरायसदाय गांव में प्रत्येक 100 कि० वा० क्षमता के दो ग्रिड पारस्परिक

प्रदर्शन सौर फटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में एक 35 मे० वा० सौर ताप विद्युत संयंत्र के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने निजी उद्यमियों को भी मुख्यतः उनके अपने संसाधनों से स्थापित किए जाने वाले मे० वा० रेंज वाली सौर फोटोवोल्टिक एवं सौर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु आमंत्रित किया है।

[अनुवाद]

करोड़ों की सड़क परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

77. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय निजी क्षेत्र और विश्व स्तरीय कम्पनियों/विदेशी निवेशकों को निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी० ओ० टी०) के आधार पर करोड़ों रुपयों की सड़कें और पुल परियोजनाओं के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में देश भर में कई परियोजनाओं का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनके निर्माण स्थल, पूंजीगत परिव्यय इत्यादि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों की कम्पनियों सहित निजी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकार के प्रोत्साहन पैकेज में भाग लेने की उत्सुकता जताई है;

(च) इनको उपलब्ध होने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में किसी फर्म के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) सरकार, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क आधारित सुविधाओं के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों को शामिल करने पर विचार करती रही है।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए घरेलू/विदेशी कंपनियां एवं उद्यमी रुचि लेते रहे हैं और पूछ-ताछ करते रहे हैं। इसके बावजूद प्रस्ताव की विस्तृत रूप रेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः इस समय स्थिति के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

(छ) और (ज) जी हां। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर, निर्माण, संचालन और हस्तान्तरण (बी ओ टी) आधार पर पनवेल बाईपास का निर्माण करने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि० के बीच फरवरी, 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के 1996 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

विवरण

परियोजना का नाम		राज्य	अनुमानित लम्बाई कि० मी० में	अनुमानित लागत मिलियन रु० में
1	2	3	4	5
(क)	बाईपास			
1.	हापुड़	उत्तर प्रदेश	11	400
2.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	20	600
3.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु	27	400
4.	अकोला	महाराष्ट्र	14	300
5.	अमरावती	महाराष्ट्र	18	300
6.	हुक्ली धारवाड़	कर्नाटक	30	400
7.	उदयपुर	राजस्थान	17	250
8.	नेल्लोर	आन्ध्र प्रदेश	18	250
9.	शिलांग	मेघालाय	27	650
(ख)	पुल			
1.	कुल्लू बाईपास पर पुल	हिमाचल प्रदेश		202
2.	तालपोना और गालगीबाग पर पुल	गोवा		200
3.	पेरीयार पर वारापूजा पुल	केरल		260
4.	दुर्ग बाई पास पर देवनाथ पुल	मध्य प्रदेश	(दुर्ग बाईपास सहित)	240
5.	दूसरा विवेकानन्द पुल	पश्चिम बंगाल		2200
6.	जियामेरेली पुल	असम		700
7.	निजामुद्दीन पुल	दिल्ली		430
8.	शरावती पुल	कर्नाटक		300
9.	अंकेश्वर में दूसरा नर्मदा पुल	गुजरात		450
(ग)	एक्सप्रेस मार्ग			
1.	दिल्ली-करनाल-अम्बाला	दिल्ली और हरियाणा	200	10,000
2.	दिल्ली-गाजियाबाद-कानपुर	दिल्ली और उत्तर प्रदेश	414	25,000

1	2	3	4	5
3.	कानपुर—वाराणसी	उत्तर प्रदेश	310	20,000
4.	बम्बई-सूरत बड़ोदरा	महाराष्ट्र और गुजरात	375	45,000
5.	बम्बई-पूना	महाराष्ट्र	150	9,000
6.	फरीदाबाद-नौएडा-गाजियाबाद	हरियाणा और उत्तर प्रदेश	45	3,000
7.	बम्बई-नासिक	महाराष्ट्र	145	8,700
8.	बंगलौर-मैसूर	कर्नाटक	140	9,000
9.	गाजियाबाद-मेरठ	उत्तर प्रदेश	49	3,000

काकीनाडा पत्तन के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

78. **श्री एम वी वी एस मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक ने काकीनाडा पत्तन हेतु कितनी सहायता प्रदान की है, तथा सरकार इस पत्तन पर किस प्रकार और कितनी मात्रा में, माल उतारने की सुविधा उपलब्ध करायेगी; और

(ख) इस पत्तन का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसे यातायात हेतु कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एशियाई विकास बैंक ने काकीनाडा पत्तन परियोजना के लिए 77.9 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। इस परियोजना में तीन गहरे जल बर्थों का निर्माण, ब्रेक वाटर के विस्तार, पत्तन क्षेत्र के निकर्षण तथा कार्गो की हैंडलिंग को सरल बनाने के लिए तटीय और नौचालन सुविधाओं के सृजन की परिकल्पना है। इस परियोजना के पूरा होने पर इस पत्तन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3.00 मिलियन टन अतिरिक्त कार्गो ढोए जाने की संभावना है।

(ख) संभवतः यह परियोजना अगस्त, 1996 तक पूरी हो जाएगी।

गुजरात में खनन पट्टे

79. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात में खनन पट्टे देने हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-1 में निर्विष्ट खनिजों के संभावित लाइसेंसों के नवीकरण तथा खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। गुजरात राज्य सरकार से संबंधित ऐसे लम्बित प्रस्तावों की स्थिति नीचे दी गई है :—

	1991	1992	1993	1994
खनन पट्टा स्वीकृत करने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव	—	1	—	4
खनन पट्टों के नवीकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव	—	1	1	2
पूर्वेक्षण लायसेंस स्वीकृत करने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव	—	8	13	3
कुल :	—	10	14	9

अन्य संबंधित मंत्रालयों और संगठनों से परामर्श, प्रस्ताव के साथ भेजी गई अधूरी और अपर्याप्त सूचना के कारण राज्य सरकार से स्पष्टीकरण तथा अपरिहार्य प्रशासनिक विलम्ब प्रस्तावों के लम्बित रहने के कारण हैं।

राजस्थान में डाक एवं तारघर

80. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में राजस्थान के कितने गांवों और शहरों में नए डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी;

(ख) 1994-95 में इन कार्यालयों के लिए कहां-कहां विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान में वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थापना हेतु प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या करीब 100 है बशर्ते कि उपस्कर, संसाधन तथा कम से कम 10 आवेदकों की मांग उपलब्ध हो। संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन सुविधा वाले टेलीकाम केन्द्रों की संख्या 45 है। इसके अलावा, संयुक्त डाक तार कार्यालयों के लिए 5 डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) डाकघरों के लिए नए विभागीय भवनों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वर्ष 1994-95 के लिए भवन निर्माण संबंधी योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

टेलीकॉम केन्द्रों/ संयुक्त डाक तार कार्यालयों के लिए किसी नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नए विभागीय भवनों के निर्माण जो कि प्रगति पर हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केवल अलवर स्थित भवन के ही 1994-95 तर्क पूर्ण रूप से निर्मित हो जाने की आशा है। तथापि, इन भवनों की आवश्यकता 1994-95 के बाद चालू होने वाले एक्सचेंजों के लिए है।

सरकार द्वारा इन भवनों पर व्यय की जाने वाली राशि के संबंध में विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1. कोटा विज्ञान नगर
2. बालोत्रा
3. अजमेर
4. अलवर
5. जयपुर बजाज नगर
6. पाली मारवाड़
7. बांसवाड़ा

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों की जानकारी देने वाली पत्रिका का प्रकाशन

81. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विचार अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने वाली पत्रिका का प्रकाशन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है;

(ग) इस पत्रिका का प्रकाशन कब तक किया जाएगा और इसके मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) आगामी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए।

(ग) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रबड़ युक्त सड़कें

82. **श्री पी सी थॉमस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ युक्त सड़कों के निर्माण को प्रत्साहित करने का विचार है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने त्रिवेन्द्रम जिले में एक ऐसी ही सड़क का निर्माण किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रबड़युक्त सड़कें रख-रखाव और सुरक्षा की दृष्टि से किफायती होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पहले से ही शुरू की गई अनुसंधान स्कीमों के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही देश में रबड़ की सड़कों पर विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) पता चला है कि 1973 में राज्य लोक निर्माण विभाग ने रबड़ बोर्ड के सहयोग से केरल राज्य में एक राज्यीय राजमार्ग की एक किलोमीटर लम्बाई में रीसर्फेसिंग की थी।

(घ) और (ङ) रबड़ की सड़कों से रख-रखाव के मामले में संभावित बचत तथा सुरक्षा के बारे में अभी से टिप्पणी करना कठिन है।

महाडाकपाल कार्यालय

83. **डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक राज्यवार कितने महाडाकपाल कार्यालय खोले गए; और

(ख) उक्त योजना की शेष अवधि के दौरान राज्यवार ऐसे कितने कार्यालय खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक पोस्टमास्टर जनरल का कोई भी कार्यालय नहीं खोला गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पोस्टमास्टर जनरलों के कार्यालय खोलने का, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

पासपोर्ट के लिए पूर्ववृत्तों की छान-बीन

84. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का उप सचिव भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन दे रहे व्यक्ति के पूर्ववृत्तों की जांच कर सकता है;

(ख) क्या पासपोर्ट ऑफिस समकक्ष या उससे भी उच्च पदाधिकारी जिनके भारत सरकार में भिन्न-भिन्न पद नाम हों, के द्वारा की गई जांच की अनदेखी करता है;

(ग) यदि हां, तो समान स्तर वाले परन्तु भिन्न नामों से जाने जानेवाले पदाधिकारियों के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पासपोर्ट कार्यालय उप सचिव स्तर के पदाधिकारी द्वारा तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के समकक्ष स्तर पर भिन्न पद नाम वाले अधिकारियों द्वारा जारी की गई सत्यापन प्रमाण पत्र की अनदेखी करता है;

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार के अंतर्गत तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के एक ही स्तर के पदाधिकारियों के बीच इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ङ) पासपोर्ट आवेदन पत्र के प्रयोजन से सत्यापन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी से भी हस्ताक्षरित कराया जा सकता है:

(i) भारत सरकार का कोई उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रि मण्डल सचिव।

(ii) किसी भी राज्य सरकार का संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मुख्य सचिव।

(iii) आवेदक के निवास के जिले का कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट।

(iv) आवेदक के निवास के जिले का कोई डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस/रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।

अधिकारियों को इस प्रयोजन के लिए उनके अधिकारिक दायित्वों और कार्यात्मक पदनामों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है इसलिए भेद-भाव का कोई सवाल नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात की विद्युत परियोजनाएं

85. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान गुजरात में ताप विद्युत संयंत्र लगाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये संयंत्र किन-किन चरणों में लम्बित हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(च) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य को पूरा करने में गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की गई ताप विद्युत इकाईयों की संख्या निम्नवत है :—

वर्ष	इकाईयों की संख्या	क्षमता (मे० वा०)
1991-92	6	448
1992-93	7	691
1993-94	3	307

(ख) से (च) एन टी पी सी की गंधार संयुक्त साइकिल गैस स्टेशन की केवल गैस टर्बाइन यूनिट-3 (131 मे० वा०) को वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू करने का कार्यक्रम था। इस इकाई को अब मई, 1994 में समकालित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बस्तर में लौह अयस्क चूरा

86. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले के बेलाडीला में लौह अयस्क डस्ट एकत्रित हो गई है; और

(ख) सरकार द्वारा लौह अयस्क डस्ट का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र जो बैलाडिला के चूरे पर आधारित है, के चालू हो जाने से बैलाडिला के चूरे को मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चूरे की कुछ मात्रा का निर्यात भी किया जा रहा है। बैलाडिला के चूरे पर आधारित स्थापित होने वाले सम्भावित नए इस्पात संयंत्रों/पैलेट संयंत्रों से भी इस चूरे की मांग बढ़ने की संभावना है। आशा है कि यह मांग चूरे के अनुमानित उत्पादन से भी अधिक हो सकती है जिससे ढेरों से पुनः प्राप्ति आवश्यक होगी और इससे ढेरों को परिशोधन होगा।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी

87. **डा० खुशी राम दुंगरोमल जेस्वानी** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु विदेशी कम्पनियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान इस सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितने पूंजी निवेश की पेशकश की गई है और केन्द्रीय सरकार ने इस से कितने पूंजी निवेश को स्वीकार किया है;

(ग) इन विद्युत संयंत्रों के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इनकी स्थापना के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात समेत भारतीय विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार नीति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विदेशी निजी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार की सक्षमता के अन्तर्गत है।

(ख) अब तक, विदेशी निवेशकों (एन आर आई और संयुक्त उद्यम प्रस्ताव समेत) द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को गुजरात में स्थापित किए जाने प्रस्ताव किया गया है :—

1. गुजरात टोरेंट एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड/सीमेंन्स जर्मनी की पगुथन जी बी पी पी (654.70 मे० वा०) (अनंतिम लागत 2178.14 करोड़ रूपये)

2. आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज की लिग्नाइट आधारित टी पी एस (250 मे० वा०) (अनंतिम लागत =875 करोड़ रुपये)

(ग) और (घ) जिला भरूच के पगुथन गांव में स्थित पगुथन जी बी पी पी परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसके 7/96 तक शुरू किए जाने की सम्भावना है। दूसरी परियोजना को शुरू करने के समय का, परियोजना को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति मिलने के पश्चात् पता चल सकेगा।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नीति का ब्यौरा

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत् है :–

- विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों हेतु नया विधि सम्मत, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।
- निजी क्षेत्र किसी भी आकर की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पत्तन/सौर ऊर्जा परियोजना अधिष्ठापित कर सकते हैं।
- ऐसी विद्युत परियोजनाएं, जिनकी कुल मिलाकर परिव्यय की राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती, उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- निजी क्षेत्र की कम्पनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम अधिष्ठापित कर सकती हैं।
- इसके पश्चात्, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी कम्पनियां ऋण इक्विटी 4 : 1 के अनुपात में अनुमत्य होगी।
- समग्र परिव्यय की राशि की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि इक्विटी घटक के रूप में होनी चाहिये।
- प्रवर्तक के अंशदान की न्यूनतम राशि समग्र परिव्यय की राशि का 11 प्रतिशत होनी चाहिये।
- भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई राशि समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने में परियोजना की समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा की कम से कम 60 प्रतिशत राशि निश्चय ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिए।

- विदेशी निजी निवेशकों द्वारा परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के मामलों में शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

- निर्यात अर्जन के जरिए तुलन लाभांश की शर्त-जोकि 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के मामलों में सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेश पर लागू नहीं होगी।

- परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

- ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के अनुमोदन से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति भी दी जाएगी।

- विद्युत उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क की राशि में 20% की कटौती की गई है तथा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हेतु भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

- विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम अधिष्ठापित करने पर लाभांश के बारे में पांच वर्ष तक कर की छूट की अनुमति दी जाएगी । पांच वर्ष की कर-छूट की अवधि की शुरुआत वह वर्ष माना जाएगा जिस वर्ष से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

- विद्युत क्षेत्र के अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों पर उत्पादन शुल्क को घटा कर कम दर पर कर दिया गया है।

- टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश की राशि सम्बन्धित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।

- निर्धारित लागतें 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जा सकेंगी। इससे अधिक संयंत्र भार अनुपात पर कार्य निष्पादित किए जाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

- परियोजना लागत में बीमा की राशि शामिल किए जाने के लिए नम्यता प्रदान की गई है।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए निम्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव रखे गए हैं :—

- मानक मानदंड जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियां प्रचालन कार्य करेंगे इनको अधिसूचित कर दिया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रदत्त एवं निर्धारित इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश अर्जित किया जाए।

- विद्युत उत्पादन कम्पनियां जिनका प्रचालन कोयला, गैस पर आधारित है और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित निर्धारित टू-पार्ट-टैरिफ के आधार पर विद्युत बेच सकेंगी।

— निजी विद्युत कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाने वाले भुगतान से सम्बन्धित दायित्व के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रति गारंटी दिए जाने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन निम्नवत् हैं :—

— दीर्घावधि के लाइसेंस पहली बार 30 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तथा अनुवर्ती नवीकरणों की अवधि 20 वर्ष होगी जबकि पहले यह अवधि क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष थी।

— आर० बी० आई० की दर से 2 प्रतिशत अधिक पहले की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत उच्च लाभांश की दर।

— आर० बी० आई० की दर से 1 प्रतिशत अधिक पहले वाली दर की अपेक्षा वास्तविक लागत (विस्तार परियोजनाओं हेतु भी) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण।

— ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोजन।

एन टी पी सी और एन सी पी पी के विस्थापितों के बीच समझौता

88. **श्री आ० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) ने नेशनल केपिटल पावर प्रोजेक्ट (एन सी पी पी) के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जिन गांवों में भूमि अधिग्रहीत की थी उनके विस्थापित गत कई सप्ताह से आन्दोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एन टी पी सी द्वारा परियोजना के लिए ली गई भूमि का ब्यौरा, निर्मित की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा और विस्थापितों की मुख्य मांगे क्या हैं;

(ग) क्या विस्थापितों और एन टी पी सी के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन० टी० पी० सी०) द्वारा जिला गाजियाबाद में ली गई भूमि 2,463 एकड़ है, जिसमें 1,514 एकड़ निजी भूमि और 949 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। इस भूमि पर बनी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(1) राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना (4x210 मे० वा०) (कोयला आधारित)

(2) दादरी संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना (4x131 मे० वा० जी टी+2x146.5 मे० वा० एस० टी०) एन० टी० पी० सी० के संबंध में भूमि विस्थापितों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना या इसके बदले में 1000 रू० प्रतिमाह क्षतिपूर्ति।

(2) भूमि के बदले में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति।

(3) कब्रिस्तान, शवदाह स्थल, उर्वरक रखने हेतु गड्ढे और धार्मिक स्थान बनाने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के हिस्से को खाली करना।

(4) विभिन्न नागरिक सुख-सुविधाएं जुटाकर प्रभावित गांवों का विकास करना।

(ग) और (घ) आन्दोलनकारी ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 26-5-1994 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते में सभी मांगें सम्मिलित है, जैसे कार्यकुशल श्रेणी में भूमि विस्थापितों के लिए रोजगार का आरक्षण, भूमि विस्थापितों की शिक्षा/प्रशिक्षण में और उनके परिवार के सदस्यों की कार्यकुशल व्यवसाय में सहायता करना, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति से संबंधित मांग को पूरा करने हेतु पद्धति बनाना कब्रिस्तान व शवदाह स्थल आदि के लिए वैकल्पिक भूमि में आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान को ग्रामीण प्रतिनिधियों द्वारा अभिज्ञात किया जाना, भूमि विस्थापितों के लिए चिकित्सा प्रभारों में कटौती करना, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू० पी० एस० ई० बी०) की स्वीकृति के आधार पर ग्रामीणों के लिए एक 11 के० वी० या 33 के० वी० वाले फीडर उप केन्द्र का प्रावधान करना, गांवों में विकास गतिविधियां चलाना, नगर क्षेत्र में दुकानों के लिए भूमि विस्थापितों हेतु आरक्षण में वृद्धि करना आदि। इसके बदले में, भूमि विस्थापित राख संचलन आदि जैसे बकाया कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा करने देंगे।

आन्ध्र प्रदेश की परिवहन परियोजनाएं

8.9. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों के निर्माण से संबंधित कई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसे कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) ये प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कब से लंबित हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) छः प्राक्कलन लम्बित हैं।

(ग) छः महीने से कम।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1994-95 के दौरान अब तक कोई प्राक्कलन संस्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रसारण केन्द्र में विभागीय कैण्टीन

90. **श्री पी० श्री निवास प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली के प्रशासकीय नियंत्रण में प्रसारण केन्द्र, नई दिल्ली में एक विभागीय कैन्टीन कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैन्टीन को कच्चे पदार्थ की सरकारी सहकारी भंडारों, सुपर बाजार और मदर डेयरी की उपेक्षा करते हुए निजी ठेकेदार से खरीद करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का सरकारी भंडारों की उपेक्षा करके निजी ठेकेदार से खरीदने की इन सभी अनियमितताएं बरतने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कच्चे पदार्थ अर्थात बनस्पति तेल, घी, चीनी, बेसन, चावल, दालें आदि केवल सरकारी सहकारी भंडारों/सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार से ही खरीदे जाते हैं। तथापि स्टॉफ की अत्यधिक कमी के कारण अण्डे, डबलरोटी, मक्खन और सब्जियों जैसी कुछ दैनिक उपभोग वाली/खराब होने वाली वस्तुओं को सुपर बाजार केन्द्रीय भण्डार/मदर डेयरी आदि में विद्यमान दरों पर (कुछ मामलों में कम दरों पर) सप्लाई करने के लिए एक प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से व्यवस्था की गई है। अतः इसमें वित्तीय अनियमितता का कोई मामला नहीं है।

[हिन्दी]

हज यात्री

91. **श्रीमती सरोज दुबे :**
डा० मुमताज अंसारी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मीना" (सऊदी अरब) में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना में हताहत हुए भारतीय हज यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा सऊदी अरब सरकार का पीड़ितों के परिवारों सदस्यों को वित्तीय सहायता देने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) मीना की भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों की पहचान सऊदी प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है और जेद्दा में भारत का प्रधान कौंसलावास इस बात की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और स्वतंत्र पुछताछ भी कर रही है ताकि भारतीय हज यात्रियों के मामले में तथ्यों का पक्का पता लगाया जा सके। अब तक मीना में हुई भगदड़ के परिणामस्वरूप

29 भारतीय हज यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है जिसमें 13 वे लोग हैं जो हज समिति द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत गए थे छह वे लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर अपने आप भारत से गए थे और दसवें भारतीय जो कार्य परमिट लेकर सऊदी अरब में रह रहे थे। दो अन्य मामलों में मृतकों की शिनख्त की कोशिश अभी की जा रही है। बहुत से यात्रियों को, जो घायल हो गए थे। और जिन्हें उपचार के बाद जाने दिया गया था उनका राष्ट्रिकताबार कोई रिकार्ड सऊदी प्राधिकारी नहीं रख रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत में शोक संतप्त परिवारों के साथ केन्द्रीय हज समिति के जरिए सम्पर्क किया गया है ताकि इस बात का कि उन्हें किस प्रकार की सहायता की जरूरत हो सकती है। जेद्दा स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास ने भी सऊदी अरब में मृतकों के सम्बन्धियों से सम्पर्क किया है ताकि उन्हें अपेक्षित सहायता दी जा सके। इस प्रकार की सहायता में उनकी भारत वापसी का प्रबन्ध, मदीना के लिए परिवहन की व्यवस्था और भारत में अपने संबंधियों से मिलने की सुविधा शामिल हैं। भारतीय हज चिकित्सा मिशन के सदस्यों से कहा गया है कि वे भगदड़ में घायल लोगों पर खास ध्यान दें।

डाक-तार सुविधाएं

92. **श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) 1993-94 के दौरान इन सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या ये सुविधाएं सभी गांवों में उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो सभी गांवों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान टेलीफोन, डाक-तार सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं।

(ग) और (घ) **टेलीफोन** : सरकार ने मार्च, 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने की नीति अपनाई है बशर्ते की साधन उपलब्ध हों।

तार : जहां कहीं भी कोई मांग होती है और पर्याप्त औचित्य बनता है वहां तार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

डाक : संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन विभागीय मानदण्डों को पूरा करने वाले गांवों में डाकघर खोले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में जिस सीमा तक टेलीफोन तार एवं डाक सेवाओं में सुधार हुआ है, उसका ब्यौरा :—

(क) टेलीफोन

	सेवा पैरामीटरों के नाम	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94
1.	टेलीफोन दोष दर प्रतिशत	14.8	14.9
2.	टेलेक्स दोष दर %	17.8	16.1
3.	स्थानीय कॉल की सफलता दर %	96.8	97.9
4.	जंक्शन कॉल की सफलता दर %	95.3	96.8
5.	एस टी डी कॉल की सफलता दर %	90.1	92.0
6.	ट्रंक कॉल दक्षता %	82.4	82.2
(ख)	तार सेवाएं (वितरित तारों का प्रतिशत)	94.4	94.6
(ग)	डाक सेवाएं		

वर्ष 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र के लिए 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 19 विभागीय उप डाकघरों की मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

नई डाक सेवाएं

93. श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री जगमीत सिंह बराड़
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय स्थानों पर अगले ही दिन डाक पहुंचाने के लिए देश में नई डाक सेवाएं शुरु की हैं जैसाकि दिनांक 16 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोस्टल डिपार्टमेंट गोज हाई-टैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार ने देश में महानगरों के बीच

डाक-पारेषण में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। प्रश्न में समाचार-पत्र में छपी जिस खबर का हवाला दिया गया है, उसमें इस बात का संक्षिप्त उल्लेख है।

(ख) मैट्रो चैनल सेवा नामक योजना में 6 महानगरों (सूची अनुबंध में दी गई है) में से किसी भी महानगर से इन 6 महानगरों में रहने वाले व्यक्तियों को भेजी गई पिनकोड अंकित प्रथम श्रेणी की पत्र डाक का द्रुत पारेषण और उसका 48 घंटे के भीतर वितरण करना शामिल है।

राजधानी चेनल सेवा नामक इसी प्रकार की एक अन्य योजना में दिल्ली से 6 राज्यों की राजधानियों (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) को और इन राजधानियों से दिल्ली को भेजी गई पिनकोड अंकित प्रथम श्रेणी की पत्र डाक का त्वरित पारेषण शामिल है।

विभाग अगले चरण में अन्य राज्यों की राजधानियों को राजधानी चैनल सेवा के अंतर्गत लाने की संभावना का भी पता लगा रहा है।

उक्त सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा और ये प्रणालियां मौजूदा संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करके बनाई गई हैं।

विवरण

मैट्रो चैनल सेवा —	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बैंगलूर ।
राजधानी चैनल सेवा—	दिल्ली और चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और भोपाल के बीच।

[अनुवाद]

गोदावरी नदी

94. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदावरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे खनिजों और धातुओं की आवाजाही में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। गोदावरी नदी के चेरला से राजमुंदरी तक के भाग तथा इसकी डैल्टा नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) गोदावरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किए जाने से चेरला/मनुगुरु कोयला खानों से सन् 2000 तक राजमुन्दरी क्षेत्र के तथा उसके आस-पास के प्रयोक्ताओं के लिए प्रतिवर्ष लगभग 2,00,000 टन कोयले की ढुलाई में सहायता मिलेगी।

(घ) चालू वर्ष के दौरान इसकी काफी संभावना है।

समाचार-पत्र और पत्रिकाएं बन्द करना

96. डा० लाल बहादुर राव्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने गत कुछ वर्षों के दौरान समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के बन्द होने संबंधी तथ्यों का अध्ययन करने हेतु एक समिति बनाई है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान बन्द किए गए समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान बन्द किए गए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद की समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठक में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के संभावित बन्द होने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार कुछ मूल तथ्यों का पता लगाया था जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भाग (ख)

बन्द किए गए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की संख्या (आवधिकता वार)

वर्ष	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	कुल योग
1990	3	3	3	3	12
1991	2	3	7	1	13
1992	3	—	1	—	4

विवरण-II

(क) सुप्रतिष्ठित समाचारपत्रों/नये प्रवेशकों से प्रतियोगिता।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतियोगिता के कारण विज्ञापन राजस्व की हानि।

(ग) विज्ञापन सहायता की कमी।

(घ) अखबारी कागज का अपर्याप्त आवंटन

(ङ) प्रतिकूल सरकारी आर्थिक नीतियां।

(च) पुलिस द्वारा अभित्रास।

(छ) प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली राजनीतिक दखलंदाजी।

(ज) ट्रेड यूनियन द्वारा बलपूर्वक पहुंचाई गई श्रम समस्याएं।

(झ) मानहानि के आरोपों वाले अत्यधिक कानूनी मामले।

(ट) सक्षम पत्रकारों को प्राप्त करने में कठिनाई।

(ठ) पारिवारिक विवाद।

आन्ध्र प्रदेश में मछली प्रसंस्करण उद्योग

97. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य में मछली प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में आन्ध्र प्रदेश सरकार से वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान मछली प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के वास्ते कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान इस मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश मात्स्यिकी सहकारी लिमिटेड, हैदराबाद से राज्य में कोल्ड चेन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के अनुरोध संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्हें 39.50 लाख रु० की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सेवाएं

98. **श्री बलराज पासी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सेवाएं बिल्कुल असंतोषप्रद हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पर्वतीय क्षेत्रों में शीघ्र डाक वितरण तथा डाक सेवाओं को सुचारू बनाने हेतु कोई विशेष योजना शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) : देश के पहाड़ी इलाकों के भूभाग और सामान्य क्षेत्रों की तुलना में अविकसित परिवहन नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, डाक सेवायें इतनी संतोषजनक नहीं हैं, जितनी वे देश के सामान्य क्षेत्रों में हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक तथा व्यवहार्य होता है वहां सुधार करने के लिए डाक सेवाओं की निरंतर मानीटरिंग व पुनरीक्षा की जाती

है। तथापि, फिलहाल पहाड़ी इलाकों में डाक के द्रुत वितरण और डाक सेवाओं की निर्बाध कार्यप्रणाली के लिए विशेष योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय खनिज उद्योग संघ की मांग

99. **श्री तारा सिंह :**
श्री जी० देवराय नायक :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ ने राष्ट्रीय खनिज नीति में और अधिक उदारीकरण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन मांगों की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खनिज उद्योग संघ ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 को लागू करके इस अधिनियम की हाल ही में समीक्षा की गई है। इसमें फिलहाल और संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

कार्यक्रम के प्रायोजन से प्राप्त होने वाली धनराशि

100. **श्री आर० धनुष्कोडी आदित्यन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अधिकतम धनराशि का भुगतान करने वाली दस शीर्ष फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या किसी फर्म द्वारा एक समय पर प्रायोजित किए जाने वाले धारावाहिकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1992 से 1994 तक के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

1. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
2. प्रोक्टर एंड गैम्बल इण्डिया लिमिटेड
3. कोलगेट पामोलिव
4. ग्लैक्सो

5. टाटा टी एण्ड सोप्स

6. बुक बाण्ड इंडिया लिमिटेड

7. निरमा केमिकल वर्क्स

8. नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

9. एम आर एफ

10. डाबर

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई से टेलीफोन पर सीधे बातचीत

101. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम की योजना कल्याण (महाराष्ट्र) से आगे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थलों और शहरों तक टेलीफोन पर सीधे बातचीत की सुविधा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम दूरी के विभिन्न प्रभारण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली उन एक्सचेंज प्रणालियों, जो एक दूसरे के समीप नहीं है, के बीच इन्टरडायलिंग मौजूदा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी कम्पनियां

102. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश औ राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु कतिपय गैर-सरकारी क्षेत्रों की विद्युत कम्पनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन दोनों राज्यों में इसके फलस्वरूप विद्युत के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों की कमी को देखते हुए और बिजली की बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक

निवेश को बढ़ावा देने के वास्ते 1991 में एक नीति बनाई गयी थी जिसका उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश में विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है और यह नीति वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और राजस्थान में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिष्ठापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नवत है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अनंतिम अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	कंपनी का नाम
(क)	**मध्य प्रदेश**			
1.	पेंच टी पी एस	420.00	1272.33	सेंचुरी पावर
2.	महेश्वर एच ई पी	400.00	1073.00	एस० कुमार
3.	कोरबा प० विस्तार यूनिट-5 व 6 टी पी एस	420.00	977.57	मुकुंद लिमिटेड
4.	भिलाई कैप्टिव टी पी एस	500	1200.00	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०
5.	तवा एच ई पी	12.00	20.0	एच० ई० जी० लि०
(ख)	**राजस्थान**			
6.	चित्तोड़गढ़ टी पी एस	500.00	1036.20	सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र में निर्माण घाटा

103. **श्री मोहन रावले** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1994 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में "कैटालिस्ट फर्मस इयूपिंग फर्ट फर्मस, आर० एस० पी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस इस्पात संयंत्र द्वारा निर्माण घाटे के कारण कुछ कम्पनियों को 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इससे राउरकेला इस्पात संयंत्र को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ.) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 16-5-1994 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार का सार नीचे दिया गया है :—

मैसर्स अरोड़ा मेथए लिमिटेड और हिन्दुस्तान प्लेटिनियम लि० जो नाइट्रीक एसिड के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रोडिएम प्लेटिनस एलाय को रिफाइन करते हैं सभी कम्पनियों के कतिपय फीस के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार रिफाइनिंग क्षति के रूप में 1% चार्ज करते हैं। नवम्बर, 1981 में फैबरिकेशन क्षति के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अतिरिक्त 1.5% भत्ता भी दिया। विद्यमान मूल्यों पर यह क्षति 6.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बैठती है। ये दोनों कम्पनियां नेशनल फर्टीलाईजर लि०, नांगल, राष्ट्रीय कैमीकल्स एंड फर्टीलाईजर, ट्राम्बे तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र के फैबरिकेशन क्षति के रूप में विदेशी मुद्रा में 50 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त कर रहे हैं। इंगलहार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यू० के० के अनुसार अधिकतम फैबरिकेशन क्षति 0.4% ही दी जा सकती है परन्तु सुचारू रूप से चल रहे संयंत्रों में यह फैबरिकेशन क्षति केवल 0.2% ही देय है। डच कन्सल्टेन्सी आर्गनाइजेशन के अनुसार कोई फैबरिकेशन क्षति नहीं होती। दोनों में किसी भी हालत में 0.4% की अधिकतम क्षति को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के रूप में माना जा सकता है। अप्रैल, 1981 में रिफाइन्ड अलाय पर कतिपय उत्पाद शुल्क लगाए गए थे परन्तु जून, 1981 में ये वापिस ले लिए गए। नवम्बर, 1981 में दरों के संशोधन के लिए वार्षिक समझौते में इन कम्पनियों ने राउरकेला इस्पात संयंत्र को अभ्यावेदन दिया कि नया उत्पाद शुल्क उच्चतर लागत के लिए है। अतः क्षतिपूर्ति दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार का भत्ता नेशनल फर्टीलाईजर्स लि०, नांगल द्वारा पहले से ही दिया जाता रहा है। इस पृष्ठ भूमि में ये कम्पनियां उर्वरक कम्पनियों और राउरकेला इस्पात संयंत्र को भी ठगती रही हैं।

(ग) से (ङ.) 1981 से पूर्व "फैबरिकेशन एंड लॉस" को पेलेटिनम रोडियम स्क्रैप गॉज से संबंधित कार्य के करार में शामिल नहीं किया गया था। मैसर्स इंगलहार्ड इंडस्ट्रीज लि० ने स्पष्ट किया है कि यूरोपीय देशों में अधिकांश नामी धातु कम्पनियों ने 1980 से ऐसी महत्वपूर्ण धातु जो नई गॉज में उत्पादित किए जाते हैं, के भार पर 1% का संभाल प्रभार लेना शुरू कर दिया है। ताकि इन कम्पनियों को बीमे, सुरक्षा, परिवहन तथा परिसंधान क्षति के संबंध में होने वाली तेजी से वर्धित लागत को पूरा किया जा सके। चूंकि भारत में संभाल प्रभार अनुदेय नहीं है अतः 1.4% की फैबरिकेशन क्षति में 1 % संभाल लागत तथा 0.4% फैबरिकेशन क्षति शामिल है। यह नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०, नांगल में पहली बार लगाया गया था।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के राउरकेला फर्टीलाईजर संयंत्र से संबंधित करार बाद में किया गया था और इसमें इस प्रकार का उपबन्ध शामिल किया गया। तब से यह करार लगभग सभी उर्वरक संयंत्रों जो नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करते हैं, में चल रहा है।

यमन में भारतीय नागरिक

104. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमन में गड़बड़ी के कारण वहां रह रहे 700 भारतीयों को भारत भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यमन में अभी भी कुल कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ग) यमन में हो रहे संघर्ष में कुल कितने भारतीय मारे गए हैं; और

(घ) भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए जा रहे संरक्षण का ब्यौरा क्या है और उनकी सहायता करने और वहां उनकी सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) यमन में रहने वाले 1564 भारतीयों को गड़बड़ी की वजह से भारत लाना पड़ा है।

(ख) अभी भी जो भारतीय यमन में है; उनकी कुल संख्या अनुमानतः एक हजार के आसपास होगी।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि यमन में झगड़े की वजह से किसी भारतीय की मत्यु हो गई हो।

(घ) सरकार ने इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं; इनमें शामिल हैं यमन में राजदूतावास द्वारा नियमित सम्पर्क, लोगों को निकालने के प्रबंध और भारत पहुंचने पर वित्तीय सहायता।

संप्रेषण घाटा

105. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात का वर्तमान विद्युत घाटा कितना है और प्रति वर्ष संप्रेषण में कितना विद्युत घाटा होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार संप्रेषण घाटे में कमी करने के प्रयोजन से अपनी संप्रेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने हेतु राज्य को कोई सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (ग) गुजरात में वर्तमान में विद्युत की कमी और पारेषण में वार्षिक रूप से विद्युत की कमी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) गुजरात में पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकण के लिए एक योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 132 के० वी० लाइनों की 1500 सर्किट कि० मी० और 66 के० वी० लाइनों की 1100 सर्किट कि० मी० का पुनः संचालन शामिल है, को सरकार द्वारा मार्च, 1992 में 73.58 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर स्वीकृत प्रदान की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ने केवल विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करने का है, बल्कि गुजरात पावर ग्रिड में पारेषण हानियों को कम करने और बोल्टेज की रूप रेखा में सुधार करना भी है।

विवरण

गुजरात में वर्तमान में विद्युत की कमी के बारे में ब्यौरा निम्नवत है :—

(कमी आंकड़े मि० यू० निवल में)

	अप्रैल, 1994
आवश्यकता	2900
उपलब्धता	2775
कमी	125
(%)	4.3
व्यस्ततमकालीन कमी	
(%)	16.5

गुजरात राज्य में 1990-91 से 1992-93 के लिए पारेषण, अंतरण और वितरण प्रणाली में विद्युत की कमी का ब्यौरा निम्नवत है :—

वर्ष	पारेषण एवं वितरण हानियां	
	मात्रा (एम के डब्ल्यू एच)	ऊर्जा की हानि (%)
1990-91	5414.23	23.71
1991-92	5888.08	23.56
1992-93	5802.13	22.20

दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध

106. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) क्या दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय लोगों के हितों के संबंध में वहां की नव निर्वाचित सरकार के साथ कोई वार्ता/समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की संख्या लगभग दस लाख है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उन भारतीय परिवारों की संख्या जिन्होंने अपने आप को भारतीय मिशन में पंजीकृत करा रखा है, 625 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार के साथ राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रगाढ़ संबंध कायम करने की प्रक्रिया में है।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना

107. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित बोधघाट जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ताजा स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें निजी कम्पनियों द्वारा चालू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और निजी कम्पनियों से 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चो० रंगय्या नायडू) : (क) बोधघाट (4x125 मे० वा०) जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1978 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी और योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति 24-2-1979 को प्राप्त हुई। पर्यावरणीय स्वीकृति 20-2-1985 को प्राप्त की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए बन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

(ख) और (ग) महेश्वर जल विद्युत परियोजना (10x40 मे० वा०) को श्री महेश्वर जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि एक निजी कम्पनी है, के द्वारा क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 12-11-93 को कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार्य माना गया था।

निजी क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निम्न लिखित स्कीमें प्राप्त की गई हैं :—

(1) पेंच ताप विद्युत् केन्द्र (2x210 मे० वा०) का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 16-11-1993 को मूल्यांकन किया गया था और तकनीकी पहलुओं की दृष्टि से स्वीकार्य पाया गया था। मै० सैन्च्यूरी पावर इसकी कार्य निष्पादन एजेंसी थी, जो इस परियोजना के पीछे हट गई है।

(2) कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 5 एवं 6 (2x210 मे० वा०) की 4-1-1993 को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी गई और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी स्वीकृतियां/निवेश सुनिश्चित करने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। इसकी कार्य निष्पादन एजेंसी मै० इण्डिया थर्मल पावर लिमिटेड है।

इसके अतिरिक्त, मै० एच ई जी लि० द्वारा तवा जल विद्युत परियोजना (12 मे० वा० के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, प्रवर्तकों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

108. डा० खूशी राम डुंगरोमल जेस्वानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कार्य कर रही टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने हेतु इनके विस्तार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलेवार विस्तार एवं इन्हें इलेक्टानिक एक्सचेंजों में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान 23.11 लाख निबल लाइनों द्वारा क्षमता का विस्तार करने की योजना है।

(ग) विवरण I और -II के अनुसार।

विवरण-I

1-4-1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात सर्किल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की जिलेवार स्थिति :—

क्र० सं०	जिले का नाम	कुल एक्सचेंज	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमता	कुल सज्जित क्षमता
1.	अहमदाबाद	92	74	1,282,00	230550
2.	बड़ौदा	59	50	47,124	73059
3.	सूरत	58	50	64,764	90274
4.	राजकोट	88	80	35,098	62673
5.	नडियाड	111	98	19,604	42454
6.	भावनगर	66	55	10,212	25862
7.	भुज	101	65	16,128	25373
8.	जामनगर	69	51	7,568	23078
9.	जूनागढ़	77	55	21,614	30419
10.	बुलसाह	54	38	16,272	30832

1	2	3	4	5	6
11.	महसाना	102	87	30600	41500
12.	अमरेली	52	41	6,220	8595
13.	हिम्मतनगर	90	77	13,880	21860
14.	पालनपुर	80	77	15,012	18312
15.	सुरेन्द्रनगर	54	52	8,712	15737
16.	भड़ौच	49	47	8,224	22624
17.	गोधरा	60	51	10,920	14380
गुजरात सर्किल 1-4-1994		1262	1048	4,60,250	117685

विवरण-II

1-4-94 से 31-5-94 तक की प्रगति

क्र० सं०	गौणस्विचन क्षेत्र का नाम	विस्तार	परिवर्तन	जोड़
1.	महाप्रबंधक दूर संचार विकास अहमदाबाद	184	—	184
2.	महाप्रबंधक दूर संचार विकास बड़ौदा	384	—	384
3.	महाप्रबंधक दूर संचार विकास राजकोट	32	56	88
4.	महाप्रबंधक, दूर संचार विकास नदियाद	272	56	328
5.	दूर० जिला प्रबंधक भावनगर	64	—	64
6.	दूर० जिला प्रबंधक भुज	—	88	88
7.	दूर० जिला प्रबंधक जूनागढ़	8	—	8
8.	दूर० मंडल इंजीनियर हिम्मतनगर	568	—	568
9.	दूर० मंडल इंजीनियर अमरेली	176	—	176
10.	दूर० मंडल इंजीनियर पोलनपुर	320	—	320
11.	दूर० मंडल इंजीनियर बड़ौच	456	—	456
जोड़ गुजरात सर्किल		2464	200	2664

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

109. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषरूप से इसके आदिवासी क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। दूरदर्शन ने आठवीं योजना के अन्तर्गत, जनजातीय क्षेत्रों को कवर करते हुए आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में 3 स्टूडियो केन्द्र, 4 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और 30 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु स्कीमें परिकल्पित की हैं। हालांकि नया रेडियो केन्द्र स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है तथापि आकाशवाणी के पास भी जनजातीय जिलों सहित आन्ध्र प्रदेश में कवरेज को सुदृढ़ करने के लिए कई स्कीमें हैं।

(ख) संलग्न विवरण में दिए अनुसार।

विवरण

संख्या	स्कीम	स्थान
दूरदर्शन		
1.	स्टूडियो सुविधा	विजयवाड़ा
2.	स्टूडियो सुविधा	वारंगल
3.	स्टूडियो सुविधा	विशाखापत्तनम
4.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	वारंगल
5.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	नन्दयाल
6.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	कुरनूल
7.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	राजामुंदरी
8.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पडेरू
9.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	भीमावरम (तैयार)
10.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	हिन्दपुर (तैयार)
11.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कुप्पम (तैयार)
12.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अलगड्डा (तैयार)

1	2	3
13.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कावली
14.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मदनापल्ली
15.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मेड़क
16.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कादरी
17.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	निर्मल
18.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	नगरकुरनूल
19.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बेल्लमपल्ली
20.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मरकापुर
21.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कामारेड्डी
22.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मंदासा
23.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इमिंगानूरू
24.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तमलापल्ली
25.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	ऐलारपल्ली
26.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोरंगल
27.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मधीरा
28.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पासरा/वारंगल
29.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोसगी
30.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	वानापार्थि
31.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	विशाखापत्तनम
32.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पेडनानदिपाडू
33.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चिंतापल्ली
34.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	श्री सेलम
35.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पडेरू
36.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	पार्वतीपुरम
37.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इच्छापुरम

आकाशवाणी

1. ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाना (3 कि० वा० एफ० एम० के स्थान पर 2x5 कि० वा० एफ० एम० — तिरुपति

2. सी० बी० एस० के लिए 2x5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर की स्थापना। — विशाखापत्तनम

3. ट्रांसमीटर की शक्ति 50 कि० वा० मी० वेव से बढ़ाकर 200 कि० वा० मी० वेव करना। — हैदराबाद

4. 10 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 50 कि० वा० शा० वेव ट्रांसमीटर प्रतिस्थापित करना। — हैदराबाद

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण एकक

111. **श्री एन० जे० राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने हेतु 1993-94 में स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) इनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गुजरात के लिए 1993-94 के दौरान फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना संबंधी ? प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 9 में से 5 यूनिटें अहमदाबाद में, दो बड़ौदा में और एक-एक यूनिट बेडसाणा और सूरत में स्थापित की जाएंगी।

(ख) शून्य ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र विद्युत बोर्ड

112. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र विद्युत बोर्ड की उनके मंत्रालय और विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र विद्युत बोर्ड द्वारा उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) से उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

113. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसे कितने एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार जयपुर में प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को चालू वर्ष के अंत तक टेलीफोन उपलब्ध करने की कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) स्थापित/योजनाबद्ध इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	स्थापित एक्सचेंजों की संख्या
1992-93	386
1993-94	368

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1994-97) की शेष अवधि के दौरान राजस्थान में करीब 450 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जयपुर शहर में निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार एक्सचेंजों की संस्थापना करके चालू वित्त वर्ष 1994-95 के अंत तक प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने की योजना है :

क्र० सं०	लाइनों की संख्या	एक्सचेंज की किस्म
1	2	3
1.	20,000	नई प्रौद्योगिकी (सीमेन्स)

1	2	3
2.	20,000	नई प्रौद्योगिकी (सीमेन्स)
3.	20,000	—वही—
4.	13,000	ई-10 बी एक्सचेंज विस्तार
	73,000 लाइनें	

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट

114. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में ग्रेफाइट के नए भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) इसके दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट तटवर्ती क्षेत्र में ग्रेफाइट भण्डारों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया है।

इन क्षेत्रों में जी० एस० आई० द्वारा अनुमानित ग्रेफाइट संसाधनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

पश्चिम गोदावरी जिला :

रेडीपोडेर भंडार : 20% निर्धारित कार्बन वाले 17,600 टन ग्रेफाइट।

पूर्वी गोदावरी जिला :

बुरूगुबन्दा भंडार : 12% निर्धारित कार्बन वाले 94,500 ग्रेफाइट ।

तपसीकोंडा भंडार : 15% निर्धारित कार्बन वाले 15,000 टन ग्रेफाइट ।

मरीकोंडा भंडार : 8% निर्धारित कार्बन वाले 22,500 टन ग्रेफाइट ।

विशाखापतनम जिला :

कुप्पानमत्ता भंडार : 10 से 20% निर्धारित कार्बन वाले 48,000 टन ग्रेफाइट ।

कोकी-परपल्ली भंडार : 3-5% निर्धारित कार्बन वाले 44,000 टन ग्रेफाइट।

(ग) जी० एस० आई ने 44,36,819.00 रु० खर्च किए हैं।

(घ) भंडारों का विदोहन निजी पट्टाधारियों द्वारा किया जा रहा है।

झाड़ी देशों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत केन्द्र चलाया जाना

115. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने खाड़ी देशों में विद्युत केन्द्र चलाने तथा उनके प्रबन्धन हेतु विशेषज्ञता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारियों ने हाल ही में इस सम्बन्ध में खाड़ी देशों का दौरा किया है;

(ग) क्या खाड़ी देशों में किसी फर्म ने किसी प्रकार का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) एन टी पी सी के अधिकारियों ने अप्रैल, 1994 में सऊदी अरब और मई, 1994 में ओमान और यूनाईटेड अरब अमीरात का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान, विद्युत संयंत्रों को आरंभ करने के साथ-साथ उनके प्रचालन और अनुरक्षण में एन टी पी सी द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ वार्ताएं की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिल्मी गीतों का प्रमाणन

116. **श्री तारा सिंह :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जी० देवराय नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में फिल्मी गीतों का प्रसारण करने से पूर्व उन्हें प्रमाणित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े और छोटे परदे पर दिखाए जाने वाले फिल्मी गीतों की दोहरी सेंसरशिप नीति अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के ऐसे कदम से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की और क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन पर केवल उन फिल्मी गीतों को टेलीकास्ट किया जाता है जिनको केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमति दी जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापन नीति की पुनरीक्षा

117. **श्री आर० धनुष्कोडि आदित्यन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रानिक मीडिया संबंधी अपनी विज्ञापन नीति को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा करेगी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के समय के अनुसार दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटित समय के अनुसार दूरदर्शन के लिए विभिन्न विज्ञापन सुविधाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनों के कवरेज संबंधी नीति की समीक्षा किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए दूरदर्शन के पास पहले से ही एक विशिष्ट शुल्क दर ढांचा उपलब्ध है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में गैस का रिसाव

118. **श्री मोहन रावले** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने बोकारो इस्पात संयंत्र में गैस के रिसाव की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 22-4-94 को बोकारो इस्पात संयंत्र में एक फटी पाइप लाइन से गैस रिसाव के मामले की जांच करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष द्वारा न्यायमूर्ति के० बी० एन० सिंह (पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश को एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) उन कारणों का पता लगाना जिसकी वजह से दुर्घटना हुई तथा उपस्करों और परिसम्पत्तियों को हुई हानि को आंकना।

(2) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

(3) उत्तरदायित्व निर्धारित करना, यदि कोई हो ।

(ग) से (ङ) आशा है कि समिति 30 जून, 1994 तक सेल के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे देगी।

महाराष्ट्र में एस० टी० डी० प्रणाली

119. **श्री अन्ना जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में एस० टी० डी० प्रणाली उचित ढंग से काम कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सही है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों से उस प्रांत में महीनों तक फोन की लाइन नहीं मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा लोगों की शिकायतें दूर करने हेतु इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के डाक-घरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद

120. **डा० खुशी राम दुगरोमल जेस्वानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद इस कार्यालय में आरक्षण नीति के अनुरूप भरे जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात राज्य में, 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार 8896 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को आरक्षण नीति के अनुसार भरा जाता है। इसका श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

अन्य जाति — 10833

अनुसूचित जाति — 3141

अनुसूचित जनजाति — 2321

समाचारपत्रों को दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन

121. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक, पाक्षिकों तथा मासिक पत्रिकाओं को गत तीन वर्ष के दौरान दृष्ट-श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि के दौरान समाचारपत्र-वार कितनी धनराशि दी गयी; और

(घ) इन समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके विज्ञापन हेतु अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया था?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 1993-94 के दौरान गुजरात के निम्नलिखित छः प्रकाशनों के अनुरोधों के विज्ञापन जारी करने के अनुरोधों के लिए स्वीकार नहीं किया गया :—

1. भड़ौच टाइम्स, गुजराती दैनिक, भड़ौच ।
2. चैलेन्ज, गुजराती दैनिक, अहमदाबाद।
3. युवा मेलो, गुजराती साप्ताहिक, मानवदर।
4. गांधी नगर समाचार, गुजराती दैनिक, अहमदाबाद।
5. समाजवाद, गुजराती दैनिक, जूनागढ़।
6. गांधी नगर, गुजराती दैनिक, गांधी नगर।

विवरण

गुजरात के प्रकाशनों के नाम तथा स्थान, आवधिकता और उन्हें विज्ञापनों के लिए किए गए भुगतान की निवल राशि

क्र० सं०	प्रकाशन का नाम तथा स्थान	1993-94	निवल राशि (रु०) 1992-93	1991-92
1	2	3	4	5
1.	टाइम्स आफ इंडिया अहमदाबाद	235827.00	254805.00	236314.00
2.	इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद	341273.00	393474.00	482383.00

1	2	3	4	5
3.	वेस्टर्न टाइम्स अहमदाबाद	160.107.00	234411.00	243339.00
4.	द इकानामिक्स टाइम्स अहमदाबाद	9302.00	15288.00	26039.00
5.	इंडियन एक्सप्रेस बड़ोदा	187303.00	98853.00	.00 *
6.	यंग लीडर अहमदाबाद	517725.00	404251.00	178751.00
7.	टाइम्स प्रेस इंटरनेशनल अहमदाबाद	56354.00	64047.00	4560.00
8.	प्रसारण दाहोद	30492.00	30054.00	9848.00
9.	हैराल्ड यंग लीडर अहमदाबाद	130690.00	160771.00	646304.00
10.	अल्प विराम अहमदाबाद	22934.00	15563.00	.00*
11.	गुजरात वैभव अहमदाबाद	131470.00	.00*	.00*
12.	हैराल्ड यंग लीडर बड़ौदा	28090.00	.00*	.00*
13.	संदेश अहमदाबाद	2144868.00	1575448.0	1582201.00
14.	गुजरात समाचार अहमदाबाद	3019075.00	2968050.00	1689068.00
15.	गुजरात समाचार सूरत	237372.00	214473.00	140146.00
16.	फूल छाप राजकोट	441431.00	430673.00	365073.00
17.	लोकसत्ता-जनसत्ता अहमदाबाद	38253.00	54197.00	61792.00
18.	लोकसत्ता-जनसत्ता राजकोट	20713.00	4884.00	16829.00
19.	लोकसत्ता-जनसत्ता बड़ोदा	93067.00	147787.00	139471.00
20.	गुजरात मित्रा और गुजरात दर्पण सूरत	339603.00	363470.00	326092.00
21.	जयहिन्द राजकोट	347750.00	408255.00	309143.00
22.	जय हिन्द अहमदाबाद	64822.00	61506.00	55216.00
23.	श्री नूतन सौराष्ट्र राजकोट	90563.00	48622.00	21705.00
24.	सौराष्ट्र समाचार भावनगर	143722.00	189226.00	93687.00

1	2	3	4	5
25.	प्रभात अहमदाबाद	87920.00	101607.00	141123.00
26.	कुछ मित्रा भुज	179135.00	196395.00	134757.00
27.	लोक राज भावनगर	18035.00	24718.00	8986.00
28.	पगदण्डी भावनगर	61129.00	55781.00	19495.00
29.	बड़ोदरा समाचार बड़ौदा	80638.00	85967.00	67627.00
30.	नयापडकर आनन्द	81199.00	78988.00	77181.00
31.	संदेश बड़ौदा	644360.00	507095.00	449317.00
32.	समभाव अहमदाबाद	165227.00	239266.00	193697.00
33.	गुजरात समाचार बड़ौदा	225335.00	222711.00	213934.00
34.	टाइम्स आफ इंडिया अहमदाबाद	16026.00	119348.00	202039.00
35.	संदेश सूरत	174407.00	202818.00	148715.00
36.	जन्म भूमि अहमदाबाद	429.00	7293.00	7106.00
37.	गुजरात समाचार राजकोट	100341.00	123948.00	40053.00
38.	संदेश राजकोट	146178.00	81635.00	39773.00
39.	गुजरात टुडे अहमदाबाद	85704.00	29955.00	7934.00
40.	वलसाद टाइम्स वलसाद	23935.00	2340.00	.00*
41.	हमलोग पतन	16996.00	1300.00	.00*
42.	न्यू सूरत टाइम्स सूरत	53680.00	1490.00	.00*
43.	कर्णवती अक्सप्रेस अहमदाबाद	8846.00	.00*	.00*
44.	फाइनेंनसियल एक्सप्रेस अहमदाबाद	28251.00	.00*	.00*
45.	जनयुग सुरेन्द्र नगर	.00*	.00*	10952.00
46.	हिन्दू अहमदाबाद	224029.00	220210.00	183635.00
47.	नोबत जामनगर	95992.00	140844.00	114420.00

1	2	3	4	5
48.	भूमि जामनगर	90402.00	98962.00	53743.00
49.	एकिला राजकोट	156322.00	122964.00	98811.00
50.	सौराष्ट्र भूमि जूनागढ़	53780.00	50836.0	31161.00
51.	वेस्टर्न टाइम्स (गुजरात) अहमदाबाद	129755.00	158722.00	171166.00
52.	सांज समाचार राजकोट	77710.00	46061.00	41645.00
53.	चंचल भुज	28395.00	32609.00	22006.00
54.	युग प्रभाव बड़ौदा	20567.00	9035.00	4552.00
55.	नवनिर्माण सूरत	28147.00	12412.00	30508.00
56.	बिन्दु अहमदाबाद	21944.00	22261.00	2882.00
57.	गुड इविनिंग जामनगर	14645.00	16233.00	6682.00
साप्ताहिक				
58.	साधना अहमदाबाद	7805.00	7706.00	3694.00
59.	फूलवादी राजकोट	6231.00	9743.00	10672.00
60.	स्त्री अहमदाबाद	30169.00	21536.00	37139.00
61.	अमृत राजकोट	15322.00	10579.00	8720.00
62.	चारोतर भूमि आनन्द	11728.00	10395.00	16078.00
63.	मातृ भूमि खम्बात	8918.00	7326.00	16410.00
64.	माहा गुजरात पत्तन	9321.00	5887.00	7323.00
65.	रामबन राजकोट	5260.00	4680.00	4680.00
66.	व्यापार उद्योग अहमदाबाद	17514.00	35694.00	22858.00
67.	गुजरात टाइम्स नादियाड	22775.00	13409.00	14839.00
68.	पंचमहल वर्तमान गोधरा	6485.00	5220.00	6786.00

1	2	3	4	5
69.	सत्याकम मरूच	5260.00	4680.00	4915.00
70.	खेड़ा वर्तमान खेडा	7718.00	5220.00	8526.00
71.	जनयुग राजकोट	5260.00	4680.00	5564.00
72.	लोक भूमि बोरसाद	8918.00	7326.00	15207.00
73.	तरातम जामनगर	6365.00	4680.00	4680.00
74.	चाणक्य जामनगर	5260.00	4680.00	440.00
75.	जनता सूर जामनगर	5260.00	4680.00	4680.00
76.	गुरजार संदेश गोधरा	6609.00	5220.00	3596.00
77.	सर्वोदया कापाट्वांज	5260.00	4680.00	4680.00
78.	दीपकमल खम्बात	6609.00	5220.00	5720.00
79.	महासौराष्ट्र राजकोट	663.00	3380.00	2790.00
80.	आगेकदम पेटलाड	8726.00	5220.00	4067.00
81.	मयूर भूमि मोरवी	5730.00	1170.00	4212.00
82.	गुजरात प्रभा सूरत	7348.00	5220.00	11644.00
83.	गुजरात प्रभा भड़ोच	9563.00	7429.00	8646.00
84.	खेती चांद नादियाड	6365.00	4680.00	4900.00
85.	केकराव विशनगर	6365.00	3380.00	4212.00
86.	समाया सुरेन्द्र नगर	7718.00	5220.00	6902.00
87.	पिनल टाइम्स पतन	5260.00	4680.00	4680.00
88.	तमन्ना अहमदाबाद	8918.00	3380.00	1212.00
89.	आऊटडोअर इन्डोर अहमदाबाद	6609.00	.00*	.00*
90.	भुज समाचार भुज	3050.00	.00*	.00*

1	2	3	4	5
91.	गुजरात टुडे अहमदाबाद	4759.00	29955.00	.00*
92.	कथियावार टाइम्स राजकोट	.00*	.00*	4212.00
93.	ग्राम सहयोगी राजकोट	.00*	.00*	3673.00
94.	हमसफर पतन	.00*	.00*	3132.00
95.	स्वराज्य पालनपुर	.00*	5220.00	6496.00
96.	उत्तर गंगा मेहसाना	.00*	4680.00	4800.00
97.	दिवादण्डी दीसा	.00*	.00*	4284.00
98.	सेवा संदेश दाहोद	.00*	.00*	4212.00
99.	युवादर्शन बम्बई	.00*	8436.00	16519.00
100.	प्रेरणा पत्रिका बड़ौदा	.00*	.00*	4212.00
101.	चेतक चक्र अहमदाबाद	.00*	.00*	4212.00
102.	राष्ट्रीय प्रेम अहमदाबाद	6365.00	5148.00	2867.00
103.	सच्चाई अहमदाबाद	7294.00	5148.00	5712.00
104.	झूलेलाल अहमदाबाद	.00*	.00*	3042.00
पाक्षिक				
105.	धर्म संदेश अहमदाबाद	4080.00	800.00	.00*
106.	निरंजन राजकोट	4250.00	4800.00	7771.00
107.	रंग तरंग अहमदाबाद	5783.00	.00*	897.00
108.	आदर्श परिवार राजकोट	.00*	.00*	3884.00
109.	योजना अहमदाबाद	.00*	.00*	2574.00
मासिक				
110.	ज्योतिषदीप अहमदाबाद	2975.00	2091.00	2708.00
111.	सखी अहमदाबाद	6384.00	6113.00	9220.00

112. स्त्री जीवन अहमदाबाद	768.00	450.00	580.00
113. अर्थ संकलन अहमदाबाद	1275.00	900.00	1184.00
114. आर्थिक विकास अहमदाबाद	2955.00	2085.00	3432.00
115. योजना अहमदाबाद	3077.00	.00*	.00*
116. कुर्सि विज्ञापन राजकोट	.00*	4392.00	6052.00
कुल :	12302592	11442130	8936338.00

* वर्ष के दौरान पैनल में न शामिल प्रकाशन

[हिन्दी]

भारत की छवि सुधारना

122. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय द्वारा दिये गए आह्वान के प्रत्युत्तर में विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु किसी एजेंसी का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये विज्ञापन एजेंसियां विभिन्न देशों में भारत की छवि सुधारने में कहां तक सहायक होंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां। भारत को व्यापार और पूंजी निवेश के एक आकर्षक केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विज्ञापन तैयार करने के लिए विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह महसूस किया गया है कि ये विज्ञापन एजेंसियां पूंजी निवेश की क्षमता रखने वाली और विदेशी व्यावसायिकों तथा सरकार के इस उद्देश्य को आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकेंगी कि भारत में व्यापार और पूंजी निवेश के असंख्य अवसर मौजूद हैं।

[अनुवाद]

मए स्पंज लौह संयंत्र

123. **डा० के० पी० आर० चौधरी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषतः आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश में स्पंज लोहे के नए संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली का विकास

124. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री जी देवराय नायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में अब तक हुई प्रगति तथा नए जलमार्गों के विकास संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में अंतर्देशीय जलमार्गों का पूरा उपयोग करने हेतु अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 (गंगा) में न्यूनतम 45 मी० की चौड़ाई बनाए रखी जा रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 2 मी० की गहराई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिन के समय नौचालन के लिए चैनल की मार्किंग तथा टर्मिनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2 (ब्रह्मपुत्र) में न्यूनतम 45 मी० की गहराई बनाए रखी जा रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 2 मी० की गहराई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिन के समय नौचालन के लिए चैनल मार्किंग और धुबरी एवं पाण्डु में टर्मिनलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 (पश्चिमी तटीय नहर) में उद्योग मंडल नहर और चंपाकारा नहर में न्यूनतम 32 मी० की चौड़ाई और 2 मी० की गहराई बनाए रखी जा रही है। पश्चिमी तटीय नहर के कोचीकोल्लाम खंड में उथले स्थानों के निकर्षण का कार्य प्रगति पर है ताकि जहाजों का प्रचालन हो सके।

चेरला से राजमुंदरी तक गोदावरी नदी तथा उसकी डेल्टा चैनलों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भा० अ० ज० प्राधिकरण निम्नलिखित प्रोत्साहन स्कीमें उपलब्ध करा रहा है :—

(i) नए आई डब्ल्यू टी जहाजों की खरीद के लिए बैंकों से लिए गए अधिकांश ऋण पर ब्याज सब्सिडी।

(ii) गंगा में निजी प्रचालकों द्वारा प्रायोगिक व प्रोन्नति संबंधी आई डब्ल्यू टी प्रचालनों की स्कीम के अंतर्गत मा० अ० ज० प्रा० द्वारा सी आई डब्ल्यू टी सी लि० से 600 टन क्षमता के दो जहाज किराए पर लेने और उन्हें एक वर्ष के लिए किराया प्रभारों के बगैर आई डब्ल्यू टी प्रचालकों को देने का प्रस्ताव है।

(iii) गंगा और ब्रह्मपुत्र में आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के लिए ढोए गए कार्गों हेतु 10 पैसे प्रति नदी कि० मी० टन की दर से क्षतिपूर्ति।

(iv) जलमार्गों के उपयोग के लिए कोई शुल्कप्रभार नहीं।

(v) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आई डब्ल्यू टी के विकास के लिए राज्य सरकारों को 50% तक ऋण।

चवान्डिया चूना पत्थर परियोजना

125. **श्री तारा सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० एम० डी० सी० लिमिटेड चवान्डिया चूना पत्थर परियोजना के लिए ठेके की शर्तों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेके से कुछ कार्यों को हटा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :(क) से (ग) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) ने चवान्डिया लाइम स्टोन प्रोजेक्ट (राजस्थान) के संबंध में करार की वैधता की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(घ) कार्य की निम्नलिखित मदों को ठेके के कार्य क्षेत्र से निकालने का प्रस्ताव है:—

(i) ट्रक अथवा ट्रिप्पर में लदान।

(ii) नागपुर रेलवे साइडिंग को आमापित चूना-पत्थर की ढुलाई और 46 कि० मी० की दूरी के लिए लोडिंग यार्ड में उतराई, तथा

(iii) और अधिक रूप से यह स्पष्ट किया गया कि ओवबर्डन कार्य करना, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग एन० एम० डी० सी० द्वारा विभागीय रूप से किए जाएंगे।

अग्नि के संबंध में अमरीका की राय

126. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के संबंध में अमरीकी सीनेट के समक्ष भारत के लिए नामनिर्दिष्ट अमरीकी राजदूत श्री फ्रैन्क सी० विजनर द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) सीनेट विदेश संबंध समिति की निकट पूर्व एवं दक्षिण एशिया उप समिति के समक्ष पुष्टकारी सुनवाई के दौरान एक सवाल के जवाब में भारत में मनोनीत अमरीकी राजदूत श्री फ्रैंक विजनर ने यह कहा था कि 'पृत्वी' देशीय स्तर पर निर्मित लघु दूरी की मारक क्षमता रखने वाली एक मिसाइल है जो, जहां तक उनकी जानकारी है नाभिकीय युद्ध शीर्ष ले जाने के लायक नहीं है। श्री विजनर ने यह भी कहा कि अमरीका की स्थिति यह है कि जब तनाव वैसे ही बढ़ा हुआ है तो भारत को मिसाइल नियोजन के परिणामों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'पृथ्वी' को अभी तक कहीं नियोजित नहीं किया गया है और उम्मीद जाहिर की कि भारत सरकार इसका नियोजन नहीं करेगी। 'अग्नि' के बारे में उन्होंने कहा कि अगर यह बनाई अथवा नियोजित की जाती है तो यह दिमाग में चीन की ओर से चिन्ता की वजह से होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 'अग्नि' एक प्रयोगात्मक रॉकेट है और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि क्या भारत सरकार इसके प्रयोग के किसी नए दौर पर विचार कर रही है या नहीं।

अमरीकी विदेश विभाग ने 31 मई 1994 को एक स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि राजदूत विजनर अमरीका की लम्बे अर्से से चली आ रही नीति की पुष्टी कर रहे थे जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श में उठाया जा चुका है।

(ग) सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के आधार पर भारत के मिसाइल कार्यक्रम को तय करने की नीति के प्रति बचनबद्ध है।

[हिन्दी]

स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार

127. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रमण्डल में सदस्यो देशों की सहायता हेतु स्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना का कोई प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र

128. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी निवेश का पता लगाने और खनन संबंधी 31वीं अन्तर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गईं;

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या खनन क्षेत्र में दिवेशी निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन पैकेज पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कतिपय विदेशी निवेश के बारे में निवेशकर्त्ता पहले ही सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसका मूल्य कितना है और इसमें सूचीबद्ध खनिज पदार्थों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) संबंधित विमानन प्राधिकारियों से समुचित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात हवाई सर्वेक्षण किया जा सकता है। केन्द्र सरकार पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टों से संबंधित क्षेत्र की अधिकतम सीमा को शिथिल करने में सक्षम है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कहा गया है कि वे अपने पास उपलब्ध आंकड़ों को और अधिक सुगम बनाने हेतु राज्य सरकारों को भी खनन अधिकार तथा अन्य अनुमतियों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(ग) खनन क्षेत्र में निवेश अलग से कोई भी प्रोत्साहन योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यह जानकारी में आया है कि सी आर ए एक्सप्लोरेशन प्रा० लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश शासन को 24,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में हीरों की खोज हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। एस्टन माइनिंग इंडिया प्रा० लि० ने भी मध्य प्रदेश शासन को 15,000 वर्ग कि० मी० में हीरों के पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंसों के निर्गत के लिये जाने के पश्चात् ही निवेश का प्रश्न उठेगा।

विवरण

नई दिल्ली में 25-27 अप्रैल, 1994 को भारत में गवेषण तथा खनन में विदेशी पूंजी निवेश विषय पर संपन्न गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियां

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां (लाइसेंसेज)/खनन पट्टा

1. खनिज विधेयक में सर्वेक्षण अनुज्ञा पद्धति का प्रावधान किया जाना चाहिए।
2. पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों तथा खनन पट्टों में क्षेत्र की सीमा वृद्धि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों में क्षेत्रों को क्रमिक रुप से घटाने का भी प्रावधान होना चाहिए।

3. पूर्वेक्षण क्रियाकलापों के लिए भूमि की सुलभता के प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों (लाइसेंसों) तथा खनन पट्टों के प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु निर्धारित समय सीमा को कम किया जाना चाहिए।

भूवैज्ञानिक/गवेषण आंकड़े :

1. भूवैज्ञानिक/गवेषण संबंधी आंकड़े विभिन्न संगठनों तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज गवेषण निगम, राज्यों के भूवैज्ञानिक एवं खनन निदेशालयों तथा भारतीय खान ब्यूरो में उपलब्ध हैं। निवेशकों द्वारा गवेषण के क्षेत्र/लक्ष्यों एवं स्थान के चुनाव के बाद, किसी भी विशेष स्थान के लिए समस्त आंकड़ों को एक स्थान पर समेकित करके विशिष्ट क्षेत्रों के आंकड़ा संग्रहों को समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के अंतर्गत समाहित भूमि हेतु महसूल वृद्धि पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों तथा अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार के संस्थानों के प्रतिवेदनों की मूल्य सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों तथा खनन पट्टों को दर्शाने वाले मानचित्र के संकलन की भी आवश्यकता है।

3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य संस्थानों से जानकारी एवं आंकड़ों की आपूर्ति एवं भुगतान हेतु भिन्न-भिन्न समय वाले एक आवर्तित कोष की स्थापना की जानी चाहिए।

एकल निपटान व्यवस्था (सिंगिल विन्डो क्लियरेंस)

पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों (लाइसेंसेज)/खनन पट्टों के निपटान में अनेकों संस्थाओं के अंतर्ग्रस्त होने के कारण, एकल निपटान व्यवस्था तंत्र का विकास करने की आवश्यकता है। पर्यावरणात्मक स्वीकृति को त्वरित गति से निर्गत किए जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

रायल्टी :

1. चूंकि रायल्टी की ऊंची दरें किसी भी स्थान पर विदेशी निवेशकों के निरुत्साहित होने का प्रमुख कारण है। इसलिए रायल्टी की वर्तमान दरों को तर्कसंगत बनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

2. रायल्टी की दरों में दीर्घकालीन स्थायित्व कायम करने पर विचार किया जाना चाहिए।

राजस्व

1. गवेषण और खान विकास हेतु निधियों के प्रावधान के लिए एक खनन वित्त निगम स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2. अधिक जोखिम और परिणाम की अनिश्चितता को देखते हुए गवेषण व्यय को अनुसंधान एवं विकास व्यय समझा जाना चाहिए।

3. वित्तीय नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे सीमान्तरीय संभावनाओं के विकास के लिये उचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सके।

4. भारत और चुने हुए दूसरे देशों में किए जाने वाले खनन कार्य और लगाई जाने वाली परियोजनाओं की वित्तीय लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि भारत

में कराधान और नीति पैकेज हेतु गवेषण/खनन और डिजाइन के लिए निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिल सके।

संयुक्त उद्यम

भारत ने गवेषण/खनन क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता और उच्च कुशल श्रम शक्ति को ध्यान में रखते विदेशी निवेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने पर विचार करेंगे।

परियोजना समझौता

भारतीय संदर्भ में कुछ देशों द्वारा उपयोग किए जा रहे परियोजना के ढांचे, सहमति पत्र/कार्य संविदा पर विचार किया जाना चाहिए ताकि गवेषण और खनन में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

सामान्य

खनिज कानून और खनन नीति दोनों में प्रावधानों की सुस्पाट व्याख्या होनी चाहिए और इसमें स्वनिर्णय का कोई अवसर नहीं होना चाहिए।

कश्मीर मुद्दा

129. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री फारूख अहमद लेघारी ने कश्मीर विवाद को हल करने में अमरीका की सक्रिय भागेदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि 20 से 31 मई, 1994 के बीच अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस बात की कोशिश की कि अमरीका कश्मीर के मसले पर सक्रिय दिलचस्पी अवश्य लेता रहे।

(ग) सरकार का मत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मसले जिनमें जम्मू और कश्मीर मसले के पहलू भी शामिल हैं; शिमला समझौते के अनुसार शान्ति पूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए जिसमें इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती।

टेलीफोन कॉल

131. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "जगराव पलाक्ड बाई आई एस डी कालर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार ने देश के अन्य भागों में हो रही इस प्रकार की धांधली को रोकने हेतु और क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय जांच-पड़ताल की गई थी। तथापि समाचार-मद में उल्लिखित आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका।

(ग) ऊपर भाग "ख" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आकस्मिक निरीक्षण तेज कर दिये गए हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद ली जा रही है। महानगरों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष जांच पड़ताल कक्षों की स्थापना की जा रही है, ताकि कदाचार के मामलों से निपटा जा सके। भारतीय तार अधिनियम 1885 में और आगे संशोधन करने के लिए लोक सभा में एक बिल पेश किया गया है जिसमें उत्प्रेरकों और लाइनों के विपथन आदि जैसे कदाचारों से लाभार्थियों को सख्त दंड देने की व्यवस्था की गई।

[हिन्दी]

विदेशों में प्रशिक्षण

132. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए निवेश भेजने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विदेशों में अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार विभाग को स्क्रीनिंग कमेटी विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों का चयन करती है। यह चयन अधिकारी की विशेषज्ञता, उसके अनुभव, आयु, सेवा-काल तथा पूर्व प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या तथा प्रतिवर्ष उन पर किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	वर्ष	प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या	दूरसंचार विभाग द्वारा विदेश प्रशिक्षण पर किया गया व्यय
1.	1991-92	64	20 लाख रुपए
2.	1992-93	42	7.20 लाख रुपए
3.	1993-94	289	7.60 लाख रुपए

[अनुवाद]

पासपोर्ट गिरोह

133. **श्री राम कापसे :**
श्री राम नाईक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़े पासपोर्ट गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें मुम्बई बम विस्फोट की घटना से जुड़े लोग भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त गिरोह के कार्य करने का क्या तरीका बताया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे कि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति न हो।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए सेंसर बोर्ड

134. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुरदर्शन पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता को रोकने के लिए एक सेंसर बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आचार संहिता बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अश्लीलता संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को क्या दण्ड दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं, वर्तमान में, दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए पृथक सेंसर बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में बसे भारतीय

135. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत और बंगलादेश में भारतीय मूल के लोगों का अक्सर उत्पीड़न किया जाता है और उनके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार इस संबंध में सम्बन्धित सरकारों के साथ क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) भारतीय मूल के व्यक्तियों की देश वार अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के हित-कल्याण के विषय में बराबर जानकारी रखती है। तथापि, विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्तियों की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित विदेशी सरकार की होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31-12-93 की स्थिति के अनुसार विश्वभर में भारतीय मूल के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या का विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	अनिवासी भारतीयों की संख्या	विदेशी राष्ट्रिक	भारतीय नागरिक
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य
2.	अल्जीरिया	88	शून्य	88
3.	अंगोला	30	8	22
4.	अंगुलिया	8	शून्य	शून्य
5.	एन्टीगुआ	4	शून्य	शून्य
6.	अर्जेन्टिना	1700	900	800
7.	अर्मेनिया	179	शून्य	179
8.	अरुबा	50	10	40
9.	अल्बेनिया	5	शून्य	5

1	2	3	4	5
10.	आस्ट्रेलिया	100000	75000	25000
11.	आस्ट्रिया	7250	1212	6038
12.	अजर्बैजान	50	शून्य	50
13.	बहमास	200	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14.	बहरीन	115000	उपलब्ध नहीं	115000
15.	बंगलादेश	329	6	323
16.	बेलारूस	106	उपलब्ध नहीं	106
17.	बारबडोस*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	69
18.	बेलज्यिम	7096	2779	4317
19.	बेलिजे	680	120	560
20.	बेनिन गणराज्य (कोस्टोनोव)	250	शून्य	250
21.	भूटान	20000	शून्य	20000
22.	बोलिवीया	80	शून्य	80
23.	बोस्निया हर्जेगोविना	1	शून्य	1
24.	बोत्स्वाना	2700	20	2680
25.	ब्राजील	1400	1300	100
26.	ब्रूनी	9208	शून्य	9208
27.	बल्गारिया	50	शून्य	50
28.	बुर्किनाफासो	5	1	4
29.	बुरुन्डी	250	75	175
30.	कम्बोडिया	55	शून्य	55
31.	कैमरून	250	शून्य	250
32.	कनाडा	420295	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33.	केप वर्डे	2	शून्य	2
34.	कैमन आइलैंड	50	शून्य	50

टिप्पणी : * आंकड़े 1-7-91 की स्थिति के अनुसार

= आंकड़े 1-12-92 की स्थिति के अनुसार

1	2	3	4	5
35.	मध्य अफ्रीका गणराज्य	8	1	7
36.	चाड	शून्य	शून्य	शून्य
37.	चिली	500	50	450
38.	चीन	49	शून्य	49
39.	कोलम्बिया	58	शून्य	58
40.	कामरोस	360	180	180
41.	कांगो	15	शून्य	15
42.	कोस्टारिका	109	78	31
43.	क्रोसिया	5	1	4
44.	क्यूबा	37	9	28
45.	साइप्रस	312	12	300
46.	चेक गणराज्य	60	4	56
47.	डेनमार्क	1800	1200	600
48.	डोमिनिका	11	शून्य	11
49.	जिबूति	365	15	350
50.	इक्वेडोर	5	शून्य	5
51.	मिस्र	1300	40	1260
52.	इरिट्रिया	20	शून्य	20
53.	अल-साल्वाडोर	8	शून्य	8
54.	अस्तोनिया	11	2	9
55.	इक्वेटोरियल गुनिया	30	शून्य	30
56.	इथोपिया	1335	390	945
57.	फिजी (दिसम्बर, 89 के आंकड़े)	शून्य	352000	शून्य
58.	फिनलैंड	1610	285	325
59.	फ्रांस	6500	800	5700

1	2	3	4	5
85.	कीनिया	69400	62750	6650
86.	कोरिया गणराज्य	450	50	400
87.	कोरिया लोकतात्रिक गणराज्य	16	शून्य	16
88.	कुवैत	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	150000
89.	किर्गीजस्तान	200	शून्य	200
90.	लातविया	शून्य	शून्य	शून्य
91.	लाओस पी डी आर	128	शून्य	128
92.	लेबनान	10000	शून्य	10000
93.	लेसोथो	200	5	195
94.	लाइबेरिया	297	4	293
95.	लीबिया	12000	100	11900
96.	लक्समबर्ग	162	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
97.	मेडागास्कर	15000	8000	7000
98.	मलावी	5000	4700	300
99.	मलेशिया	1730000	1700000	30000
100.	मालदीव	1433	1	1432
101.	माल्टा	200	50	150
102.	माले	9	4	5
103.	मारीशस	700885	700085	800
104.	मारतानिया	3	1	2
105.	मैक्सिको	129	5	124
106.	माल्दोवा	शून्य	शून्य	शून्य
107.	मंगोलिया	14	शून्य	14
108.	मोन्टेसरत	11	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
109.	मोरक्को	300	1	299
110.	मकदूनिया	शून्य	शून्य	शून्य
111.	मोजाम्बिक	23000	22600	400
112.	म्यामां	500000	492034	7966
113.	नामीविया	63	12	51
114.	नारू	50	शून्य	508
115.	नेपाल	3536891	3266298	270593
116.	नीदरलैंड	6000	1200	4800
117.	नीदरलैंड एन्टीलेस (कोराकस/सैंट नूर्टन)	2000	60	1940
118.	न्यूजीलैंड	26980	23980	3000
119.	निकारागुआ	5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
120.	नाइजर	13	1	12
121.	नाइजीरिया	15000	1000	14000
122.	नार्वे	5300	2500	2800
123.	ओमान	300000	380	299620
124.	पाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
125.	पनामा	3956	128	3828
126.	परागवे	30	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
127.	पपुआ न्यू गुनिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
128.	पेरू	82	उपलब्ध नहीं	82
129.	फिलीपीन्स	10000	1500	8500
130.	पोलैंड	80	2	78
131.	पुर्तगाल	100000	98000	2000
132.	कतर	80500	500	80000

1	2	3	4	5
133.	रीयूनियन आइलैंड	180150	180000	150
134.	रोमानिया	46	4	42
135.	रवांडा	360	120	240
136.	सहारवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही
137.	साऊ टोम	शून्य	शून्य	शून्य
138.	सऊदी अरब	1040000	1000	1039000
139.	सैनेगल	52	27	25
140.	सेसल्स	5400	5000	400
141.	सायरा लूने	500	5	495
142.	सिंगापुर	206000	185000	21000
143.	सोमालिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
144.	दक्षिण अफ्रीका	1030000	1000000	30000
145.	स्पेन	11000	1800	9200
146.	श्रीलंका	643847	512965	130882
147.	सैंट किटलेविस	8	शून्य	शून्य
148.	सेंटविनसैंट एण्ड द ग्रिनाडीनस	60	शून्य	60
149.	सेंट लूसिया	35	1	34
150.	सूडान	1,900	145	1,755
151.	सुरीनाम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	120
152.	स्वाजीलैंड	150	शून्य	150
153.	स्वीडन	11,051	9,399	1,712
154.	स्वीटजरलैंड	4,716	879	3,837
155.	सीरिया अरब गणराज्य	409	1	408
156.	स्लोविनिन	30	शून्य	30
157.	स्लोवाक गणराज्य	19	शून्य	19

1	2	3	4	5
158.	ताजिकिस्तान	60	शून्य	60
159.	तंजानिया	49,500	46,500	3,000
160.	थाईलैंड	35,000	75,000	10,000
161.	टोगो	235	15	220
162.	टोंगा	12	शून्य	12
163.	त्रिनिडाड एण्ड टोबागो	289	13	276
164.	ट्यूनिसिया	42	शून्य	42
165.	तुर्की	151	शून्य	151
166.	तुर्कस एण्ड कैसको आईलैंड	20	शून्य	20
167.	तुर्कमेनिस्तान	50	शून्य	50
168.	उगांडा	1,500	1,000	1,500
169.	उक्रेन	838	शून्य	838
170.	यू० ए० ई०	4,50,000	उपलब्ध नहीं	4,50,000
171.	यू० के०	3,40,255	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
172.	अमरीका	10,00,000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
173.	रूस	13,000	3	1,700
174.	उरूग्वे	10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
175.	उजबेकिस्तान	700	शून्य	700
176.	वानुआतू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
177.	वेनेजुएला	280	30	250
178.	वियतनाम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	135
179.	वेस्टर्नसामोन	30	शून्य	30
180.	यमन गणराज्य	1,07,780	100080	7700
181.	यूगोस्लाविया	21	1	20
182.	जाइर	1200	550	650

1	2	3	4	5
183.	जाम्बिया	10,390	9,880	6,510
184.	जिम्बावे	15,200	14,000	19800
		14,133,687	9,369,676	3,005,310

टिप्पणी : स्तंभ 3, स्तंभ 4 और स्तंभ 5 का जोड़ परस्पर मेल नहीं खाता क्योंकि इनमें से प्रत्येक स्तंभ में बहुत से देशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

136. **श्री हरिन पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को अनुदान के रूप में निधि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसे कितनी निधि प्रदान की गई;

(ग) क्या इन संस्थाओं की प्रभावी रूप से आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को विदेश मंत्रालय से अनुदान सहायता मिलती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसे प्राप्त अनुदान का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

वर्ष	राशि (रु० करोड़)
1991-92	13.50
1992-93	14.55
1993-94	15.00

(ग) और (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रिया कलापों और कार्यक्रमों पर तीन सांविधिक निकायों अर्थात महासभा, शासी निकाय है और वित्त समिति द्वारा बराबर निगाह रखी जाती और उनका मूल्यांकन किया जाता है। परिषद के संविधान के अनुसार परिषद के कार्य के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी शासी निकाय को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त विदेश सचिव भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पदेन हैं। विदेश मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार परिषद के वित्तीय सलाहकार हैं और वित्त समिति के एक सदस्य हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परिषद के क्रियाकलाप और कार्यक्रम परिषद को दिए गए मुख्य-मुख्य प्रादेश की रूपरेखा के भीतर संचालित होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पोत परिवहन उद्योग

137. **श्री एम वी वी एस मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पोत परिवहन उद्योग में और अधिक उदारीकरण की गुंजाइश का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं और क्या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति अपनी सिफारिशें कब तक देगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) नियंत्रणों को और अधिक उदार बनाए जाने के बारे में भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ के अनुरोध की जांच करने तथा इस बारे में सिफारिशों के प्रयोजन से एक दल का गठन किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) जहाजों के लिए व्यापार लाइसेंस नीति संबंधी मार्ग निदेशों की समीक्षा,

(ii) सभी प्रकार के जहाजों के लिए सुरक्षित मैनिंग प्रमाणपत्र स्केल्ज जारी किए जाने का प्रस्ताव,

(iii) जहाजों की खरीद हेतु स्वीकृति पत्र से जुड़ी पूर्व-शर्तों और अन्य पाबंदियों को हटाना,

(iv) विभिन्न प्रकार के जहाजों के लिए अनुमति और अनुमोदन हेतु समय-बद्ध मापदंड तैयार करना, और

(v) आयु में छूट।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि समिति में शामिल नहीं किए गए हैं।

(ग) आशा है कि यह दल निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट दे देगा।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

138. **श्री मोहन रावले** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने हाल ही में इस्पात मंत्रालय को एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, सदन के संचालन की नियमावली मेरे हाथ में है और आज मैं इस नियमावली के एक नियम का उपयोग करना चाहता हूं।

वह नियम सदस्यों को इस बात का अधिकार देता है कि वे किसी विशेष मुद्दे पर बहस के लिए सदन का काम रोकने की मांग कर सकें। यह एडजर्नमेंट मोशन है, कामरोको, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ने से आप रोक नहीं पाये, इसलिए सदन का काम रोको।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है, सूचना आपके विचाराधीन है। प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। चीनी खुले बाजार में 16.50 रुपये किलो बिक रही है।..... **(व्यवधान)** ..... मैंने जो कुछ कहा है, मैं उसमें संशोधन करता हूं, चीनी 20 रुपये किलो तक पहुंची है। यह क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थीं ? आयात कौन करेगा, इस सरकार में यह भी तक नहीं हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है। एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है। प्रधान मंत्री का सचिवालय क्या करता है, कुछ पता नहीं है।

चीनी के दाम खुले बाजार में जिस तरह से बढ़े हैं, उसमें करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा हुआ है। चीनी के उद्योगपतियों ने कमाया है और व्यापारियों ने भी लाभ उठाया है। यह गर्मी के दिन हैं, इन दिनों चीनी की खपत ज्यादा होती है। शादी ब्याह का मौसम है, फिर विदेशों से चीनी मंगाने का जो पहलू है, उसकी भी जांच करना आवश्यक है लेकिन जांच से पहले पूरी बहस होनी चाहिए, हम आपसे यह मांग कर रहे हैं। यह चीनी का घोटाला पहली बार नहीं हुआ है। 1989 में मैं पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी का चेयरमैन था और तब हिमाचल प्रदेश के हमारे पण्डित सुख राम जी मंत्री थे, वह अभी तक चीनी की मार भूले नहीं हैं। वह चीनी की मार हमेशा मीठी नहीं होती है, कभी-कभी चीनी बहुत कड़वी हो जाती है और आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। यह आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, तात्कालिक महत्व का है। आप यह कह कर मेरे काम-रोको प्रस्ताव को अस्वीकार न करें कि दाम तो बढ़ते ही रहते हैं। आपने पहले क्यों नहीं उठाया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सार्वजनिक महत्व के मामले पर आप सदन को बहस करने का मौका दें। ..... **(व्यवधान)** सरकार को भी अपनी बात कहने का अवसर मिले। ..... **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हमने भी चीनी के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव दिया हुआ है। **(व्यवधान)** मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमनें भी स्थगन-प्रस्ताव के लिए पूर्व-सूचना दी हुई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम लोगों ने भी एडजार्नमेंट मोशन दिया है। ..... **(व्यवधान)** .....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के और भी समर्थक हैं। ... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय : बारह लोगों के आए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप इसमें निर्णय करने में देर मत लगायें। कोई काम तो बहुत फुर्ती के साथ होना चाहिए और यह मुद्दा ऐसा है, आज सारे देश की आंखें सदन की ओर लगी हैं। मैं जानता हूं, आप कहेंगे विशेष अधिवेशन हैं, हमें संविधान में संशोधन करना है, हमें जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको उसकी भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं-ये तर्क दिए जायेंगे सरकार की ओर से, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। यह कह कर मामले को टालने की कोशिश की जाएगी, और विषयों पर चर्चा रोकी जा सकती है, और विषय ठहर सकते हैं, मगर देश में आज चीनी की कीमतें बढ़ने के कारण जो सार्वजानिक असंतोष है, उसको वाणी देना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : प्रक्रिया संबंधी नियमावली के अनुसार, अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय के बारे में निर्णय लेना सही होगा। इस विषय पर स्थगन-प्रस्ताव के अलावा किसी अन्य प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं, नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियम-पुस्तिका में विभिन्न आकस्मिकताओं का प्रावधान है। इस विषय पर मंत्री महोदय ने अपने आप ही एक वक्तव्य देने की पहले ही सूचना दी हुई है। मंत्री महोदय के वक्तव्य को सुनने के बाद, यह सभा यह निर्णय ले सकती है कि किसी ऐसे प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। इस सभा में विभिन्न नियमों के अंतर्गत चर्चा हो सकती है, जिनके विषय में आप निर्णय करना चाहेंगे। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय को इस विषय पर एक वक्तव्य देने दीजिए। **(व्यवधान)**

इसके पश्चात्, आप यह निर्णय ले सकते हैं कि प्रक्रिया संबंधी नियमावली के अन्य नियमों के तहत स्थगन-प्रस्ताव जरूरी है अथवा अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर कोई चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूर्व-सूचना कब दी है।

ठीक है, इस विषय पर निर्णय लेने से पूर्व, मैं संबंधित मंत्री के विचार सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह विषय ऐसा नहीं है, जो मात्र एक ही मंत्री से संबंधित अथवा सीमित हो। इस मामले में हजारों करोड़ रुपये का घोटला सम्मिलित है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इस समय मैं आप का वक्तव्य सुनना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी जी ने जो कहा है उस पर आप को क्या कहना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : महोदय, मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस विषय पर वार्ता कर लें और बहस कर लें। ..... **(व्यवधान)** ..... मैं उनके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं स्थगन-प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं। इस संबंध में मुझे बारह सदस्यों से पूर्व-सूचना प्राप्त हुई है। इन पर बैलट करवाना पड़ेगा। अतः, हम नामों का बैलट करेंगे। तत्पश्चात् समय नियत करेंगे। अब हम अगले विषय को लेते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे बारह सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कब नियत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस हेतु एक अथवा दो प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ेगा। सबसे पहले, तो हमें सदस्यों के नामों का बैलट करना पड़ेगा। नामों का बैलट करने के बाद, जिस व्यक्ति का नाम बैलट में आता है, उसे ही मुद्दा उठाने को कहा जायेगा तत्पश्चात् एक निशिष्ट संख्या में सदस्य खड़े होंगे, तथा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके बाद, हम समय निर्धारित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आज ही बहस होनी चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे आज के लिए ही नियत करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप मुझे उन बारह सदस्यों के नाम बता सकते हैं, जिनसे कि आपको पूर्व-सूचना मिली है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह सूची बैलट के लिए भेजी जा चुकी है।

12.12 म०प०

फूलबनी, उड़ीसा में हरिजनों के शोषण/उनकी हत्या के संबंध में

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले में हरिजनों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी गई है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में हरिजनों का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा यह सुनियोजित एवं संगठित षडयंत्र रचा जा रहा है। यह मुद्दा समाचार पत्रों में उठाया गया है तथा इस मुद्दे पर देश भर में विभिन्न मंचों पर चर्चा भी की गई है। गत तीन महीनों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हलचल है तथा हरिजनों की हत्या की जा रही है। मेरे जिले से 15000 से अधिक हरिजन बाहर चले गये हैं। पड़ौसी ज़िलों पर भी धीरे-धीरे इसका असर पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, दोनों ही समुदाओं अर्थात् हरिजनों एवं आदिवासियों में बदला लेने की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह एक सुनियोजित षडयंत्र है क्योंकि जनता-दल के दो परस्पर विरोधी नेता एक-दूसरे को खत्म करने के काम में लगे हुए हैं। इससे जिले में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की स्थिति उत्पन्न होगी। यहां तक कि मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री ने भी विधान सभा में दिये गए एक वक्तव्य में इस बारे में खुले रूप से स्वीकार किया है। हरिजनों का शोषण किया जा रहा है। गैर-जिम्मेदाराना एवं भड़काने वाले वक्तव्य दिये जाने के कारण साम्प्रदायिक-वैमनस्थ की भावना पैदा हो गई है। मेरे जिले में ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए, मैं मुख्य मंत्री को दोषी ठहराता हूं। मैंने यह भी मांग की है कि इस स्थिति की जांच करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच-समिति गठित की जाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि हरिजनों को समुचित संरक्षण प्रदान किया जाये। साम्प्रदायिक सद्भावना, आपसी-विश्वास तथा भाईचारे का वातावरण पैदा करने के लिए सच्चे मन से प्रयास किये जाने चाहियें। इस स्थिति पर मैं आपके विशिष्ट विनिर्णय की मांग करता हूं। केंद्र सरकार को प्रति क्रिया व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी माना है कि फूलबनी जिले में राज्य के समूचे बलों को तैनात किये जाने के बावजूद इस स्थिति से नहीं निबटा जा सकता। अतः, यही उचित समय है, जबकि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने इस मामले पर गृह मंत्री जी से भी चर्चा की है। हरेक सदस्य इस बारे में है तथा मैं सरकार से यह निवदेन करता हूं कि गृह मंत्री जी को इस बारे में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैंने भी इसी विषय पर पूर्व-सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : यह अत्यंत गम्भीर मामला है और ....

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, गृह मंत्री जी द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले, आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

श्री एस०बी० चव्हाण : क्या आप भी इसी विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री लोकनाथ चौधरी : हां, श्रीमान मैंने भी इसी विषय पर बोलने के लिए पूर्व-सूचना दी हुई है।

हमारे राज्य में फूलबनी जिला अत्यंत शांत जिला था, जहां कि आदिवासी एंव हरिजन अर्थात् अनुसूचित जातियां बड़ी सद्भावना से रह रही थीं। गत तीन महीनों से हत्या किये जाने एवं घरों को जलाये जाने की वारदातें हो रही हैं तथा राज्य सरकार इस स्थिति पर काबू पाने में पूर्णतयः असफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यहां ऐसी ही स्थिति बनाये रखना चाहती है। यहां अनेक रहस्योद्घाटन

हो रहे हैं। चुनावों के लिए चाहे वे कुछ भी करें, परन्तु एक बिल्कुल शांत एवं सौहार्द्रपूर्ण राज्य-जहां कि आदिवासी एवं हरिजन रहते हैं — में ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा करना कोई सराहनीय बात नहीं है। यह पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। अतः मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर अपनी टिप्पणी दें तथा इस बात की जांच करें कि इसके पीछे किसी प्रकार का कोई षडयंत्र तो नहीं है और जनजीवन को अस्त-व्यक्त के लिये इस स्थिति को बनाये रखने की कोई योजना तो नहीं है। **(व्यवधान)**

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं यह अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति इस मामले की जांच करे तथा उसका पूरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। इस संकट-जिससे कि सारा देश परेशान है — को हल करने के लिए सच्चे मन से प्रयास किये जाने चाहियें। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा सभी कुछ जनता-दल पार्टी के भड़काने के कारण हुआ है तथा राज्य सरकार इस प्रांत में प्रशासन चलाने में पूर्णतया असफल रही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि उड़ीसा राज्य के बहुत ही शांत रहने वाले जिले फूलबनी में अत्यंत गम्भीर स्थिति व्याप्त है। अनेक विख्यात प्रेस रिपोर्टरों ने फूलबनी में व्याप्त स्थिति का मौके पर जाकर अध्ययन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह उड़ीसा में जनता दल पार्टी के आंतरिक मतभेदों तथा सामूहिक विवादों का परिणाम है। उन्होंने उस नेता का नाम लिया है *-- जो लोगों को उसका रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य को आधार मान लिया है जिसमें यह कहा गया था कि हरिजन भी आदिवासियों का शोषण करते हैं। इससे उपद्रव और अधिक बढ़ गया तथा 13 लोग मारे गये हैं। यह उपद्रव धीरे-धीरे राज्य के अन्य भागों में फैल रहा है। यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है तथा अब भारत-सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जनजातियों के गरीब लोगों-जिन्हें कि आपस में लड़वाया गया है— के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करे तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आयोग को भी उस स्थान पर जल्दी-से जल्दी पहुंच जाना चाहिये और उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल करने हेतु भरसक प्रयास करने चाहियें। इस संबंध में एक जांच भी की जानी चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : हाल ही में, मैं फूलबनी गया था। वहां स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मुझे हैरानी है कि भारत-सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यह सारी स्थिति लगभग एक महीने पहले शुरू हुई थी। रोजाना स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुझे इस संबंध में तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान वहां यह पाया है कि वहां की अधिकतर जनता यहां, विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हैं। मैं, उड़ीसा-सरकार अथवा मुख्य मंत्री, के विरुद्ध अथवा स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित विभिन्न वक्तव्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यदि जनता के मन में इस प्रकार की कोई आशंका है, तो गृह मंत्री को यह पूरा अधिकार है कि वह तथ्यों को जानने के लिये अपनी मशीनरी का उपयोग करे और जानता को यह साफ-साफ बताये कि इस प्रकार के अपराधों के लिये कौन जिम्मेदार

* कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

है। फूलबनी अत्यंत शांत आदिवासी क्षेत्र था और यदि ऐसे आदिवासी-क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह एक महीने से अधिक तक जारी रहती है, तो इससे हरेक को चिन्ता होनी स्वाभाविक है। मैं भी इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता का समर्थन करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय ने अवश्य ही इस मामले की जांच की होगी और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों तथा अन्य एजेंसियो की सेवाओं का उपयोग करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले से हमें बहुत तकलीफ होती है। श्री मृत्युन्जय नायक, संसद सदस्य, उस क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने एक ब्यान दिया है। श्री चन्द्र शेखर की बात से मैं सहमत हूं कि पूरा देश उड़ीसा के इस मामले में चिंतित है। वहां पर हरिजन-आदिवासियों में जो सादियों से सद्भाव था उसमें कमी आई है और तीन महीनों से इस तरह की बात हो रही है। मैं सदन से विनती करना चाहता हूं कि हरिजन-आदिवासियों में इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए और जिस तरीके से हुआ है तो इसमें संसद की भी जिम्मेदारी रहती है क्योंकि इस मामले पर सारा राष्ट्र चिंतित है। मैं आपके जारिए गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वहां पर तुरंत शांति कायम हो और किसी को भी हरिजन-आदिवासियों के बीच अशांति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि उड़ीसा में इस तरह की चीज बंद होनी चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को तुरंत शांति कायम करने हेतु कह सकती है। गृह मंत्री के पास फैक्ट्स नहीं हो तो फैक्ट्स इक्ट्ठा करके सदन को अवगत कराएं और वहां पर शांति व्यवस्था कायम कराएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हरके सदस्य को बोलना जरूरी नहीं है। अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने नापाक इरादों की पूर्ति हेतु इन दो शोबित वर्गों अर्थात आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों को भड़काया है। इसके अतिरिक्त,---*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, जो यहां अपना बचाव करने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे आरोप किन्हीं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी लगायें जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवाजी पटनायक : नहीं, ये सभी बातें समाचार-पत्रों में छपी हैं। राज्य विधान सभा में भी इस बारे में अलग से एक वक्तव्य दिया गया है। उसके बाद, उस जिले की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों अर्थात् जनता दल तथा कांग्रेस-दोनों में से किसी भी पार्टी ने वहां की जनता को शांत करने की कोशिश नहीं की है। मुझे पता नहीं कि क्या वे इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। यह राज्य की कानून एवं व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह आदिवासियों तथा अनुसूचित-जातियों के बीच एक गम्भीर समस्या है। यह समस्या केन्द्र सरकार से भी संबंधित है। अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे इस मामले में कार्यवाही करें; लेकिन वे भी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं।

मैं यही कहना चाहता था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपने बहुत-देरी कर दी।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, आपका निर्देश है और परंपरा भी है कि राज्यों का मसला संसद में न उठाएं परन्तु अनुसूचित जाति और जन-जातियों के मसले सदन में उठते रहे हैं और आज आपने इस मामले को उठाने दिया है। जिस तरह से आदिवासियों और हरिजनों के बीच जो झगड़ा फूलबनी में हुआ है, उसके बारे में रोज़ अखबारों में खबरें आ रही हैं, यह चिंता का विषय है। तेरह लोगों की हत्या हो गई है और राज्य सरकार कुछ कारगर कदम नहीं उठा रही है। वहां पर झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में केन्द्र सरकार केवल दर्शक रहेगी या हस्तक्षेप करेगी, और क्या हस्तक्षेप किया है इस संबंध में गृह-मंत्री ब्यान देकर सदन को अवगत कराएं। कि सरकार क्या कदम उठा रही है? अगर राज्य सरकार इस मामले को निपटाती तो अच्छा होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार देख रही है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में संघर्ष हो रहा है, हत्यायें हो रही हैं। गृह मंत्री इस पर बयान दें।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसका तो कोई अन्त ही नहीं है।

श्री शरत पटनायक : महोदय, मैं केवल एक मिनट का ही समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या नई बात कहने जा रहे हैं?

श्री शरत पटनायक : महोदय, राज्य सरकार ने इस मामले का निपटान राजनैतिक ढंग से किया है। अतः, आपके माध्यम से मेरा गृह मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि कम-से-कम केन्द्र सरकार को तो इस स्थिति से मानवीय ढंग से निबटना चाहिये। उन्हें इस समस्या को हल करना चाहिये क्योंकि राज्य सरकार इस समस्या को हल करने में बिल्कुल विफल रही है।

श्री एस०बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय , माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है तथा हम यह समझते थे कि राज्य सरकार उस क्षेत्र में शांति बहाल कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से इस सारी स्थिति से निबटा गया है तथा कुछ माननीय सदस्यों ने जैसे आरोप लगाये हैं, इस बारे में मुझे सबसे पहले राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी पड़ेगी क्योंकि वही प्राधिकृत रिपोर्ट होगी।

मुझे खुफिया एजेंसियों से भी पूछना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने मुझे इस संबंध में एक अत्यंत संक्षिप्त रिपोर्ट दे भी दी है, परन्तु फिर भी उस क्षेत्र में यह सारी समस्या कैसे शुरू हुई तथा वास्तव में इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करनी पड़ेगी। खुफिया एजेंसियों ने मुझे वास्तव में क्या रिपोर्ट दी है, इस बारे में सभा में कोई रहस्योद्घाटन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

तीसरे, मैं अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति आयोग से विशेष तौर पर यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया वहां जायें तथा इस क्षेत्र के बारे में सरकार को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तत्पचात् हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या किये जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा के ध्यान में तथा सरकार के भी ध्यान में यह बात तत्काल लाना चाहता हूं कि केरल में नारियल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इस राज्य के 35 लाख नारियल-उत्पादकों की स्थिति दयनीय हो गई है एवं वे इस स्थिति से काफी परेशान हैं।

यह जानकारी होते हुए भी कि तिलहनों का लाभ भी नारियल उत्पादकों को उपलब्ध करवाया जायेगा, सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यहां तक कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य भी काफी कम है। इसके परिणामस्वरूप, 35 लाख नारियल उत्पादक तथा उनके परिवार बुरी तरह से परेशान हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि केरल की जनता को जिस तरह की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है।

महोदय एक तरफ तो नारियल की कीमतें गिर गई हैं तथा दूसरी तरफ, उन सभी औद्योगिक उत्पादों की ज़िनके लिए नारियल के तेल को उप-उत्पाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कीमतें बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए साबुन एवं बालों के तेल को ही लीजिए। इससे 1500 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। परन्तु मैं इस अवसर पर कृषि मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मानवीय समस्या की ओर भी ध्यान दें। इसलिए, उन्हें केरल के इस ज्वलंत मुद्दे पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय में कुछ-न-कुछ अवश्य करेंगे, केरल को उक्त स्थिति से बचाने के लिए कुछ कारगर उपाय किये जायेंगे। क्योंकि स्थिति के बारे में मंत्री महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं। **(व्यवधान)**

रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : केरल राज्य के लिए यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। पिछले दस वर्षों से यहां कोई नारियल बोई नहीं है — **(व्यवधान)** यह बहुत गम्भीर समस्या है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। आपको सभा में कुछ अनुशासन कायम करने में मदद करनी चाहिए। मैंने उनका नाम पुकारा है। आप बैठ जाईऐ।

श्री रमेश चेन्नितला : मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसका उत्तर दें। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इस मामले पर केरल के सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं।

अब, आधे घंटे की चर्चा समप्त हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है। कि जो महिला सदस्य अभी हाल ही में निर्वाचित हुई हैं, सभा में उपस्थित हैं और उन्होंने पूछा है कि वह शपथ ले सकती हैं अथवा नहीं। मैं सोचता हूं कि उन्हें शपथ लेने की अनुमति देनी चाहिए यदि वह यहां हैं, तो उन्हें बुलाया जाए और वह शपथ ले सकती हैं।

12.30 म०प०

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्रीमती लवली आनन्द सिंह (वैशाली)

12.32 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1994, जो 23 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 475 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5986/94]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क स्कंध (मुख्य नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1994 और महपत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क सकंध (मुख्य नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1994, जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 350(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5987/94]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 34(अ) जो 27 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) आठवां संशोधन, विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 58(अ) जो 3 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 101(अ) जो 18 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश यात्रा रियायत) तीसरा संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 104 (अ) जो 21 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मेंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (उत्सव अग्रिम) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 103(अ) जो 21 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5988/94]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत चलत जलयान (शीर्षांतर का समनुदेशन)। संशोधन नियम, 1994, जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 159 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5989/94]

मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 6)

पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 7) और नई दिल्ली नगर पालिका

परिषद अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 8)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) 24 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित मणिपुर नगर-पालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5990/94]

(2) 24 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5991/94]

(3) 25 मई, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5992/94]

12.34 म०प०

वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं गर्म मसाले के बारे में वाणिज्य संबंधी विभागीय स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.34 1/2 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री एच०आर० भारद्वाज : क्या विधेयक को वापस लेने में कोई आपति है?

सभा को स्मरण होगा कि यह विधेयक मेरे द्वारा पुरःस्थापित किया गया था और ठीक वही उपबंध दूसरे विधेयक में भी शामिल किए गए हैं जो मैं इस विधेयक के वापस होने के बाद पुरः स्थापित करने वाला हूं और जो इस सभा के नियमों के अन्तर्गत है। नियम 110 के अनुसार, मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए सक्षम हूं। और यह पूर्णतया उचित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित **को वापस लेने की अनुमति** दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपत्ति पढ़ी नहीं और मंत्री जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि कोई भी बिल किसी खास परिस्थिति में वापस लिया जा सकता है और वह भी नियमावली 110 के अन्तर्गत। विधेयक में अन्तर्विष्ट विधान को समाप्त किया जाना है या बाद में विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है, इसका संज्ञान माननीय मंत्री जी ने सदन को पहले दिया ही नहीं। जब से यह सदन प्रारम्भ हुआ है, हम लोग इस बात की मांग करते रहे कि जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की सीटें हैं, उनका डि-लिमिटेशन किया जाये और वह है नहीं। ये राज्य सभा के प्रस्ताव को विदड्रा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पीपल्स रिप्रेज़ेंटेशन एक्ट का बिल है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय मंत्री महोदय ने बिल को विदड्री करने की जो अनुमति चाही

[श्री गुमान मल लोढा]

है इस समय यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव सुधारों से संबंधित दो बिल संसद में विचाराधीन हैं और इसके बीच में इस बिल को जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। उसने विचार विमर्श करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट वापस दी और उसके पश्चात् यह बिल लाया गया। मेरा निवेदन है कि इस बिल को विदड्रो करके और जैसे उन्होंने कारणों में दिया है कि हम चाहते हैं कि इस बिल को विदड्रा करके एक कोप्रिहेन्सिव बिल लाएं आर पी ए 1951 को अमेण्ड करने का। मैं चाहता हूं कि उसमें भी चुनाव सुधारों के बारे में कुछ नहीं है। यह बिल जो विदड्रा करना चाहते हैं जब एक बिल इलेक्टोरल रिफोर्म्स के बारे में बहुत लंबे समय से इस सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और अन्य सारे नेता मांग करते रहे हैं और इसके पश्चात बड़े कष्ट की बात यह है कि पहली बार यह बिल लाए थे जिसमें कहा था कि चुनाव सुधार के खर्चे सरकार देगी, स्टेट फंडिंग होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आप को ही बताना है कि अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से बार-बार बिल लाना और वापस करना, यह इलेक्टोरल रिफोर्म्स के साथ एक प्रकार का धोखा है। एक कंप्रिहेन्सिव बिल लाए जाने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है जिसमें स्टेट फंडिंग भी हो और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हों, कैण्डीडेट्स के बारे में भी हो। जैसे पहले लाया गया था कि डीजल और पेट्रोल सप्लाई किया जाए, स्टेट फंडिंग की जाए इसी प्रकार से जो गोस्वामी कमेटी ने रिकमंड किया था और इसके बारे में एक बिल राज्य सभा में आज भी पेण्डिंग है, उसके सारे प्रोविजन्स को उसमें लाने की बात कहकर केवल दूसरा एक बिल लाने का जो कारण दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कारण दिया है कि हम कांप्रिहेन्सिव बिल ला रहे हैं वह कंप्रिहेन्सिव बिल नहीं ला रहे हैं। वह पहचान पत्र को रोकने के लिए है। वह केवल एक विशेष पार्टी को चुनाव में लड़ने की सुविधा और इस प्रकार से प्रयास करने के लिए लाया जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इलेक्टोरल रिफोर्म्स के बारे में कंप्रिहेन्सिव बिल लाया जाए और जब तक वह न लाया जाए तब तक संयुक्त प्रवर समिति की सारी ऐक्सरसाइज़, उनकी चार दिन की बैठक और लोगों को बुलाकर उन्होंने चुनाव सुधारों के बारे में जो तय किया उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी अनुमति दी जाए और कंप्रिहेन्सिव बिल लाने की जो बात है उसकी अनुमति दी जाए।

श्री मोहन सिंह (देवारिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्ही बातों को दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जरूरत नहीं है बातों को दोहराने की। नयी बात हो तो कहें।

श्री मोहन सिंह (देवारिया) : जरूरत इसलिए है कि इस सदन में यह सरकार चुनाव की प्रक्रिया में बार- बार विधेयक लाती है और फिर उसको वापस लेती है। राज्य सभा ने इस विधेयक को तकरीबन सर्वसम्मति से पास कर दिया था। कुल कुछ घंटे की बात थी यहां से उसको वापस हो जाना था। फिर उसको विदड्रा करने की अनुमति चाह रहे हैं और राज्य सभा में निवेदन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक मुकम्मल विधेयक लाने के बारे में सदन में आश्वासन दे और इसी सत्र में और इस सत्र में संभव न हो तो एक समिति बनाकर आने वाले मानसून सत्र में चुनाव सुधार संशोधन संबंधी विधेयक पेश करें जिससे सरकार के बायदे को पूरा किया जा सके और इस देश की चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं, अगर माननीय सदस्य देखें, यह आर पी ए जो आज की लिस्ट औफ बिजनेस के आइटम 8 पर है, यह बिल्कुल वही बिल है जो मैंने स्वयं 1993 में इस सदन में इंट्रोड्यूस किया था और उसको बोडीली लिफ्ट करके दूसरे बिल में दिया है जो मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इस बिल पर दोनों सदस्यों ने कोई आपत्ति नहीं की है। पूरा बिल उठाकर एक बिल में कंसोलिडेट कर दिया। उसके सारे उपबंधों प्रोविजन्स 110 की क्लाज सी में एक्वेयरली कबर्ड हैं।

[अनुवाद]

इस विधेयक में सभी उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है, इस लिए कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक वापस लेता हूं

12.42 म०प०

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं, प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे राज्य सभा ने 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया था और जिसे 4 मई, 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लेने के लिए इस सभा द्वारा दी जा रही अनुमति से सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान में और संशोधित करने वाले विधेयक, जिसे राज्य सभा ने 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया था और जिसे 4 मई 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस के लेने के लिए इस सभा द्वारा दी जा रही अनुमति से सहमत हो।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, विधि मंत्री जी ने सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं अनुरोध करूंगा सभी पार्टियों के सदस्यों से कि वे इसकी इम्पलीकेशन्स को समझें। पहले जो विधेयक था, जिसे विदड्रा करने की अनुमति मांगी गयी, मेरे साथी

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

गुमान मल लोढा जी और मोहन सिंह जी ने उसका विरोध किया था। उनका विरोध एक प्रकार से इस बात पर बल देने के लिये था कि सरकार चुनाव सुधारों के मामले में एक सर्वांगीण प्रस्ताव लाये। बाई फिक्स एण्ड स्टार्ट यानी एडहॉक तौर पर बिल प्रस्तुत करना, फिर उसे वापस लेना, यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिये। मैं स्वयं समझता हूं कि जो विधेयक पिछले साल, 1993 में तत्कालीन विधि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था वह बहुत गलत था और इसीलिए उसे अब वापस लिया गया है जो उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन अभी जो विधेयक वापस लेने के लिये प्रस्ताव सदन में लाया गया है, वह दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक था। दिनेश गोस्वामी समिति ने जो एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी, उसी के संदर्भ में यह प्रस्ताव है कि विस्तार से देश में डीलिमिटेशन काफी समय से नहीं हुआ, जब नहीं हुआ और आज कुल मिलाकर जितने सदस्य हैं, क्या वे पर्याप्त हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये, इन बातों पर दिनेश गोस्वामी कमेटी ने विचार किया था।

उन्हें इस बात का भी ध्यान आया कि जिस समय 1951 में पहले पहल चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था, एक साधारण लोक सभा की सीट में मतदाताओं की संख्या का ऐवरेज लगभग 7 लाख था, कहीं संख्या कुछ ज्यादा थी, कहीं कम थी और आज भी लोक सभा की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या एक लाख या डेढ़ लाख है। लेकिन आज 1991 की स्थिति यह है कि मतदाताओं की ऐवरेज संख्या 14 लाख हो गयी है, किसी-किसी कांस्टीटूएंसी में 18 लाख मतदाता हैं और कहीं आज भी मतदाताओं की संख्या तीन या चार लाख है इसलिये परिसीमन परम आवश्यक है, ऐसा माना गया। उसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं होना चाहिये, ऐसा दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं 1990 में एक बिल प्रस्तुत किया लेकिन उसमें एक बात थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने यह भी सिफारिश की थी जिस पर लगभग सभी संबंधों की सहमति थी, शायद एक सदस्य उससे सहमत नहीं थे कि हमारे यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं और वर्षों से जो सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिये रिजर्व हैं, भले ही उसके पड़ोस में दूसरी कांस्टीटूएंसी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पौपूलेशन काफी बढ़ गयी हो और रिजर्व सीट पर उनकी संख्या घट गयी हो तो वही सीट रिजर्व रहती आयी, जहां उनकी जनसंख्या बढ़ गयी, वह सीट रिजर्व नहीं हुई। इसे ध्यान में रखते हुये समिति ने सिफारिश की कि रोटेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि दिनेश गोस्वामी के समय यह बिल पास नहीं हुआ बल्कि इसी सरकार के रहते हुये, कुमार मंगलम जी यहां बैठे हुये हैं, वे उस समय विधि मंत्री थे, भारद्वाज जी के पास कोई दूसरा पोर्टफोलियो था और राज्य सभा में, जिस प्रस्ताव को वापस लेने की आज अनुमति ली जा रही है, वह सर्वसम्मति से पारित हुआ था। लेकिन वहां से पारित होकर जब यहां आया, तो हमारे कुछ सदस्यों को आशंका हुई कि इसमें जो रोटेशन का प्रावधान है, उसका असर आज का जो परिसीमन है उस पर क्या होगा और उसके परिणाम-स्वरूप उसके क्या नतीजे निकलेंगे और यहां पर इस बात का आग्रह हुआ उस समय सरकार की ओर से कुमारमंगलम जी ने सभी पार्टियों से सलाह-मशविरा कर के निर्णय किया कि साधारणतः तो हम नहीं करते हैं, वहां से पास होकर आता है और हम यहां पास कर लेते हैं, लेकिन एक प्रकार से हम कसेंशस बनाने के लिए सिलैक्ट कमेटी बना लेते हैं, हमने मान लिया। सिलैक्ट कमेटी बनी और उस सिलैक्ट कमेटी में जब यह मामला आया, तब भी वहां पर इस बात पर एक मत था कि परिसीमन होना चाहिए। उसमें कोई मतभेद नहीं था मतभेद था, तो केवल रोटेशन के बारे में था। सरकार का आग्रह था कि रोटेशन होना चाहिए, लेकिन समिति का मत नहीं बना और सरकार ने अपना आग्रह भी उसमें लिखा कि हम रोटेशन के पक्ष में हैं। हमारे मित्र श्री शाहबुद्दीन साहब की कुछ और आपत्तियां थीं जो उन्होंने डिसैंस्ट नोट में लाई हैं, लेकिन परिसीमन के बारे में कोई मतभेद नहीं था और लगभग एक सर्वसम्मत सुझाव/प्रस्ताव वहां पर रिपोर्ट के रूप में सरकार के सामने आया।

अब यह सरकार क्या कर रही है? सरकार को यह करना चाहिए अगर वास्तव में वह चुनाव सुधार में इंटरेस्टेड है, तो परिसीमन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तुरन्त उसको पास करवाना चाहिए। उसको पास करवा कर, फिर आगे के संविधान संशोधन विधेयक या लोकप्रतिनिधित्व कानून के संशोधन विधेयक के ऊपर जाती। इन्होंने क्या किया है कि इस प्रावधान को जो सिलैक्ट कमेटी ने यहां पर रिपोर्ट दी, जिस पर सहमति है, लेकिन सहमति होते हुए भी क्योंकि उसमें से रोटेशन का प्रावधान निकाल दिया है, उसे उनके पास भेजना पड़ेगा। चूंकि सरकार इसको प्रस्तुत करेगी और वहां भी पास हो जाएगा क्योंकि अधिकांश दल इस बात पर सहमत हैं। रोटेशन पर मतभेद के कारण परिसीमन की प्रक्रिया नहीं रोकनी चाहिए। इसलिए रोटेशन के बारे में आपका जो भी मत हो, परिसीमन का प्रौसैस आगे बढ़ाइए क्योंकि परिसीमन का प्रौसैस भी साल-डेढ़ साल लेता है। परिसीमन आयोग बनता है, उसके बाद बात बनती है। इसलिए पारित करना चाहिए था। उसके बजाय इन्होंने उस परिसीमन प्रावधान को, वह जो संविधान संशोधन विधेयक लाने वाले हैं, आज अभी नहीं लाए हैं, वे जाने वाले हैं और जिसमें इलैक्शन कमीशन के बारे में एक आर्टीकल 324 (ए) जोड़ा जा रहा है, जिस पर सदन एकमत नहीं है, जिस पर पूरी तरह से अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग मत हैं, जो सार्वजनिक तौर पर भी प्रकट किए गए हैं, अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में भी प्रकट किए गए हैं, लेकिन जिस पर एकमत नहीं हैं। तो जिस पर एकमत नहीं हैं, उस विधेयक के साथ इसको जोड़कर इसको भी जियोपर्डाइज करना चाहते हैं, क्यों? अगर वास्तव में हम चुनाव सुधार में इंटरेस्टेड हैं, तो परिसीमन में इंटरस्टेड होना चाहिए और जिस परिसीमन का सारा सदन एकमत है, उसको आप बिदड्रा कर के, इसको आप दूसरे बिल के साथ जोड़ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि वियड्रावल के जो कारण आपने बताए हैं, वह सर्वथा अनुचित है और वह एक प्रकार से जानबूझ कर परिसीमन के प्रौसैस को रोकने का तरीका है। क्योंकि हो सकता है कि आपका वह दूसरा विधेयक पास न हो, यह विधेयक पास होगा। सर्वसम्मति से होगा और जो विधेयक सर्वसम्मति से पास हो सकता है, उसको भी विघड्रा कर के, उस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बनाकर, जिस पर दो मत हैं, जिस पर जिसको जो मत देना होगा वह देंगे। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन इन्हें इस बिल को विघड्रा करने की अनुमति न दे।

जिस प्रकार से यह बिल हमारी सिलैक्ट कमेटी ने रिपोर्ट किया, जिसके अध्यक्ष श्री कुमारमंगलम थे, उस कुमारमंगलम जी की कमेटी की रिपोर्ट ज्यों की त्यों अडाप्ट की जाए बिना मतभेद के बिना विभेद के। यह मेरा अनुरोध है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुसार जनगणना के बाद, सीटों की परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग बना करता था। आपातकाल में जो संविधान संशोधन हुए, उनके अनुसार जो परिसीमन का कार्य, इस शताब्दी के बाद के वर्ष में कर दिया गया। इस बीच जो 1991 की जनगणना है, उसके अनुसार आदिवासी, अनुसूचित जातियों की संख्या में करीब-करीब 3 फीसदी की वृद्धि हुई है और इस सवाल को लेकर इस समिति में बार-बार ये सवाल पैदा हुए कि जो बढ़ी हुई आबादी है उसके अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या में विधान सभा में और लोक सभा में वृद्धि की जानी चाहिए। यह उनका अधिकार है और यह भारत का संविधान कहता है। लेकिन डीलिमिटेशन के प्रोसैस को रोककर भारत सरकार इस पर कुंडली मारकर बैठी थी। इस सदन के शुरू के दौर में ही राज्य सभा ने इस सवाल को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और वह इस सदन के सामने आया। इस सदन को उसी समय पास कर देना था लेकिन कुछ आशंकाओं को लेकर यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया। मई, 1992 में इस सवाल पर प्रवर समिति

[श्री मोहन सिंह]

के सुपुर्द हुआ कि आने वाले मानसून सैशन में आशंकाओं का परिमार्जन करते हुए यह विधेयक पास कर दिया जाएगा। लेकिन आज दो वर्ष बीतने के बाद भी भारत सरकार इसे फिर से वापस लेने जा रही है और इसे एक और विधेयक के साथ जोड़ दिया गया है जिस पर विवाद है, इस सदन में सर्वसम्मति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को इसी रूप में इस सदन में पास किया जाना चाहिए और बाकी जो विधेयक है, जिस पर विवाद है, उसे अलग से लाने की कोशिश होनी चाहिए।

इसलिए में इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस देश के आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए इस सदन से इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति न दी जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक परिसीमन का संबंध है, कोई विवाद नहीं है और सभी लोग इसके पक्ष में हैं। किन्तु प्रश्न है कि यद्यपि राज्य सभा में यह विधेयक स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के साथ स्वीकार किया गया था, इस सभा ने महसूस किया कि इसे पुनः एक प्रवरसमिति को भेजा जाए जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, यदि यह स्वीकृत होता है तो इसका अर्थ होगा कि राज्य सभा को दूसरी बार विचार करना होगा। यदि हम राज्य सभा द्वारा यथास्वीकृत विधेयक में परिवर्तन करते हैं, तो इस विधि पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मंत्री महोदय ने अब जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसे भी राज्य सभा में जाना होगा और जब राज्य सभा प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो विधेयक एक बार फिर इस सभा में वापस आयेगा ताकि इसे वापिस लिया जा सके। इस प्रकार से यह प्रक्रिया लम्बी हो जायेगी। यह प्रश्न प्रक्रिया का नहीं है। मैं इसके सार और इसकी विषय वस्तु की बात कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसी पर आ रहा हूं। अतः इस माननीय सभा द्वारा आज पिछले संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित कर देने से ही यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाएगी। इसे राज्य सभा में भेजना होगा ताकि वह सभा इस पर समुचित रूप से विचार कर सके और इसमें किये गये संशोधनों पर अपनी अनुमति प्रदान कर सके। इसके बाद यह विधेयक महामाहीम राष्ट्रपति जी के पास जा सकता है।

महोदय, मैं इससे हटकर एक बात कहना चाहता हूं। यह सत्र एक विशेष प्रयोजन के लिये बुलाया गया है जिसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सत्र की तिथियां भी मेरे विद्वान मित्र विभिन्न दलों के माननीय नेतागणों द्वारा तय की गई थीं। मुझे यकीन है कि इसी परिसर में जो बैठक हुई थी उसमें वाजपेयी जी भी उपस्थित थे और उसमें यह बताया गया था कि एक नया संविधान (संशोधन) विधेयक जो सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है; यह पास होता है या नहीं यह एक अलग बात है। इसी के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक भी भेजा गया था। अब कतिपय और संशोधन किये गये हैं और वह विधेयक भी पुरः स्थापित नहीं किया गया है। अतः एक संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा जिसमें अन्य प्रावधनों के साथ-साथ परिसीमन के प्रावधानों का उल्लेख भी किया जाएगा और इसके साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक भी विचार के लिये रखा जाएगा। कम से कम ये दोनों विधेयक को उस समय हमारे हाथों में थे यद्यपि औपचारिक रूप से इन विधेयकों को सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका

था। हमने उस दिन जो निर्णय एक मत से लिया था, कम से कम इस पर तो हमें चर्चा करनी चाहिये। और यह चर्चा केवल तभी संभव हो सकती है जबकि इस विधेयक को स्वीकृत कर दिया जाये। अन्यथा, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। अतः उस दिन हम जिस समझौते पर पहुंच पाये थे, वह समझौता क्या था?

महोदय, नियमित बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच यह विशेष सत्र बुलाया गया है। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि इन विधेयकों के प्रस्तुत होने पर, हम अपने-अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त करेंगे, चाहे हमारे विचार इनके गुण दोसों पर कुछ भी क्यों न हों। इसमें बाह्यता की कोई बात नहीं है कि किसी को इससे सहमत होना चाहिये अथवा सहमत नहीं होना चाहिये। इसलिये, कम से कम हमें इस पर चर्चा तो करनी ही चाहिये। वरन् इस सत्र को बुलाने का तमाम प्रयोजन व्यर्थ में चला जाएगा और इन दो विधेयकों पर चर्चा करने के लिये इस सभा का सत्र बुलाने का हमारा प्रयास विफल हो जाएगा और तब हम इनकी तकनीकी बातों पर चर्चा नहीं कर पायेंगे। मेरा यह निवेदन है कि यह ठीक नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिस विधेयक को वह पुरःस्थापित करना चाहते हैं, इसमें उसी तरह के ही प्रावधान शामिल हैं जो कि इस विधेयक में उल्लिखित हैं जिसे वह वापिस लेना चाहते हैं।

मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वह जिस विधेयक को अब वापिस लेना चाहते हैं, उसमें आरक्षण के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र में होंगे। करने की संभावना के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 327 के मामले में प्रावधान करने का उल्लेख है। मंत्री महोदय ने अब जो विधेयक भेजा है, उसमें इस प्रावधान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः यह एक बिल्कुल अलग विधेयक है। अतः इस बात पर भी विचार किया जाना अनिवार्य है कि अब वह जिस नये विधेयक को पुरः स्थापित करना चाहते हैं, वह एक नया संशोधन विधेयक है और इसके प्रावधान बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे कि इसे पहले वाले विधेयक में हैं जिसे यह वापिस लेना चाहते हैं

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता था। लेकिन मेरे साथी श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो भाषण दिया है, उससे मुझे हैरानी हुई है कि क्योंकि माननीय नेताओं ने अपने हिसाब से इस विशेष सत्र को बुलाकर किसी मुद्दे पर विचार करने का निर्णय किया है इसलिये हम उसी मुद्दे पर विचार करने के लिये बाध्य है।

मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि यह विशेष सत्र किस लिये बुलाया गया है। इसमें ऐसी तात्कालिकता की क्या बात थी? मैं नेताओं का पूरा आदर करता हूं। लेकिन संविधान में इतनी आसानी में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। संविधान (संशोधन) विधेयक को इतनी सहजता से नहीं लिया जाना चाहिये। मुझे क्षमा करें कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत सरकार किसी संशोधन का प्रस्ताव करने या संशोधन को वापिस लेने और आदि जैसी बातें करके अपने दृष्टिकोण का परिचय देती है। मैं इन सब बातों में नही जाना चाहता। आज के संसदीय व्यवहार में ऐसी बातें आम होती रही हैं, लेकिन ऐसी बातें उस व्यक्ति के लिये बड़ी अजीब है जो कि ससंदीय प्रक्रिया तथा संसदीय कार्यव्यवहार की मर्यादा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। लेकिन इस सब के अतिरिक्त हम इस स्तर तक पहुंच गये हैं। मुझे और कुछ न कह कर केवल यही कहना है कि यह बात सरकार की विवकहीनता को दर्शाती है। वे विधेयक को पारित भी कर लेते हैं, उसे वापिस भी ले लेते हैं और फिर दूसरा विधेयक भी पुरः स्थापित कर देते हैं।

[श्री चन्द्रशेखर]

एक अन्य बात जिस पर इस सभा में चर्चा होने जा रही है जिसके बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी काफी जोर दे रहे हैं, मेरे विचार से संविधान में संशोधन के नाम पर यह अपमान जनक बात है। किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये ; किसी व्यक्ति को सजा देने के इरादे से संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। संविधान में केवल तभी संशोधन किया जाना चाहिये जबकि सामाजिक परिवर्तन लाने हों अथवा समूची प्रंणाली के कार्यकरण में कतिपय आधारभूत परिवर्तन लाने हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सब कहते हुए खेद हो रहा है। कई अन्य ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके द्वारा सरकार गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति इन मामलों पर कोई भी सजा दे सकती थी।, लेकिन तमाम निष्पक्षता और साहस के साथ तथ्यों का सामना करने की बजाये सरकार ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रही है जोकि समुचित नहीं है, जिसका कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है लेकिन ऐसा सरकार की अनिर्णयकारी स्थिति के कारण किया जा रहा है क्योंकि उन्हें निर्णय न ले पाने की पुरानी बीमारी है और वे अपने आप को कलंक से बचाने के लिये संसद का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्रयोजन के लिये संसद को इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिये। वे लोग जिस विधेयक का प्रस्ताव कर रहे हैं, उस विधेयक पर इस सभा में चर्चा की जाये, इस बात में मुझे कोई बुद्धिमता दिखाई नहीं देती। लेकिन चूंकि अभी यह विधेयक इस सभा के समक्ष नहीं रखा गया है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चहता लेकिन वह सब अनावश्यक था।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपको सरकार के द्वारा और विपक्ष के नेताओं द्वारा एक बात के लिये सलहा दी गई थी ----

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा है कि सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। यहां तक कि राजनैतिक दलों को बोलने के लिए समय देने के लिये भी तिथियां निर्धारित कर ली गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी का सम्मान करते हुए मैं यह कहूंगा कि वह अनिच्छुक थे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि अधिवेशन अभी नहीं बुलाया जाये। अगर हम जुलाई अधिवेशन के लिये रुक जायेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट जायेगा। लेकिन यह कहा गया था कि अधिवेशन बुलाना हमने तय कर लिया है, अब आप तारीखें बताइये कि आपको सूट करती हैं या नहीं? 7-8 तारीखें तय करने का सुझाव आया था। बड़ोदरा में रहते हुए हमारी अनुपस्थिति में जो चाहे फैसला कर लिया जाता। हमने तारीखें तय करने में जरूर हिस्सा बंटाया, लेकिन हम किसी आश्वासन से बंधे हुए नहीं हैं। यह विधेयक अभी वापिस लिया जाना चाहिये और जुलाई अधिवेशन के लिये टाल दिया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रशेखर : नेता विरोधी दल दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। मैंने बिना किसी कारण के उनको गुरु नहीं बनाया था। वह कभी-कभी ठीक बात कहते हैं।

1.00 म०प०

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका शिष्य हूं। मैं अगर हमेशा ठीक बात नहीं करता तो गुरु में जरूर कोई खराबी है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अब भी सरकार से निवेदन करूंगा कि वह संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक ला रही है, उसको न लाये। यह उसकी मर्यादा के अनुरूप होगा, संविधान की मर्यादा के अनुरूप होगा और इस सदन की मर्यादा के अनुरूप होगा।

मेरा निवेदन है कि जो सर्वसम्मति से हो सकता है, उसको कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, यह आपकी गरिमा और गौरव की रक्षा करेगा।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधयेक को यापिस लेने का विरोध करता हूं। संविधान इकहत्तरवां संशोधन विधेयक, 1990 एक अन्य संविधान संशोधन विधेयक के साथ 30 मई 1990 को पुरः स्थापित किया गया था। इसी दिन दूसरा संविधान विधेयक राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया था। इस प्रकार सत्तरवां और इक्कहत्तरवां संशोधन विधेयक तत्कालीन विधिमंत्री श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा एक ही दिन पुरः स्थापित किये गये थे। इसके पीछे दोहरा प्रयोजन यह था कि उस संशोधन में, जिसे सत्तरवें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में तमाम शक्तियों का उल्लेख किया गया था; कि मुख्य निर्वाचन अयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जायेगी जोकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विपक्ष के नेता तथा दूसरे सदन के अध्यक्ष के परामर्श से की जायेगी। उसी दिन लोक सभा में संशोधन प्रस्तुत किया गया था। सत्तरवें संविधान संशोधन विधेयक में चुनाव सुधारों से सम्बंधित दूरगामी परिणाम से निहित थे।

71वां संविधान संशोधन परिसीमन के बारे में है। जैसा कि बताया गया है इसकी काफी प्रतीक्षा की गई। परिसीमन पर विचार करने की प्रक्रिया एक विधेयक के पुरः स्थापन द्वारा 30 मई, 1990 को प्रारम्भ हुई तत्पश्चात् 29 अप्रैल, 1992 को इसे राज्य सभा में पारित किया गया। लेकिन 7 मई, 1992 को इसे लोक सभा में प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति का प्रतिवेदन भी 18 दिसम्बर, 1992 को प्राप्त हो गया। आज स्थिति यह है कि हम संविधान संशोधन पर विचार कर रहे हैं और बयासीवां संविधान संशोधन विधेयक 13 तारीख को पेश किए जाने की मांग की गई थी लेकिन आपके ठोस विनिर्णय के कारण ऐसा नहीं किया जा सका तथा इसमें अयन्त विवदास्पद अनुच्छेद 324-क का उपबंध भी शामिल है जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका आशय चुनाव आयोग, वास्तव में चुनाव आयुक्त का ओहादा कम करने, उसके अधिकारों में कटौती करने और इसे निष्क्रिय बनाने से है और इस प्रकार चुनाव आयोग सरकार के हाथों में एक खिलौना बन कर रह जाएगा। अतः इस तरह की प्रक्रिया होने जा रही है। इस आधार पर मैं इसे वापस लेने का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके वापसी की अनुमति क्यों न दी जाए? यह मुख्य प्रश्न है।

श्री गुमान मल लोढा : मेरा कहना है कि इस विधेयक को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इसे यापस न लिए जाने के पक्ष में कारणों की चर्चा माननीय सदस्य श्री लाल कृष्ण आडयानी पहले ही कर चुके हैं। कारण यह है कि मौसम में आने वाले परिवर्तनों की तरह संविधान संशोधन विधेयक वापस लिया जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। आज सुबह वे कुछ करना प्रारम्भ करते हैं और शाम को इसे वापस ले लेते हैं और पुनः कुछ और पेश कर देते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान संशोधनों को इस तरह हल्के ढंग से लिया जाता है। अब भी यह एक व्यापक संशोधन होने नहीं जा

[श्री गुमान मल लोढा]

रहा है। जो संशोधन अनुच्छेद 342-क के उक्तास्थापन से किया जाना है। जैसे कि कहा गया है यह अत्यन्त विवादास्पद है। ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि समूचा देश इसके विरुद्ध है। यह कोई नहीं चाहता कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को जोकि संविधान के मूल ढांचे में अन्तर्निहित है। जोकि संविधान का मौलिक अभिलक्षण जिसपर समूचा लोकतन्त्र आधारित है। खतरे में डाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में किसी शोध-प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : मेरा निवेदन है कि परिसीमन आयोग के उपबंधों की धारा 81,82,170 और 327, जो इस विधेयक में अन्तर्निहित हैं, को पारित किया जाए। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि इन धाराओं को पारित किया जाना चाहिए। तब विधेयक को वापस लेने का प्रश्न कहां उठता है? इसे वापस लेने की अनुमति देना भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : अध्यक्ष महोदय, इस बहुत सीमित सवाल से कुछ बड़े सवाल भी इसके साथ जोड़ दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल इस पक्ष में है कि चुनाव की प्रक्रिया कानून में सुधार होना चाहिए। जो हमारे अनुभव अब तक के हैं, उसमें निहायत जरूरी हो गया है कि इस कानून में सुधार किया जाना चाहिए और उस सुधार के ऊपर विधिवत चर्चा करके और जहां तक संभव हो एक राय हो कर, अगर इस सदन से जाए, तो अच्छा हो प्रश्न खाली यह है कि सरकार इसको वापिस करके एक और काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहती है। यह बात सही है कि आज यह सदन बिल्कुल विशेष अधिवेशन के रूप में बैठ रहा है और इस पर चाहे किसी को ऐतराज हो, लेकिन सब अन्ततोगत्वा इस पर सहमत हैं, यह सैशन बुलाया गया है केवल चुनाव सुधार के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए।

इसलिए हमारा कहना यह है कि जो बिल सुधार का आना है, जो विधेयक आना है, उसको पेश किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह नहीं कि इतने बड़े प्रश्न जो आज देश में उठ गए हैं, चुनाव महंगे हो रहे हैं, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, चुनाव कोई मनमाने ढंग से रोक दे, जब चाहे उसको कराए, बहुत सारी समस्यायें पैदा हो गई हैं और इसलिए बहुत से बुनियादी सवाल भी इसके अन्दर आ गए हैं। उस पर इस सदन में चुनाव के सुधार के जो विधेयक हैं, वे पेश होने चाहिए और उस पर विधिवत् चर्चा होनी चाहिए और सरकार अगर इसको वापिस लेकर के दूसरा विधेयक लाना चाहती है, तसे उसकी इजाजत मिलनी चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए।

एच०आर० भारद्वाज : महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय सदस्य श्री आडवाणी जी को याद दिलाता हूं कि संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक और संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक संविधान संबंधी दो विधेयक लम्बित पड़े हैं। इनमें से एक विधेयक परिसीमन से संबंधित है और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक है। ये विधेयक दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और लम्बित पड़े हैं। उसके पश्चात् संयुक्त समिति ने सिफारिश की कि परिक्रमण को हटा देना चाहिए इस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई। आप देखेंगे कि इस विधेयक में अन्तर्निहित उपबंध जो मैंने परिकालित किए हैं, संविधान के तिरासीवें संशोधन के बारे में है। वह उपबंध सीटों के पुनसंभायोजन के बारे में है। और परिसीमन की वायदा है जो सरकार ने सभा से किया है। हम संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित परिसीमन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इस मुद्दे पर पीछे हटने की तो कोई बात नहीं है। समिति ने केवल यही सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को परिक्रमित नहीं किया जाएगा। इस पहलू को न तो प्रस्तुत किया गया और नहीं इसकी सिफारिश की गई।

विधेयक की धारा के बारे में जो बहुत सदस्यीय आयोग की सेवा शर्तों के बारे में थी, आप स्मरण करें कि यह सभी की कार्यवाही और प्रेस में दिए गए वक्तव्यों का ही परिणाम हैं जिसमें बहु सदस्यीय आयोग के बारे सभी सदस्यों ने सुझाव किया है और इस सभा तथा दूसरी सभा में इसे एकमत से स्वीकार किया है सेवा शर्तों के बारे में यह अध्ययन किया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि इस विधेयक के बारे में विशेष परामर्श प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। हमने इस मुद्दे पर बार-बार विचार किया है और आप मेरी बात पर गौर करेंगे कि हमने इस बारे में सभी प्रमुख पार्टियों से बातचीत की और उन्हें जहां तक सम्भव हो इस दृष्टिकोण से सन्तुष्ट करने की कोशिश की क्योंकि यह कोई दलगत सवाल नहीं है जिसमें किसी को लक्ष्य बनाया जाए। यह एकदम गलत बात है। मैं इसका पूर जोर से विरोध करता हूं। मेरा विनम्रतापूर्व यह अनुरोध है कि हम इन दो उपायों को एक विधयेक में समाविष्ट करने का प्रयास करें अर्थात यह 83-वां संशोधन है और आप देखेंगे कि सरकार का रवैया उसी दृष्टिकोण के अनुरूप है। हमारा तो अभी भी यही विचार है कि आप इस बारे में अपने बेहतर विचार व्यक्त कर सकते हैं और हम परामर्श प्रक्रिया के रूप में इस पर अभी भी विचार कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रभाव देश में सभी पार्टियों पर पड़ेगा न कि केवल अकेले हमारी पार्टी पर हरेक स्वतंन्त्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है। इसलिए इस मामले में हमें गलत नहीं समझा जाना चाहिए। और इस तरह का आरोप का तो मैं अवश्य विरोध करूंगा क्योंकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपकी विचार धारा और हमारी विचार धारा में एक स्पष्ट अन्तर है। हम इस अन्तर को कम करने का प्रयास कर रहे है। हमने ऐसा किया है। हम कुछ करने में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रस्तावित संशोधन इस बात का घोतक है। यहां तक कि आप इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री व अन्य से भी बात कर सकते हैं कि बेहतर सुझाव क्या है।

इस विधेयक को पुरःस्थापित करना, इसे वापस लेना और इसके पश्चात इसे एक व्यापक विधेयक के रूप में लाने के पीछे हमारा अन्यथा कोई आशय नहीं है। और नियम 110 (ग) कहता है कि इसके अन्तर्गत समग्र विषय या कुछ उपबंध आते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने व्यवहारिक रूप में इसे संवाद की तरह बताया है और मैं भी उसी प्रकार जबाव दे रहा हूं। मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पृथक रूप से पारित क्यों नहीं होने दे रहे हैं। जो वे चुनाव आयोग के मामले में करना चाहते हैं उस पर अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन इस विशेष विधेयक के संबंध में जिस पर कोई मतभेद नहीं है : हम सब एकमत हैं— वे इसे चुनाव आयोग से जोड़कर खतरे में क्यों डाल रहे हैं? चुनाव आयोग के मामले में हम सहमत या असहमत हो सकते हैं या वे हमें मना सकते हैं या हम उन्हें मना सकते हैं। लेकिन इस विशेष मामले में जिस पर सब एकमत हैं, वे इस विधेयक को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इसी बात पर आपत्ति है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : इसे वापस नहीं लिया जा रहा है इसे एक पृथक विधेयक में समाविष्ट किया जा रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : समाविष्ट करने का सवाल तो बाद में आएगा। आपने राज्य सभा से यह सिफारिश करने की अनुमति मांगी है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। इस समय यह विधेयक वापस लिया जा रहा है। आप एक प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सभा से आप यही सिफारिश कर रहे हैं कि वे आपको विधेयक वापस लेने की अनुमति दें ताकि इसे भी इन प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़े। लेकिन मैं आपसे

[लाल कृष्ण आडवाणी]

एक तर्क करना चाहूंगा। हम इसे आज ही पारित कर सकते हैं। यदि आप प्रवर समिति की रिपोर्ट को विचारार्थ विधेयक को पारित कर लिया जाएगा आज पेश करे।

इसे आज ही पारित किया जा सकता है। और चुनाव सुधार की दिशा में कम से कम आप एक चीज एकमत से हासिल कर सकते हैं। आप स्वयं इस अवसर को क्यों छोड़ रहे हो। मैं इस बात को समझना चाहता हूं। आप इस अवसर को क्यों खो रहे हो?

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं कि आपने मुझे पूरी तरह गलत समझा है। ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। कि हम आपसे किसी मुद्दे पर चर्चा न करें। हम आपसे पूरी चर्चा करने के इच्छुक है। कृपया हमारी भावना समझिए समूचे विपक्ष को — प्रमुख राजनीतिक पार्टी को आपके साथ चर्चा करने की हमारी भावना को समझना चाहिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि आप किस तरह का परमर्श चाहते हैं किस तरह का आवंटन या किस तरह की कार्यवाही चाहते हैं। आखिरकार ये मुद्दे-

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा यह मुद्दा नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : श्री आडवाणी जी ने एक सकारात्मक सुझाव दिया है। आप यह प्रस्ताव क्यों नहीं करते कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाए। यह विधेयक दोनों सभाओं द्वारा आज ही पारित हो जाएगा। यह समय एक मिनट का हो सकता है या अधिक, या ज्यों भी हो, यह अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करता है। आपत्ति क्या है? तब आप दूसरा संविधान संशोधन पेश कर सकते हैं क्या इसमें कोई संवैधानिक प्रतिबंध है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : ऐसा कभी नहीं किया जाता कि एक संविधान संशोधन आज और दूसरा संविधान संशोधन कल-इस तरीके से।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यह एक औचित्यपूर्ण तर्क नहीं हो सकता। एक सभा ने विधेयक पारित किया। आपके पास प्रवर समिति थी, आपको प्रवर समिति का प्रतिवेदन भी मिल गया। सभा एक मत है लेकिन विधिमंत्री ऐसा नहीं चाहते, इसलिए सभा को उनसे सहमत होना चाहिए कि उन्हें राज्य सभा के निर्णय को नकारने का अधिकार है, विधिमंत्री को वह विवेकाधिकार है कि वह राज्य सभा के निर्णय को नकारने, प्रवर समिति के निर्णय को नकारने और इस पर दोनों सभाओं के लगे समय को नकारने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि विधि-मंत्री का ही अंतिम फैसला होना चाहिए। सभा मामले पर 30 से 50 प्रतिशत तक सहयोग करने को तैयार है लेकिन वे सभा का सहयोग लेना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वे प्रत्येक हूबहू उनके वक्तव्य को स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक के दो पहलू हैं। एक पहलू सीटों के परिक्रमण से संबंधित है और दूसरा परिसीमन के बारे में है। इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया था और इस सभा की प्रवर समिति के इन बातों में से केवल एक की अर्थात परिसीमन की सिफारिश की थी और यह राय की थी कि परिक्रमण वाले अंश को हटा दिया जाए। क्योंकि यह मामला लम्बित पड़ा है इसलिए इसकी सही प्रक्रिया वही है जो सरकार अपना रही है। और विशेषकर वह भी उस स्थिति में जब संविधान में एक पद उपबंध जोड़ा जाना है। इसलिए वास्तव में सही रास्ता वही है जो अपनाया गया है

आयोग प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित परिसीमन संबंधी उपबंध विधेयक में समाविष्ट करना। जब हम यह तर्क कर रहे हैं कि विधेयक पारित किया जाना चाहिए तो मैं समझता हूं इसमें कुछ भ्रमित राय है। सही रास्ता वही है जो हम अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून राज्य मंत्री द्वारा कही गई एक बात की तरह आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि यह नहीं होता है कि आज एक संविधान संशोधन रखा जाए और कल दूसरा संविधान संशोधन लिया जाए, जबकि इसी हाउस में, 18वीं लोक सभा में यह परिस्थिति आई थी ओर 72वां तथा 73वां संशोधन यहां पर पेश किया गया था। दोनों संशोधन एक ही नेचर के थे, एक पंचायती राज से संबंधित था तथा दूसरा शहरी निकायों से संबंधित था। इस हाउस में एक संशोधन लेकर फिर दूसरा संशोधन लिया गया। इसलिए ऐसी कौन-सी बात है कि आज संविधान संशोधन लाकर कल दूसरा संविधान सशोधन नहीं लाया जा सकता। कौन-सा कानून आपको रोकता है? मुझको लगता है कि कानून राज्य मंत्री ऐसे ही खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, बोलने के आदी हो गए हैं।

श्री महोन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह विधेयक राज्य सभा करीब-करीब सर्व-सम्मति से पास कर चुकी है। हम राज्य सभा से अनुरोध कर रहे हैं कि इसको वापिस ले लें। यदि राज्य सभा ने हमारा अनुरोध नहीं स्वीकारा और विधेयक वापिस नहीं लिया गया तो क्या भारत सरकार इस संबंध में जो संभावित परिचालित विधेयक है, संविधान संशोधन संबंधी, उसको रखने में संवैधानिक तरीके से सक्षम होगी, यह मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह लीगल प्वाइंट है। इसे आप भी समझ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एच०आर० भारद्वाज : यह दोनों प्रावधान अब एक विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं। मैं उनको अब अलग नहीं कर सकता हूं। मैं इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा है, दोनों ही संशोधन अर्थात् इकहत्तरवां संविधान संशोधन और दूसरे संशोधन का इसमें समावेश किया गया है। इसीलिए मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे) : जहां कहीं भी हमने इस विषय पर चर्चा कराई उसमें यही राय बनी कि इस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जो भारत में संभवतः अव्वल नम्बर निर्वाचन क्षेत्र है। जब अगली बार चुनाव होंगे, तब सम्भवतः 20 लाख मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेंगे जबकि हम इस विषय पर एकमत हैं, ऐसी स्थिति में क्या हमें सदन से न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। विधेयक वापस लें। पुनः विधेयक लाएं और बाद में कुछ समस्याओं से दो-चार हों। इसके बजाय, आप आडवाणी जी का सुझाव तुरन्त स्वीकार कर विधेयक को प्रस्तुत कर इसे पास करवाएं, जहां तक दूसरे विधेयक का संबंध है, उस पर हम चर्चा करा सकते हैं। कृपया आप उन निर्वाचन क्षेत्रों के हितार्थ इसमें जल्दी करें जिनकी मतदाता संख्या 20 लाख या इससे अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम श्री भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रख सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम मतदान चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाओं को खाली कर दिया जाए।

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक, जिसे राज्य सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया और 4 मई 1992 को इस सभा के पटल पर प्रस्तुत रखा गया, को वापिस लेने हेतु इस सभा द्वारा प्रदान की जा रही अनुमति से सहमत हो।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में

अ

अकबर पाशा, श्री बी०

अजित सिंह, श्री

अन्तुले, श्री ए० आर०

श्री अयूब खां, श्री

अय्यर, श्रीमणि शंकर

अशोकराज, श्री ए०

अर्स श्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री ई०

अहिरवार, श्री आनन्द

आ

आचार्य श्री बसुदेव (बांकुरा)

इ

इन्द्रजीत, श्री

इम्बालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री

उम्ब्रे, श्री लाईता

ए

ओ

ओडियार, श्री चनैया

क

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामसन, प्रो० एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

कालिया पेरुमल, श्री पी० पी०

कुड्डुमुला, कुमारी पद्म श्री

कृप्पु स्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुमारसामी, श्री पी०

कुरियन, ओ० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

केनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

ख

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

खां, श्री सुखेन्दु

खुर्शीद, श्री सलमान

ग

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलौत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गालिब, श्री गुर चरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरि, श्री सुधीर

गिरियेप्पा, श्री सी०पी०

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गोपालन्, श्रीमती सुशीला

गोमांगो, श्री गिरिधर

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

घाटोवार, श्री पवन सिंह

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी

चार्ल्स, श्री ए०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौरे, श्री बापू हरि

ज

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर

जांगड़े श्री खेलत राम

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जायनल अबेदिन, श्री

जीवरत्नम, श्री आर०

ट

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्रीअंकुशराव

ड

डामौर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एन०

डेका, श्री प्रवीन

डेलकर, श्री मोहन एस०

त

तंगकाबालु, श्री के० वी०

तारा सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित वरण

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थ

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थौरात, श्री संदीपन भगवान

द

दत्त, श्री अमल

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह

दास श्री जितेन्द्र नाथ

दिघे, श्री शरद

दीवान, श्री पवन

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

देवी, श्रीमती विभू कुमारी

न

नंदी, श्री येल्लैया

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री मृत्युंज्य

नारायणन, श्री पी० जी०

निकाम, श्री गोविन्दराव

न्यामगौड, श्री सिद दप्पा भीमप्पा

प

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

पवार, डा० बसंत

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव

पाटील, श्री प्रकाश वी०

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द

पेरूमान, डा०पी० वल्लल

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फारूक, श्री एम० ओ० एच०

ब

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बरार, श्री जगमीत सिंह

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, पलास

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बीरबल, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भरद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव,

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपासिंधु

म

मंडल, श्री सनत कुमार

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लू, डा० आर०

महतो, श्री बीर सिंह

माडे गोडा, श्री जी०

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथुराम

मिर्धा, श्री रामनिवास

मिश्र, श्री रामनिवास

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, श्री भेरूलाल

मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुरलीधरन, श्री के०

मुरूमु, श्री रूप चन्द

मैथ्यू, श्री पाला के०एम०

मोल्लाह, श्री हन्नान

य

यादव, श्री सूर्यनारायण

र

रंगपी, डा० जयन्त

राजरविवर्मा, श्री बी०

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राठवा, श्री एन० जे०

राम अवध, श्री

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री कल्पनाथ

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

राव, श्री जे० घौक्का

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभु लाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री जी० मंगा

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

व

वर्मा, श्री भवानी लाल

वर्मा, कु० विमला

वर्मा, श्री शिव शरण

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी०एस०

विलियम्स, मेजर जनरल आर०जी०

श

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शिंगडा, श्री डी० बी०

शिवप्पा, श्री के० जी०

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

श्रीधरण, डा० आस

स

सईद, श्री पी० एम०

सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी

सिल्वेरा, डा० सी०

सिवारमन, श्री एस०

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, कु० पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सुखराम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

आ

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उ

उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो०

उमराव, श्री ललित

क

कटियार, श्री विनय

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कमोजिया, डा० जी० एल०

कनोडिया, श्री महेश

कमल, श्री श्याम लाल

कालकादास, श्री

काष्वा, श्री राम सिंह

कुसमरिया, श्री रामकृष्ण

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती

कौरी, श्री गया प्रसाद

कोली, श्री गंगा राम

ख

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनुचन्द्र

ग

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि

गौतम, श्रीमती शीला

च

चन्द्रशेखर, श्री

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री रूद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

चौहान, श्री शिवराज सिंह

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जटिया, श्री सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल

जोशी, श्री दाऊ दयाल

ट

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०

ड

डामौर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलादाई)

डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभुम)

त

तेजनारायण सिंह, श्री

तोमर, डा० रमेशचन्द

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

द

दास, श्री द्वारकानाथ

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

ध

धर्ममिक्षम, श्री

धूमल, प्रो० प्रेम

प

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री उत्तम भाई हारजी भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल श्री सोमाभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बालियान, श्री नेरश कुमार

बैरवा, श्री राम नारायण

भ

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मैल्लिकारजुनय्या, श्री एस०

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुण्डा, श्री कड़िया

मूर्ति, श्री एम० वी० बी० एस०

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

य

यादव, श्री विजय कुमार

र

राजनारायण, श्री

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राणा, श्री काशीराम

रामदेव, राम, श्री

राम सिंह, श्री

राव, श्री डा० वेंकटेश्वर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

रेड्डी, श्री जी० मंगा

ल

लालजान वाशा, श्री एस०एम०

लोढा, श्री गुमान मल

व

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, कु० विमला

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

श

शर्मा, श्री जीवन

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

स

साक्षी, जी० डा०

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सुर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुक्तीराम

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि में अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में-218

विपक्ष में-99

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : सर्वश्री जंगबीर सिंह, जय सूर्यप्रकाश रेड्डी कोटला, कार्तिकेश्वर पात्र, लक्ष्मण सिंह, राम शरण यादव, रोशन लाल, मारुति देवराम शेल्के, बापू साहिब थिटे, श्री प्रमोथेस मुखर्जी,

विपक्ष में : श्री बलराज पासी, डा० पी० आर० गंगवार, सर्वश्री अन्ना जोशी, राम नगीना मिश्र, अमरपाल सिंह, वी० धनजय कुमार, योगानन्द सरस्वती, कुंजी लाल, अरविन्द त्रिवेदी और प्रकाश नारायण त्रिपाठी।

1.28 म०प०

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक*

विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री गुमान मल लोढा : (पाली) : मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल हमारे पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी कृपया एक मिनट रुकें। अगर बहुत से सदस्य विधेयक की पुरः स्थापना का विरोध करना चाहते हैं तो क्या हम यह कार्य अभी जारी रखें। मध्याह्न भोजन के उपरांत इसको लें?

---

*दिनांक 13-6-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 में प्रकाशित।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह दस मिनट में ही समाप्त हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : जब बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं तो हम क्या करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों को बोलने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको मैं नहीं रोकूंगा। यह नए विधेयक के प्रस्तुत करने का मामला है, दूसरे को वापिस लिया जा चुका है और उसको अब राज्य सभा को भेजा जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, कानून मंत्री को अभी मध्याह्न भोजन के बाद राज्य सभा में जाना है। ऐसी स्थिति में मध्याह्न भोजन के बाद वह यहां मौजूद नहीं रहेंगे। इस विधेयक को वापस लेने के लिए उन्हें राज्य सभा में उपस्थित रहना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि बहुत से सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं तो मैं उनको इसकी अनुमति दूंगा। मैं सदस्यों को बोलने से नहीं मना करूंगा। यह चाहे संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक का मामला हो या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक का।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी तरफ से कोई सदस्य नहीं बोलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है। चूंकि इसमें समय लगेगा। इसलिए हम इसको बाद में लेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : लेकिन महोदय, मध्याह्न भोजन के बाद मंत्री को राज्य सभा में जाना है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करें।

1.31 म०प०

[अनुवाद]

चीनी की स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, मुझे अभी सभा को सूचित करना है कि चीनी की स्थिति से निपटने में सरकार की असफलता, जिसके कारण ऊंची कीमतों पर भारी मात्रा में चीनी का आयात करना पड़ा, के बारे में मुझे निम्नलिखित सदस्यों से 12 नोटिस प्राप्त हुए हैं :

1. श्री डी० वेंकटेश्वर राव
2. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
3. श्री गुमान मल लोढ़ा
4. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
5. श्री जार्ज फर्नान्डीज

6. श्री मोहन सिंह (देवरिया)

7. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे

8. श्री श्रीकान्त जेना

9. श्री नीतीश कुमार

10. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

11. श्री इन्द्रजीत गुप्त

12. श्री हरि किशोर सिंह

मैं श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को, जिन्होंने बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, निम्न रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। चीनी की स्थिति से निपटने में सरकार की असफलता जिसके कारण ऊंचे दामों पर बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करने को बाध्य होना पड़ा। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह .

सभा से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं सभा से, चीनी की स्थिति से निपटने में सरकार को असफलता, जिसके कारण ऊंचे दामों पर बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करने को बाध्य होना पड़ा, के विषय में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसका विरोध नहीं किया गया है, अतः अनुमति दी जाती है, नियम 61 के तहत, स्थगन प्रस्ताव 4 म०प० पर अथवा उससे पहले लिया जाता है। नियम 62 के तहत ढाई घंटे से कम इसकी चर्चा के लिए नहीं दिया जाता। प्रस्ताव पर 4 म०प० पर चर्चा आरंभ की जाएगी।

सभा 14.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

1.34 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14.30 बजे तक स्थगित हुई।

[अनुवाद]

2.35 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.35 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक जारी

[हिन्दी]

श्री गुमान लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत इस बिल का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल को प्रस्तुत करते समय हमें इसकी विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा कि क्यों चुनाव सुधार के संबंध में यह बिल लाया जा रहा है ..... **(व्यवधान)** .....

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, सदन में विधि मंत्री जी तो हैं नहीं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदन में उनकी उपस्थिति अपेक्षित है। मैंने उन्हें दूसरे सदन में जाने की अनुमति दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री उनकी सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चुनाव सुधार के बारे में हमारी ओर से लगातार 1967 से बारबार यह मांग की गयी है .....**(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापन के समय वैधानिक सक्षमता पर चर्चा की जाएगी उसके अलावा और किसी बात पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : जितनी आप अनुमति देंगे, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : फिर तो पूरी डिस्कशन देनी होगी। लेजिस्लेटिव कम्पीटैंस के अलावा यदि कुछ आपत्तियां हैं तो भी वे दे सकते हैं।

[अनुवाद]

नियम में कहा गया है कि यदि इस पर प्रश्न किया जाता है या यदि यह वैधानिक सक्षमता के आधार पर प्रस्तावित है तो आपको हर एक को अनुमति देनी होगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन इतना अवश्य चाहूंगा कि सदन को इस बात की पूरी जानकारी मिले कि जब चुनाव सुधारों के लिये ही यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया है जबकि 1967 से हम लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं, इस मामले में कई समितियां बनी और अंत में गोस्वामी समिति की रिपोर्ट आयी और दिनेश गोस्वामी जी ने अपनी कमेटी कि रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत, विशाल और जिसे पूर्ण रूप से चुनाव सुधार करने वाला बिल कहा जाये, उसे सदन में प्रस्तुत किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस पर वास्तव में एक नियमित वाद-निवाद बनता जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि हर सांसद को शपथ लेने के पहले कोई गलत शपथ पत्र न देना पड़े कि मैंने केवल इतना खर्चा किया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उबारने के लिये ताकि हमारे सांसद समाज के किसी हास्य के पात्र न बनें, किसी पर्जरी या गलत शपथ पत्र के साथ अपना काम शुरू न करें, उन्होंने स्टेट फंडिंग का प्रावधान किया। स्टेट फडिंग के अंतर्गत जहां फ्री वोटर्स लिस्ट दी जायेगी, वहीं आइडैंटिटी स्लिप भी फ्री मिलेगी और पैट्रोल डीजल मिलने के साथ-साथ मंच पर बोलने की सुविधा भी दी जायेगी।

गोस्वामी जी के बिल में केवल इतना ही नहीं था कि उन्होंने रिप्रेजैंटेशन ऑफ प्यूपल्स एक्ट, 1990 में कुछ संशोधन किये, आज 1994 में हम चल रहे हैं, लेकिन सदन में इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसे सलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया गया। उस समय यह आशा थी कि एक और अधिक प्रभावशाली बिल लाया जायेगा जिससे कि भारत की जनता को चुनाव के मामले में किसी प्रकार की मसल पावर या मनी पावर जैसे भ्रष्ट आचरण को सहन न करना पड़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत 13 तारीख से, जब वह बिल यहां सर्कुलेट किया गया, उसमें यह प्रावधान था कि कम से कम वोटर्स लिस्ट की प्रतियां, आइडैन्टिटी स्लिप्स आदि सभी राजनैतिक पार्टियों को सरकार की ओर से फ्री दी जायेंगी और साथ-साथ डीजल और पैट्रोल भी दिया जायेगा। जब इस प्रकार का प्रावधान उस 1990 के संशोधन बिल में रख गया था, जिसे भारद्वाज जी ने सर्कुलेट किया था, जिस पर गत 13 तारीख को अधिवेशन समाप्त होते समय चर्चा हुई थी, लेकिन आज मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस समय जो बिल इंट्रोडक्शन के लिये लाया जा रहा है, वे प्रावधान उसमें से गायब है। यानी सुधार की जगह हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम एक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जहां पर हमने एक बहुत लम्बे समय के बाद एक छोटा-सा प्रयास किया और उसके बाद आज हाउस से जिस विधेयक की अनुमति मांगी जा रही है, उसमें उन धाराओं को विलोपित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? सुधार के लिए और अधिक कानून लाने की जगह, जो कानून थे, उनको भी लोपित कर दिया गया। इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लोक प्रतिनिधित्व कानून विधेयक की धारा 324 की ओर जिसमें संचालन के लिए आयोग को अधिकार दिए गए हैं, उनके ऊपर एक अंकुश बैठाया जा रहा है, एक महावत बैठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं व्यवस्था के एक प्रश्न पर यह जानना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें इस विधेयक की ही तरह प्रावधान हैं, जो राज्य सभा में 1990 में पुरः स्थापित किया गया था, उसे यहीं से वापस ले लिया गया है क्योंकि इस विधेयक को केवल उस विधेयक को वापस लिए जाने के बाद ही पुर स्थापित किया जाना चाहिए था।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इसे 2.30 बजे मध्याह्न पश्चात् वापस लिया जा रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसे अभी वापस नहीं लिया गया है और उससे पहले उन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी है। क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं हैं ? — **(व्यवधान)** —

अध्यक्ष महोदय : यह एक सही प्रश्न है। मैं देखता हूं कि क्या स्थिति है? मैं देखता हूं कि इसी तरह का विधेयक पहले से ही है या नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, यह यहां मेरे पास है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह उसी तरह का विधेयक नहीं है। जो लाया जा रहा है यह एक नया विधेयक है। इसमें उस विधेयक के कुछ प्रावधान हो सकते हैं जिसे पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या अपने वह विधेयक वापस ले लिया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह उसी तरह का विधेयक नहीं है। इसमें कुछ बातें एक जैसी हैं। लेकिन उससे यह एक जैसा नहीं बन जाता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं उसमें लिखा है :

> "66, कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा ।"

यह प्रश्न मैं पहले विधेयक के बारे में भी उठा रहा था। इस प्रकार का विधेयक राज्य सभा में है उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। वहां पर वह पेंडिंग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 66 इस मामले में लागू नहीं होता। यह बिल्कुल अलग विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

> "67, जब कोई विधेयक सभा में लंबित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापना से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लंबित सूचनाओं की सूची में से, तथास्थिति निकाल दी जाएगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।"

अध्यक्ष महोदय नियम 66 और 67 दोनों को देखें यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो विधेयक राज्य सभा में लंबित है उस पर यहां चर्चा नहीं जो सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 66 लागू नहीं होता है। नियम 66 उस विधेयक पर लागू होता है जो "किसी दूसरे विधेयक" पर निर्भर होता है। जब तक वह "कोई दूसरा विधेयक" पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह अलग मामला है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : ये दो नियम इस सभा में लंबित पड़े हुए विधेयक से संबंधित हैं। उस आपत्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता है।..... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि किसी-न-किसी को इसकी जानकारी एकत्र करनी चाहिए और इस प्रश्न को बाद में स्पष्ट करना चाहिये। हो सकता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास सभी जानकारी न हो। यह जानकारी विधि मंत्री से प्राप्त की जा सकती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, क्या आप विधेयक के लंबित पड़े होने के बारे में जानना चाहते हैं या उसके स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं निवेदन कर रहा था कि यदि वह अभी भी लंबित है तो क्या दूसरा विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है। विधेयक के संबंध में तकनीकी आपत्तियों को तकनीकी ढंग से निपटाया इसे हल करने के लिये हमारे पास नियम हैं। नियम में अभिधारणा है कि यदि इस सभा में विधेयक लंबित है तो लगभग पहले विधेयक के प्रावधानों को समावेश करके या उसी तरह का विधेयक यहां पर पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।..... **(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका निनिर्णय बाद में दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह विधेयक मेरे पास है। इसके अनेक खण्ड एक जैसे हैं। अतः उसी आधार पर जिन पर वे स्वभाविक रूप से उस विधेयक को वापस लेने के इच्छुक थे।..... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : इसमें थोड़ा अन्तर है। यदि राज्य सभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है और यदि वह विधेयक लोक सभा में प्राप्त हो गया है तो केवल उसी स्थिति में उसे वापस लेने के लिए राज्य सभा की अनुमति लिए बिना हम उस विधेयक को वापस नहीं लेंगे। लेकिन यदि वह राज्य सभा में लंबित है तो क्या दूसरे सदन में उसके पारित होने से पहले इस सदन में एक नया विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा। मैं इस पर तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 में कहा गया है :

> "जब कोई विधेयक सभा में लंबित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से, यथास्थिति निकाल दी जाएगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे।"

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस सभा को और माननीय अध्यक्ष महोदय को यह बताएं कि क्या यह नियम उस विधेयक से संबंधित है जो इस सभा में लंबित है या दूसरे सदन में लंबित है। मैं समझता हूं कि यह नियम उन विधेयकों से संबंधित है जो इस सदन में लंबित हैं दूसरे सदन में नहीं। ..... **(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री और श्री बंसल की बात ठीक लगती है। यह नियम उन विधेयकों पर लागू होता है जो इस सदन में लंबित हैं दूसरे सदन में नहीं।..... **(व्यवधान)** .....

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : यदि कोई विधेयक दूसरे सदन में पहले से ही लंबित है तो क्या आप वैसा ही विधेयक यहां पर पुरःस्थापित कर सकते हैं? ..... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब इस तरह की चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ..... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : नियम में कहा गया है कि राज्य सभा में किसी विधेयक के लंबित पड़े होने के कारण लोक सभा में उसी तरह का विधेयक पुरःस्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था कि 13 मई, 1994 को जो बिल सर्कुलेट किया गया था, उसमें चुनाव सुधार के बारे में सरकार की ओर से कई प्रोवीजन रखे गए थे। 1994 का यह बिल जो राज्य सभा में लाया जा रहा है, गोस्वामी जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, उसके लगभग अनुकूल था जिसमें चुनाव खर्चों को कम करने के लिए, सरकार का स्टेट फंडिंग ऑफ इलैक्शन और चुनाव में कम-के-कम भ्रष्टाचार हो, इसके बारे में प्रावधान थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल आज सर्कुलेट किया गया है, उसमें वे सारे प्रोवीज़न्स गायब कर दिए गए हैं और अब जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमें चुनाव सुधार नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें सरकार का अधिकार चुनाव आयोग में किस प्रकार रखा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि हम पहचान पत्र द्वारा सारे देश में चुनाव करवाएंगे, यह प्रावधान रखा गया है कि जब तक केन्द्र सरकार द्वारा क्लीयरैंस न मिले, चुनाव आयोग चुनाव न करवा सकेगा। केन्द्र सरकार की जिस राज्य में सुविधा होगी, वहां वह पहचान पत्र को इंट्रोड्यूस करने देगी और जहां नहीं चलेगी वहां नहीं करने देगी। मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छ जनतंत्र के लिए, फेयर इलैक्शन के लिए जिस ऐग्जीक्यूटिव का इंटरफीयरैंस कम होना चाहिए, उसे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए श्रीमन् इस पर विचार करेंगे कि संविधान की धारा 324 के किसी भी प्रावधान का अधिकार करटेल करने का प्रोवीजन क्या एक साधारण कानून के लिए लाया जा सकता है? संविधान की धारा 324 को बदलने के लिए -- **(व्यवधान)** ---

अध्यक्ष महोदय : यदि वह आ भी गया तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।

श्री गुमान मल लोढा : हम चाहते हैं कि आप ही ओवर-रूल करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वह मैं नहीं कर सकता, कोर्ट करेगी।

श्री गुमान मल लोढा : कोर्ट तो पहले निर्णय दे चुका है। कोर्ट ने पहले इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में भी यह निर्णय दिया कि फ्री एंड फेयर इलैक्शन, हमारा बेसिक फीचर ऑफ कौंसटीट्यूशन है, डैमोक्रेसी हमारा बेसिक फीचर ऑफ कौंसटीट्यूशन है। इस कारण जहां भी फ्री एंड फेयर इलैक्शन के बारे में इंटरफीयरैंस होता है, वहां पर मेरा निवेदन होगा कि ऐसे कानून सदन के सामने लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह कोई शेषन का प्रश्न नहीं है, शेषन तो आते हैं चले जाते हैं, राष्ट्र के जीवन में कई शेषन आएंगे चले जाएंगे लेकिन शेषन के लिए एक सैशन हो और उस सैशन में केवल दबाव डालने के लिए यह कानून रखा जाए कि जहां हम चाहेंगे पहचान पत्र करवाएंगे और जहां नहीं चाहेंगे नहीं करवाएंगे।

[श्री गुमान मल लोढा]

यह संविधान की धारा 14 और 324 के खिलाफ भी है। 324 के खिलाफ कानून के द्वारा अमैंडमेंट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 368 में इस सदन को लिमिटिड पावर्स हैं और एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। केशवानन्द भारती और राजनारायण केस के संबंध में निर्णय दिया जा चुका है और आप भी उसके बारे में जानते हैं। यह सर्वविधित है कि फ्री एंड फेयर इलैक्शन के बेसिस के ऊपर सारे कानून बनने चाहिये। आप इसकी अनुमति देते समय इस पर विचार करें। सारे देश में स्वच्छ चुनाव कराने के लिये जो भूचाल आया है, उसको समाप्त किया जा रहा है। एक विशिष्ट उभरते और आगे बढ़ते हुए दल जिस की तरफ देश की अधिकतर जनता आकृष्ट हो रही है, उसको समाप्त किया जा रहा है। यह संवैधानिक नहीं है। अतः इसको लाने की अनुमति न दी जाये। यदि इलैक्ट्रॉल रिफार्म्स का बिल लाना ही है तो एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लायें। उसमें प्रपोशनल रिप्रैजेंटेशन के अन्दर लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाये और मसल पावर्स को खत्म करने का प्रावधान हो। 1990 से 1994 के बीच इस संबंध में प्रावधान रखने के बाद भी, उनको पारित कराने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। अब इसे वापस लिया जा रहा है। नया किसी प्रकार का विधेयक अगर लाया जाये तो उनमें अधिक चुनाव सुधार संबंधी प्रावधान होने चाहियें। वे संविधान के अनुरूप होने चाहिये। सरकारी अधिनायकवाद चुनाव आयोग पर बने और शेषन के अधिकार को समाप्त किया जाये, इस भावना से विधेयक को नहीं लाना चाहिये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव जी आपको बहुत संक्षेप में और सुसंगत बोलना होगा और केवल इसी मुद्दे पर बोलना होगा कि इसको पुरःस्थापित करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको याद होगा कि आपने पिछले महीने की 10 तारीख को अपने कक्ष में दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां पर उन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। कृपया विषय पर आइए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, संविधान संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक दोनों को पिछले महीने की दस तारीख को पुरःस्थापित करने की सरकार की चेष्टा से आप अवगत हैं, जिन्हें किन्हीं वैध कारणों से पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। सरकार ने यह विधेयक 11 तारीख की सुबह सभी सदस्यों को भेज दिया था। सभा पिछले महीने की तेरह तारीख को स्थगित हो गई थी। सरकार के इन दो विधेयकों को सभा में पुरःस्थापित करने का अपना इरादा कार्य सूची में शामिल नहीं किया था। अतः विपक्षी दलों ने आपत्ति की और सरकार उन विधेयकों को पुरःस्थापित नहीं कर सकी थी। आज सरकार पहले का लोक प्रनिधित्व (संशोधन) विधेयक (1994 का 52) पुरःस्थापित होने से पहले लोकप्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक लेकर आई है। महोदय मैं यहां पर इस लिए आपत्ति कर रहा हूं कि वास्तव में बाद में जब कोई विधेयक लाया जाता है तो यह पहले के प्रस्ताव में सुधार होना चाहिए। वास्तव में मौजूदा (दूसरा संशोधन) विधेयक एक पश्चगामी कदम है क्योंकि इससे पहले संशोधन में सरकार द्वारा चुनावों के लिए धन दिए जाने के संबंध में जो प्रावधान थे उन्हें समाप्त किया गया है और यह दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। एक और तो सत्ताधारी दल जिसके पास सत्ता में रहने के कारण बहुत सारा धन है, वहीं दूसरी ओर अन्य राजनैतिक दलों की दशा ऐसी नहीं है कि वे चुनाव खर्चों को वहन कर सकें समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की कुछ जरूरतों, जैसे माइक्रोफोन या डीजल और पहचान पर्चियों के लिए सहायता देनी चाहिए।

उसमें कुछ मदें और जोड़ी जानी थीं लेकिन सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया है। पिछले संशोधन विधेयक, में, जिसे पहले परिचालित किया गया था, समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि जब उपचुनाव जरूरी हो जाए, तो उम्मीदवारों को, जो गंभीरतापूर्वक चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव न लड़ने से रोका जाए। और कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोका जाए। आपने अपने पिछले संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किया था कि एक उम्मीदवार को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चाहे वह चुनाव लोक सभा के लिए हो, अथवा राज्यों की विधान सभाओं के लिए। परंतु इस दूसरे संशोधन विधेयक में, आपने उम्मीदवारों के लिए इतनी गुंजाइश ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, ये ऐसे विषय हैं, जिन पर आप उस समय चर्चा कर सकते हैं, जब हम विधेयक पर विचार करें अथवा जब हम इस पर खंडवार विचार करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो संशोधन दे सकते हैं..... **(व्यवधान)**

श्री शौभनाद्रीश्वर राव वाड्डेः महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि मुझे इस पर क्यों आपत्ति है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। मैं एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने पिछले प्रस्ताव में कोई विशेष सुधार नहीं किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाएं। जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पूर्ण समावेश है, न कि इस प्रकार एक-एक संशोधन लाकर। ऐसा प्रतीत होता है। कि संशोधनों के संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट सोच नहीं है और न कोई दृष्टिकोण ही है। पिछले विधेयक में उन्होंने प्रावधान किया था कि जो उम्मीदवार लोक सभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, वह देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो सकता है, परंतु बाद में, कुछ कारणों से, उन्होंने उस खंड को विधेयक से वापस ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चुनाव सुधार करने के लिए अपने इरादों में किसी भी तरह से गंभीर अथवा निष्ठावान नहीं है। इसी लिए हम इसे विधेयक का विरोध करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि यह मेरे कर्त्तव्य का परित्याग होगा यदि में इस विधेयक जो कि मेरे अनुसार असंवैधानिक है, खामियां नहीं बताऊंगा। मैं केवल असंवैधानिक प्रावधानों का ही उल्लेख नहीं कर रहा हूं बल्कि ऐसे भी कुछ अन्य विधान हैं जिन्हें इस विधेयक में शामिल किया गया है।

हम सब चुनाव सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम सब चाहते हैं कि यह चुनाव सुधार विधेयक सभा द्वारा पारित किया जाए। परंतु एक प्रावधान है जिसमें संवैधानिक खामी हैं, और यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उसे सरकार तथा सभा के ध्यान में लाऊं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लिखित है कि पैरा 4 —**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया।

श्री ई० अहमद : मैं इस पर नहीं जा रहा हूं महोदय, मैं केवल एक प्रावधान के बारे में बताना चाहता हूं जिसे सरकार ने इस विधेयक में शामिल किया है, जो मैं समझता हूं संविधान की भावना के विपरीत है।

[श्री ई० अहमद]

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) ने संघ को स्वतंत्रता प्रदान की है, जो कि तीन विवेकपूर्ण प्रतिबंधों के अध्यधीन है और वे हैं देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नैतिकता अथवा भद्रता। कोई भी दल जो इन विवेकपूर्ण सांविधानिक प्रतिबंधों के परीक्षण के पक्ष में हों, वह अपना काम करने का अधिकार और देश में ठहरने का अधिकार है। लेकिन यहां, एक प्रावधान जो बनाया गया है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, यह इस स्तर पर आवश्यक नहीं।

3.00 म० प०

श्री ई० अहमद : महोदय, केवल दो मिनट लूंगा। एक दल जो धार्मिक नाम से है, चाहे वह संविधान के अधीन काम कर सकता है, पर प्रतिबंध होगा अथवा उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, परंतु जो दल जातिगत आधार पर बना हुआ है वह चुनाव लड़ सकता है। मैं नहीं समझ सकता कि धर्म में क्या बुराई है। क्या जाति का नाम धर्म से अधिक पवित्र है। एक दल किसी दूसरे नाम से चुनाव लड़ सकता है। किंतु जो दल धार्मिक नाम पर है, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। मैं यह नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों है। यदि धर्म के नाम का कोई दल चुनाव नहीं लड़ सकता या उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी तो क्या जिस उम्मीदवार का नाम धर्म पर है, इस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। हमारे सम्माननीय मित्र नुरूल हसन यहां पर मौजूद हैं। यदि वह चुनाव लड़ें और कहें कि "इस्लाम को वोट दें" तो क्या आप उन पर भी प्रतिबंध लगा देंगे? यह बहुत ही हास्यास्पद प्रस्थापना है जो मेरे विचार से अचेत नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि सरकार इसे ठीक करे। मैं विधेयक के दूसरे प्रावधानों का समर्थन करता हूं, परंतु यह प्रावधान वास्तव में असंवैधानिक और मनमाना है तथा लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया का दुरूपयोग है। आपको केवल नाम ही नहीं है बल्कि दल की गतिविधियां भी देखनी हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आपने इस विधेयक में कहीं भी दल की गतिविधियों की जांच का कोई प्रावधान नहीं रखा है, आपने एक प्रावधान केवल नियम, विनियम, ज्ञापन, नामकरण और नाम देखने के लिए रखा है। अतः उस पर संविधान में अनुच्छेद 19(1) (ग) का प्रभाव पड़ेगा। इसका इस विधान में कोई स्थान नहीं होगा। मैं इससे चिन्तित नहीं हूं क्योंकि मेरी पार्टी मुस्लिम लीग धार्मिक नाम पर नहीं है। मैं इस बात का उल्लेख सामान्य सिद्धांत के मामले के रूप में कर रहा हूं। परंतु यह प्रत्येक दल का और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह चुनाव लड़ें। यदि कोई विरोध है तो हमें राजनीतिक स्तर पर लड़ना है। इसलिए, यह प्रावधान असंवैधानिक और यह संविधान का उल्लंघन होगा। अतः इस विषय पर मैं यह कहूंगा कि इसमें एक विधिक और सांविधिक खामी है। सरकार इस प्रावधान पर पुनः विचार करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्यों के विचार सुन लिए हैं और जब विधेयक विचारार्थ लिया जाएगा जब हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी श्री एच० आर० भारद्वाज की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : वह सभा से अनुमति ले रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या चर्चा का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा था कि मैंने उन मुद्दों को नोट कर लिया है जो माननीय सदस्यों ने बताए हैं और हम उन मुद्दों पर उस समय चर्चा करेंगे जब विधेयक पर विचार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुख्य रूप से विधेयक के गुणावगुणों तथा विभिन्न खंडों पर चर्चा की है। इस लिए मैं नहीं समझता कि हम मुद्दों पर विधेयक के पुरःस्थापन प्रक्रम के समय विचार करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : केवल गुणावगुण की बात नहीं है। इसमें और भी दूसरी बातें हैं। श्री अहमद ने अभी जो कुछ कहा है आपको उसका जवाब देना चाहिए था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस समय उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सब कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है। यहां तक कि वह चर्चा का उत्तर देने तक के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह हास्यास्पद नहीं है। यदि हम आप की इच्छाओं के अनुरूप काम न करें तो यह हास्यास्पद हो जाता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : रिप्लाई तो दो। तय कर रखा है, पास करना है तो करेंगे। आप वोट करवा दीजिए। मेम्बरों का एरिथमैटिक का गेम करवा दीजिए। जवाब दीजिए जो प्वांइटस मेम्बरों ने कहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.05 म०प०

मणिपुर नगरपालिका विधेयक*

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मणिपुर के नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मणिपुर के नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

*दिनांक 13-6-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हर कदम पर ससंद की अवज्ञा करती चली जा रही है। इतना बड़ा अपमान का दृष्टान्त दूसरा कोई नहीं हो सकता है, यह संसद सदन में भी सत्रावसान नहीं हुआ था, केवल कुछ घन्टों के लिए सत्रावसान किया गया अध्यादेश जारी करने के लिए और कुछ घन्टों के लिए सत्रावसान करके तीन अध्यादेश जारी किए गए। हम लोगों को सूचनायें प्राप्त हो चुकी थीं और हम लोगों ने प्रश्न भी दे दिए थे। उसके बावजूद इस तरह सत्रावसान करके और फिर से सदन का आह्वान करना यह संवैधानिक धारा का इससे बड़ा दुरुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। धारा 123 कहता है कि उस समय को छोड़ कर जब संसद के दोनों सदन सभा में हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। ये तीनों ऐसे अध्यादेश नहीं थे जिससे कि सरकार का काम रुकने वाला था । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कांस्टीट्यूशनल रिकवायरमेंट थी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यह तो ठीक है कि कांस्टीट्यूशनल रिकवायरमेंट की जरूरत थी इसीलिये कुछ घंटे के लिये सदन का सत्रावसान किया गया और यह कह कर किया गया कि हमको अध्यादेश लाने हैं। इन अध्यादेशों को लाने की जल्दी क्या थी ? श्रीमन्, 26 तारीख को देश में लोक सभा के उपचुनाव हो रहे थे सरकार को एक मेसेज देना था कि नगरपालिकाओं के संबंध में सरकार ने एक अमेंडमेंट दे दिया है वह पूरे देश में लागू है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जरा मेरी बात को सुनिये। कांस्टीट्यूशन कहता है कि एक पर्टिकुलर डेट के पहले ये सारे कानून पास होने हैं और अगर वे नहीं होंगे तो वह कांस्टीट्यूशनल बीच होगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, ये विधेयक की शक्ल में इस सदन में पेश किये जा सकते थे इसलिये यह सदन का अपमान है। इस तरह अध्यादेश की श्रृंखला के जरिए सरकार को चलाना, शासन को चलाना मैं ऐसा समझता हूं कि संविधान का मजाक है और इसमें इस सरकार ने आपके मंत्रालय को भी और आपके कार्यालय को भी घसीटा। आपकी ओर से इनको निर्देशित किया जाना चाहिये कि इस तरह अंधाधुंध तरीके से अनावश्यक ढंग से अध्यादेश के जरिए यदि सराकर चलायेंगे तो उसकी अनुमति आपकी ओर से नहीं दी जानी चाहिये। जब हमारी तरफ से कोई माननीय सदस्य इस तरह से बोलते हैं तो आप बहुत ही सेंसटिव हो जाते हैं लेकिन यह सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिये श्रीमन्, इनको आपकी तरफ से इस बात की हिदायत देना कि इस तरह की चीजें न हों इस बात की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इनको एक निर्देश दें कि इस तरह ये न करें। ..... **(व्यवधान)** ..... ये लोग इस सदन का सम्मान करने का ढंग सीखें। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल रिकवायरमेंट थी, तो इस बात की जानकारी सरकार को भी होगी और जब यह चर्चा हो रही थी कि इस सत्र को समाप्त नहीं किया जाये, बीच में जारी रखा जाये तो उस समय भी सरकार के ध्यान में यह बात रही होगी लेकिन इन चीजों पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह बजट सत्र इतने लम्बे समय तक चलता रहा, सरकार को यह मालूम था कि संविधान के मुताबिक इनको क्या-क्या जरूरतें पूरी करनी हैं। उस हालत में उसी संसद के चलते सत्र

में विधेयक ला सकते थे और जो संविधान की जरूरत है उसको पूरा कर सकते थे लेकिन जिस प्रकार से सरकार की कार्यवाही चलती है किसी के भी ध्यान में यह बात नहीं थी और आपके संसद के सचिवालय के द्वारा भी यह जारी हो गया कि प्रश्न किस दिन लिये जायेंगे उसकी बेलेटिंग कब होगी, सारी सूचनाएं हो गईं और सदस्यों ने अपने प्रश्न भी दे दिये। उनको दोबारा अपने प्रश्न देने पड़े, इस प्रकार से कई प्रकार की दिक्कतें आईं और अचानक इनके ध्यान में यह आया कि संविधान की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस सत्र का सत्रावसान आवश्यक है इसलिये अंत में जा करके कुछ समय के लिये सत्रावसान किया गया और फिर से संसद सत्र को आहुत किया तो इस प्रकार कई प्रकार की अव्यवस्था पैदा हुई। यहां तक कि आपका कार्यालय और सचिवालय भी इस बात से प्रभावित हुआ है जो सदस्यों को दोबारा काम करना पड़ा है, दोबारा प्रश्न सदस्यों को जमा करने पड़े हैं। ये जो सारी स्थिति पैदा हुई है तो सरकार को इस बात के लिये जरूर हिदायत दी जानी चाहिये और आपकी तरफ से सरकार को फटकार मिलनी चाहिये। हम सभी लोग आपकी फटकार सुनते रहते हैं लेकिन क्या सिर्फ हम ही लोगों के लिये फटकार है। हम लोगों को फटकारने का आपका अधिकार है लेकिन सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करेगी या नहीं करेगी या इस सरकार में सीधे एक मंत्री के द्वारा किसी प्रकार से यह सदन चलाया जा रहा है। संसदीय कार्य विभाग किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, आज संसदीय कार्य मंत्री दूसरी पार्टी की तरफ से बयान दे रहे हैं यहां अदभुत घटनायें घट रही हैं। यह लोगों से बात करते हैं और दूसरी पार्टियों की तरफ से यही बयान दे देते हैं। पूरे देश की तरफ से कुछ भी बोल दें, सरकार की तरफ से कुछ भी बोल दें, इनको यह आजादी है और इस प्रकार से सरकार का काम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर आपकी तरफ से सरकार को फटकार मिलनी चाहिए और इस प्रवृति की निंदा होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल भी इस बात को उठाया गया था, तब गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि मैं सदन को बताऊंगा कि क्या मजबूरी थी, जिससे कि हमको अध्यादेश जारी करना पड़ा, हमको उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था कि बाद में यह स्थिति पैदा होगी। यह कहा गया कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाता, अगर इस प्रकार से न किया जाता, हाउस प्रोरोग न किया जाता, यह कहा था। इस समय गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि अध्यादेश क्यों जारी करना आवश्यक हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है कि इस विषय में एक ऐतिहासिक पत्र-व्यवहार मावलंकर जी और पंडित नेहरू के बीच हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान को छोड़िए, दुनिया में शायद ही किसी देश के संविधान में यह जो संसद का अधिकार है, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका को दिया गया हो।

[अनुवाद]

"अध्यादेश बनाने के संबंध में भारतीय संविधान में विशेष उपबंध है और मेरी जानकारी के अनुसार किसी रूप अन्य लोकतांत्रिक संविधान में ऐसा उपबंध नहीं है।"

[हिन्दी]

इसीलिए जब शुरू-शुरू में इसी प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ, फलाना आर्डीनेंस, फलाना आर्डीनेंस, सब इंट्रोड्यूज हो रहे थे, तब मावलंकर जी ने बहुत नाराज होकर पंडित नेहरू से पत्र व्यवहार किया, उसके कुछ उद्धरण मैं कोट करना चाहता हूं। एक बार मावलंकर जी ने 25 नवंबर 1950 को पंडित नेहरू को लिखा था—

[अनुवाद]

"अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। चाहे कोई अध्यादेश न्यायसंगत है या नहीं, इतने अधिक अध्यादेश जारी करने से मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। जनता यह मानने लगती है कि सरकार अध्यादेशों के सहारे चल रही है। सभा में उपेक्षा की भावना आ जाती है और केन्द्रीय सचिवालय भी लापरवाह हो जाता है।"

[हिन्दी]

जिसका सार यह है कि—

[अनुवाद]

संसद को रबड़ की मोहर बना दिया जाता है।

[हिन्दी]

अब तो इसको करना ही है। लंबा पत्र-व्यवहार हुआ, लेकिन मावलंकर जी ने इस पर बल दिया। न केवल बल दिया, बल्कि अपनी बात को मनवाने के लिए एक बार उन्होंने प्रोरोग करने से इन्कार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं प्रोरोग नहीं करूंगा, क्योंकि आप प्रोरोग करते ही आर्डीनेंस इशू कर देते हैं। तब यह समय था और इस बार अध्यक्ष जी, सरकार ने आप से हाउस प्रोरोग करवाया, कनवेंशन को तोड़ कर हाउस प्रोरोग करवाया। कनवेंशन तो यह है कि प्रोरोग जब साइनाडाई एडजर्न हो जाता है, उसके बाद होता है।

[अनुवाद]

जब सभा एक निश्चित तिथि तक के लिए स्थगित की जाती है, जैसे कि इसे 13 जून को पुनः समवेत होने के लिए 13 मई को स्थगित किया गया था तब इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया था इसलिए इसका सत्रावसान नहीं हो सकता था। कम से कम यही परंपरा रही है। उन्होंने आप पर दबाव डाला। वे आपके पास आएं। यदि आप इसका सत्रावसान नहीं करते हैं तो संविधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए आपने राष्ट्रपति को इसका सत्रावसान करने की सिफारिश की। हम इस संबंध में राष्ट्रपति से मिले और उनसे विरोध प्रकट किया तथा उनसे कहा कि ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। यह पूर्वोदाहरणों के विरुद्ध है।

[हिन्दी]

लेकिन आज जब इसको यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि—

[अनुवाद]

कम-से-कम इस सरकार की भर्त्सना तो की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

क्योंकि अध्यादेश कोई सरकार के निकम्मेपन या असावधानी का इलाज नहीं हो सकता और इसमें बहुत सारे आर्डीनेंस ऐसे हैं, जिनके बारे में सरकार को पूरी जानकारी थी कि 31 मई के पहले-पहले इनको लॉ बन जाना चाहिए, कानून के तौर पर, बिल के तौर पर, विधेयक के तौर पर सदन में लाना चाहिए था, सदन

में इन पर पूरा विचार होना चाहिए था। आप कहते कि अमुक-अमुक विधेयक रह गए हैं, यदि इनको 31मई से पहले पास नहीं किया गया तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। 14-15 को शनि, इतवार की छुट्टी के बाद सदन भी बैठने को तैयार था, लेकिन उस वक्त सरकार के ध्यान में नहीं आया। इस वक्त तो एक टीएन शेषन ही दिमाग पर छाया हुआ था, जिसके कारण यह बात ध्यान में नहीं आई कि कैसे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिए, जिनकी पुष्टि बहुमत के आधार पर होगी, लेकिन इस सदन के संरक्षक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है। मावलंकर जी ने जिस तरह से एक प्रकार का प्रिसीडेंट क्रिएट किया था और वह भी उस समय जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनके आगे साधारणतः कोई बोलता नहीं था।

उन्होंने बहुत बलपूर्वक संसद के अधिकारों की रक्षा करते हुए एडमोनिश किया। एडमोनिशन यहां कहा हुआ शब्द नहीं है। उनको मालूम पड़ा कि तीखा पत्र व्यवहार है। उसके बाद देखा कि सरकार अपने तरीके से चलती है। उन्होंने एक बार हाउस को प्रोरोग करने से इंकार कर दिया। मेरी जानकारी में प्रोरोग न करने की घटना हुई। उसके बाद से आर्डिनेंस की संख्या कम हो गई, इसीलिए हमारी तरफ से आग्रह होगा कि आप इसका ड्यु नोटिस ले। सरकार हमको कन्वींस नहीं कर पाई लेकिन आपको कन्वींस करके बता दे कि ये जितने आर्डिनेंस हैं उनको 13 मई से पहले क्यों नहीं ला सकी? उसके बाद परिस्थिति पैदा क्यों हुई कि वे उनको लाने पड़े। मेरा यह कहना है कि सरकार 13 मई को सो रही थी जबकि छह संसदीय कार्य मंत्री हैं। यह परंपरा रही है कि तीन संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे जिनमें दो एक सदन के और एक उस सदन के होते थे लेकिन आज छह मंत्री हैं और उसके बाद भी ससंदीय कार्य इस तरह से चले? उसका फायदा उठाकर ये अध्यादेश लाए जिसको मावलंकर जी ने इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर बताया। उसका अवलम्बन करके बहुमत के आधार पर उसको पुष्ट करवा लें, मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए इसलिए इस अवसर पर सरकार की कड़ी भर्त्सना परमावश्यक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि संविधान का उल्लंघन करने और प्रक्रिया के समायोजन का मुद्दा हो तो हमें किसे स्वीकार करना चाहिए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसे मानता हूं। इसलिए उन्हें अनुमति देने के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं असफलताओं के बारे में कह रहा हूं। 13 मई से 31 मई के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यह उनका उपेक्षापूर्ण रवैया है। यह उनकी लापरवाही और जानकारी का अभाव है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है। आपने एक प्रश्न बाद में उठा दिया है कि अगर संविधान का कहीं हनन हो रहा है, कहीं अवहेलना हो रही है तो इसको कौन चलायेगा? यह ठीक है कि यहां संविधान का हनन हो रहा है। संविधान की रक्षा करना और उसके प्रावधानों की रक्षा करना प्राथमिकता हो जाता है। इसमें दो राय नहीं कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? यह गंभीर सवाल है जिसको आडवाणी जी ने उठाया कि सरकार सोती रही। हमारी आपत्ति है कि सरकार अगर इस तरह से सोती रही और अपने सोने के कारण और अपनी लापरवाही के कारण लोक सभा की महत्ता को कम कर दे या संविधान की गरिमा

[चन्द्रजीत यादव]

को धटा दे तो यह बहुत अनुचित बात है मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। जब आपने बैठक बुलाई और सरकार के मंत्री शामिल हुए और सदन की भविष्य की तारीख तय हो गई, उस समय सरकार को यह मालूम नहीं था कि यह स्थिति पैदा होने वाली है और हमको यह संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी है। इसमें दो-तीन विभाग हैं, खाली संसदीय विभाग नहीं है बल्कि संबंधित विभाग को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया है। इसलिए सदन को विशेष परिस्थिति में डाला गया कि सदन की परंपरा के विपरीत सदन को प्रोरोग करने के लिए मजबूर किया गया। इसमें राष्ट्रपति जी और आप भी इन्वाल्व हुए और परंपराएं भी टूटीं। यह बहुत गंभीर बात है, इस पर आपको निर्देश करना चाहिए ---- (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आप लोग वहां से मुझे एडवाईस करते जाएंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको हम लोग सलाह देते हैं। हमको क्या मालूम कि यह सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : एक ने नहीं बल्कि दो ने कह दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव : जो लोग सरकार चला रहे हैं तो बुनियादी रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार को कायदे-कानून और संविधान के मुताबिक चलाएं। अगर वह नहीं चलाते हैं तो फिर उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। गृह मंत्री के लिए अच्छा होता है कि पहले एक बयान देते । कम से कम सदन से क्षमा मांग सकते थे कि इसमें यह गलती है, हम उसमें बाधक नहीं होते। लेकिन मर्यादा यह चाहती है कि यह क्षमा मांगे और इतना आश्वासन दें कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इतना आप मर्यादा तो ध्यान में रखते हुए करवायें।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : क्या मैं इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता हूं मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं कि इस सभा की अत्यंत पावन परंपराएं हैं। लेकिब परिस्थितियां ऐसी थीं कि पंजाब से हमें जो जानकारी मिली उसके आधाार पर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में जन पंजाब अधिनियम में संशोधन किया गया था तब वह चंडीगढ़ पर लागू नहीं होता था। इसे संविधान के उपबंधों के अनुरूप बाद में लागू किया जाना था। दिल्ली में भी नई दिल्ली नगर पालिका के चुनाव कभी नहीं कराए गए। पहली बार इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि क्या कोई लोकतांत्रिक ढांचा संभव है या नहीं। अंत में यह निर्णय लिया गया था कि यह संभव नहीं है क्योंकि इससे बहुत-सी समस्याएं पैदा होंगी। इसीलिए इस ऐसे समय में जारी करना पड़ा जब दोनों सदन स्थगित थे। सरकार के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए संविधान के उपबंधों के अनुरूप हमने इसे 31 मई, 1994 से पहले लागू करना चाहते थे। यह अंतिम विकल्प था जिसे अपनाया गया और इसीलिए यह निवेदन किया गया था। मैं संभवतः यह नहीं कह सकता हूं कि इसके बाद ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। यदि मैं ऐसा कहता हूं तो आप यह कहेंगे कि "आपने आश्वासन दिया था कि आप सभा के समक्ष नहीं आएंगे।" अतः यदि अचानक ही ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जो सरकार के नियंत्रण के बाहर है तो हमें कई बार ऐसी बातों को मानना पड़ता है। जहां तक इस घटना का संबंध है कम-से-कम इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमने इस संबंध में पूरी सावधानी बरती है कि हम समय-सीमा के भीतर यह कार्य पूरा कर लें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके थे। वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इससे बचना चाहिए था।

श्री चन्द्रजीत यादव : केन्द्र शासित प्रदेश आपके अधीन हैं। आपको यह पता होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार ने सदस्यों की भावनाओं की ओर ध्यान दिया है। इस प्रकार की उलझनपूर्ण स्थितियों से बचना अच्छा होता है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बहुत सोफ्ट लेंग्वेज में आपने कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कटु शब्दों के साथ भी आप नियंत्रित नहीं होते हैं।

प्रशन यह है :

"कि मणिपुर के नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के मणिपुर नगरपालिका गठन और संगठन के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक बिषयों का उपबंध करने विधेयक। वाले विध ोयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कौल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.24 म०प०

मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एंक व्याख्यात्मक विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं मणिपुर नगरपालिका अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

3.24½ म०प०

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर बिस्तारण) विधेयक*

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*दिनांक 13-6-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

क्या हम इस पर चर्चा करें ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, उसमें समझाना चाहिये कि 10 मैम्बर्स में से 9 आफिशियल्स होंगे या नामिनेटेड होंगे ? बेसिकली इसमें परिवर्तन करना चाहिये।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, 10 मैम्बर्स इलेक्टेड होंगे, 9 नामिनेटेड होंगे। यह लोकतंत्र का कौन-सा माडल चंडीगढ़ में विकसित किया जा रहा है यह ठीक है कि वहां आप आरम्भ कर रहे हैं। लेकिन प्रथम ग्रास मक्षिका पात ऐसा तो नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह सदन को स्वीकार नहीं है और गृह मंत्री इस पर पुनर्विचार करें।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल एक्ट है उसमें 40 और 50 मैम्बर्स रखे हैं लेकिन सरकार ने उसको घटाकर 10 कर दिया और 9 नामिनेटेड कर दिया। यह तो बिलकुल ठीक नहीं है यानि 10 निर्वाचित होंगे और 9 नामिनेटेड होंगे। अगर उसमें 9-9 होंगे तो यह बराबर संख्या रहेगी जो ठीक नहीं होगा। उनको आपने मताधिकार भी दिया है। इतना ही नहीं यदि आप उनको मताधिकार न देते तो ठीक था। यह बिलकुल ही लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है। इसलिये ठीक नहीं है। यह तो उसकी मूल भावना से हटकर है, इसलिये ठीक नहीं है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि पंजाब एक्ट को चंडीगढ़ में एक्सटेंड करने के लिये है और पंजाब में कई म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स हैं जहां की आबादी 5 लाख है और वहां पर 30 पार्षद चुने जाते हैं और जब चंडीगढ़ की आबादी उनसे कहीं ज्यादा है तो वहां के लिये आप 10 चुने हुए और 9 नामिनेटेड मैम्बर्स रख रहे हैं। मान लीजिये कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, उसके एक या दो मैम्बर्स चुने जायेंगे और 9 वह नामिनेट करेगी तो मेयर और डिप्टी मेयर तो उस पार्टी का हो जायेगा। जैसा अटल जी ने कहा कि आप कैसा माडल चंडीगढ़ के लिये विकसित कर रहे हैं? वहां पर भी झुग्गी झोंपड़ी हो गयी हैं तो ऐसा माडल मत रखिये और इसको बदलिये और ठीक करके लाईये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सब स्थानीय शासन के नाम पर हो रहा है।

[अनुवाद]

विशेष रूप से चंडीगढ़ के मामले में यह स्व-शासन के नाम पर किया जा रहा है। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि चंडीगढ़ की कोई विधान सभा नहीं है। चंडीगढ़ बहुत सालों से इस बात के लिये संघर्ष करता आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिये। पहली बार आप कर रहे हैं तब भी उस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी डामिनेटेड है।

[अनुवाद]

श्री चवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, विधेयक पुरःस्थापित करने के बाद मैं एक संशोधन प्रस्तुत

करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर तथा इसके पुरःस्थापन के बाद चर्चा के दौरान उठने वाले मुद्दों पर विचार करेंगे। यह अवसर हमें देना होगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बेसिकली यह कल्पना गलत है। इसका इस प्रकार से इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, क्या मैं स्थिति को स्पष्ट करूं? महोदय, बड़ी कठिनाई से हम पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को राजी कर पाए हैं। यह एक विवादित क्षेत्र है और दोनों ही राज्य सरकारें इस शहर पर किसी-न-किसी प्रकार से दावा करती हैं। वास्तव में, दोनों ही राज्य सरकारों ने चंडीगढ़ को दिए जा रहे स्थानीय निकाय के दर्जे का विरोध किया था। लेकिन मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि स्थानीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि मुझे इसे न्यायसंगत बनाना है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दिल्ली नगर निगम में 60,000 जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि है। यदि इसी अनुपात में चंडीगढ़ में इसे लागू किया जाता है तो यह पूर्णतः सही है। लेकिन मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता। मैं मानता हूं कि उपयुक्त समय पर कुछ संशोधन आवश्यक होंगे। इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : माननीय मंत्री जी ने सिर्फ एम०सी०डी० को कोट किया है और हम पंजाब एक्ट को वहां पर एक्सटेंड कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि 5-6 लाख की आबादी पर 30 इलेक्टेड मैम्बर्स हैं। दूसरी अनोमली कर रहे हैं और आपने अजीब बात की है कि यह डिस्प्युटिड टैरीटरी है। वहां से माननीय सांसद श्री पवन कुमार बंसल आते हैं। वहां से एम०पी० हो सकता है। क्या वोटरों के आधार पर पार्लियामैंटरी कास्टीट्यंसी का आबादी भी पंजाब और हरियाणा के मुकाबले कम है? जब एक एम०पी० रिप्रेजेंट कर सकता है तो म्युनिसिपल कौंसिलर क्यों नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : अनेक बार हमने कहा है कि हम चंडीगढ़ पंजाब को दे रहे हैं। अनेक अवसरों पर माननीय गृह मंत्री ने पंजाब के अपने दौरे के दौरान यह कहा है और यहां तक कि सभा में —

अध्यक्ष महोदय : यह कहां तक सुसंगत है?

श्री जगमीत सिंह बराड़ : मैं केवल उनसे यह पूछना चाहता हूं —

अध्यक्ष महोदय : क्या हम ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं जो इस विषय से संबंधित नहीं है ?

श्री जगमीत सिंह बराड़ : इससे संबंधित एक अन्य प्रश्न भी है कि उस समय यह निर्णय लिया गया था कि यदि इसे पंजाब या हरियाणा को सौंपा जाएगा तो विधान सभा का विस्तार किया जाएगा और ये सीट

[श्री जगमीत सिंह बरार]

पुनः उस राज्य में शामिल कर ली जाएगी जिसको यह दिया जाएगा। राजीव-लोंगोवाल समझौते में क्या कहा गया है? मुझे यह कहते हुए खेद है लेकिन विनम्रतापूर्वक मैं माननीय गृह मंत्री को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्होंने स्वंय अनेक बार इसका आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस०वी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म०प०

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

गृह मंत्री (श्री एस०वी० चव्हाण) : पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

3.33 1/2 म०प०

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद विधेयक*

गृह मंत्री (श्री एस०वी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

[हिन्दी]

श्री वी० एस० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : मेरा निवेदन है कि दिल्ली एक नगर है। एक तरह एम० सी०

---

* दिनांक 13-6-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

जी० है और दूसरी तरफ एन०डी०एम०सी० है। जब एम०सी०डी० के चुनाव हो सकते हैं, वहां के चुने हुए प्रतिनिधि संचालन कर सकते हैं तो एन०डी०एम०सी० को अलग रखते हुए और चुनाव न करवाने का मैं विरोध करता हूं। यह अनडेमोक्रेटिक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव करवाना सबसे अच्छा होता लेकिन आपने जो व्यवस्था की है उसमें अधिकारी 6 होंगे। 5 नौमिनेटेड और एक प्रिजाइड करेगा और जो इलैक्टेड एम०एल०ए० एन०डी०एम०सी० क्षेत्र के हैं वह और दो और इस प्रकार पांच जनता के प्रतिनिधि होंगे। इसमें उल्ट होना चाहिए।

[अनुवाद]

कम-से-कम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष को लागों का प्रतिनिधि होना चाहिये। यहां तक कि चुनाव करवाये जाने से पहले यह एक आदर्श स्थिति होगी। लेकिन विधेयक में इस प्रकार की यह इकतरफा व्यवस्था ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा जैसे चण्डीगढ़ के बारे में जो बातें हमने कही उसको आपने बदलने का आश्वासन दिया, उसी प्रकार से एन०डी०एम०सी० की भी वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहिए। चुनाव करवा सकें तो अच्छा है लेकिन अगर नहीं करवा सकें तो भी इस प्रकार से नौमिनेटेड औफिशियल मेम्बर्स 6 हों और जनता के प्रतिनिधि पांच हो यह प्रपोर्शन बहुत ही गलत है।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इन क्षेत्रों में चुनाव करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर किसी जन-प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया जाता तो उसके पास शक्तियां तो हो जायेंगी लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं। होगी परिषद् जो भी निर्णय लेती है, उसे वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासक की होती है। इसीलिए अध्यक्ष भी जनता में से ही होगा लेकिन वह एक सुविख्यात व्यक्ति होगा जिसे पर्याप्त ज्ञान तथा नगरपालिका प्रशासन का अनुभव होगा। सुविख्यात व्यक्ति के रूप में वह उस समिति का अध्यक्ष होगा। वह पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जिसके पास जिम्मेदारियों के साथ-साथ शक्तियां भी होंगी। मेरे विचार में इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : जो चुने हुए लोग हैं तो नोमिनेट किये जायेंगे, जो विधायक हैं वे तो सदस्य रहें और ब्यूरोक्रिट अध्यक्ष रहें तो यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। इसलिए चुने हुए व्यक्ति को ही अगर अध्यक्ष बनाया जाए जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू न हो तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रजातांत्रिक रहेगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म०प०

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

3.36½ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उन किसानों को जिनकी फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं, राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ओलावृष्टि से भारी क्षति हुई है जिससे सेब और अन्य फलों की फसलें तबाह हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त अनाज की खड़ी फसल भी कई स्थानों पर नष्ट हो गयी है। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे आर्थिक असंतुलन कायम रखने में असमर्थ हैं। अनाज के भाव और अन्य वस्तुओं के भाव भी बहुत चढ़ गये हैं जिससे आम लोग परेशान हैं। मैं इस संबंध में कृषि मंत्री जी को पहले ही अवगत करा चुका हूं। राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि इस क्षति को पूरा कर सकें।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य में एक अध्ययन दल भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाये। अगर यह काम जल्दी न हो सके तो राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाकर नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये आर्थिक सहायता दी जाये।

[अनुवाद]

(दो) मानसिक रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हार्डिक (जोरहाट) : महोदय, भारत में लगभग दस लाख मानसिक रोगी हैं। पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में बहुत-सी राज्य सरकारों को मजबूर होकर उन बेसहारा रोगियों को जेलों में भेजना पड़ता है जहां उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है।

45 मानसिक अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिए बिस्तरों की कुल संख्या 25,000 है जबकि आवश्यकता कम से कम 8,00,000 बिस्तरों की है। अधिकांश मानसिक अस्पताल काफी पुराने हैं जिन्हें रोगियों को कैद रखने की दृष्टि से बनाया गया है तथा वहां रोगियों के उपचार का ध्यान नहीं रखा जाता।

मानसिक रोग का अगर आरंभ में ही पता लग जाये तो इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर इसे लम्बे समय तक चलने दिया जाये, तो इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है।

मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओं के परिदृश्य का अभिन्न अंग है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकारों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए एक समग्र योजना तैयार की जाये ताकि वे देश में मानसिक रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करा सकें।

(तीन) अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में रामघाट रोड स्थित रेल फाटक पर उपरि पुल भूमिगत परिपथ के निर्माण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अलीगढ़ में रामघाट रोड पर रेलवे क्रासिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाला अत्यन्त व्यस्त मार्ग है। रामघाट रेलवे क्रासिंग प्रायः बंद रहने के कारण इस क्रासिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस क्रासिंग पर पैदल मार्ग, उपरिगामी पुल/भूमिगत मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि अलीगढ़ में रामघाट रोड पर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिगामी पुल/भूमिगत मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में विशेषकर बरेली जिले में गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, देश में गन्ना कृषकों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिसका मुख्य कारण यह है कि चीनी मिलों द्वारा कृषकों से पर्याप्त मात्रा में गन्ना तो ले लिया जाता है लेकिन कृषकों को भुगतान काफी विलम्ब से होता है। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन करने में हमेशा अग्रणी रहा है किन्तु राज्य के कृषकों को समय पर चीनी मिलों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। पिछले सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया था कि गन्ना कृषकों का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा किन्तु अभी तक गन्ना कृषकों का भुगतान नहीं हो पाया है। विशेष रूप से बरेली उत्तर प्रदेश में चल रही चीनी मिल, जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है, द्वारा कृषकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है जबकि क्षेत्र के किसानों से कर्जे व सरकारी खर्चे वसूल किये जा रहे हैं। कृषकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बरेली जनपद में चल रही चीनी मिल के उच्चाधिकारियों व राज्य सरकार को शीघ्र आदेश देकर गन्ना कृषकों का भुगतान यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

(पांच) छपरा (बिहार) में कृषि आधारित लघु उद्योग तथा एक भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र छपरा औद्योगिक दृष्टि से बिलकुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसके कारण पढ़े-लिखे नौजवान दूसरे राज्यों में चले जाते हैं जबकि इस क्षेत्र में छोटे और कृषि आधारित उद्योगों की काफी संभावना है। यहां पर कोई भारी उद्योग भी नहीं है जिससे यहां छोटे उद्योग धंधे पनप सकें। यहां पर एक सारण इंजीनियरिंग उद्योग था जो अब बन्द हो चुका है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छपरा में छोटे और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ एक भारी उद्योग जल्द स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18, अर्थात् मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक ले सकते हैं। क्या कोई सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित हो गया है, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि इसे संबंधित स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिये। जब स्थायी समितियों का गठन किया गया था, उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि केवल उन विधेयकों को छोड़कर, जो तकनीकी प्रकृति के हैं, सभी विधेयकों को संबंधित स्थायी समितियों को भेजा जायेगा। एक तरह से यह कर्तव्य अध्यक्ष महोदय को सौंपा गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं इस संबंध में बनाये गये नियमों का उद्धरण दे सकता हूं जो अब प्रक्रिया का एक अंग बन चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विषय के बारे में भी बताऊंगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र के अंत में यह निर्णय किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व विधेयक सहित चुनाव सुधारों से संबंधित विधेयकों पर चर्चा करने के लिए एक सत्र बुलाया जाये या इसी सत्र को ही लगभग तीन या चार दिनों के लिए बढ़ाया जाये। आडवाणी जी ने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि सभी विधेयकों को आवश्यक रूप से संबंधित स्थायी समितियों को भेजा जाना चाहिये। अगर उस प्रक्रिया को यहां अपनाया गया तो मुझे आशंका है कि जो विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं, उन पर भी चर्चा करना संभव नहीं हो पायेगा। हमारी पहले हुए बैठकों के दौरान ही यह सभी को मालूम था कि इस बैठक में इन विधेयकों पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि मंत्रियों को कानून के वास्तविक उपबंधों के बारे में जानकारी अवश्य होगी और उन्हें इस बात का अनुमान अवश्य हो गया होगा कि क्या होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमने इस प्रश्न पर पहले जोर नहीं दिया क्योंकि विधेयकों को स्थायी समितियों को तभी भेजा जा सकता है जब उनका पुरःस्थापना हो। पहले उनको पुरःस्थापित नहीं किया गया था और इसीलिए हमने इस बात पर जोर नहीं दिया। लेकिन में यहां कह सकता हूं कि इसी आधार पर ही स्थायी समितियों का

गठन किया गया था। अब, आप स्थायी समितियों को ऐसे अति/महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मुकुल वासनिक : नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोक सभा के माननीय अध्यक्ष तथा राज्य सभा के माननीय सभापति इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन से विधेयकों को स्थायी समिति को भेजा जाना आवश्यक है। उसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि सभा में जो विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं, उन सभी को स्थायी समिति को भेजा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जब हमने नियमों को बनाया था उस समय मंशा यही थी। सभी विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजा जाना था। केवल तकनीकी विधेयकों को अध्यक्ष द्वारा नहीं भेजा जाना था और इसीलिए यह निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया था कि कोई विधेयक विशेष तकनीकी प्रकार का है या नहीं और उसे स्थायी समिति को भेजा जाये अथवा नहीं। लेकिन अगर कोई विधेयक तकनीकी प्रकृति का नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय उसे स्थायी समिति को भेजने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

अध्यक्ष महोदयः अब हम मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

3.46 म०प०

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित तथा प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित–जारी

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रवर समिति को सौंपा गया था और प्रवर समिति ने सर्वसम्मत रिपोर्ट दी है। उसके बाद ही आप संशोधन लाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर प्रवर समिति बनाने का अर्थ क्या है। उसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होते हैं और सर्वसम्मत रिपोर्ट है इसलिए पहले राज्य सभा द्वारा पारित हुई थी, उसके बाद यहां लाई गई थी। उसके बाद फिर यहां पर सलैक्ट कमेटी बनी और सलैक्ट कमेटी ने उस पर 4-6 दिन बैठकर गंभीर रूप से विचार किया। सभी पक्षों को सुना गया, ऐवीडैंसेस लिए गए, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट के बाद फिर दुबारा सरकार द्वारा उसमें संशोधन लाना, इतना समय भी नहीं है कि संशोधन पर संशोधन दिया जा सके। यदि आप मौखिक रूप से स्वीकार करते हैं तो मैं अपना संशोधन मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि उसके बारे में कुछ शब्द और जोड़े जाएं। — **(व्यवधान)** — फिर हमारी स्थिति क्या होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपकी स्थिति रूल्स के मुताबिक होगी। यह तो पिछले सैशन में आया हुआ बिल है। आप अमैंडमैंट दे सकते हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : वह तो सर्कुलेट होकर हमारे पास आज आए हैं, इसलिए मैंने कहा।

अध्यक्ष महोदय : आज आए हैं तो हम टाइम देंगे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज तीन बजे डिसक्शन का समय था और वह मैंने दे दिए हैं। लेकिन सरकार ने जो अब संशोधन दिया है, उस पर संशोधन देने का समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी यह पूरा नहीं होगा क्योंकि 10-15 मिनट बाकी हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सामान्यतः जो विधेयक सभा में पुरःस्थापित किये जाते हैं, उन्हें समिति को भेजा जाना होता है और यही प्रथा हम अब तक अपनाते रहे हैं। सभी विधेयकों को संबंधित विभागीय स्थायी समितियों को भेजा जाता है। लेकिन इस मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, महोदय, मैं आपकी अनुमति से मौखिक रूप से एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : तात्कालिकता क्या है? इसे परिचालित भी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अनलिस्टेड बिजनस में हो, कुछ सर्कुलेट हो तो मोशन पर हम अमेंडमेंट देंगे, जो भी कहना हो।

[अनुवाद]

आप इस तरीके से कोई प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियमों के निलंबन के लिए प्रस्ताव इस तरीके से पेश किये जाते हैं **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्हें प्रस्ताव कल पेश करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : ये किस बिल के बारे में रूल सस्पैंड करना चाहते हैं। वह कौन-सा बिल है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं अभी बताता हूं कि क्या है। मैं रूल बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, उन्हें औपचारिक सूचना देने दीजिये। हम इस पर विचार करेंगे और अपने संशोधन पेश करेंगे। वह इस प्रकार से खड़े नहीं हो सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : अभी ट्रांसप्लान्टेशन का बिल आ रहा है, उस बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप क्यों घबराते हैं, आराम से बैठिए। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मंत्री जी को दो काम सौंपे गए हैं —* और दूसरा संसदीय कार्यालय का।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज जब सवेरे आपने अपने कमरे में बैठक बुलायी थी, तब यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या प्रस्तावित विधेयक स्टैडिंग कमेटी को जायेगा? आपने स्पष्ट कहा था कि ये दोनों विधेयक स्टैडिंग कमेटी को जाने चाहियें। अब मंत्री महोदय नियम को स्थगित करने का प्रस्ताव लेकर आ गये हैं। क्या वह बहुमत से तय कराना चाहते हैं? क्या इन्हें आपकी अनुमति प्राप्त होगी ?

अध्यक्ष महोदय : किस लिये?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिये स्टैडिंग कमेटी को वाइपास करना चाहते हैं। सभी विधेयक स्टैडिंग कमेटी को जा सकते हैं। स्टैडिंग कमेटी किस लिये बनायी गई है? जिस विधेयक को सरकार जल्दी पास कराना चाहती है, उसको स्टैडिंग कमेटी के पास न भेजे, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें सही स्थिति को समझना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा और जैसाकि मैंने सभा में भी कहा है सही स्थिति यह है— आप सभा में उपस्थित नहीं थे— कि अध्यक्ष महोदय इसे स्थायी समिति को भेजने के लिए कर्तव्यबद्ध है। लेकिन मान लीजिए कि सभा कोई और निर्णय करती है, तो फिर क्या होगा?

श्री अटल बिहारी वायपेयी : 'सभा' से आपका तात्पर्य बहुमत से है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्हें इसका उचित नोटिस देना चाहिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मनमानी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : 'मनमानी' से आपका क्या तात्पर्य है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह हालत पैदा होगी तो हम कहेंगे कि हम माइनॉरिटी में जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी राय भी नहीं ली जायेगी और मनमानी चलेगी तो हम सदन नहीं चलने देंगे। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति को जो कि इतने सालों से सदन की गरिमा के लिये सारी पार्टी को डांटते रहे कि कभी इस प्रकार की बाधा न डालें, उनको यह बात कहने के लिये मजबूर किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने ही मजबूर किया। उन्होंने हर स्थिति में सदन की गरिमा की रक्षा की है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये — **(व्यवधान)** — मेरे कहे बगैर आपकी आवाज बंद नहीं होती है।

श्री नीतीश कुमार : प्रतिरोपण विधेयक की बात चल रही है। बीच में कौन-सा विधेयक लाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मेरा सवाल है कि नेताओं के बीच इस पर चर्चा हुई थी और मैं यह समझता हूं कि सब कुछ उचित दिशा में ही चल रहा है। माहौल को गर्म नहीं करना चाहिये। नेताओं को आपस में चर्चा करनी चाहिये। हर चीज उचित तरीके से हो जायेगी। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेताओं के बीच चर्चा होनी चाहिये। हम ऐसा करेंगे। चूंकि यह चुनाव सुधार विधेयक है, इसलिये यही बेहतर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास में लिया जाये और हर चीज सहमति और समझौते के साथ की जाये। हमें इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिये कि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करे। हमें आपस में बात करनी चाहिये और केवल तभी निर्णय लेने चाहियें।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, कितना अत्याचार हो रहा है, यह सब देख लीजिये। आपने इस बात का स्पष्टीकरण किया :

"अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह मामले को स्थायी समिति को भेजे"।

इसके ऊपर माननीय वाजपेयी जी ने पूछा कि रैफर करने का किस को अधिकार है? आपने कहा सदन को अधिकार है। उन्होंने पूछा कि बहुमत से अधिकार है तो आपने कहा हां, बहुमत से अधिकार है। इसके ऊपर यह बोलने लगे कि बहुमत की मनमानी नहीं चलेगी। मैंने यह कहा कि बहुमत का मतलब मनमानी नहीं होता है। इसके ऊपर वाजपेयी जी नाराज हो गये।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी कभी नाराज नहीं होते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता है। मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता है और इसके ऊपर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। वाजपेयी जी और आडवाणी जी इस पर नाराज हो रहे हैं। वे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कि गलत हो। सदन में हमारा बहुमत है तो सदन का आदर करना, पार्लियामैंटरी प्रोसीजर — **(व्यवधान)** बहुमत का अर्थ मनमानी बिल्कुल नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, यह मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुमत का जो अर्थ है, वह सब अच्छी तरह से समझते हैं और बहुमत का अर्थ मनमानी लगाना बिल्कुल गलत है। — **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात पर उचित ढंग से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम परटर्ब्ड हैं। एक विधेयक पर आपने चर्चा प्रारम्भ की । श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय कुछ एतराज कर रहे थे कि अचानक इसमें नई बात आ गई —

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार बोलते हैं, ऐसा थोड़ा सब लोग कह रहे हैं कि अन्दर-अन्दर वह बोलते रहते हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें यह तो समझना ही चाहिये कि यहां पर फिर सभी सदस्य इस तथ्य को जानते हैं कि चुनाव सुधार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की बात को सुनने की मुद्रा में है और इस पर विचार कर उचित निर्णय लेना चाहता है। अतः हमें एकदम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिये कि कोई ऐसी बात हो जायेगी जिसे नहीं किया जाना चाहिये —**(व्यवधान)**

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर ट्रांसप्लाण्ट हो गया और हमको 4 बजे से एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा चलानी है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है, उस पर मुझे संशोधन रखना है। वह आज ही मिले तो फिर उसकी अनुमति दी जाय आखिर उसका क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : आप उसके ऊपर बोलिये। फिर बाद में आप संशोधन के लिए टाइम मांगिएगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : नहीं, सरकार की ओर से संशोधन मूव होगा, तभी तो मैं उसके ऊपर संशोधन रखूंगा, चूंकि मैंने एमेंडमेंट पर एमेंडमेंट दिया है, इसलिए पहले उसको प्रायरटी मिलनी चाहिए और वह रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह प्रोपर स्टेज स्टेज पर आयेगा। क्लाज बाइ क्लाज की स्टेज पर वह आ जायेगा। आपको उसके ऊपर कुछ बोलना है तो बोलिये न।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : जैसा कि मैंने निवेदन किया था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसको पारित करवाने में हम सब की रुचि है लेकिन जिस ढंग से सरकार इसको ला रही है और जिस ढंग से सरकार जल्दबाजी में नये-नये संशोधन लाकर हड़बड़ाहट में इस बिल को पास करवाना चाहती है, वह ठीक नहीं है। चिकित्सकों से भी इस बारे में बहुत परामर्श हुआ है, इसके बारे में जो विभिन्न विशेषज्ञ हैं, उनकी भी इसमें राय ली गई है और उनका भी मत है कि सरकार इसको जल्दाबाजी में पारित करवाना चाहती है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जल्दबाजी में इसको पारित करवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रवर समिति सर्वसम्मति से स्वीकार कर चुकी थी, उस प्रवर समिति की स्वीकृति के बाद भी, प्रवर समिति ने जिस क्लाज के ऊपर सर्वसम्मति से अपना निर्णय लिया, उस क्लाज के ऊपर पूरा विचार हुआ और विचार

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

होने के बाद निर्णय हुआ कि नहीं, इस क्लाज को रखा जाना चाहिए लेकिन फिर से गवर्नमेंट उसके ऊपर संशोधन ला रही है।

मेरा निवेदन है कि यह प्रक्रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी प्रकार से और भी हो सकता है कि सरकार कल फिर और किसी प्रकार का संशोधन लाने के लिए उपयुक्त हो जाय और एक संशोधन लाकर प्रस्तुत कर दे। इसलिए मैं एक इसमें निवेदन करना चाहता हूं

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार की तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हम लोगों ने महीनों का समय, सालों का समय दिया है, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे से विचार-विमर्श किया है, बातचीत की है, अध्यक्ष जी के चैम्बर में अलग से बात की है और बात करके सब लोगों की आम सहमति बनाकर एक बिल लाने का प्रयास किया गया है लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी उसमें ..... **(व्यवधान)** ..... आप मेरी बात तो सुनते नहीं हैं, आप लोग अपनी-अपनी बात कहते हैं। हम लोग अपनी तरफ से आम सहमति का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस आम सहमति को बनाने में बहुत समय लगता है, उसमें कोई जल्दाबाजी नहीं है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह फिर ट्रांसप्लाण्ट हो गया। यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या हम प्रक्रिया संबंधी मामले पर चर्चा कर रहे हैं अथवा मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं? मैं इसके बारे में नहीं जानता। महोदय, हम कौन से विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आपका दृष्टिकोण है, आप वहीं करें जो आप करना चाहते हैं। इसके बारे में क्या जल्दी है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर विचार करने के बाद।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : गवर्नमेंट हड़बड़ाहट में इसको पास करना चाहती है। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और मेरी बात का उत्तर देने के लिए तैयार हो गये। आपने पूरी बात नहीं सुनी और मेरी बात का उत्तर देने के लिए तैयार हो गये, इससे ही सिद्ध होता है कि सरकार कितनी हड़बड़ाहट में है। वह जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह मनमानी में करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, वह तनाव की स्थिति में हैं, कृपया उन्हें कहें कि काफी का एक प्याला पीयें और शान्त हो जायें।

4.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री नीतीश कुमार को भी काफी का एक प्याला पीने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन इसमें चीनी नहीं होनी चाहिये।

4.1/2 म०प०

स्थगन प्रस्ताव

चीनी की स्थिति

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू

"कि अब यह सभा स्थगित हो ।"

कार्य स्थगन प्रस्ताव को जो मजूरी दी गई है, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है, जब देश के अन्दर कोई बड़ी चीज हो जाती है और कोई विषम परिस्थिति हो जाती है। इस स्थिति में लोक सभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। यह जो विषम परिस्थिति पैदा हुई है, यह चीनी के सवाल को लेकर हुई है। आज पूरे देश में चीनी का भाव इतना तेज हो गया है कि पूरे देश का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह ऐसे समय में हुआ, जब देश में हर जगह शादी-ब्याह का समय था, जिसको हम देहात में लग्न कहते हैं। उस स्थिति में चीनी आवश्यक थी, गरीब और अमीर के लिए। कम या ज्यादा, वैसे तो चीनी हर घर के लिए आवश्यक है। चाय का इतना प्रचार हो गया है कि हर घर में इसकी आदत-सी पड़ गई है। वैसे भी हर समय के लिए चीनी बहुत आवश्यक है। आज चीनी का भाव पूरे देश में 18 से 20 रुपए प्रति किलो हो गया है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। इसका सरकार को जवाब देना होगा, कारण क्या है? सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही और देश के अन्दर विषय परिस्थिति पैदा हो गई और लाखों करोड़ों रुपया चीनी पर गरीबों का कट गया। कारण क्या है, वह आप बतायें? इससे पहले मैं कुछ बातें आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

इसी सदन में नई आर्थिक नीति आई थी। सरकार की तरफ से कुछ सफाई दी गई थी, तब भी उसका विरोध किया गया था। सरकार ने कहा था कि यह एक ऐसी नीति है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी और मंहगाई पर काबू पाएगी। आप देख सकते हैं, उस वक्त विरोध करने वाले जो लोग थे, उनका विचार सही था या सरकार ने जो तर्क दिए थे, वे सही थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मंहगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीनी के ही दाम नहीं, बल्कि हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार उसको काबू पाने में असफल है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के फूड मिनिस्टर को इसकी जानकारी नहीं थी? 1993 में यह जानकारी हो गई थी कि आने वाले महीनों में चीनी की बेहद कमी आएगी। 1994 में चीनी के दाम तेजी से बढ़ने लगे, उस वक्त भी सरकार चुप बैठी रही और टस से मस नहीं हुई। व्यापारियों ने भी सोचा कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है और उसका नतीजा यह हुआ कि आज चीनी की कीमत 20 रुपए हो गई।

इसके बाद 18 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एस टी सी और एम एम टी सी के आदेश दिया गया कि शीघ्र आयात किया जाए। प्रधान मंत्री जी की मीटिंग के बाद कदम उठता,

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

तो हम समझते कि इस पर काबू पा सकते थे। और जनता को बचा सकते थे। जब चीनी के भाव काफी तेज आ गए तो एस टी सी के अधिकारियों ने इन्सैंटिव लिया, लेकिन कल्पनाथ राय जी ने उसको रोक दिया। यह इस बात का सबूत है और देहात में बहुत जोरों से प्रचार है कि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चीनी का दाम बढ़ा है और करोड़ों रुपये चीनी से सरकार को फायदा हुआ है। मैं पहले यह गलत समझता था कि कैसे कोई रातभर में करोड़पति हो जाता है, लेकिन अब इसको देख कर मुझे लगता है कि वाकई में एक ही रात में करोड़पति हो जाता है। इसमें तो तबाही ही नजर आती है और इसमें गोल-माल जरूर हुआ है। अगर गोलमाल नहीं होता, तो संसद में सवाल नहीं उठता। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी के बाद कामर्स मिनिस्ट्री ने कोई ध्यान नहीं दिया और दो महीने चार दिन, यानि 9 अप्रैल से 13 मई, तक, चुप बैठे रहे। इसी वजह से देश तबाह हो गया। इसमें कैबिनेट सैक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने बाद एफ सी आई से कहा कि आयात के लिए कहा जाए, लेकिन कामर्स मिनिस्ट्री ने इसको रोक दिया। इसका सबूत यह है कि चीनी का इतना तेज भाव सरकार की जानकारी में हुआ है और सरकार ने पूरे देश की जनता के सामने विषम परिस्थिति में ला दिया है कम-से-कम सरकार को लज्जा आनी चाहिए कि सरकार के इस तरह के काम से देश की जनता में आज विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। तीसरी बात यह है कि हर राज्य में कितना उत्पादन होता है, सरकार को इस बात की जानकारी है और चीनी का उत्पादन घटता जा रहा है। इस स्थिति में चीनी का आयात समय पर किया होता, तो व्यापारी लोगों ने चीनी से जो लूट की है, वह न होती। आपके पास डाटा है, बिहार के अन्दर चीनी मिलें फर्स्ट नम्बर पर थीं, लेकिन आज काफी चीनी मिलें रुग्न हालत में बन्द हैं। और चीनी मिलें भी बंद होती जा रही हैं और चीनी का उत्पादन भी कम होता जा रहा है। एक बात यह भी है कि ईख जो मिलों में दी जाती है, उसका पैसा भी किसानों को नहीं मिलता है। पैसा समय पर नहीं मिलने से किसान को परेशानी होने लगी और वह उत्पादन कम करने लगा। इस बात की भी सरकार को जानकारी है कि गुड़ और खान्डसारी का भी उत्पादन होता है, इस वजह से भी चीनी का उत्पादन कम हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार को इस बात के लिए कम-से-कम सदन में मानना चाहिए कि हम से गलती हुई है। सरकार बार-बार गलत तर्क देती है, कुछ तर्क ऐसे देती है जिससे दिमाग घूम जाता है। हम यह पूछते हैं, सरकार का दायित्व क्या है? सरकार बनती है, जनता की सुख सुविधा के लिए, न कि जनता को लूटने के लिए। यह सरकार जनता की सुख सुविधा पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यह कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को कैसे हल किया जाए, यह आप बता सकते हैं या सरकार बता सकती है, लेकिन सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। हम आपसे यह कहेंगे कि हम जो यह कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं यह सरकार की खामियों को इस सदन में बताने के लिए लाए हैं। सरकार की खामियों को लाकर, सरकार की निर्लज्जता को दिखलाकर कि यह सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार यह कहती है कि हम ही सबसे सक्षम हैं और हम ही देश को चला सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह देश को चलाने लायक सरकार है या नहीं, यही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अब यह सभा स्थगित हो।"

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जिस काम रोको प्रस्ताव पर हमारे मित्र ने चर्चा आरम्भ की है वह केवल एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है। चीनी के आयात में जो विलम्ब हुआ और जिस विलम्ब के कारण चीनी के दाम अनाप-शनप बढ़े उसको केवल खाद्य मंत्रालय ने अपने कार्य-क्षेत्र में नहीं रखा, उसके साथ वाणिज्य मंत्रालय जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का सचिवालय भी इस मामले में सक्रिय था, केबिनेट सेक्रेट्री की भी भूमिका है लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि केवल खाद्य मंत्री उपस्थित हैं। इतना गंभीर विषय है और इसका जनजीवन पर इतना व्यापक प्रभाव है कि सरकार को इस मामले में अपनी पूरी सफाई देनी चाहिये और यह काम केवल प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, खाद्य मंत्री पर तो स्वयं आरोप है।

महोदय, अब केबिनेट सेक्रेट्री की भूमिका की चर्चा होगी इसका कौन उत्तर देगा ? प्रधानमंत्री के सचिवालय से जो समय-समय पर निर्देश दिये गये या फैसला दिया गया उनकी सफाई कहां से प्राप्त होगी? यह काम हमारे मित्र श्री कल्पनाथ राय नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर इस काम-रोको प्रस्ताव के साथ न्याय करना है तो प्रधानमंत्री जी को सदन में होना चाहिये। जैसे मैंने कहा कि मामला केवल एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है। देश में गन्ने की पैदावार कम होगी, चीनी कम बनेगी इसका अनुमान था लेकिन उसके अुनसार चीनी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिये, चाहे वह सार्वजनिक खुले बाजार में हो या पीडीएस की तरफ से जो चीनी दी जाती है उसमें हो, इसका सही आकलन क्यों नहीं हुआ? पहले से पता था कि गन्ने का उत्पादन कम है लेकिन समय पर कदम नहीं उठाये गये। जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं वे न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि वे मन में संदेह भी पैदा करने वाले हैं। दुर्भाग्य से देश का वातावरण ऐसा है कि हर चीज में घोटाला दिखाई देता है और इसलिये पारदर्शी प्रामाणिकता की जरूरत है। इस सदन के सामने सारे तथ्यों को रखने की आवश्यकता है? लेकिन यह नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी को खाद्य मंत्री ने मंत्रिमंडल को एक नोट भेजा, जिसमें कहा गया कि 10 लाख टन की चीनी की कमी हो सकती है, इस पर कब कार्यवाही हुई। 6-7 हफ्ते तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या यह दिखाई नहीं दे रहा कि चीनी की कमी हो जायेगी? चीनी के बढ़ते हुए दाम एक चेतावनी थे और जब त्यौहार के महीने के बाद भी चीनी के दामों में क्रमी नहीं हुई तो वह खतरे की घंटी थी त्यौहार के दिनों में खुले बाजार में चीनी का दाम थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर लौट कर अपनी स्थिति पर आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। यह खतरे की घंटी थी। इसके अनुसार तत्काल चीनी आयात का प्रबंध होना चाहिए था। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 6-7 हफ्ते कोई फैसला नहीं हुआ। 24 जनवरी के पत्र के उत्तर में 8 मार्च को मीटिंग हुई, जिसमें ओजीएल के माध्यम से चीनी मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन यह फैसला लीक हो गया। मैं गंभीरता के साथ यह आरोप लगा रहा हूं। भार ओजीएल में चीनी आयात करेगा, यह बात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई। वैसे भी चीनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार लंदन में सिमटा हुआ है, कुछ कंपनियां उसको अपनी मुट्ठी में रखती हैं और उनको इस बात की भनक पड़ गई कि भारत में चीनी की कमी है, जिसको ओजीएल के माध्यम से आयात किया जाएगा। सरकार ने स्वयं आयात करने का फैसला क्यों नहीं लिया? फैसला लीक हो गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50-60 डालर प्रति टन चीनी के दाम बढ़ गए। मैं पहले के आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं, उस समय दाम कम थे, उस समय बिना शोर मचाए हुए चीनी आयात की जा सकती थी। आवश्यकता का आकलन करके सस्ते दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी खरीदी जा सकती थी, लेकिन विलंब हो गया और विलंब से उठने वाले कदम की सूचना भी विदेशों में पहुंच गई और भावों में तत्काल वृद्धि हो गई। मैं ऐसा मानता हूं कि यह 1000 करोड़ रुपए का घोटाला

[श्री अटल बिहारी वायपेयी]

है। 300 करोड़ रुपए विदेशों में ज्यादा देने पड़े, इसमें थोड़ा-बहुत इधर-उधर हो सकता है और देश के भीतर उपभोक्ताओं को जो ज्यादा दाम देने पड़े, उसकी गणना की जाए तो यह 700 करोड़ बैठता है। चीनी किस भाव थी और किस भाव बिक रही है, लूट मची हुई है। आजकल शादी-ब्याह का मौका है, गार्मियां हैं, लोग शरबत भी अधिक पीते हैं, तो क्या यह सब किसी योजना के तहत किया गया है, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। जो संदेह पैदा हो रहे हैं, उनका निराकरण किसी सफाई से नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि 6-7 हफ्ते का विलंब हुआ, इसके लिए कौन उत्तरदायी है। खाद्य मंत्री तो कहेंगे कि हमने मंत्रीमंडल को पत्र लिखा था, मंत्रीमंडल ने फैसला क्यों नहीं लिया। इसका स्पष्टीकरण भी मंत्रीमंडल की तरफ से आना चाहिए। घर के उपभोक्ताओं को घाटा हुआ और बाहर के बेचने वालों को फायदा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, खुले बाजार के साथ-साथ हमारे यहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी 1 मिलियन टन चीनी की कमी होने का अनुमान लगाया गया। जब हम बाहर से चीनी मंगाने पर विचार कर रहे थे, तब पीडीएस के बारे में विचार नहीं हो रहा था। गन्ना कम पैदा हुआ, जिसके लिए सूखा काफी हद तक जिम्मेदार है। गन्ना चीनी मिलों में जाने के बजाए गुड़ की तरफ चला गया, जिससे चीनी कम बनी और पीडीएस के लिए लेवी के रूप में मिलने वाली चीनी में भी कमी आई, जिस चीनी को गरीब लोग खरीदते हैं, वह चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक अंग है, चीनी आवश्यक वस्तुओं में गिनी जाती है।

मुझे याद है कि एक दफा प्याज महंगा हो गया था। देश में हाहाकार मचा हुआ था। उधर, बैठे हुए हमारे मित्र प्याज को काट-काटकर आंखों में लगाकर आंसू बहा रहे थे। प्याज काटने से आंसू आते हैं। मगर, चीनी की कड़वाहट और यह चीनी का संकट ? बीस रुपए प्रति किलो चीनी खरीदने वाली गृहिणी का दुख? अगर, यह मिस-मैनेजमेंट है तो किसका मिस-मैनेजमेंट है या कोई घोटाला है? सरकार जिस चीज को हाथ लगाती है तो वह घोटाला हो जाती है। जैसे-गांधी जी जिस चीज को हाथ लगाते थे तो वह सोने में बदल जाती थी। अब शासन हर चीज को यह घोटाले का रूप दे रहा है। यह प्रतिपक्ष का प्रचार नहीं है। यह सार्वजनिक रूप से लोगों के मन में जो भावना भर गई है उसका प्रकरीकरण है।

अध्यक्ष महोदय, क्या पी डी एस के लिए चीनी का आयात करना पड़ेगा? इसका विचार नहीं होना चाहिए था? यह विचार किसको करना था ? वह क्यों नहीं किया गया? खाद्य मंत्रालय के मैं आंकड़े देख रहा था। खाद्य मंत्रालय की ओर से चीनी रिलीज की जाती है और मिलों से कहा जाता है कि इस महीने की इतनी चीनी रिलीज करो। मई के महीने में जो चीनी रिलीज की गई तो उसकी मात्रा कम थी, ऐसा क्यों हुआ? मई में ज्यादा चीनी रिलीज की जानी चाहिए थी। गर्मी का मौसम, शादी-ब्याह के समारोह, और मई का महीना इसका परिणाम यह हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें चलती हैं उनमें भी लोगों को पर्याप्त चीनी नहीं मिली। अगर गरीब भी बेटी का ब्याह करेगा तो बेटे वालों को गुड़ का शर्बत नहीं पिला सकता है, उसे चीनी का शर्बत पिलाना पड़ेगा। उसने भी खुले बाजार में महंगी चीनी खरीदी। पी डी एस की दुकानों पर पर्याप्त चीनी क्यों नहीं थी? अगर उसके लिए चीनी के आयात की आवश्यकता थी तो पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया गया? यह किसकी जिम्मेदारी थी ? पी डी एस में हम नौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी देते हैं, उसमें तीन रुपए सबसिडी है।

अध्यक्ष महोदय, जबसे विश्व बैंक और आई एम एफ के साथ हमारे प्रेम संबंध प्रगाढ़ हुए हैं तो यह सबसिडी कदम-कदम पर हमारा रास्ता रोक लेती है और हमारे निर्णयों को विकृत कर देती है। जब यह तय हो गया कि बाहर से चीनी मंगानी है और वह चीनी पी डी एस के द्वारा आम आदमी को वितरित की जाए तो उसके साथ क्या यह प्रश्न तय नहीं होना चाहिए था कि पी डी एस में सबसिडाईज चीनी बेची जाती है तो सबसिडी कौन देगा? वित्त मंत्री इशारा देते रहे कि हम सबसिडी नहीं देंगे। तो फिर एस टी सी और एम एम टी सी चीनी मंगा ले और वह घाटा सहे तो उनकी खिंचाई होगी। जो सस्ते में चीनी देगा तो उसका जवाब-तलब किया जाएगा। क्या इन सवालों का साथ-साथ उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए था कि चीनी मंगाई जाएगी और सबसिडी कौन देगा? पहले इसका निर्धारण होना चाहिए था। यह नहीं किया इसलिए मंगाने में देर हुई। इसलिए विदेशों में भी भाव बढ़े और देश के भीतर भी भाव बढ़े। आप तारीख देखें कि अप्रैल के अंत में तय हुआ कि पी डी एस के लिए चीनी इम्पोर्ट की जाएगी। लेकिन निर्णय के बाद कार्यवाही नहीं हुई। इसका फैसला नहीं हुआ कि सबसिडी कौन देगा और कितनी सबसिडी दी जाएगी। यह मामला पी एम ओ में था और केबीनेट सेक्रेटरी तस्वीर में आ गए और फिर 14 मई को प्रधान मंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो जहाज पर चढ़ने से पहले केबिनेट सेक्रेटरी को एक तरफ ले गए और उनका हाथ, हाथ में लेकर बोले, यह मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, मैं वहां उपस्थित नहीं था, हाथ में हाथ लेकर बोले :

[अनुवाद]

चीनी के बारे में कुछ-न-कुछ करना होगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ऐसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, उस यात्रा में कौन से मुद्दे उठेंगे, उनका कैसे निपटारा किया जायेगा, कैसे जवाब दिये जायेंगे, इसका चिन्तन करने के बजाय, मेरे जाने के बाद हाय चीनी-हाय चीनी, सारी यात्रा की मिठास खत्म को जायेगी और इसलिए केबिनेट सेक्रेटरी को अलग ले जाकर प्रधान मंत्री ने कुछ कहा जब कहा तो यह केबिनेट सचिव का काम था कि खाद्य मंत्रालय से चर्चा करते, कामर्स मिनिस्ट्री से चर्चा करते। हमारे खाद्य मंत्री को शिकायत है, वे हमारे गाजीपुर में दौरा कर रहे थे। ये वोटों की चिन्ता में थे, मैं भी था। कहा जा रहा है कि खाद्य मंत्री नहीं मिले। कोई छोटा-मोटा आदमी, दुबला पतला आदमी होता तो समझ में आ सकता था। खाद्य मंत्री छुपकर भी नहीं बैठ सकते, वे किसी को ओट भी नहीं ले सकते कि उनको ढांपकर ढूंढने की जरूरत पड़े। सरकार कहती है कि खाद्य मंत्री से सम्पर्क नहीं हुआ। जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के किसी भी कौने से किसी से भी सम्पर्क हो सकता है। अगर सरकार वक्त आने पर अपने मंत्री से सम्पर्क नहीं कर सकी तो इस सरकार का निकम्मापन और भी उजागर हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जो रक्षा विभाग को सम्भाले हुए राज्य मंत्री हैं, उनसे भी सम्पर्क नहीं कर सकेंगे। उनकी राय के बिना एक फैसला कर लिया गया, खाद्य मंत्री जी वापस आये तो उन्होंने फैसला रद्द कर दिया। रद्द करने के लिए हवाला देते हैं संसद की लोक लेखा समिति की उस रिपोर्ट का जिसका मैं अध्यक्ष था।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपको खुश करने के लिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अपने को बचाने के लिए। वह रिपोर्ट मेरे पास है। इतिहास किस तरह से अपने दोहराता है, यह इससे पता चलता है। 1989 में जो स्थिति थी वह 1994 में फिर हो गई। लोक लेखा समिति ने गहराई से छानबीन करके रिपोर्ट दी। अगर मैं उस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को पढ़कर सुनाऊं तो आप समझेंगे कि 1989 की रिपोर्ट नहीं— 1994 की रिपोर्ट है :

[अनुवाद]

चीनी के आयात की अनुमति देने में लगभग तीन माह की आरम्भिक देरी हुई।

[हिन्दी]

पहले इतनी बड़ी मात्रा में चीनी मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। एक, दो लाख टन का मामला था, तब भी संकट पैदा हो गया था। तब भी पंडित सुखरामजी आरापों के घेरे में आ गये थे। इसीलिए उस समय लोक सभा तक नहीं पहुंच सके। मगर उस समय भी इसी तरह का घोटाला हुआ। चीनी मंगाने में देर की गई। कौन मंगाये, उस समय भी यह विवाद का विषय बना था। जिन पर दायित्व था उन्होंने समय पर नहीं मंगाई, कारण यह दिया कि।

[अनुवाद]

23 अगस्त, 1989 को जारी की गई प्रथम निविदा जांच टेलेक्स मशीन फेल हो जाने के कारण विफल सिद्ध हुई।

[हिन्दी]

टैलेक्स मशीन फेल हो गई। बाद में अफसर ने बताया कि उसमें कागज ही नहीं था, मशीन चल रही थी। कागज गायब था वह भाव नहीं बता रही थी। टेंडर किस का है, कौन खरीदार है, इसका संकेत नहीं दे रही थी और सरकार चल रही थी। चीनी का आयात करने की तैयारी हो रही थी। वक्त बदल जाता है, मगर सरकार के तरीके नहीं बदलेंगे। इस बार घोटाला और ज्यादा है। बड़ी मात्रा में चीनी का सवाल है। इस बार लोगों को बहुत परेशानी हुई है। लेकिन 1989 की पी०ए०सी० की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट अभी नहीं आयी है मगर जो कुछ जानकारी मिली है, उससे पता लगता है कि एफ०सी०आई० ने कहा कि वे इस मामले में नहीं पड़ते और पी०ए०सी० ने भी सिफारिश की है कि एफ ०सी०आई० का काम नहीं है। एफ०सी०आई० का काम तो देश में चीनी का वितरण करना है और अगर बाहर से मंगानी हो या बाहर के बाजार में सौदा तय करना हो और सदन में जो बड़े चाचा बैठे हुये हैं या बड़े मगरमच्छ हैं, उनके साथ बराबरी के आधार पर और चतुराई के साथ सौदा तय करना हो तो इसके लिये विशेषज्ञ चाहियें और वे विशेषज्ञ एस०टी०सी० के पास हो सकते हैं और एम०एम०टी०सी० के पास हो सकते हैं। इसमें वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की सेवायें ली जा सकती हैं। मगर हर चीज़ का सौदा होना चाहिये, खुला सौदा होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि चीनी आ रही है। अब ये आंकड़े भी मेरे पास हैं। बंदरगाहों पर जो चीनी पहुंची है, वह कम है। जो बाजार में आयी है, वह उससे कम है और जो दुकानों पर पहुंची रही है, वह उससे भी कम है क्या इसमें तेजी नहीं लायी जा सकती थी ? क्या इस मामले के पीछे पड़कर टास्क फोर्स नहीं बनायी जा सकती थी जो चीनीं के संकट पर विजय प्राप्त कर सके। मुझे तो यही लगता है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेने के लिये कोई तैयारी नहीं की। फिर, अध्यक्ष महोदय, जो पिछली बार पी०ए०सी० की रिपोर्ट सामने आयी थी जिसमें उसने सिफारिश की थी कि अन-रजिस्टर्ड कंपनियां को इस सौदे में पड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। उनकी पृष्ठभूमि नहीं है, विश्सनीयता नहीं है मगर इस संबंध में कैबिनेट सैक्रेटरी की पहल पर जो फैसले हुये, उसमें अन-रजिस्टर्ड कंपनियां भी तस्वीर में आ गयीं। कैसे आ गयीं? इसके पीछे क्या कारण हैं? इसका कौन जवाब देगा ? जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि खाद्य मंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। कैबिनेट सैक्रेटरी का फैसला है अन-रजिस्टर्ड क़ंपनियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

रजिस्टर्ड कंपनियां वह सौदा कर सकती हैं, मत दे सकती हैं और फिर भी ओ०जी०एल० के अंतर्गत खुले बाजार में चीनी मंगाने का फैसला किया। यहां तो भाव बढ़े, विदेशों में भी भाव बढ़ गये। यहां पर मुसीबत पैदा हो गयी। खाद्य मंत्रालय द्वारा खुले बाजार के लिये चीनी ठीक से रिलीज नहीं की गयी तो इस कारण भी भाव बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि चीनी के बारे में कोई समन्वित नीति तय नहीं की जा सकी है। कभी गन्ने की पैदावार बढ़ती है तो कभी कम होती है। मुझे याद है कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था गन्ना और गल्ला दोनों में लड़ाई है। आप गन्ना बोईये या गल्ला बोईये। हमें तो अनाज की जरूरत है उतनी चीनी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चीनी की मांग बढ़ रही है। गुड़ से काम नहीं चलता है। अब तो गुड़ भी 20 रुपये किलो बिक रहा है मगर उसकी चाय तो हलक के नीचे नहीं जाती है। गुड़ कितना बनेगा, खंडसारी कितनी बनेगी और चीनी के लिये कितने गन्ने की आवश्यकता होगी? क्या इसका ठीक से अनुमान लगाकर समन्वित नीति नहीं बनायी जा सकती थी? इसमें प्रदेशों को सहयोग करना पड़ेगा। अब चीनी के भाव बढ़े हैं, चीनी मिल-मालिकों को कितना मुनाफा हुआ है, व्यापारियों ने कितनी कमायी की है, जरा अनुमान लगाया जाना चाहिये। लूटमार मची है। आम आदमी और गरीब आदमी ज्यादा दाम देने के लिये विवश है। वह झक मार कर दे रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है मगर दे रहा है। यह ठीक है कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर सरकार की जिस तीव्रता से निन्दा करनी चाहिये, नहीं करते हैं मगर एक घोटाला है और सरकार के निकम्मेपन का जीता-जागता प्रमाण है। एक और प्रशन है। चीनी मिल के लिए लाइसेंस दिये जाएं या नहीं, दिये जाएं तो कितने दिये जाएं? लाइसेंस दे दिये, वापस ले लिये। उत्तर प्रदेश वाले लाइसेंस मांगते रहे, पंजाब वाले लाइसेंस ले गए। कितने लाइसेंस दिये जाएंगे, कितनी चीनी की हमें जरूरत पड़ेगी इसका निर्णय कैसे होगा। एक सरकार है, मगर विभाजित सरकार है, अलग-अलग हिस्सों में बंटकर फैसले कर रही है। मंत्री अफसरों को दोष दे रहे हैं, अफसर पीठ पीछे मंत्री की बुराई कर रहे हैं और चीनी खरीदने वाले मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम यह काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए विवश हो रहे हैं। इस सारे चीनी घोटाले की एक उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। पहले तो सदन के सामने संतोषजनक स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो भी चीज़ है, जो भी तथ्य हैं वह सामने रख दिये जाएं। बात बड़ी सफाई से होनी चाहिए। 1989 के बाद यह दूसरी बार घोटाला हो गया है। मैं कहना चाहता था कि आगे यह घोटाला न हो इसका प्रबंध किया जाना चाहिए लेकिन यह कहने की मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि इस सरकार के चलते दूसरा घोटाला हो गया और यह सरकार रहेगी तो तीसरा घोटाला भी होगा। यह सरकार किसी घोटाले में ही जाएगी, लेकिन वह अलग विषय है। मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न विचाराधीन हैं, उस पर कांग्रेस के सदस्य भी थोड़ा गंभीरता से सोचें। काम रोको प्रस्ताव हम लाए हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जो उपभोक्ता हैं, आपके जो मतदाता हैं, आपके जो समर्थक हैं, वह चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान नहीं हैं। कहीं-न-कहीं तो जवाब मांगना पड़ेगा। किसी-न-किसी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, किसी-न-किसी का सिर तो सड़क पर लोटना पड़ेगा। कब तक पर्दा रखा जाएगा? कब तक लोगों के गलत कामों का समर्थन किया जाएगा, कब तक गलत कामों की ओर से आंख मूंद ली जाएंगी? चाहे बड़े से बड़ा मंत्री हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, उन सबको कटघरे में जवाबदेही के लिए खड़ा करने की आवश्यकता है और अगर यह काम रोको प्रस्ताव उस दिशा में सरकार को थोड़ा-सा भी कुरेद सका तो हम समझेंगे कि यह काम रोको प्रस्ताव अपने काम में सफल हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मणिशंकर अय्यर बोलेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मैंने अपना नाम नहीं दिया है।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक तरह से तो यह बहुत ही उत्साह-वर्धक बात है कि सार्वजनिक महत्व के एक बहुत ही गंभीर मामले को अधिवेशन के प्रथम दिन ही उठाया गया है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : ऐसा हर रोज होता है।

श्री शरद दिघे : निसंदेह यदि विपक्ष चर्चा पर सहमत हो गया होता और यदि वह कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल न देता तो मैं भी इसी मुद्दे को उठाना चाहता था, क्योंकि इसमें सरकार की निन्दा करने का कुछ अर्थबोध होता है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है पूरी सभा द्वारा इस पर स्वतन्त्र चर्चा करना अधिक अच्छा होता।

महोदय, यह कहना अधिक महत्व नहीं रखता कि चीनी प्रत्येक परिवार के लिये रोजमर्रा की आवश्कयता है। इसलिये चीनी की कीमतों का बढ़ना एक बहुत ही संवदेनशील मुद्दा है। यदि मैं सही कह रहा हूं तो मेरे विचार से विगत में एक सरकार इसी लिये गिर गयी थी क्योंकि वे लोग चीनी की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सके थे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार को इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिये। मुझे इसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं है। चीनी की कीमतों में भारी वृद्धि से आम आदमी को हो रही परेशानी के बारे में मैं विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से कुछ हद तक सहमत हूं।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि इस मामले में सराकर कहां-कहां पर असफल रही है और सरकार को क्या करना चाहिये था? इसलिये, मैंने पहले भी कहा था, कि यदि इस मामले पर मंत्री महोदय को पहले अपने वक्तव्य देने और सराकर की स्थिति को स्पष्ट करने की अनुमति दी गई होती तो अधिक अच्छा होता क्योंकि उससे इस सभा में निष्पक्ष चर्चा हो सकती थी। फिर भी क्योंकि अब यह मामला इस तरह से उठाया गया है, हम केवल उस दृष्टिकोण से ही इसमें भाग लेने के लिये विवश हैं। अब विपक्ष की मुख्य शिकायत अथवा मुख्य मुद्दा यह है कि कदम उठाने में देरी हुई है। परिस्थितियों का बहुत पहले ही पता चल चुका था। और यदि सरकार ने चीनी के आयात के संबंध में उचित समय पर कदम उठाये होते, तब शायद ऐसी स्थिति पैदा न होती। अब आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1993-94 के प्रथम सात महीनों में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 10.27 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 9.39 मिलियन टन हुआ है।

4.43 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

और चीनी के कारखानों के राष्ट्रीय परिसंघ ने यह घोषणा की थी कि इस वर्ष एक मई को 5.77 मिलियन टन चीनी का भण्डार हमारे यहां है। इसलिये सरकार ने चीनी का आयात किया जोकि चीनी की कीमतों को नियन्त्रण में लाने का एकमात्र उपाय था। और जैसा मैंने सुना है, राज्य व्यापार निगम को आठ लाख टन चीनी खरीदने के लिये निर्देश दिया गया था। और राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा अनुबंधित की गई चीनी की कुल मात्रा 4.81 लाख टन तक पहुंच गयी थी। घोषित किये गये कार्यक्रम के अनुसार काण्डला बन्दरगाह पर 40000 टन चीनी जून के महीने में 84000 टन जुलाई के महीने में और 27500 टन अगस्त के महीने में तथा इसी प्रकार से और भी चीनी पहुंचने की उम्मीद है। दिये गये कारणों में से एक कारण यह भी

बताया गया है कि चीनी के उत्पादन में कमी होने के कारण चीनी का आयात आवश्यक हो गया था। इस प्रयोजन के लिये यदि हम इसका विश्लेषण करें तो एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि शीरे के संबंध में सरकार की नीति की वजह से गन्ना उत्पादकों ने चीनी उत्पादन की ओर से अपना ध्यान हटा कर गुड़ और खाड़सारी का उत्पादन करना अधिक अच्छा समझा। और इसलिये जहां तक इस फसल का संबंध है, चीनी के उत्पादन में गिरावट आ गयी। यदि हम प्रधान मंत्री के कार्यालय और खाद्य मंत्री के कार्यालय के बीच उत्पन्न मतभेद के संबंध में तमाम सूचनाओं का अवलोकन करें, जोकि प्रैस में छपी हैं, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन खाद्य मंत्री ने स्वयं और प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा इससे इन्कार किया है।

अतः इस कथन में कोई सार नहीं है कि इस सरकार के विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न मतभेदों के कारण घोटाला हुआ है। खाद्य मंत्री ने चीनी के आयात के लिये तुरन्त कदम उठाये जोकि चीनी की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिये एकमात्र उपाय था और तदनुसार लोक सभा समिति के पिछले प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी के आयात को हतोत्साहित करने का उल्लेख किया गया था, उन्हें इसका संकेत मिल गया था। और इसलिये खाद्य मंत्री ने भी कतिपय आदेशों को सही करने के लिये, जोकि लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर विश्वास करते हुए जारी किये गये थे, तत्काल कार्यवाही की। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि सरकार द्वारा बेहतर एवं और अधिक तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा सकती थी, कई बार एस०टी०सी० एवं एम०एम०टी०सी० के माध्यम से चीनी का आयात करने के लिए सही कार्रवाई की गई, ताकि कम-से-कम इस प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि चीनी के आयात का कार्यपूर्ण होने तक नया चीनी-मौसम प्रारम्भ होने से यह सारी समस्या समाप्त हो जाएगी तथा जहां तक आम उपभोक्ता का संबंध है, उसे इससे राहत मिलेगी।

अब, दुर्भाग्यवश, चूंकि भारत की चीनी की मांग बढ़ गई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसके दाम बढ़ गये और इसका भी अपना ही असर पड़ा था। खाद्य मंत्री ने यह कहा है—लेकिन मैं इस कारण के आधार पर चीनी की कीमतों को उचित सिद्ध नहीं करना चाहता तथा मुझे यह मालूम नहीं है कि वह आयातित चीनी के मूल्य किस आधार पर भारत में सबसे कम हैं और पड़ौसी देशों में उसका भाव 20 रुपये प्रति किलो कैसे है। फिलहाल मैं इस कारण चीनी के मूल्यों में वृद्धि को बिल्कुल भी उचित सिद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि इस देश में चीनी के मूल्य यहां के आम आदमी की क्रय-शक्ति के अनुसार होने चाहिये और इसीलिए, हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई। वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जहां तक चीनी का संबंध है, वित्तीय-स्थिति खराब होने के कारण, वह कोई राजसहायता प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने आगे यह कहा है कि चीनी पर उपलब्ध 38 प्रतिशत औसत लेवी के समान ही, जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, इस व्यवस्था के अंतर्गत वितरित की जाने वाली चीनी पर भी राजसहायता में पूरी रियायत दी जाएगी।

(श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए)

04.49 म०प०

अगर ऐसा कर भी दिया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में परिस्थितियों में सुधार होना तथा आम आदमी की कठिनाई समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार आगमी त्यौहार आम आदमी बेहतर ढंग से मना पायेगा। ऐसा सरकार की वर्तमान-नीतियों के कारण ही सम्भव हो पाया है। निस्संदेह यह सही है कि यदि फरवरी में ही इस बारे में कदम उठा लिये जाते, तो ऐसी स्थिति पैदा न हुई होती। किसी भी स्थिति में चीनी आयात करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राजसहायता देने की घोषणा करने संबंधी उठाये गये इन

[श्री नीतीश कुमार]

दो कदमों से निकट-भविष्य में चीनी की कीमतें गिर जाएंगी और जहां तक चीनी की कीमतों का संबंध है, हमें सरकार की आगे और अधिक निन्दा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा ही है कि इस विषय पर सरकार की निन्दा किये बिना अगर इस सभा में मुक्त विचर-विमर्श होता, तो यह बेहतर होता।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस विषय पर सरकार की निन्दा किये बिना मुक्त विचार-विमर्श हुआ होता, तो बेहतर होता। क्या अब इस विषय पर विचार-विमर्श करने पर कोई प्रतिबंध है? क्या उन्होंने ऐसा किसी दबाव में आकर कहा है?

श्री शरद दिघे : आप एक अनुभवी सांसद हैं। आप इन दो बातों के बीच के अन्तर को समझते हैं कि इनका कहां इस्तेमाल किया जाता है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों पर क्या प्रतिबंध है। मुझे आपको यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि इस मुद्दे पर सरकार की निन्दा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ़ता। उन्होंने समुचित कदम उठाये हैं। बात सिर्फ इतनी-सी है कि उन्हें ये कदम तत्परतापूर्वक उठाने चाहिये थे, ताकि जहां तक जनता का संबंध है, ऐसी मुश्किलें पैदा ही न हुई होतीं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताय का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मेरी मान्यता है कि इस बहस को सिर्फ आयात और उसमें किसने कितना कमाया, यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह हालत क्यों बनी, यदि इस पर तत्काल यह सदन विचार नहीं करेगा तो मेरी समझ है कि अगले दो सालों में केवल यह बहस नहीं होगी कि किसने कितना आयात किया बल्कि यह होगी कि हम विदेशियों से किस प्रकार का सौदा करें जिससे हिन्दुस्तान को चीनी मिल सके। यदि आप पिछले चार सालों का हिसाब देखें तो हिन्दुस्तान में गन्ने का उत्पादन घट रहा है, गन्ना पैदा करने के लिए जितनी जमीन इस्तेमाल में है, वह घट रही है और प्रति हैक्टेयर जितना गन्ना हम पैदा करते हैं, वह भी घट रहा है।

भारत सरकार की बजट से पहले जो आर्थिक समीक्षा यहां पर पेश की गई, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। 1989-90 में 34 लाख हैक्टेयर, फी हैक्टेयर 65 हजार किलोग्राम गान्ना और कुल उत्पादन 22 करोड़ 50 लाख टन था, 1990-91 में वह 37 लाख हैक्टेयर हो गया था, फी हैक्टेयर उत्पादन 65 हजार किलोग्राम ही रहा था और 24 करोड़ 10 लाख टन गन्ना हमने पैदा किया था। 1991-92 में वह 38 लाख हैक्टेयर पर गया जहां हमने 66 हजार किलोग्राम प्रति हैक्टेयर गन्ना पैदा किया और कुल उत्पादन 24 करोड़ 40 लाख टन पर रहा। यहां आपकी आर्थिक नीति आती है। ये लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे और सदन के इस तरफ से बार-बार जब हम यह बात बोलते रहे, हमें बताया गया कि अभी देश निर्यात की खोज में है कि कारगिल या कॉनटिनैंटल ग्रेन के माध्यम से निर्यात करें या दूसरे किसी माध्यम से करें। इनमें से अधिकतर लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि कि मात्र 6 अमरीकी कम्पनियां सारे विश्व के अनाज और खाने की हर वस्तु के व्यापार को अपने हाथों में लेकर बैठी हुई हैं। 1991-92 में नई आर्थिक नीति आई। एक साल पूरा नहीं होता है कि 1992-93 में खेती 38 लाख से घट कर 36 लाख हैक्टेयर तक पहुंच जाती है। उत्पादन 66 हजार किलोग्राम पर-हैक्टेयर से घट कर 63 हजार 800 पर आ जाता है। वजह खाद के दाम बढ़ गये और किसान खाद का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं रहा। कुल मिलाकर गन्ना जहां 1991-92 में 25 करोड़ 40 लाख टन पैदा हुआ, वहीं दूसरी

तरफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने टारगेट रखा था 24 करोड़ 38 लाख टन और पैदा किया 23 करोड़ टन। अब 1993-94 का साल है। यह इन्हीं के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। जमीन 36 लाख हैक्टेयर से घट कर 34 लाख हैक्टेयर पर आ गई। 3 परसैंट घट गई। इनका टारगेट गन्ने का 25 करोड़ टन था। अब कह रहे हैं कि वह 23 करोड़ टन पर आ गया है। यील्ड के आंकड़े अभी इन्होंने दिये नहीं हैं। मैं इस सदन को ही नहीं बल्कि सबको यह चेतावनी देना चाहते हूं कि कौन-सी सरकार वहां रहेगी, कौन से मंत्री किस पद पर रहेंगे, यह बात गौण बनेगी लेकिन यह एक मूल प्रश्न है कि जब तक यह सरकार रहेगी, यह सदन इस पर विचार करने के लिये इनको मजबूर न करे क्योंकि इनकी सरकार द्वारा लाई गई नई आर्थिक नीतियों के चलते हुए हम पर आई हुई विपत्ति है। आगे आने वाले समय में यह और बढ़ेगी।

रेडियो और टेलिविजन के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि किसानों के लिये सारी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। वहां सब चीजें निर्यात होनी हैं। हमारे यहां गन्ने के दाम बढ़े हैं। किसानों को मिलने वाली पानी और बिजली के दाम बढ़े हैं लेकिन कुल मिलाकर गन्ने के जितने दाम बढ़े हैं, उससे अधिक मात्रा में चीनी के दाम बाजार में बढ़ रहे हैं। अपनी जगह पर यह एक बात है लेकिन हैरानगी तब होती है जब सरकार के कुछ नौकरशाह पिछले 10-15 दिनों से अखबारों के जरिये यह कह रहे हैं कि चीनी अमुक रेट पर आ सकती थी। चीनी 400 डालर में आ सकती थी। फिर कहा गया कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो 400 या साढ़े चार सौ डालर में से 100 डालर कम करके हमें चीनी बेचने के लिये तैयार हैं। एक बड़ी गलतफ़हमी देश में फैलाने का खेल खेला जा रहा है। चीनी के दाम विदेशों में पिछले 5-6 सालों में घट गये हैं। जब हम लोग आयात करने के लिये बाजार में पहुंच जाते हैं तब आयात चाहने वाले या आयात कराने वाली निजी कम्पनियां या हांगकांग में बैठी हुई कम्पनियां या दुनिया के किसी और जगह जहां इनकी रिश्तेदारी है,

5.00 म०प०

इनके जो तथाकथित अनिवासी भारतीय हैं, इन लोगों के जरिये इन्हें जो देश में चीनी मंगानी है तो उसको लेकर यह बढ़ाते जरूर हैं। जैसे इस सप्ताह का फार ईस्ट इकोनोमिक रिव्यू है, एक साल पहले चीनी का दाम 241 डालर प्रति टन था, इस सप्ताह में, जून महीने की 6 तारीख को दाम 267 डालर प्रति टन हो गया। कितना बढ़ गया। 15 लाख टन चीनी आपको आयात करनी है तो 150 करोड़ रुपये का इन्तजाम, जो आयात करने कराने वाले हैं, इन लोगों ने करा दिया है, रुपये में नहीं, डालर में करा दिया है। यह चीजें होती हैं, इसके पहले भी हुई हैं। इसकी चर्चा अभी अटल जी ने यहां पर की। इनकी जो यह रिपोर्ट है, यह पिछले साल के अप्रैल महीने में पेश हुई थी लेकिन इस बार भी यह चीज हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। वह जांच संयुक्त संसदीय समिति करे, लोक लेखा समिति करे, सदन की कोई कमेटी करे, कोई भी करे लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, यह हम यहां पर मांग करते हैं।

दाम का जो मामला है और हम लोगों को जो बेवकूफ बनाने की बात होती है, यह तो लोक लेखा समिति की 45वीं रिपोर्ट अटल जी के दस्तखत से पिछले साल के 19 अप्रैल को पेश हुई है। इन्होंने जो दाम बताया है यहां पर, अगस्त 1989, सितम्बर 1989 और अक्टूबर 1989 को चीनी के दाम 505 डालर प्रति टन से 396 डालर प्रति टन तक इस पर है और यह दाम 1989 के हैं। आज हम 6 साल के बाद इस बहस को यहां पर चला रहे हैं और दुनिया के बाजार में चीनी का दाम है 400 डालर और ओ०सी०आई०एफ० अगर सीधे खरीदे, अपने बलबूते पर उसको लाने का आप काम करना चाहेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, यह तो

[श्री जार्ज फर्नान्डीज़]

सार्वजनिक दस्तावेज है, आज के दिन, जून महीने की 6 तारीख के दिन 267 डालर प्रति टन दाम है। दुनिया के बाजार में चीनी का दाम घट रहा है, लेकिन उसकी बजह में मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल इसलिए यहां पर इसका जिक्र करना चाहता हूं कि देश को गुमराह करने के लिए यह नकली बहस को चलाते हैं और अपनी चोरी को छिपाने के लिए जो काम यहां पर हो जाता है, उससे देश जरा सचेत रहे।

कैसे, क्यों यह सारी घटनायें यहां पर घटीं, जिसको लेकर यह हालत यहां पर बनी है, उसकी बारीकी में मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इसलिए हम कुछ सवालों को उनके सामने रखना चाहेंगे। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने 24 जनवरी को कैबिनेट के सामने कोई ऐसा दस्तावेज भेजा था जिसमें कि यह कहा था कि चीनी की समस्या सामने खड़ी होने वाली है और चीनी के आयात पर तत्काल विचार हो? क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री के कार्यालय में जाने के बाद से लेकर मार्च महीने की 9 तारीख तक इस दस्तावेज पर कोई विचार करने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। इनकी कोई कैबिनेट कमेटी आन प्राइसेस है, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या उस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो गई? क्या उस कैबिनेट कमेटी में दाम के बारे में कोई चर्चा हो गई कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या किया जाए? हम जानना चाहेंगे कि कमेटी ने कब यह तय किया कि आयात किया जाय और जब आपका एक बार आयात का निर्णय हो गया, उस निर्णय को करते हुए क्या आपके सामने यह दस्तावेज था, जिस दस्तावेज में आपसे यह कहा गया था, यह पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की अप्रैल, 1993 की रिपोर्ट है :

[अनुवाद]

"समिति इस बात पर भी जोर देती है कि खाद्य मंत्रालय द्वारा भविष्य में किये जाने वाले किसी प्रकार के आयात करने के मामले में उठाये जाने वाले अपेक्षित विस्तृत उपचारात्मक कदमों को खोजने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा इस विषय की गहन जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात अत्यंत लागत प्रभावी एवं समसामयिक ढंग से किया जाये।"

[हिन्दी]

आपने कौन-सी पालिसी बनाई और आपकी पालिसी का दस्तावेज कब प्रकाशित हुआ और उस दस्तावेज पर आपने कब तय किया कि हम भविष्य में भारतीय खाद्य निगम की मारफत या किसी ऐसी एजेंसी की मारफत आयात नहीं करेंगे और केवल मात्र यह शब्द भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हम भविष्य में आयात चीनी करेंगे। अगर यह बात आपके मंत्रालय ने तय की है, तो फिर क्या वजह है कि आपका मंत्रालय यह तय करता है, मई महीने में प्रधान मंत्री यहां रहें या न रहें, खाद्य मंत्री कहां रहें और कहां न रहें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, एक टाइम स्वरूप सरकार यहां पर बनी रहती है। अनेक लोगों की राय है कि पहले घोटाला हुआ और उस घोटाले के बाद संयुक्त संसदीय समिति बैठी और वहां जो स्थिति हम लोगों ने देखी, उसके बाद कोई तारीफ करने के लायक कोई बात बची नहीं है। चीनी के मामले में हम जानना चाहेंगे कि अगर प्रधान मंत्री जी का आदेश नहीं था, अगर खाद्य मंत्री जी का आदेश नहीं था, तो फिर किस के आदेश के आधार पर चीनी को आयात करने का फैसला हुआ ? मैं यह भी जानना चाहूंगा, अगर एस०टी०सी० के जरिए ही चीनी आयात करने का आपने तय किया था, यहां पार्लियामेंट में आपने वचन देने का काम किया था, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, इसके ऊपर एक्शन-टेकन रिपोर्ट आती है, वह कमेटी के पास जरूर जाए, लकिन जो वजन दिया था, उस वजन को तोड़ने का काम कैसे हुआ और क्यों हुआ?

हम हैरान है, टैन्डर निकालने के फैसले के बारे में। टैन्डर निकलता है 17 मई को और 19 मई की सुबह 9.30 बजे ग्लोबल टैन्डर आना चाहिए । मैं मानता हूं कि अब सब ग्लोबलाइजेशन है, फैक्स मशीनें हैं, आपको किन से लेना है, किन से नहीं लेना है, सब मालूम है, इसलिए सब को फैक्स भेज दिया। एक क्षण के लिए हम ने इस बात को मान लिया। एक बार फैक्स जाता है, शर्तें आप लगाते हैं, उनसे कोटेशन मांगते हैं, कोटेशन मांगने के बाद 18 मई को आप अपने मंत्रालय से आदेश भेजने का काम करते हैं, जिन लोगों से आपने टैंडर मांगा था, उनको यह कहते हो कि किस आधार पर अब हम आगे के आपके टैंडर को स्वीकार करेंगे। क्या आपके मंत्रालय ने कहा है :

[अनुवाद]

"चूंकि हम मामले में समय का अधिक महत्व है, अतः सरकार यह महसूस करती है –"

[हिन्दी]

हम जानना चाहेंगे कौन-सी सरकार? क्योंकि इसके अन्दर तो पूरी सरकार शामिल हो जाती है। आपके मंत्रालय का ही निर्णय क्यों न हो, लेकिन आपकी कैबिनेट इसमें शामिल हो जाती है।

[अनुवाद]

कौन-सी सरकार तथा सरकार का कौन-सा स्तर ?.

[हिन्दी]

उनको फलोट नहीं करना चाहिए था। उनको फलोट करने के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए था और उसके बाद आप कहते हो कि एक स्पेशल एम्पावर्ड कमेटी बना रहे हैं।

[अनुवाद]

"क्योंकि इस मामले में समय का अधिक महत्व है, अतः सरकार यह महसूस करती है कि भारतीय खाद्य निगम बोर्ड की एक विशेष समिति को चीनी आयात के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी की गई निविदा संबंधी जांच पर तमाम अंतिम निर्णय लेने के संबंध में अधिकार दिये जायें। इस समिति में चेयरमैन, भारतीय खाद्य निगम को अध्यक्ष के रूप में, प्रबंध-निदेशक को खाद्य मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के रूप में और खाद्य मंत्रालय के अपर-सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।"

यह विशेष समिति सभी अंतिम निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

चार अधिकारी थे, जिनमें एस०टी०सी० का चेयरमैन, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशल एडवाइजर और एडीशनल सेक्रेट्री।

[अनुवाद]

"सरकार के सभी अंतिम निर्णय लेगी, जिसकी जानकारी भारतीय खाद्य निगम बोर्ड की कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने के लिए बाद में दी जाएगी।"

[श्री जार्ज फर्नान्डीज़]

अतः चार व्यक्ति निर्णय लेंगे।

"टेंडर जांच आदि से हटकर परिव्यक्त पेशकशों पर विचार करने के लिए टेंडर-जांच की किसी शर्त के लिए जहां कहीं आवश्यक तथा वांछनीय पाया जाए"

[हिन्दी]

यानी टेंडर मंगाया लेकिन आपने यह भी निर्णय लिया कि टेंडर की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, अनसोलिसिटेड अगर किसी ने कहा कि हम आपको इतने कम में या इतने आपसी सौदे में चीनी बेचने के लिये तैयार हैं तो फिर उसके ऊपर भी अंतिम निर्णय लेने वाले भारत सरकार की ओर से चार लोग हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या यह सब फैसले आपके मंत्रालय में हुए? आपने किस आधार पर यह फैसले करा दिये, किस आधार पर ये सारे सौदे दुनियाभर के जो भी चीनी बेचने वाले या जिनके साथ लोगों के रिश्ते बने हों इन लोगों के साथ आपने करा दिये। कॉमर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी में आता है स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, और कामर्स सेक्रेट्री का एक नहीं अनेक बयान में हमने पढ़े। सार्वजनिक तौर पर कॉमर्स सेक्रेट्री ने कहा कि मुझ पर ऊपर से दबाव डाला गया, ऊपर से कौन कॉमर्स सेक्रेट्री पर दबाव डालने वाला था, अब या तो कॉमर्स मिनिस्टर हो सकता था या केबिनेट सेक्रेट्री हो सकता था, क्या उन्होंने दबाव डाला चूंकि ऊपर की बात है या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो सकता था क्योंकि आजकल प्रधान मंत्री कार्यालय नाम का एक नया नाम चला है इसको इंस्टीट्यूशन कहिए, सब चीज प्रधान मंत्री कार्यालय के नाम से, प्रधान मंत्री कार्यालय चाहता है [प्रधान मंत्री कार्यालय की इच्छा है]। प्रधान मंत्री कार्यालय का आदेश है। तो क्या यह प्रधान मंत्री कार्यालय की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्वयं कोई ऐसा आदेश गया कॉमर्स सेक्रेट्री को, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया इशारा जरूर किया उन्होंने ठीक किया। हम भी नहीं चाहते हैं कि वे अपने सहकर्मियों का या सरकार में से किसी का नाम लें लेकिन इतना तो कॉमर्स सेक्रेट्री ने अपने सार्वजनिक बयानों में स्पष्ट दिया है कि दबाव था, कुछ निजी कम्पनियों के साथ सौदा करने के लिये दबाव था। अखबारों में दो कम्पनियों के नाम सार्वजनिक हुए हैं मुझे यहां पर उनका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नाम तो जानते हैं, दुनिया जानती है कि किन के रिश्ते उन कम्पनियों के साथ हैं। किस व्यक्ति की तरफ से वह दबाव आया था यह जानकारी आज सदन के सामने आनी चाहिये।

हमारे मित्र दिघे जी ने तो जरूर कहा कि यह तो फ्री डिबेट नहीं है हम तो सुबह ही बोले थे कि हमको सरकार की निन्दा करनी है और इसलिये हम आज इस बहस के दौरान मंत्री जी से इसके बारे में जवाब चाहेंगे चूंकि आपका मंत्रालय केवल मात्र कटघरे में नहीं है पूरी सरकार कटघरे में है।

महोदय, इसके साथ मैं एक ही और बात रखना चाहूंगा, हम लोग चिन्ता कर रहे हैं कि कितना पैसा आया, कितना गया। हम लोग एक साल में एक करोड़ टन चीनी खा रहे हैं इस साल कुछ और ज्यादा हो गई — एक करोड़ बीस लाख टन तक जाने की संभावना है। जब एक किलो चीनी का दाम आप एक रुपया बढ़ाओगे, नाजायज ढंग से किसी भी स्तर पर, कारखाने से लेकर व्यापारी तक एक किलो चीनी का दाम एक रुपया बढ़ाओगे तो माफ करिएगा एक करोड़ टन चीनी पर हिन्दुस्तान के लोगों की जेब से नाजायज ढंग से एक हजार करोड़ रुपए आप लेंगे। पिछले साल के जनवरी महीने 1993 में चीनी के होलसेल बाजार का भाव था 933 रुपये क्विंटल और आज 20 रुपए किलो है तो 933 रूपए से आज जब दो हजार रुपए क्विंटल पर आप पहुंच गए हो तो पिछले साल के जनवरी महीने से दिसम्बर और अब हम लोग मई महीने में हैं, मई तक हिसाब जोड़िए तो 17 महीने बनते हैं। 10 लाख टन चीनी प्रति महीने की खपत के अनुसार 15-16 महीने में 1 करोड़ 50 लाख

टन चीनी हो जाती है और औसतन 5 रुपए प्रति किलो भी बढ़ गया हो तो मिल के दरवाजे से लेकर व्यापारी की दुकान तक 7-8 हजार करोड़ रुपए की चीनी में लूट देश के लोगों की जेब से हुई है। इसमें विचौलिए कौन हैं, इनके बारे में सरकार जवाब देने का काम करे।

सभापति महोदय, आज इस बात को हम इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ रही है। विदेश से चीनी आ रही है और यह चीनी 400 डालर प्रति टन के हिसाब से 12, साढ़े 12 रुपये प्रति किलो आपके दरवाजे पर पड़ती है। इसमें यदि आप 2, ढाई रुपए प्रति किलो और बढ़ा दें तो इस चीनी आयात के खेल से 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए की लूट देश के लोगों की होनी है। आपकी नई आर्थिक नीति ने आपको यहां लाकर पहुंचा दिया है कि आज मंत्री जी को व्यापारियों से कहना पड़ रहा है कि कुछ करो, साढ़े 15 रुपए प्रति किलो नहीं, साढ़े 14 रुपए प्रति किलो बेचो, मगर आपकी बात कैसे सुनी जाएगी। आपको आपने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से कहना चाहिए, जो नई आर्थिक नीति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा कर देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके फल भुगतने पड़ेंगे, जिनकी यह शुरुआत मात्र है। कल अनाज के मामले में यही होगा, अन्य चीजों के मामले में यही होगा। नई आर्थिक नीति के चलते महाराष्ट्र में किसानों की जमीन बेचने की बात को विधानसभा में स्वीकृति दे दी गई है,वहां चाहे जितने हजार एकड़ जमीन खरीद सकते हो और उस पर हार्टीकल्चर लगा सकते हो। अनाज खत्म करो, गन्ना खत्म करो, हार्टीकच्चर लगाओ। विदेशी आज हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोग इस सरकार में बैठे हैं जो देश को इस तरह से कचरे में धकेलने का काम कर रहे हैं।

इसलिए सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि किसने कितने बनाए, कितने कमाए, हमको इतनी जानकारी तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि नई आर्थिक नीति ने जो हमको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस पर भी विचार करना होगा। गन्ने के मामले में हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है, उसके उत्पादन को फिर पुरानी स्थिति में कैसे पहुंचाया जाए, समस्या का स्थायी निदान क्या हो सकता है, इन सारी बातों पर हमको विचार करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में सरकार की निंदा करनी चाहिए और इस काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार को अपनी जगह दिखाने का काम इस सदन को करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय, हमारा जो जायज अधिकार है, वह तो हमें मिलना चाहिये। हम इस समस्या पर चर्चा करे रहे हैं, हमारी देश की पूरी जनसंख्या नहीं तो कम-से-कम 50 प्रतिशत देशवासी चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। गरीबी की रेखा से नीचे और उसके आसपास का जीवन यापन करने वाली जनता पर चीनी के मूल्य में हुई किसी प्रकार की वृद्धि का असर नहीं पड़ता।

अब मैं इस बात का उल्लेख इस तथ्य को उजागर करने के लिए भी कर रहा हूं कि सम्भवतः पिछले कुछ वर्षों से हम जितनी भी मात्रा में चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें से हमें आवश्यकता से चीनी कम मात्रा में चीनी मिल रही है। इस वर्ष भी हमारा चीनी का उत्पादन जितनी भी मात्रा में हो, हम कहेंगे कि हमारा चीनी उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे देश की 50 प्रतिशत जनता की क्रम-शक्ति

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

इतनी भी नहीं है कि वह चीनी खरीद कर सके। यदि आप उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो जितनी भी मात्रा में हम चीनी जरूरत से फालूत समझते हैं, वह आवश्यकता से फालूत वही रहेगी।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि मेरे माननीय दोस्त श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने संकेत किया है कि जितने एकड़ भूमि पर गत दो अथवा तीन वर्षों के दौरान गन्ने की खेती की जाती थी, हमें इस वर्ष अथवा इस वर्ष के चीनी-मौसम के दौरान कमी आ रही है पिछले तीन वर्षों से चीनी के भण्डार उत्पादन में कमी आती जा रही है। फिर भी, हमारे देश के चीनी-बाजार में आयात के माध्यम से हस्तक्षेप करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका अथवा ऐसा निर्णय लेने में देरी की गई। इस बात को स्पष्ट किये जाने की जरूरत है। मेरे विचार से उन्होंने हमारी इस समस्या के प्रमुख पहलू को बड़े सही तरीके से प्रस्तुत किया है। इस सारे घोटाले में दो बातें प्रमुख रूप से सामने आई है :— एक तो यह कि नयी आर्थिक नीति से हरेक दृष्टि से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी तथा हमारे देश की जनता की तबाही होगी। उन्होंने इस घोटाले में लगभग 6000 से 7000 करोड़ रुपयों की हेराफेरी का अनुमान लगाया है। इस लूटपाट के दो पहलू हैं। किसी को फायदा हुआ है तथा किसी अन्य व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है।

मैं निजी तौर पर इस कांड में तकरीबन 5000 से 6000 करोड़ रुपये के घोटाले का अनुमान लगा रहा था। चाहे जो भी हो, हमारे देश की पचास-प्रतिशत जनता ने कुछ व्यक्तियों के पक्ष में 5000 रुपये करोड़ रुपये की यह धनराशि कुर्बान कर दी है। कुछ व्यक्तियों को इससे फायदा हुआ है। हमारे देश की पचास प्रतिशत जनता को 5000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

क्या यही हमारी नई आर्थिक नीति है? यही नई आर्थिक नीति है। हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। ऐसी क्या बात है कि कुछ मंत्रियों के कथना अनुसार वित्त मंत्रालय उनके रास्ते में बाधा प्रतीत होता है, क्योंकि कहीं और वित्त मंत्री ने यह वायदा किया था कि नई आर्थिक नीति के साथ भाग के रूप में वह राज सहायता घटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजसहायाता का यह प्रश्न नयी आर्थिक नीति का अंश है। अतः, कुछ मंत्रियों ने इसका फायदा उठाया अथवा वे इस बात से भयभीत हो गये कि क्या बिना राजसहायता के चीनी आयात करना सम्भव है होगा ?

गेट समझौते के साथ-साथ हमारी नई आर्थिक नीति कृषि के विरुद्ध तथा उद्योगों के पक्ष में है। हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिये तथा इस पर गौर करना चाहिए।

खाद्य-मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस पूरी समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वह गन्ना-उत्पादकों को भूल गए हैं उनका कहना है कि वह चीनी मिलों को और अधिक संख्या में लाईसेंस दे रहे हैं तथा उन्होंने औद्योगिक-क्षेत्र को अधिक महत्व दिया है। हमारी नई आर्थिक नीति से सही मायने में यही अर्थ है कि किसानों एवं कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करना तथा औद्योगिक के माध्यम से कार्य करवाने की कोशिश करना। इसके परिणाम — **(व्यवधान)**

श्री ए० चर्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे अपना भाषण जारी रखने दीजिये।

यह विचारधारा की उसी दृष्टिकोण का ही हिस्सा है, जोकि औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं कृषि क्षेत्र को निरुत्साहित करने से जुड़ा है।

हमें चीनी-आयात करने संबंधी आशंका पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की समस्या को देख लीजिए। गैर-समझौते से हमें यह सबक मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य संगठनों से हम यह जान पाए हैं कि हमारी बजट-स्थिरता, हमारे वित्तीय घाटे आदि को देखते हुए हम अर्थव्यवस्था में कुछेक कार्य नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

और वस्तुतः जैसे वित्त मंत्री ने अपने बजट आंकडों के साथ किया उसी प्रकार खाद्य मंत्री अपने खाद्य और चीनी संबंधी आंकडों के साथ पेश आते हैं। जैसा कि हमें बजट पर चर्चा के दौरान पता चला है कि वित्त मंत्रालय के सभी आंकड़े गलत थे और वित्त मंत्रालय ने व्यय संबंधी आंकड़ों को छिपाया व राजस्व वसूली संबंधी आंकडों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। वस्तुतः उसी ढंग से खाद्य मंत्री कहते हैं कि गत वर्ष हमने जितना उत्पादन किया है लगभग उतना ही उपादन अब भी कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उत्पादन का क्षेत्रफल कम था गन्ने की मात्रा पूर्व समय की अपेक्षा कम थी जिसकी वज़ह से चीनी का उत्पादन पूर्व समय की उपेक्षा कम होगा आदि जैसे संकेत मिले थे तब भी वह यह कहते हुए भी अर्थ-व्यवस्था को झुठला रहे थे, जैसा कि बताया गया है, कि चीनी की कीमतें अनावश्यक रूप से कम है। इस बात को याद रखना होगा कि देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या उस कीमत पर चीनी नहीं खरीद सकती है। वह बड़े जोरदार ढंग से कहते हैं कि हमारे देश में चीनी की कीमतें हमारी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने अपने वरिष्ठ, वित्त मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री से जो कुछ भी सीखा है अथवा अपनाया है उसे वह इस देश की जनता के सामने उगलना चाहते हैं। जब ऐसे संकेत मिले रहे थे कि लगभग दो मिलियन टन चीनी की कमी होगी, वह साहसपूर्वक कह रहे थे कि आयात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय ऐसा नहीं चाहता है। चीनी और विदेशी मुद्रा भण्डार के संबंध में उनके सभी दावों के बावजूद उनकी निजी सलाह यह है कि इसको आयात पर व्यय न किया जाये। और उसके बाद क्या होता है?

हम यह समझने और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से नीति और नीति का उल्लंघन करने वाले दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही समान रूप से दोषी हैं वे देश पर शासन करने योग्य नहीं हैं।

महोदय, यह कहा गया है कि नई आर्थिक नीति का दृष्टिकोण अपनाया गया था। हमारे मंत्री महोदय यहां पर साहसपूर्वक कहते हैं कि "हम सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भी आयात नहीं करेंगे। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत हम सार्वजनिक क्षेत्र पर बल नहीं दे सकते है। अतः निजी क्षेत्र को खुला सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) दिया जा रहा है।" हमने उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि सार्वजानिक क्षेत्र के अन्तर्गत आयात नहीं किया जा रहा है हम मुक्त /खुला सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) प्रदान कर रहे हैं और निजी क्षेत्र को आयात करने की अनुमति दे रहे हैं। निजी क्षेत्र के प्रति इस प्रकार की हमारी असीमित आस्था को विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पैदा किया है। वह उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। शायद श्री मनमोहन सिंह और अन्य लोगों ने उनको ऐसा करने की शिक्षा दी है। इसलिए वह कहते हैं कि यहां तक कि जब हमें आयात करना होता है तो हम इसे निजी क्षेत्र को सौंप देते हैं ऐसे समय में निजी क्षेत्र अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत अपना रवैया अपना रहा होता है। आयात में जितनी देरी होती है उतनी ही कीमतों में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि यदि निजी क्षेत्र बाजार में असफल रहा तो आयात के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा। यदि मांग के वर्तमान स्तर की अपेक्षा आपूर्ति कम है तो कीमतों में वृद्धि होगी। बाजार अर्थ व्यवस्था और आर्थिक नीति में जो विश्वास है उसे पैकेज में दर्शाया गया है। निजी क्षेत्र किसी भी कीमत पर जो कुछ भी आयात करना चाहता है, करें। इसके लिए किसी प्रकार की कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी। मूल्य स्तर कुछ भी हो उसकी आपूर्ति के आधार पर जनता को कीमत देनी होती है शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

देश में चीनी की कीमतें बहुत कम हैं। उनकी ऐसी दलील है और ऐसी मानसिक स्थिति बन गई है। इसी के परिणामस्वरूप यह पतन हुआ है। सरकार के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों को देखिए। भारतीय खाद्य निगम को आयात नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोक लेखा समिति ने ऐसा कहा है। मैं उस लोक लेखा समिति का सदस्य था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष थे। उनको भी यह बात याद है। इसलिए, वे एक हथियार के रूप में उसका उपयोग करते हैं। सरकार की,की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों में प्रायः यह क्यों कहा जाता है कि वे इससे सहमत नहीं है ? गैर मध्यस्थता और गैर-आयात को न्यायोचित बताने के लिए हमसे कहा गया कि इस वर्ष फरवरी में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजी गई है जिसके अनुसार उनका कहना है कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम को आयात नहीं करना चाहिए। अब यदि की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें आयात नहीं करना चाहिए तो सरकार को अन्य स्कन्ध, वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि हमें आयात करना चाहिए। यही सिफारिश की गई थी। क्या हमने मन्त्रिमण्डल कैबिनेट का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि देश की जनता को 5000 अथवा 6000 करोड़ रुपयों की लूट से बचाने के लिए आयात करना आवश्यक है? और यदि हमें लोक लेखा समिति ऐसा करने से रोकती है तो कैबिनेट/मंत्रिमंडल को चाहिए कि राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) और खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) को आदेश दें कि यथा शीघ्र आयात करें। अब यही तो नहीं किया गया है मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज जी के इस पूर्व वक्तव्य से सहमत हूं कि यह किसी एक मंत्रालय से संबंधित मामला नहीं है, सम्पूर्ण सरकार, उसकी सम्पूर्ण नीति-उदारीकृत आर्थिक नीति— बाजार पर निर्भर रहती है जोकि आपूर्ति एवं मांग संबंधी नियम को अपनी भूमिका निभाने का पूरा मौका देता है और जो दूसरों को आश्वासित करता है वह जनता की जरूरत की कोई आवश्यक वस्तु मद के लिए किसी प्रकार की राजसहायता देने से रोकता है। अतः इसका क्या हुआ है? मैं नहीं जानता कि किसने कितना बांट लिया है उस आशय का एक वक्तव्य है कि इस सूचना के रहस्योउद्घाटन के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय चीनी उत्पादक संघ (इन्टरनेशनल शुगर कारट्ल्) — आई एस एम ए अथवा आर एस ए अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय चीनी विपणन संघ (इन्टरनेशनल शुगर मार्केटिंग असोसिएशन) अथवा रिफाइन्ड शुगर असोसिएशन आफ लंदन, में कीमतों में वृद्धि हुई है। वे कीमतों में वृद्धि कर रहे थे क्योंकि देश में इस कमी के बावजूद हम विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। हमारे देश में चीनी क्षेत्र में किसी तरह की कमी होने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव उत्पन्न होता है और चूंकि बाजार शक्तियों में विश्वास रखने वाले ऐसी स्थिति को नहीं देख सकते इसलिए जिनका बाजार पर नियन्त्रण और एकाधिकार रहता है, वो अपनी इच्छानुसार कमीतों को घटा-बढ़ा लेते हैं। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि आपूर्ति में कमी होने के आधार पर एकाधिकार वाले मूल्यों में वृद्धि होती है महोदय, वह लोग भी इस लूट में शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित सबसे आश्चर्यजनक खबर यह है—मैं चाहूंगा कि मंत्रीगण इसका खण्डन करें कि इस बार विश्व व्यापी निविदाएं रुपयों में आमंत्रित की गई हैं। और कहानी यह है— वह नहीं जानते और शायद सरकार का एक अंग होने के कारण वह भी जानते हैं— कि मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर निर्धारित किया जा रहा है। ऊंचे मूल्यों पर निर्धारित करार हाथों-हाथ चलता रहा। चीनी के लिए जनता में ताहि-ताहि मचने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को चीनी की खरीददारी में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र ऊंची दरों पर चीनी की खरीददारी कर रहा है। इसमें कोई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें जो भी हो हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम अधिक मूल्य निर्धारित करने की कहानी जानते हैं। इस प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा बाहर ही संचित हो जाएगी लेकिन हमारे दशे में 5000 से 6000 करोड़ रु० की लूट हुई है। यह अन्दर की बात है। इसमें भी विदेशी बहु-राष्ट्रिकों की भी भागेदारी होगी। कुछ राजनीतिज्ञों की मिली भगत से भारतीय व्यापरियों तथा चीनी उत्पादकों

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

ने भी इस लूट में भाग लिया है। यह बोफर्स घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। यह गुणात्मक रूप से उस घोटाले से भी बड़ा घोटाला है जिसे संयुक्त संसदीय समिति उद्घाटित करने की कोशिश कर रही है जिसे घोटाला कहा गया क्योंकि केवल एक ही मद वस्तु ने 5000 करोड़ रुपये का लाभ दिया था। गुणात्मक रूप से, हम जानते हैं कि इस चीनी घोटाले की विशिष्टता उसी प्रकार की है जैसे कि उस घोटाले के मामले में हुआ था। वह जुलाई, 1991 की नई आर्थिक नीति की घोषणा से संबंधित था। उसी प्रकार से, हम एक वस्तु पर इस नई आर्थिक नीति का कार्यान्वयन देख रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि देश की 50 प्रतिशत जनता इसका उपभोग नहीं कर सकती है। फिर भी, शेष 50 प्रतिशत जनता इस नीति के आघात से प्रभावित हो रही है। अतः पहला सवाल यह उठता है कि इन 5000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ? हमें यह पता लगाना होगा कि क्या यह धनराशि उद्योगपतियों के हाथों में गई है, व्यापरियों के हाथों में गई है अथवा उनके राजनीतिक संरक्षकों के हाथों में गई है। केवल सवाल इसी बात का नहीं है कि आपने आंखें मूंद ली हैं। मैं। संयुक्त संसदीय समिति में अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि लूट में भी इनकी हिस्सेदारी है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने सूटकेश शामिल हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि 5000 करोड़ रुपयों की धनराशि कोई छोटी-राशि नहीं है। इस बात की अपेक्षा करना सामान्य बात है कि जब वैसी घटनायें होती हैं, तो ऐसा भी होता है। अब उनको यह बताना होगा कि 5000 करोड़ रुपये कहां गये। दूसरे, हमें इस घोटाले के लिए जवाबदेही निश्चित करनी होगी जिसे कैबिनेट सचिव, खाद्य सचिव, खाद्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम तथा प्रधान मंत्री के कार्यालय ने एक सामान्य घपला कहा है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी असहमति व्यक्त की गई और कई प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाया। हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले में भी इन प्रश्नों का समाधान न हो । मेरे पास एक पत्र है। मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। उनका कहना है कि उन्होंने एक विशिष्ट कीमत पर चीनी की पेशकेश की जिससे इस धनराशि की बचत होती और कीमतों में गिरावट आती। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा पत्र खाद्य मंत्री को भी लिखा है। यदि वे इस बात से इन्कार करते हैं तो मैं पत्र प्रस्तुत करूंगा।

5.41 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, अतः लोक लेखा समिति के शब्दजाल के तहत, किसी नौकरशाह अथवा किसी राजनीतिज्ञ के शब्दजाल के तहत यह पता लगाना चाहिए कि प्रधान मंत्री कार्यालय से इस संबंध में क्या निर्देश मिले थे। इस जवाबदेही को निश्चित करना होगा। मुझे विश्वास है कि उत्तर जो भी हो, वह सन्तोषजनक नहीं होगा क्योंकि कई और विवरणों को उद्घाटित करना होगा। ऐसे कई संपर्कों का पता लगाना होगा और शायद इन सभी संपर्कों का पता लगाने के लिए सभा की समिति द्वारा एक और जांच की जानी पड़ेगी। इससे नहीं बचा जा सकता और इसलिए मेरी यह इच्छा नहीं है कि कम से कम पेटेन्ट्स अधिनियम के सन्निकडन सहित इस अनुभव के आधार पर नई आर्थिक नीति में पूरी तरह से तुरन्त सुधार किया जाये। इसके साथ सब कुछ बदलना होगा अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उनको इन घोटाले की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और यदि सरकार, नई समिति के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करना चाहती है तो यहीं, पर और अभी समिति का गठन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश पी० पाटील (सांगली): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने

[श्री प्रकाश पी० पाटील]

के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझता हूं कि केवल विरोध करने से ही हमारा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे सामने जो प्रौब्लम खड़ी हो गयी है, उस पर हर पहलू से विचार होना चाहिये कि जो कठिनाई बार-बार मालूम पड़ रही है हमें उसकी गहराई में जाकर सोचना है।

सबसे पहले हमें देखना होगा कि 1991 में जब हमारा चीनी का उत्पादन 134 लाख टन था जो कि दुनिया में सबसे अधिक था, उसके बाद 1992-93 में वह घटकर 106 लाख टन कैसे रह गया, उसके पीछे क्या कारण हैं। उन कारणों पर हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्या गन्ने का भाव किसानों को हम अच्छी तरह से नहीं दे पाये जिसके कारण शुगरकेन प्रोड्यूसर्स को ऑयल सीड प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ा, जिससे देश में गन्ने का उत्पादन घट गया और अल्टीमेटली शुगर का उत्पादन घट गया।

नई गवर्नमेंट आने के बाद, कल्पनाथ राय जी के नेतृत्व में, सरकार ने एक नई पौलिसी की घोषणा की जिसके तहत मौलेसिस को डी-कंट्रोल कर दिया गया। उसकी वजह से हमारे सामने यह स्थिति आ गयी कि हम गन्ना किसानों को जो भाव देना चाहते हैं, वह भाव दे भी सकेंगे या नहीं। फिर हमारे शुगर का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुगरकेन ग्रोअर्स को कुछ कंसेशन देने चालू किये जिसके परिणामस्वरूप गन्ने की पैदावार बढ़ने की संभावनायें दिखायी देने लगीं लेकिन 1992-93 में हमारा शुगर का प्रोडक्शन बहुत अधिक घटकर मात्र 98 लाख टन रह गया।

अब हम सब लोगों का प्रयास है कि देश में शुगर की पैदावार 110 लाख टन हो सके और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे कि यू०पी० और कुछ दूसरी स्टेट्स में गन्ना उत्पाकदक गुड़ और खांडसारी की ओर चल गये जिससे शुगर के उत्पादन में कमी आ गयी।

यदि 1991-92 और 1992-93 के वर्षों में देखा जाये तो शुगरकेन के उत्पादन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि उसका क्या भाव हो। उसका क्या भाव है और 50% शुगर हम पूरे साल स्टाक करते रहते हैं। स्टाक के कारण हमारा साढ़े 300 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट का लास हो गया है। जब-जब भी ज्यादा पैदावार होती है। पी०डी०एस० सिस्टम के लिए ज्यादा शुगर जाती है। पहले 50% थी अब 40% जाती है। पहले इस पर 4 रुपए प्रति किलो का घाटा होता था अब 5 रुपए का घाटा होता है। जो शुगर हम बाजार में बेचते हैं उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए भी हमें शुगर भेजनी पड़ती है उसमें भी लोस होता है। जो शुगर जब हमने एक्सपोर्ट की है उसमें 400 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। तो ऐसी हालत में जो बची हुई शुगर है उसमें कुछ को हम बाजार में बेचना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उससे वह कम्पेनसेट नहीं होता है।

इस वर्ष हमारी पैदावार 32 लाख टन ज्यादा हुई है। उसको हम स्टोर करने जा रहे हैं। रिलीज मैकेनिज्म में, जब आपके पास री-सेल के लिए, लेवी के लिए शुगर ही नहीं है, तो आप ज्यादा शुगर कैसे और कहां से रिलीज कर पाएंगे और जो हमारे पास बची हुई रीसेल की शुगर है उसके लिए ज्यादा भाव देने की उम्मीद नहीं है, लेकिन री-सेल करने के लिए नैशनल शुगर फैक्ट्रीज फैडरेशन के माध्यम से हमने 4 लाख टन शुगर का इम्पोर्ट किया है और उसमें से 2 लाख टन शुगर आई है और उसमें से 13 रुपए किलो के हिसाब से हम उसको से पी०डी० एस० के लिए गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं और जो लेवी में कमी है उसमें ढाई लाख टन देने के लिए तैयार हैं, इस बात को उन्होंने पूव किया है। वह हो जाएगा तो जो भी शार्टफाल है, वह दूर हो जाएगा। यहां इम्पोर्ट तो बड़ी तादाद में हो ही रहा है।

अभी जो प्राइसेस हैं वे 235 से 400 डालर तक के बीच में फलक्चुएट कर रही हैं। अगर 235 पर शुगर दे रहे हैं तो यह डीवैल्यूड नहीं है। जैसा जार्ज साहब ने कहा कि 400 डालर तक का भाव है, वह ठीक है। हमारे यहां नवंबर दिसम्बर में शुगर का प्रोडक्शन चालू होता है। ब्राजील में इसका उत्पादन जुलाई में आरंभ होता है। अगर हम जुलाई में परचेज करेंगे, तो हमें सस्ती शुगर मिलेगी। आज मार्केट में 10 लाख टन शुगर का शार्टफाल है। इसलिए रिलीज मैकेनिज्म को इस प्रकार करना चाहिए। शुगर फैडरेशन के माध्यम से हमने बताया है जो भी इम्पोर्टेड शुगर है, उसको 14.50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं बेचेंगे। गवर्नमेंट के टैक्स के बाद भी 15.50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं बेचेंगे, ऐसा प्रामिस करने के लिए तैयार हैं और जब इम्पोर्ट जुलाई में होगा, तो वह शुगर सस्ती पड़ेगी। जो शुगर ब्राजील से आई है वह ज्यादा मीठी नहीं है क्योंकि उसमें हाइब्रीड ग्रेन्यूल्स फारमेशन नहीं होता है और यह ज्यादातर शुगर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होती है।

आज इंटरनेशनल मार्केट में 1.7 लाख मिलियन टन शुगर की शार्टेज है, तो जो भी इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, तो उससे भाव तो बढ़ेंगे ही, जब तक नहीं काप नहीं आ जाती है। जब नयी फसल आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा शुगर इम्पोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास फंड तो हैं ही, इनका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। जब हमारे यहां इतनी कठिनाई आ गई है तो पिछड़े लोगों के लिए पी०डी०एस० के माध्यम से चीनी उपलब्ध करवाएं। देश में ऐसी हालत होने पर भी लोगों को 12 रुपये में चीनी उपलब्ध हो सकती है। शुगर इंडस्ट्री का 700 करोड़ रुपये का लौस हुआ है, एक्सपोर्ट के जरिए भी 400 करोड़ रुपये का लौस हुआ है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकें। हमें किसानों को रैमुनरेटिव प्राइस देना चाहिए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि शुगर इंडस्ट्री ने 12 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने का निर्णय किया। यदि कम्प्रीहैनसिव तरीके से सोचा जाए तो कुछ किया जा सकता है। सरकार ने जो शुगर पॉलिसी अपनाई है, उससे आने वाले सालों में गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गन्ना उगाने के लिए साल-डेढ़ साल लग जाता है। उसके बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की नई चीनी नीति पूरी तरह से असफल हो गई है जिसका नतीजा यह हुआ है कि चीनी की कीमतें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। मौजूदा चीनी संकट 1989 के उस विवाद की पूरी तरह से प्रतिविम्बित करता है जिसने राष्ट्र को हिला दिया था। आज की यह घटना पांच वर्ष पहले घटित हो चुकी घटना जैसी ही है।

1989 में दो माह के दौरान चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और चीनी की कीमत 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी तत्पश्चात उसी वर्ष सितम्बर तक चीनी की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। जिम्मेदारी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय पर और एक नौकरशाह से दूसरे नौकरशाह पर डाल दी गई थी। खेद-की बात है। कि स्थिति इस समय भी भिन्न नहीं है। पिछले वर्ष नवम्बर में जब पहली बार आयात की चर्चा की गई थी उस समय चीनी की कीमत प्रति टन 280 अमेरिकी डालर थी लेकिन असाधारण विलम्ब के कारण देश को प्रति टन 360 अमेरिकी डालर का भुगतान करना पड़ रहा है। इस समय 1989 की तुलना में लगभग दुगनी हानि होने की संभावना है।

1989 के प्रकरण ने निर्वाचन प्रक्रिया में राजीव गांधी की सरकार के पतन में योगदान दिया। इस वर्ष का विवाद, एक ओर मंत्रिमण्डल सचिवालय और खाद्य मंत्रालय तथा दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निविदा जारी करने पर केंद्रित रहा है। लोक लेखा समिति ने पूर्ण जांच के बाद सरकार पर इस घोटाले का आरोप लगाया। लोक लेखा समिति की इस समय भी जांच शुरू करने की योजना है।

[श्री पी०जी० नारायण]

चीनी संकट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चीनी का आयात यह जान लेने के बाद भी कि घरेलू उत्पादन में आठ लाख टन की कमी को और किसी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है जान-बूझ कर रोक दिया गया। मुझे मालूम नहीं है कि सरकार ने आयात लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जबकि मंत्रालय के अधिकारियों ने नवम्बर, 1993 में थी आयात की आवश्यकता पर बल दिया था। मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के 9 मार्च और 12 अप्रैल के निर्देशों और 18 अप्रैल को प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जिन्होंने कभी भी राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने की व्यवस्था करने की चिन्ता नहीं की, ने जो भूमिका निभाई है वह आश्चर्यजनक है।

यदि सरकार ने खाद्य सचिव की आवेगपूर्ण दलील को सुना होता या नागरिक आपूर्ति मंत्री की बात सुनी होती कि आयात के आलावा कोई चारा नहीं है तो नवम्बर, 1993 में उपलब्ध मूल्य पर राज कोष को 225 करोड़ रुपए की बचत होती।

मोलभाव में उपभोक्ता पिछले वर्ष दिसम्बर के मूल्य प्रति किलोग्राम 8 रुपए अधिक देने के लिए बाध्य है। कि पिछले कई महीनों से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। यह बात स्पष्ट है कि सराकर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह चीनी संकट को दूर करने में असमर्थ हैं। मैं समझता हूं कि इसका कारण अदक्षता है। चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने का निर्णय सरकार में उच्च स्तर पर लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है और राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम जैसे सभी तरह के तंत्र हैं इन दो संस्थानों को पर्याप्त अनुभव है लेकिन समूची प्रतिष्ठा गलत इस्तेमाल हुई और अनुभव व्यापक रूप से अनुपयोगी साबित हुआ। सरकार की अविवेकपूर्ण कार्यवाई के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तथापि, यदि सरकारी आम आदमी को हो रही कठिनाईयों से वास्तव में चिन्तित है तो स्थिति को अभी भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। अतः सरकार देश में आम आदमी के हितों की रक्षा क़र पाने में असफल रही है।

महोदय, यदि कोई भी यह समझता है कि चीनी की कीमतें अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं और उसमें आगे वृद्धि नहीं होगी तो यह उसका भ्रम है क्योंकि कीमतें और बढेंगी, विशेष रूप से उन राज्यों में जिनमें इस वर्ष चुनाव करवाए जा रहे हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जब कभी चुनाव होते हैं तो चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं क्योंकि उद्योग और व्यापार को चुनाव निधि में किए गए अंशदान की पूर्ति करनी होती है। अतः यह आंशिक रूप से ही सत्य हो सकता है लेकिन यह एकदम सही है कि इस तथ्य के कारण और चीनी के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने 15 मार्च को ओपन जनरल लाइसेंस के तहत चीनी आयात करने की अनुमति देने की घोषणा कर दी थी लेकिन निर्णय को अधिसूचित में एक महीने का समय लगा दिया। सरकार ने केवल आयात के संबंध में लिए गए निर्णय को लागू करने में बिलम्ब ही नहीं किया बल्कि स्पष्ट रूप से मूल्य वृद्धि को भी बढ़ावा दिया।

तथापि यदि सरकार आम आदमी को चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से हो रही कठिनाई से वास्तव में चिन्तित है तो इस स्थिति को अभी भी कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। साथ ही सरकार को हर माह फ्री सेल चीनी के कोटे की घोषणा नहीं करनी चाहिए। चीनी के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके लिए यह प्रक्रिया दोषी सिद्ध हुई है। जब सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस के तहत चीनी आयात करने की अनुमति दे दी है और अद्यमशील उदारीकरण कार्यक्रम को अपनाया है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी के माध्यम से कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरी करने की जिम्मेदारी लेने के बाद इसका फ्री सेल कोटे से कोई सरोकार नहीं रह जाता। क्या इन गलतियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच की जाएगी?

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि चीनी बाजार को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है और जब तक सुरक्षित भण्डार को बाजार को सुचारू बनाने के लिए दक्षता से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब तक कोई यह उम्मीद कर सकता है कि चीनी की कीमतें आगे चलकर एक वास्तविक स्तर तक कम हो जाएंगी। केवल चीनी उद्योग ही भारी मुनाफा कमा रहा है और जिसका कोई हिसाब किताब बेहिसाब नहीं हो, इस तरह से काला धन जमा हो रहा है। इस तरह की प्रक्रिया के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाए जा रहे हों। पहले इसे ठीक करना होगा। अन्यथा हम चीनी के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।

महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में सरकार की ओर से बहुत अधिक हेरा फेरी हुई है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस साक्षी घटना की पूर्ण जांच संसदीय समिति द्वारा करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सूर्य नारायण यादव को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। यदि आप नहीं बोलना चाहते हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैं विपक्ष के नेता वाजपेयी जी का भाषण सुन रहा था। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव किस बात के लिये लाया गया है?

6.00 म०प०

यह बहस चीनी पर हो रही है और कह रहे हैं कि चीनी का घोटला हो रहा है।---- **(व्यवधान)**---- आप मेरी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए, आप मुझे अपनी भाषा मत समझाइये। जब जार्ज साहब का या वाजपेयी साहब का मैं नाम लेता हूं तो आप क्या हल्ला करते हैं। मैं वाजपेयी साहब को गाली नहीं दे रहा हूं। मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। मान्यवर, जब मैं वाजपेयी जी को सुनता हूं और जार्ज साहब को मैं सुनता हूं तो लगता है, घोटाला है, जाने कितना घोटाला है। इस देश का जनमानस समझता है कि घोटाला हो रहा है और इस घोटाले के अर्थ का आम जनता पर बुरा असर पड़ता है।---- **(व्यवधान)** -- अब आप मुझे कितना सिखायेंगे, मुझे जो बोलना है, वह बोलने दीजिए। यहां इस बात का इतना प्रचार किया गया कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे इस देश की जनता हो, चाहे बेरोजगर नौजवान हो, वह सारे यही समझते हैं कि ----

श्री दिलीप भाई संघाणी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, 6 बज गये हैं और हाउस का टाइम नहीं बढ़ा है तो यह हाउस कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें इस मामले को आज निपटा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको कल रखिए। इसीलिए हमको आज और बैठना चाहिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : इस देश की जनता पर, सरकारी कर्मचारियों पर, आम आदमी पर इसका इतना असर पड़ा और लोक सभा का महत्व, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जहां कानून बनते हैं और काननू का इम्प्लीमेटेशन होता है, वहां इस चर्चा को इतना किया गया है कि आम लोगों में अब यह चर्चा हो रही है कि करो घोटाला, करो घोटाला तो यह देश को कहां ले जा रहे हैं? आप इस देश को क्या समझते हैं?

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा आपसे प्रश्न है कि जब इस देश में आपकी सरकार बनी थी, आज वाजपेयी साहब बोल रहे थे, उस वक्त प्याज की कमी हुई थी तो आंख में लगाकर विपक्ष उसका विरोध कर रहा था, क्या उस वक्त महंगाई नहीं हुई थी, क्या सरसों के तेल का घोटाला आपने नहीं किया था, क्या प्याज का घोटाला आपने नहीं किया था। अगर घोटाले का यही अर्थ है, गड़बड़ घोटाला, मैं यह मजाक में नहीं कह रहा हूं, जब जार्ज साहब बोलते हैं तो यह उदारीकरण की नीति पर आ जाते हैं। आज साहब जब बोलते हैं तो रसातल में देश को ले जाने की बात करते हैं और जब चीनी पर बात आती है तो उदारीकरण की नीति की बात करते हैं। अभी चटर्जी साहब कह रहे थे कि चीनी में किसान को ज्यादा लाइसेंस दे देने के कारण से ही चीनी में महंगाई हो गई।

आप किसान नहीं हैं, मैं किसान हूं। मैं समझता हूं कि किसान को जितना लाइसेंस आप देंगे ...**(व्यवधान)** ... आप सुनिये। मैं आपको बताता हूं, चूंकि आप किसान नहीं हैं, अगर आप किसान रहे होते तो आज आपका किसान विरोधी भाषण नहीं हुआ होता। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, वह कह रहे थे कि किसान को गन्ने का लाइसेंस देने के कारण ही देते हो, इसीलिए चीनी की इतनी कमी हुई है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि किसान को गन्ने की खेती करने के लिए लाइसेंस दो। किसान के गन्ने की खेती को बढ़ाने का काम करो और किसानों को आत्म-निर्भर करो। कहा जाता है कि चीनी को विदेश से आयात करो। मैं कहता हूं कि नहीं, चीनी की कमी इस देश के अन्दर जिस कारण से आई है, अगर आज किसान गन्ना पैदा किए होते तो देश में चीनी की कमी नहीं होती और ऐसी परिस्थिति भी देश में नहीं होती। वाजपेयी जी कह रहे थे ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कृषकों को संरक्षण देने के संबंध में बहुत अच्छी नयी बात की है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं लोगों से अलग हठकर बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि जो कानून बनाता है, उसको कानून बनाने में सही बात को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे जार्ज फर्नान्डीज साहब बहुत विद्वान हैं, जानकारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जार्ज साहब किसान नहीं हैं। अगर किसान हुए होते, तो उदारीकरण की नीति की जो आप बात कर रहे हैं, आज जिससे किसान को लाभ होने जा रहा है, उससे वंचित करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण अभी दिया गया।... **(व्यवधान)** मेरी बात सुनिए। मुझे मौका दीजिए। महाराष्ट्र की चर्चा इन्होंने की और कहा कि महाराष्ट्र में फल लगाओ, सब्जी लगाओ और कहते हैं कि धान की खेती करो, गेहूं की खेती करो, जिससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरसों की खेती न करो, तम्बाकू की खेती न करो, गन्ने की खेती न करो, यही बात आप कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज किसान को आत्म निर्भर करना होगा और उसको अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और किसान को सफल करना होगा। मैं मानता हूं कि कहीं-न-कहीं सरकार में कोई कमी आई है, मैं मानता हूं कि यह कमी फरवरी-मार्च में यदि सरकार मुस्तैद होती, तो यह चीनी की कमी नहीं होती। चीनी की कमी हुई है, तो उसके

लिए सरकार जवाबदेह है। ऐसी बात नहीं है कि सब को काला-बाजार कहो, आप क्रिमिनल या डकैत कहो, लेकिन इन्सान कौन हो, यह मुझे कोई बता दे। इन्सानियत की बात को छोड़ कर और अलग जाकर बात करने वाले, यह कोई इन्सानियत नहीं हो सकती है। इसलिए इन्सान को इन्सान ही रहने दो और सही बात को उजागर करने की कोशिश करो, उसमें हम लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा।

ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि घन्टी बज रही है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको जनता की चिन्ता है, चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, तो सब लोगों के मिल कर ऐसे कामों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सब मिलकर देश की जनता को राहत दे सकें। धन्यवाद,

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से पूर्व वक्ता ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं भी इस विषय पर कुछ कहूं। इस कारण इतने गम्भीर विषय पर, जिस स्तर पर हम लोग विवाद कर रहे हैं, शायद यह विषय के साथ अन्याय नहीं है। जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब उन्होंने हमारे खाद्य मंत्री जी से चाहा, मैं नहीं जानता, खाद्य मंत्री उनका जवाब देने में कितने समर्थ हैं। मैं बहुत दिनों से उनको जानता हूं, लेकिन जाने हुए चेहरे आज अनजाने पहचान पड़ते हैं, क्योंकि पहले जो लोग थे, वे नहीं हैं। सच्चाई से कतराते हुए लागों को जरा भी हिचक नहीं होती। मैं जार्ज की इस राय से तो सहमत नही हूं कि नौकरशाही में जितने लोग हैं उन पर कोई यकीन रखना अब संभव नहीं आखिरकार देश चलाना है, इन्हीं के जरिये चलना है अपने ही देश के लोग हैं। मेरा बहुत अनुभव नहीं लेकिन जो थोड़ा अनुभव है उससे मैं कह सकता हूं कि जो अधिकांश लोग देश के बारे में सोचते हैं और अगर उन्हें सही निर्देश दिया जाये तो सही कदम भी उठाते हैं। चीनी के मामले में एक ही सवाल है जो मैं उठाना चाहूंगा और सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उचित समय पर निर्देश दिये गये और अगर दिये गये तो उनका पालन सही ढंग से हुआ। मैं जानता हूं, यह सही है सरकार को मालूम था कि चीनी की पैदावार कम होगी यह कोई गुप्त बात नहीं थी। सारी दुनिया को मालूम था, खाद्य मंत्रालय को मालूम था। हमारे मित्र मुखर्जी जी को मालूम था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी हालत में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है खाद्य निगम जो है वह आयात करे या तो एस०टी०सी० करे या एम०एम०टी०सी० करे यह बंधन था और खाद्य मंत्रालय ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को यह आश्वासन दिया था कि उसने जो सिफारिश की है उस सिफारिश को हम पूरी तरह से लागू करेंगे। उसके बाद उनके लिये संभव नहीं था कि वे आयात करते।

महोदय, आज कल्पनाथ पर आरोप लगाना आसान है। अभी हमारे मित्र यहां बैठे थे इस समय वह यहां नहीं हैं जो पहले विधि राज्य मंत्री थे सच बात बोलने की कोशिश की तो आज हमारे बगल में बैठे हुए दिखाई पड़ते, कुमार मंगलम जी, वह भय लोगों को सताता रहता है शायद उसी भय से श्री कल्पनाथ राय जी भी आतंकित हों। कहा गया कि हमारे वाणिज्य मंत्री जी अगर कहें तो हमारे वित्त मंत्री जी उनको स्वीकृति देने के लिये तैयार हैं। यह बातें निरंतर अखबारों में छपती रही है कि कोई सरकार की फाइलों की बात नहीं करता इनका जवाब कौन देगा? कल्पनाथ राय जी देंगे या प्रणव मुखर्जी देंगे या वित्त मंत्री देंगे या सबसे ऊपर बैठे हुए हमारे मित्र राव जी देंगे। इनमें से किसी न किसी को तो इसका उत्तर देना होगा। हर विभाग इसलिये निष्क्रिय हो गया कि उसके ऊपर कोई न कोई कहीं बंधन लगा हुआ था और वह बंधन हमारी जो आंतरिक मजबूरियां हैं उसकी वजह से नहीं लगा हुआ था वह बंधन इसलिये लगा था जैसा कि जार्ज ने कहा कि हमने कुछ वायदे कर रखे हैं, हमने कुछ लोगों को विश्वास दिला रखा है उन परिधियों से हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे लोग भूख से तड़पे, हमारे यहां चीनी महंगी बिके लेकिन हम आयात नहीं कर सकते क्योंकि हम उस पर धन नहीं खर्च कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते। हम अपने बजट को बढ़ा नहीं सकते यह बातें हमारे देश में हो रही हैं।

[श्री चन्द्र शेखर]

अभी हमारे कृषि मंत्री जी चले गये, बड़ी सफल कृषि नीति है, हमारे मित्र सूर्य नारायण जी कह रहे थे सही है। जार्ज जी ने कहा कि आज गन्ना महाराष्ट्र में कम बोया जा रहा है। अंगूर का आप निर्यात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों को बधाई है। मुझे प्रसन्नता भी होती है कि अंगूर बिकेगा, किन्नू बिकेगा, अमरूद बिकेगा। दुनिया के बजारों में आएगा, पैसा डालर वहां से, लेकिन चीनी फिर हम लोगों को खाने को नहीं मिलेगी ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैंने उस समय जब गैट करार पर चर्चा हो रही थी तब मैंने खाद्य मंत्री जी से कहा था कि आप क्या नीतियां अपना रहे हैं, निर्यात के लिये कृषि उत्पादन करने की योजना हमारे देश की पहली बार बताई जा रही है। आज से 20-25 वर्ष पहले यह योजना अफ्रीका के देशों को बताई गई, कहा गया किस लिये अनाज पैदा करोगे, पैदा करो कॉफी और कोकवा। इसी सदन में मैं कह चुका हूं, कहा गया बहुत पैसा मिलेगा 12 वर्षों तक कॉफी और कोकवा की बड़ी कीमत मिली। वहां के लोग प्रसन्न थे जिनके हाथों में उद्योग था उन्होंने एक दिन में उस उद्योग की मिट्टी पलीत कर दी। सारे उद्योग ठप हो गये, बड़े-बड़े फार्म मिट गये, बड़े-बड़े कारखाने टूट गये और आज अफ्रीका के वे देश भूख से तड़प रहे हैं। खाद्य के मामले में, चीनी के मामले में, गेहूं, चावल और चने के मामले में। छोटे देश इन चीजों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकते, तो हमारा तो बड़ा देश है, हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आजादी की लड़ाई के जमाने से, जो लोग स्वदेशी और स्वावलंबन में विश्वास रखते थे, उन्होंने इस बात को कहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में प्रधान मंत्री जी की यह बात सुन कर हमको प्रसन्नता हुई कि यह देश स्वदेशी और स्वावलंबन का देश है, गांधी की परंपराओं का देश है। गांधी ने गांव को स्वावलंबी बनाने का सपना देखा था, हम देश को स्वावलंबी बनाने में शर्माते हैं और हम इसको गांधी की परंपरा की सरकार कहते हैं और गांधी की नीतियों का उद्घोष करते हैं, यह हमारे देश की सबसे बुनियादी बात है।

आज महाराष्ट्र का किसान गन्ना क्या बोए, अगर उसकी कीमत कम मिलती है, अंगूर क्यों न बोए, जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है, फिर इसके बदले में चाहे अधिक पैसा देकर सरकार को चीनी का आयात ही क्यों न करना पड़े।

वित्त मंत्री जी अड़ंगा लगाते हैं कि वाणिज्य मंत्री इंपोर्ट नहीं कर सकते, पीएसी ने निर्देश दिया है कि हमारे खाद्य मंत्री नहीं कर सकते और कहा जाता है कि ओजीएल से चीनी मंगाई जाए। देश में उद्योगपति जब चीनी मंगाता है तो वह चीनी की कीमत कम करने के लिए नहीं मंगाता, गरीब के घर तक चीनी पहुंचाने के लिए चीनी नहीं मंगाता, सरकार की मदद करने के लिए चीनी नहीं मंगाता, वह मुनाफा कमाने के लिए मंगाता है।

अभी हमारे मित्र बोले रहे थे, शायद उनका संबंध चीनी उद्योग से है।

एक माननीय सदस्य : चेयरमैन हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : वंसत दादा पाटिल के पुत्र हैं।

श्री चन्द्रशेखर : माफ कीजिएगा, वे ऐसे महापुरुष के पुत्र हैं, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, लेकिन आज वसंत दादा पाटिल भी यह आश्वासन देते हुए 10 बार सोचते, वे सोचते कि 10-12 रुपए प्रति किलो बिक सकने वाली चीनी 18-20 रुपए प्रति किलो क्यों बिक रही है। क्या इसकी जांच होगी? इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या चीनी मिल-मालिक यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? खाद्य मंत्री जी इस बात पर गौर करें।

अचानक क्या होता है हमारे प्रधान मंत्री विदेश जाते हैं, खाद्य मंत्री अपनी कांस्टीट्वेंसी में जाते हैं, तीन सरकारी अफसर, मैं नाम नहीं लूंगा, मिल कर फैसला करते हैं कि 400 करोड़ रुपए की चीनी मंगाई जाएगी। क्यों, किसने उनको अधिकृत किया, कोई पता नहीं। जैसे अभी जार्ज साहब कह रहे थे, एक दिन के नोटिस पर ग्लोबल टेंडर मंगाया जाता है। दूसरे दिन 8 घंटे के नोटिस पर टेंडर को खत्म करने की कोशिश की जाती है और खाद्य मंत्री जब दिल्ली में आते हैं तो उनको कहा जाता ह ाके प्रधान मंत्री के कार्यालय निर्देश दिया गया है। जब खाद्य मंत्री कहते हैं कि इस बात को फाइल पर लिखिए, तो फाइल पर भी इस बात को नहीं लिखा जाता है। उसी अधिकारी ने पीएसी को यह आश्वासन दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समिति ने जो निदेश दिए हैं, उनका पालन होगा। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने यह लिख कर दिया था, फिर इस तरह से क्यों किया, तो वह फाइल खाद्य मंत्रालय से हटा ली जाती है और वह खाद्य मंत्रालय की फाइल पीएसी से मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश को चलाने का यही तरीका है? हम मंत्रियो को गाली दे लें, चन्द लोगों को गाली दे लें, इससे लाभ नहीं होगा। और जब तक यह फाइल नहीं मिलती पीएसी से, तब तक पीएमओ कंट्राडिक्शन नहीं करता कि खाद्य मत्रालय कोई गलत काम कर रहा है। बराबर यह आता रहा है कि खाद्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के आदेशों का उल्लंघन किया है। 7 दिन तक हिंदस्तान और दनियाभर के अखबारों में छपता है, लेकिन पीएमओ चुप रहता है। जब यह पता चलता है कि खाद्य मंत्रालय ने कोई आश्वासन लिखित रूप में उसी अधिकारी के जरिए दिया है, लोक लेखा सामात के सामने, तब उसके बाद यह बयान आता है कि खाद्य मंत्रालय में और प्रधान मंत्री के कार्यालय में कोई अंतर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मैं नहीं जानता कि खाद्य मंत्री जी का इस पर क्या कहना है, मैं नहीं जानता कि यह बात प्रधान मंत्री जी की जानकारी में है या नहीं, लेकिन प्रधान मंत्री जी का कार्यालय एक नए रूप में चल रहा है। अखबारों में पढ़ते हैं कि अधिकारी लोग स्वयं निर्णय लेते हैं। मैंने पहली बार सुना है किसी केबीनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मंत्री की जानकारी के बिना अधिकारी फैसला लेते हों और कह दिया जाता हो कि प्रधान मंत्री कार्यालय से निर्देश आया है। जब अधिकारियों से कहा जाता है कि इस बात को फाइल पर लिखो, तो फाइल पर लिखने से इंकार कर दिया जाता है। चीनी 5 रुपए या 5000 रुपए के भाव से बिके, मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन यह जो प्रवृत्तियां हैं, इनके चलते एक दिन ये लोग देश बेच देंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि किसने देश को बेच दिया। यह मामला साधारण नहीं है इसलिए मैं बोलने पर मजबूर हुआ हूं। इस बहस को इस मामले में मत ले जाओ कि चार या पांच हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। मैं इस सवाल पर नहीं जाना चाहता कि किसने कितनी चोरी की और कितनी घूस ली? सवाल यह है कि क्या हम लोग सभ्य राज या जनतंत्र चला रहे हैं? संसदीय जनतंत्र में हमारे मित्र जो केबीनेट में बैठे हुए हैं, बहुत से मतभेद हो सकते हैं। क्या किसी कैबीनेट के मंत्री के बिना जानकारी के या अन्य किसी मंत्री के जानकारी के इस बात का फैसला इस सरकार को करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल टेंडर जारी किए गए तो उसको अधिकृत किसने किया था? पी एम ओ का मंतलब क्या होता है? प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री या वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, यह मुझे मालूम है और ये ब्यान दे चुके हैं। बाद में ये लोग अपने ब्यानों से मुकर जाते हैं दूसरा सचिव ने मंत्री के खिलाफ बयान दिया। वाणिज्य मंत्रालय के उच्च-अधिकारी कहते हैं कि हमको एक उच्च-अधिकारी ने बार-बार दबाव डाला और बार-बार बीस बार फोन किए गए कि ऐसी कंपनियों को आयात दो जो कि रजिस्टर्ड कंपनी नहीं हैं, यह सब कुछ हो रहा है। आपके जारिए कांग्रेस मित्रों से कहना चाहूंगा कि इसको पार्टी का सवाल मत बनाओ और हर सवाल को राजनीति का सवाल मत बनाओ। मैं जानता हूं कि आप इस मोशन को हरा दोगे। मैं जानता हूं कि आपका

[श्री चन्द्रशेखर]

बहुमत और बहुत-सी बातें मिल जाएंगी। आपने देखा है कि दो बार बहुमत के बाद भी आपको देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया या हमको अस्वीकार कर दिया। सभी लोग अस्वीकार हो जाएंगे। और राजनीति में काम करने वालों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी तो देश का क्या होने वाला है? इस समस्या पर विचार करते हुए आपको इस पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि पी ए सी आपके निर्देश पर काम करती है। पी ए सी को दिए गए आश्वासन खाद्य मंत्रालय की फाईलों से गायब हो जाएं, क्या यह साधारण बात है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी जांच नहीं होगी? इसको इस परिवेश में देखा जाए कि आर्थिक नीतियों से बहुत सारे गुल खिलेंगे। दुनिया में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है कि हम धनी हो जाएं और सुखी हो जाएं। प्रणव जी 1962 से हमारे साथ हैं और हमारे पुराने मित्रों में हैं। उस समय की अर्थ नीति को बदलने में हमने साथ-साथ काम किया है और बरसों तक हमने जद्दीजहद काम किए हैं। एक दिन मैंने कहा था कि ये विश्व के नागरिक हो गए हैं और हम भारतीय नागरिक है। प्रणव जी को देखता हूं तो अचंभा होता है और कल्पनाथ जी को विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। ये समाजवादी आंदोलन से प्रसन्न थे और जब भी बात करने में बहादुरी दिखाते हैं। यह पता नहीं कि आज इनकी सिट्टी-पिट्टी बंद क्यों है? आज क्यों नहीं बोलते हैं। क्या मंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण है कि अपनी मर्यादा का भी ध्यान न रखा जाए। जिस व्यक्ति को मर्यादा का ध्यान नहीं है तो उसके हाथों में देश की मर्यादा कभी सुरक्षित नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। संयोगवश, माननीय अर्जुन सिंह जी आ गए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा : अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वै, न च दैन्यम् न पलायनम। दीन मत बनें और पलायन मत कीजिए। मैं नहीं कहता कि विरोध कीजिए लेकिन संदीन में न बोल सके तो केबीनेट में बोलना चाहिए। यह जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए। जांच कैसे करायेंगे। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मुझे कुछ लेना-देना नहीं है लेकिन मुझे पीड़ा होती है जब देखता हूं कि देश की सारी मर्यादा और हमारे संसदीय जनतंत्र की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और उच्च अधिकारी आपस में लड़कर सारी नौकरशाही के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। ऐसे सारे लोग हमारे शासन तंत्र को चलाते हैं। ऐसा न हो, सबके बारे में वह राय बन जाए और जिस राय की अभिव्यक्ति अभी जार्ज ने की है यह उनके लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरनाक घंटी बज रही है। इसलिए, आपसे कहूंगा कि इस बात को गंभीरता से लें और अगर आप अपने निदेशन से कुछ सही दिशा इन सरकारी लोगों को दे सकें तो बड़ा कल्याण होगा।

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि चीनी मीठी होती है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में यह केवल कुछ व्यापारियों उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों और कुछ नौकरशाहों के लिए ही मीठी है। आम आदमी के लिए यह कड़वी है। महोदय, आप पिछले तीन-चार महीनों के दौरान चीनी की कीमतें देख सकते हैं। इसमें बहुत अन्तर रहा है। दिसम्बर, 1993 में चीनी की कीमत 1260 रुपए प्रति क्विंटल थी। फरवरी में यह मूल्य 1305 रुपए प्रति क्विंटल था। अप्रैल में यह 1400 रुपए प्रति क्विंटल था और मई में 1650 रुपए प्रति क्विंटल था। चीनी के मूल्य में इस अन्तर का आम आदमी पर बहुत अधिक प्रभव पड़ा है। और हम इस मूल्य वृद्धि से बहुत चिन्तित हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा वाणिज्य मंत्रालय की गलती से हुआ, खाद्य मंत्रालय, मंत्रिमण्डल सचिव, उप सचिव या कुल मिलाकर सरकार की गलती से हुआ। ये सभी लोग इस तरह की कुव्यवस्था के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। और सरकार पर दोष लगा रहे हैं कि वह चीनी की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकी है। हमें आश्चर्य है कि यह सरकार वास्तव में आम आदमी के हितों की रक्षा करने की इच्छुक है या वह आपस में लड़ने के ही इच्छुक हैं।

मेरे हिसाब से यह मूल्य वृद्धि सरकार द्वारा निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो गई। लंदन जिन्स विनिमय दरें अप्रैल में प्रति क्विंटल 322 डालर थीं। मई में। यह 338 डालर थी और अगस्त में जब हमने आर्डर दिया यह दर 400 डालर प्रति क्विंटल हो गई। अतः जब क्रेता जल्दी में हो तो बातचीत में विक्रेता को लाभ होता है। इस तरह से राजकोश का हजारों करोड़ रुपये व्यर्थ चले गए। यह राशि लगभग 320 मिलियन बैठती है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम ने चीनी की खरीद के आर्डर दिए थे लेकिन वहां पर भी हेराफेरी हुई। जबकि निजी लोग कम कीमत आर्थात 320 डालर प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं वही राज्य व्यापार निगम इसे 400 डालर प्रति क्विंटल की दर पर उससे भी ऊंची दर पर खरीद रहा है। राज्य व्यापार निगम ने ई टी एल से सौदा किया और इस तरह से 20 अन्य निविदा-दाताओं को कम कीमत पर भी निविदाएं देने से रोक दिया।

महोदय, मार्करिच विश्व का सबसे बड़ा चीनी व्यापारी है। उसने राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम से बहुत कम मूल्य दिए लेकिन उसकी दो शर्तें थी। वे शर्तें यह थीं कि सपुर्दगी भाण्डारागाद से ली जाएगी और भुगतान रुपए में किया जाना चाहिए। केवल इसी कम्पनी नें नहीं बल्कि अन्य कम्पनियों ने भी बहुत कम कीमत पर चीनी आयात की। श्री मल्ल जी राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की पहले एक कम्पनी थी जिसका नाम जी०ई०एस० था। मई में उसने बहुत कम कीमत पर चीनी आयात की। धर्मापुर ने 13,000 टन और ई एस एस ए आर ने 26,000 टन चीनी आयात की। कोठारी सोया ने 26,000 टन और कोठारी सुगर ने 26,000 टन चीनी आयात की। अन्य कम्पनियां भी हैं जिन्होंने बहुत कम कीमत पर चीनी आयात की। इन्होंने 358 से 398 डालर प्रति क्विंटल की दर से आयात किया। निजी कम्पनियों और राज्य व्यापार निगम और धातु एवं खनिज व्यापार निगम के मूल्यों में ये अन्तर है। ये कीमतें घट-बढ़ सकती थी लेकिन अन्य कम्पनियों को इसका अवसर नहीं दिया गया। इसलिए राज्य व्यापार निगम ने बहुत ऊंची कीमत देने की पेशकश की।

महोदय, जब कीमतें इस तरह से बंद रही थी तो भारत ने अमेरिका अन्य यूरोपीयों देशों को चीनी निर्यात की। इन देशों को एक लाख टन चीनी को अंतिम खेप नवम्बर 1993 और फरवरी 1994 के बीच निर्यात की गई थी। हमें मालूम है कि 1991-92 में, चीनी का उत्पादन लगभग 135 लाख टन था, 1993 में उत्पादन 106 टन हुआ था और 1993-94 के दौरान उत्पादन 98 लाख टन होने की संभावना थी जबकि उत्पादन केवल 59.26 लाख टन हुआ। इन परिस्थितियों में इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि प्रत्येक वर्ष हमारी आवश्यकता, खपत में 10 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त लगभग 130 लाख टन है, सरकार ने देश में स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय नहीं उठाए। इसके कारण आम आदमी को भारी नुकसान हुआ भारी मूल्य चीनी 17 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी। इन सब बातों के बाबजूद ये एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। मैं कहूंगा कि इन सब बातों के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। चीनी मिलों के लिए लाइसेंस प्रणाली क्यों होनी चाहिए जबकि इनका नियन्त्रण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की विशाल चीनी लॉबी द्वारा किया जाता हो। यह सब इन चीनी लॉबी से पैसा वसूल करने के उद्देश्य से किया गया था। इससे सत्तारूढ़ दल इन चीनी लॅबियों से पैसा वसूल करने में समर्थ होगा। इन सभी बातों को ठीक करना होगा। मंत्री महोदय चाहे त्याग पत्र दें अथवा न दें, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मैं पुनः मांग करता हूं कि सरकार को पूरी जिम्मेदारी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, 3 वर्षों के दरम्यान नई आर्थिक नीति का नया प्रहार देश की अर्थ-व्यवस्था और आम लोगों पर पड़ा है। मैं कहना चहता हूं कि यह इत्तफाक से नहीं है कि उत्पादन घटता जा रहा है। अब केवल रकबे में एकड़ और हैक्टेयर में किसी वस्तु के उत्पादन को नहीं नापा जाता है। उत्पादकता का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि हमारे देश में ज़मीन ज्यादा नहीं फैली है। तो गन्ने के मामले में, बीज बेहतर देने, उर्वरक देने, सिंचाई का इंतज़ाम करने ताकि सूखे के समय परेशान न होना पड़े, मिलों के आधुनिकीकरण करने, इन सब कामों से हमारी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है कि बाज़ार यह काम कर लेगा।

अध्यक्ष जी, बिहार में चीनी निगम के मातहत जितनी चीनी मिलें हैं और दिल्ली में चौथी लोक सभा के समय हमने अपने यहां की चार चीनी मिलों का बड़ी लड़ाई करके राष्ट्रीयकरण कराया था — समस्तीपुर, रय्याम, लोहट और सकरी। वह आज दस मन चीनी भी पैदा नहीं कर रहे हैं। इस मामले में भारत सरकार बिहार सरकार की एक नीति है। इसलिए में अलग नहीं जा रहा हूं लेकिन मूल नीति का आधार यह है। उत्पादन नहीं बढ़े, उत्पादकता नहीं बढ़े, मशीनों का आधुनिकीकरण नही हो, राज्य चीनी निगम खत्म हो जाए, तब फिर चीनी की कमी अगर आई है, उस नीति के लिए भारत सरकार और इनकी नयी आर्थिक नीति पूर्णतः जिम्मेदार है। अब सवाल आता है कि अगर चीनी का उत्पादन कम हुआ यह तो सबको मालूम था, तो चीनी के उत्पादन कम होने से कीमत में वृद्धि क्यों आए? हमारे जो पुराने मित्र बोले हैं उत्पादन कम होगा तो चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। यहां ऐडम स्मिथ, मार्शल और कैनिथ का अर्थशास्त्र अब और बेहिचक कर हमारे जनगण पर थोपा जा रहा है। लागत, मेहनत, पूंजी और कच्चा माल को मिलाकर कीमत का निर्धारण होता है। अगर उस वस्तु में कमी आ गई तो सब लोगों को नहीं मिलेगी यह बात समझ में आ सकती है, कम मिलेगी, यह बात समझ में आ सकती है लेकिन मनमांगा दाम बढ़ जाएगा यह किस अर्थशास्त्र के तहत होता है?

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : यह नहीं देख रहे हैं कि सब लोग कल्पनाथ राय जी को घेर रखे हैं। उनको मौका देना चाहिए अपनी सफाई रखने के लिए और वह दिल खोलकर बोलेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : अभी कल्पनाथ राय जी के हाथ में चीनी है और उनके मुंह में मिठास है इसलिए उस मिठास के चलते उनको लोग घेरे हुए हैं। इसलिए इस बात पर कि अगर किसी वस्तु की कमी हो तो क्या हमारे देश में लुटेरों का डाकुओं का राज हो जाएगा कि मुंहमांगे दाम लेंगे? कीमत का कोई नियम है, कोई आधार है जिसके लिए कहते हैं बाज़ार का नियंत्रण रहेगा आदमी पर। लेकिन यह बाज़ार क्या कुछ आदमी लूटने के लिए समाज को लेंगे? जो बैंक से पैसा लेकर चीनी को गोदामों में इकट्ठा करते हैं और बाज़ार में जब ज्यादा जरूरत होती है तो गोदाम में रखकर देश को लूटते हैं। अभी हमारे चन्द्रशेखर जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के एक मित्र ने कहा कि चीनी सस्ती होगी। चन्द्रशेखर जी को आश्चर्य हुआ लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है। अब शादी का समय बीत रहा है और बरसात आने वाली है, बाज़ार में चीनी की मांग कम होगी और चीनी की कीमत कम होगी। जब गन्ने के मूल्य का निर्धारण होगा तब ये कहेंगे कि चीनी सस्ती है इसलिए गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। यह लूटने का तरीका है कि चीनी की कम कीमत कर दो, गन्ने वाले को कम कीमत दो और दूसरी तरफ उपभोक्ता को दोनों हाथ से लूटो और बरसात में कम कीमत दो। यह कीमत कम इनकी सफलता से नहीं होने जा रही है, देश को लूटने वालों के हाथ में इन्होंने लगाम छोड़ दी है उसके चलते चीनी सस्ती भी होगी। मैं समझता हूं कि एकाध महीने में ये आयात करें या नहीं तब भी चीनी सस्ती होने जा रही है बरसात के महीने में। हमारे जाखड़ साहब हैं, किसानों के हित की रक्षा के लिए हमारे सामने खुलकर बोलें या न बोलें लेकिन मैं समझता हूं कि किसान

लूटे जा रहे हैं और किसान लुट रहे हैं इसका मतलब यह है कि देश लुट रहा है। क्या फिर जावा से हम चीनी मंगाएंगे जैसे हमारे बचपन में चीनी बाहर से आती थी। थोड़ा प्रयास करके हम चीनी में आत्मनिर्भर हुए, हमने निर्यात करना शुरू किया और यह दौलत खर्च करके विदेश से चीनी मंगानी पड़ रही है और पहले क्यों नहीं मंगाई इसी पर बहस चल रही है।

अध्यक्ष महोदय मैं इसी के साथ चाह रहा हूं कि यह भयंकर चोट जो नयी आर्थिक नीति की हमारे ऊपर पड़ रही है हर मामले में, और कोई मंत्रालय हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कोई सक्षम अधिकारी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम इसको किस काम में करें। अध्यक्ष जी, एक मुख्य सवाल आता है। सरकार को कब इसका भान हुआ? हमारे खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय जी यहां बैठे हैं। इन्होंने कब इसकी पहल की कि चीनी की हमें कमी है इसलिए इसका आयात करना होगा। जैसा कहा गया है कि इन्होंने जनवरी में मांग की तो दो महीने तक कौन बैठा है। किसको बैठने का यह अधिकार है, किसकी यह जिम्मेदारी है, भले ही वह कोई राजनैतिक नेतृत्व हो या कोई प्रशासनिक नेतृत्व हो, किसी की गरदन, किसी का मस्तक सड़क पर लेटेगा या नहीं, किसी को इसकी कीमत देनी होगी या नहीं?

मैं समझ रहा हूं कि हमारे मंत्रालयों में जो कसकर झगड़ा चल रहा है, जिसके बारे में हमने अभी अखबारों में पढ़ा है मगर सारा देश तो लुट रहा है। यह एक मंत्री या दूसरे मंत्री, किसी एक अधिकारी या दूसरे अधिकारी का सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन में प्रधानमंत्री जी खुद आकर बहस का उत्तर दें, वही बेहतर होगा क्योंकि अधिकारी यहां कोई जवाब देने के लिये नहीं आ सकता। जब प्रधानमंत्री जी का विमान जा रहा था, सदन का सत्रावसान 13 तारीख को हुआ, उस समय तक इसकी कोई भनक नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय हमारे खाद्य मंत्री लापता हो गये, यद्यपि वे भारत में ही थे, लेकिन लापता हो गये। इसलिये खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय बाहर से चीनी आयात करने के बारे में ले लिया। यदि यह भी सच बात है कि जो ग्लोबल टेंडर हुआ, उस विश्व भर के टेंडर के लिये 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे का समय ही दिया गया बावजूद इस बात के कि लोक लेखा समिति ने इस संबंध में सिफारिश की थी लेकिन उस सिफारिश के खिलाफ काम हुआ। मैं अपने मित्र की तरह यहां नहीं कहना चाहता कि हमारी सिफारिश की गयी तो मानने के लिये की गयी, यदि सिफारिश की गयी तो उसे आपने माना और यदि माना तो उसके खिलाफ, उसका उल्लंघन करके बिना निबंधित लोगों को कैसे टेंडर दे दिया, कैसे उसे स्वीकार कर लिया। क्या इस देश में कोई कायदा है या नहीं, कोई कायदा रह गया है या नहीं? नई आर्थिक नीति का मतलब क्या वह होगा कि कोई भी आय, सरकार के खाते में, कोई जान-पहचान का व्यक्ति हो या न हो, भले ही कोई निबंधित व्यक्ति है या नहीं है, भले ही हमारे किसी ढांचे से, जैसे एम एम टी सी है, राज्य व्यापार निगम है, उसका कोई लगाव हो या न हो, लेकिन आपने उसे टेंडर दे दिया, उसको स्वीकार कर लिया और वह भी कुछ ही घंटों में, मैं समझ रहा हूं कि यह भयंकर बात है। यह केवल चीनी का ही मामला नहीं है, हमारा वित्तीय आधार कहां खिसक रहा है, कैसे उसकी नीति का निर्धारण होगा, यह मामला ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है।

अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं कि यह कई मंत्रालयों का मामला है इसलिये खुद प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर जवाब देना चाहिये और लोगों को विश्वास में लेना चाहिये ताकि इस बारे जो भयंकर काम हुआ है, चीनी की कीमत के मामले में ही नहीं, देश की नीति के मामले में, विदेशी मुद्रा के मामले में और अगले साल किसान और कम गन्ना पैदा करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप हमें कम पैसा दीजिये, विदेशों में धन लुटाईये

[श्री भोगेन्द्र झा]

और जो पैदा नहीं करता, उपभोक्ता भी नहीं है, वह लूटकर मालोमाल हो जाये। क्या ऐसा कोई यंत्र इस सरकार के पास है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, उनसे पैसा वापस लिया जा सके। वित्त मंत्री जी? अनर्जित आय और धन के लिये तो आपके पास अनेकों रास्ते हैं लेकिन इसमें जिस तरह 5-6 हजार करोड़ रुपया लूटा गया वह भी सिर्फ डेढ़ दो महीनों के अंदर, उसके लिये क्या आपके पास कोई आधार नहीं है यह बड़ी भंयकर चीज हुई है। अभी अखबारों में आया है कि हमारे शासक दल की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नियंत्रित तरीके से नई खाद्य नीति को चलायेंगे। यानी बिलाव को दूध पीने देंगे लेकिन थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप नियंत्रण का सबूत दें कि जिन्होंने 5-6 हजार करोड़ रुपया लूटा है, उन पर आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं, उनसे वसूलने का कौन सा रास्ता है और देश के किसानों और उपभोक्ताओं को आगे के लिये आप कौन सा आश्वासन देने जा रहा है ताकि फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो

अध्यक्ष जी, इसके साथ मैं अधिक न कहते हुये, हमारे साथी रामाश्रय प्रसाद सिंह ने जो कामरोको प्रस्ताव पेश किया है, इसका समर्थन करता हूं और चूंकि सरकारी पक्ष ने भी इसका विरोध नहीं किया है यानी उन सबकी राय से यह प्रस्ताव यहां पेश हुआ है, मैं समझता हूं इसमें कुछ गलती का अहसास उन्होंने भी दिखलाया है। अब मतदान के समय भी आप विरोध का इस्तेमाल न करें। इसके लिये जो भी व्यक्ति दोषी हो, उसे दंडित करके देश के सामने, सदन के सामने लायें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस समय शुगर की कीमतें अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। काफी देर से हम इसकी चर्चा कर रहे है और इस चर्चा में बार-बार एक ही बिन्दु घूमकर सामने आ रहा है कि आयात में विलम्ब किया गया और आयात के लिये आर्डर न देने का दोषी कौन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय भी देश में शक्कर की कोई कमी नहीं है और शक्कर की जो मार्केट में शाटेज है और जो दाम बढ़े हैं उसके लिए खाद्य मंत्रालय सीधा-सीधा जिम्मेदार है। इस समय, इस साल देश में शक्कर का पेडिंग बैलेस शुरू में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31.13 लाख टन था। अभी तक का उत्पादन 93 लाख टन है और यह टोटल होता है 124.13 लाख टन और सितम्बर तक जब तक यह वर्ष समाप्त होगा तब तक 4 लाख टन शक्कर का उत्पादन और हो जाएगा और इस प्रकार से शक्कर का कुल स्टाक इस देश में 128.13 लाख टन होगा। जबकि देश में पिछले साल खपत केवल 120 लाख टन हुई है और इस साल जैसे कि ये शक्कर रिलीज कर रहे हैं ओपन मार्केट में उसके अनुसार केवल 115 लाख टन शक्कर की खपत होगी और इस प्रकार से सरकार के पास 13 लाख टन शक्कर बच जाएगी। फिर आप कहेंगे कि शक्कर इतनी ज्यादा है, तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में एक शुगर लॉबी काम कर रही है जिसमें बड़ी-बड़ी चीनी मिलों के मालिक हैं, इस सरकार के बड़े-बड़े थोड़े से सरकारी व्यापारी हैं। इस देश के आम व्यापारी इसमें फंसे हुए नहीं हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इनके जो चहेते व्यापारी हैं, जिनको हम रिश्तेदार व्यापारी कहें, उनके द्वारा ये कीमतें बढ़ाई गई हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश में 1991 की जनगणना के अनुसार ओपन मार्केट में सवा 6 लाख टन से लेकर साढ़े 6 लाख टन शक्कर चाहिए, परन्तु खाद्य मंत्रालय हर महीने शक्कर कम देता है क्योंकि शुगर लॉबी के चंगुल में खाद्य मंत्रालय फंसा हुआ है। ये उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

मैंने कई बार कंसल्टेटिव कमेटी में आगाह किया, फूड सैक्रेट्री को आगाह किया, मैंने माननीय मंत्री जी को आगाह किया, परन्तु उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी 10 मई को एक मीटिंग बुलाई गई थी, वह मेरे कहने पर बुलाई गई थी, मैंने कहा था कि शक्कर के दाम बढ़ने जा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप फौरन एक मीटिंग बुलाइए। मीटिंग बुलाई जिसमें व्यापारियों और मिल मालिकों को बैठाया गया। वह मीटिंग हमारे खाद्य मंत्री जी ने बुलाई थी।

मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे मेरी इस बात का जवाब अपने उत्तर में जरूर दें कि मई के महीने में रिलीज कोटे के कारण क्या दाम नहीं बढ़े हैं? सरकार को ओपन मार्केट में शक्कर को रिलीज करने की नीति के कारण ये दाम बढ़े हैं और यह नीति मंत्री जी या मंत्रालय द्वारा कंट्रोल नहीं हुई बल्कि शुगर लॉबी के द्वारा कंट्रोल हुई है। इसको खाद्य मंत्री जी और खाद्य सचिव कंट्रोल नहीं कर पाए।

मैंने इसके लिए बार-बार आगाह किया। शुगर लॉबी के लोग भी बैठे हुए थे। उस समय भी मैंने कहा कि शक्कर के दाम और बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि मिल डिलीवरी में शक्कर के दाम 1421 रुपए प्रति क्विंटल और 85 रुपए एक्साइज ड्यूटी तथा 30 रुपए और इसके ऊपर खर्च आता है और इस प्रकार से चीनी साढ़े 15 प्रति किलो पड़ रही है। इसलिए रिटेल में इसके दाम साढ़े 16 रुपए प्रति किलो से कम नहीं होने चाहिए।

क्या कारण है कि किसानों को गन्ने का रेट तो वही दिया गया और जिस समय गन्ने का रेट दिया गया उस समय चीनी का रेट साढ़े 900 रुपए प्रति क्विंटल था और इसके बाद शीरा डीकंट्रोल कर दिया गया। कैसे डीकंट्रोल किया गया, इसकी बड़ी लम्बी कहानी है।

मैं उसे यहां कहना नहीं चाहूंगा। वह जो सीधा डीकंट्रोल किया गया, उसमें भी शुगर लॉबी का हाथ था। इनका एक नियम है कि यदि शुगर के दाम बढ़ेंगे, शीरे के दाम बढ़ेंगे तो जितने दाम बढ़ेंगे, उसका 50 प्रतिशत फार्मर्स या कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। जब शीरा डीकंट्रोल किया गया और 20 रुपये क्विंटल से 100 रुपये क्विंटल बिका तो क्या उसका 50 प्रतिशत हिस्सा दिया गया? मैंने मीटिंग से यह बात कही थी लेकिन उस पर कोई ध्यान ही दिया गया। दाम क्यों बढ़े? सवा छः लाख टन शक्कर ओपन में चाहिए लेकिन जनवरी में 5.75 लाख टन रिलीज़ की गई, फरवरी में 5.65 लाख टन, मार्च से 6 लाख टन, अप्रैल में 5.45 लाख टन। यहां तक कि शक्कर की कीमत 12 रुपये थी और जब शक्कर कम की गई तो कीमत 13 रुपये हो गई। तब मई में शुगर लांबी ने ऐसा पंजा फैंका कि केवल 4.90 लाख टन शककर रिलीज़ की गई और मई में ही शक्कर ढाई रुपये किलो बढ़ गई। ये इनके आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में दिसम्बर में होलसेल मार्किट 1260 थी, फरवरी में 1302 और अप्रैल में 1400 थी। मई में ही इन्होंने जब रिलीज कोटा कम किया तब दाम साढ़े सोलह हो गए। मैंने कमेटी में आगाह किया तो मुझे ये आंकड़े दिए गए कि 92 हजार टन शुगर इम्पोर्ट होकर आ गई जबकि एक दाना भी नहीं आया था। 10 मई में बैठक में मैंने कहा था ..... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : आपको बार-बार बैठक का रैफरैंस नहीं देना है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैंने इनको आगाह किया था कि अभी शुगर मार्किट में नहीं आई है, अभी आप सवा छः लाख टन रिलीज करें। यदि मई में 6 लाख टन शुगर रिलीज की गई होती तो शायद ये दाम नहीं बढ़े होते। लेकिन बार-बार कहने पर भी यह बात नहीं मानी गई। नतीजा यह हुआ कि जब 4.90 लाख टन शक्कर रिलीज हुई तो ढाई रुपये किलो दाम एकदम बढ़ गए।

[श्री श्यामबिहारी मिश्र]

मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में मई में रिलीज़ शेयर कम किया गया? ये जवाब दे देंगे कि हमने इसलिए किया क्योंकि 15 मार्च को ओपन जनरल लाईसैंस के अन्तर्गत शक्कर आयात की छूट दे दी थी। आपने छूट तो दे दी लेकिन क्या यह कैलकुलेट किया कि हिन्दुस्तान में शक्कर कितनी आई? आज आयात की क्या स्थिति है? अभी भी हमारा कोटा कम करने जा रहे हैं। जून में 5.60 लाख टन शुगर रिलीज हुई। मैंने आगाह किया कि त्यौहारों का समय है, ब्याह-शादियां हैं, साढ़े छः लाख टन कीजिए। शक्कर आलरैडी है फिर रिलीज क्यों नहीं की जा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। बार-बार आयात की बात कही जाती है। आयात की बात तो बाद की है, जो पी०डी०एस० की शक्कर है, उसका स्टॉक हमारे पास कम है। ओपन मार्किट की शक्कर का स्टॉक अक्टूबर या नवम्बर में कम हो सकता है क्योंकि तब नया वर्ष शुरू होता है और तब तक हमारी शक्कर आयात हो जाएगी। लेकिन बराबर कम रिलीज की जाती रही।

अभी तक केवल 6.81 लाख टन के सौदे हुए हैं जिसमें से पोर्ट के ऊपर 2 लाख 90 हजार 345 टन शुगर आई है, जिसमें से अनलोड केवल 2 लाख 30 हजार 448 टन हुई है और मार्किट में अभी तक केवल 1.27 हजार टन आई है। वह मार्किट में नहीं आएगी और आप कैलकुलेट कर लेंगे कि मार्किट में आ गई।

एक बात और कहना चाहता हूं। सारी शुगर का स्टॉक रखने पावन हिन्दुस्तान की शुगर मिलों को है। जो थोक व्यापारी हैं, थोक व्यापारी और शुगर मिल के बीच में एक व्यापारी और है, उसकी स्टॉक सीमा केवल ढाई सौ क्विंटल पर रखी गई है और उस पर यह पाबन्दी है कि आज जो माल वह रिसीव करेगा, 7 दिन के अन्दर उसे बेच देगा। इसके मायने जो भी शुगर का स्टॉक है वह सब शुगर मिलों के पास है, व्यापारियों के पास नहीं है और यदि व्यापारियों के पास है तो उन सरकारी व्यापारियों के पास है जिन्होंने अभी शुगर इम्पोर्ट की है क्योंकि उनको आपने छूट दे रखी है जो शुगर इम्पोर्ट करने वाले व्यापारी हैं, उनको आपने छूट दे रखी है कि वे चाहे जितने दिन रखें और चाहे जितनी मात्रा में रखें। बाकी सब को छूट नहीं है। शक्कर के दाम बढ़ने का मुख्य कारण गवर्नमेंट की रिलीज पालिसी है। अगर आप अगले महीने सवा 6 लाख टन चीनी रिलीज कर देंगे तो शक्कर के दाम गिर जायेंगे।

आपने 15 मार्च को आपेन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत शक्कर आयात करने का आदेश दिया था। उस समय 297 से 275 तक के सौदे बड़े व्यापारियों ने किये। आज वह 380 रुपये में क्यों बिक रही है? इस पर आपका क्या कंट्रोल है? आपने इस पर क्या पाबंदी लगायी है? आज शक्कर 294, 275 और 280 में आ रही है। वह कितने मुनाफे में बिकी, उस पर आपने कोई कंट्रोल लगाने का काम नहीं किया। पिछली एक मर्तबा आपने मिल वालों का बहुत धन्यवाद किया था। आप पी०डी०एस० के लिये नो प्रॉफिट नो लॉस में 12 हजार टन में शक्कर दे रहे हैं। 12 हजार टन में शक्कर आई या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने यह जानने का प्रयास किया था कि 12 हजार टन में शक्कर क्या नो प्रॉफिट नो लॉस पर दी गई या नहीं? आज यह शक्कर दस-साढ़े दस रुपये में एयरपोर्ट में पड़ी हुई है लेकिन वह 14-15 रुपये में बेची जा रही है। इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि आयात में विलम्ब किया गया। मैंने दिसम्बर-जनवरी के महीने में आपको आगाह किया था कि शक्कर इम्पोर्ट होनी चाहिये। तब यह कह दिया गया कि कोई कमी नहीं है। बाद में कमी आ गई। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शक्कर के दाम जो साढ़े सोलह रुपये हैं, उसके लिये खाद्य मंत्रालय और खाद्य मंत्री सीधे रूप से जिम्मेदार हैं। आयात नीति में कौन-कौन जिम्मेदार हैं, यह एक अलग मैटर है। देश में जो शक्कर के दाम बढ़े हैं, इसके लिये सीधे खाद्य मंत्रालय और खाद्य मंत्री जिम्मेदार हैं। इनकी नीतियों के कारण शक्कर के दाम बढ़े हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच करायी जाये और सारे तथ्य सदन के सामने रखे जायें।

अभी इन्होंने गुड़ नियंत्रण आदेश लागू कर दिया है। अभी गुड़ नहीं बन रहा है और इसका उत्पादन बंद है क्यों कि यह एक सीजनल व्यापार है। जो गुड़ बन गया है वह अगली अक्टूबर तक खाया जायेगा। नया गुड़ दिसम्बर में आयेगा। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप इसे लागू न करें। आपने एक आदेश के द्वारा यह कहा था कि जिन के पास गुड़ का स्टॉक है, वे 15 दिन के अन्दर उसे बेच दें। आपके इस गुड़ नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत 15 दिन में सारा माल बिक जायेगा तो एक महीने के बाद गुड़ कहां से मार्किट में आयेगा और कौन उसे खरीदेगा? मैंने बार-बार आपसे आग्रह किया था कि लोगों को गुड़ की चाय तो पीने दो। उसके बावजूद आपने गुड़ पर नियंत्रण लगा दिया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस गुड़ नियंत्रण आदेश के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। तमाम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। बड़े व्यापारियों को तो इससे फायदा हो रहा है लेकिन छोटे और आम व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण दें और गुड़ नियंत्रण आदेश को वापस लें तभी गुड़ आम नागरिकों को उपलब्ध हो पायेगा। इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : गुड़ शराब निर्माताओं को दिला दिया जिससे शराब बेची जा सके।

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, चीनी पर बहस बड़ी मिठास के साथ होनी चाहिये थी मगर इसमें कड़वाहट आई है और वह दूसरा रुख ले गई है। इसको संजीदगी के साथ देखना चाहिये और इसका हल ढूंढना चाहिये।

सभी लोग यह मानते हैं और यह ठीक भी है कि गन्ने का उत्पादन कम हुआ जिस की वजह से चीनी कम हुई।

7.00 म० प०

यहां जो दलील दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि चीनी को बाहर से मंगाया जाए, मैं समझता हूं कि यह इसका कोई हल नहीं है। यहां बहस में यही बात है कि मंगाई गई है या नहीं लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि यह मुल्क के हित में है कि बाहर से चीनी मंगाई जाय या नही।

यहां हमारे विरोधी दल के नेता ने महात्मा गांधी जी का नाम लिया। अगर आज महात्मा गांधी होते तो यह नहीं कहते कि बाहर से चीनी मंगाई जाय, वह कहते कि चीनी कम खाओ। मैं समझता हूं कि चीनी कम खाने से देश का भला हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भी एक नारा दिया था और उसमें उन्होंने हमारे नोर्थ इंडिया के लोगों से कहा था कि आप जो धान की फसल है, उसको मत खाओ, इसको आप साउथ वालों को लेने दीजिए तो उस बात को मानकर तब से हमने चावल को खाना छोड़ दिया, हमने उनकी अपील पर चावल का त्याग किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को चाहिए था कि अपने साथियों को अपील करने की कहते और यह हाउस अपील करता कि इस वक्त देश में चीनी का संकट है, उसको देखते हुए चीनी का कम इस्तेमाल किया जाए। मैं नहीं कहता कि बाहर से मंगाने से चीनी के भाव में कमी आ सकती है या बाहर से चीनी मंगाकर अपना सिक्का जाया करना ठीक है या नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो हमारे साथी लोग यह कहते हैं कि चीनी मंगाने में घोटाला हुआ है, चीनी बाहर से नहीं मंगाई गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बाहर से चीनी आयेगी, चाहे एफ०सी०आई० मंगाये या एम०एम०टी०सी० मंगाये या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मंगाये तो अगले महीने फिर सैशन होगा तो जार्ज

[श्री उमराव सिंह]

जी कहेंगे कि बाहर से चीनी मंगाई गई है, उसमें घोटाला हुआ है। अगर कम चीनी पैदा हुई है तो उसमें भी घोटाला और अगर बाहर से मंगाई गई है तो उसमें भी घोटाला हुआ है, क्योंकि उससे कीमत कम नहीं होगी। या तो हम सरकार के खजाने से चीनी पर सब्सिडी दें, नहीं तो मसला हल होने वाला नहीं है।

जब तक हम हमारे देश में गन्ने का उत्पादन ज्यादा नहीं करते, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आज गन्ने के किसान के सामने बहुत मुश्किलात हैं। आज गन्ने का भाव बहुत कम है, इसलिए गन्ने की फसल कम बोयी जाती है और उसकी फसल कम होती है। गन्ने की फसल साल भर में एक बार मिलती है। अगर किसान गन्ने न बोये तो उसको उसकी जगह तीन फसलें मिलती हैं और उससे उसका ज्यादा लाभ होता है, उतना लाभ गन्ने की काश्त में नहीं होता इसलिए आने वाले वर्ष में किसानों को गन्ने की इतनी कीमत दी जाय ताकि वह दोबारा गन्ने बोयें। मैं समझता हूं कि इससे देश में चीनी की जो कमी है, वह पूरी हो सकेगी।

आपको शायद यह पता नहीं है कि जब किसान गन्ना मिलों में लेकर जाता है तो दिसम्बर और जनवरी की रातों में दो-दो दिन उसे मिल के दरवाजे पर ट्राली लेकर खड़े रहना पड़ता है। सर्दी के दिनों में वहां खड़े रहना कितना मुश्किल काम होता है, हम इस चीज को नहीं समझते हैं। इस चीज की गहराई में जाने की कोशिश हम नहीं करते। अगर चीनी का मसला हमेशा के लिए इस देश में हल करना है तो चीनी की जो जरूरत है, चीनी की हमारे देश में जो खपत है, उसे हमें कम करना होगा। आज दुनिया के किसी देश में, किसी घर में या किसी काफी हाउस में आप चले जाइये तो वहां चाय या काफी में शक्कर नहीं पीते हैं लेकिन हमारे यहां अटल बिहारी जी वाजपेयी कहते हैं कि अब शरबत पीने का जमाना आ गया है, इतने बड़े-बड़े गिलास शरबत पीने का जमाना आ गया है। लोग किधर जा रहे हैं और हम सेहत खराब करने के लिए चीनी की बात कह रहे हैं। चीन कम करो और अपनी सेहत बनाओ। मैं आपकी मारफत यह कहूंगा कि हमारे खाद्य मंत्री जी को आज यह ऐलान करना चाहिए कि आज से उन्होंने चीनी छोड़ दी, तो उनकी सेहत बन जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चीनी की आवश्यकता को पूरा करना है, तो चीनी की खपत को कम करना चाहिए। कहा गया कि चीनी मीठी भी है, चीनी में गर्मी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि चीनी में जहर भी है। इसलिए प्रचार किया जाए कि इससे देश को फायदा होने वाला नहीं है। हमारे खेती-बाड़ी मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधान हैं इतने बड़े किसान हैं, वे इतना मोटा गन्ना पैदा करें, ताकि हमारे देश में गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो और मिलों में गन्ना ज्यादा आए और देश की खपत पूरी हो सके। बाहर से चीनी मंगाने में मैं समझता हूं कि देश का फायदा होने वाला नहीं है। हमें बाहर से चीनी नहीं मंगानी चाहिए। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी अपील कर सकते हैं कि नार्थ इंडिया के लोग चावल न खायें, तो हम भी आज हिन्दुस्तान के लोगों से अपील कर सकते हैं कि जितनी हमारी चीनी की खपत है, उसको आधा किया जाए। मैं समझता हूं, जब जाकर मसला हल होगा।

इसके साथ जो मोशन रखा रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। इससे कोई देश का फायदा होने वाला नहीं है, विदेशी मुद्रा खर्च होती है। आज निर्मल कान्ती चैटर्जी जी ने कहा कि आज गरीब लोग 50 फसीदी चीनी नहीं खाते हैं। जब 50 फीसदी लोग चीनी के बगैर रह सकते हैं, तो हम लोग भी उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं। यही हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। इसलिए ज्यादा चीनी खाने से उनके उसूलों पर नहीं चल सकते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज हम एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस चीनी की लूट में हिन्दुस्तान के उपभोक्ता और नागरिकों की लूट में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत

सरकार का खाद्य मंत्रालय और खाद्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय, इन सब की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए कि इनके आचरणों की जांच के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, उसको सुनिश्चित करके भारत के राजनीतिक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इनको कटघरे में खड़ा करके दंडित किया जा सके, यह मैं आदरणीय सदन से मांग करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं कहना चहता हूं, जो साथियों ने कही हैं, इस चीनी की लूट के लिए नीतियां जिम्मेदार हैं। नीतियां तो हैं ही, व्यक्ति भी जिम्मेदार हैं और व्यक्ति की कोशिशें भी जम्मेदार हैं। कुल बहस इस बात की नहीं है कि इस साल चीनी की कमी हुई और समय पर चीनी आयात नहीं की गई। इसलिये चीनी के दाम बढ़ गए। इस तर्क और तथ्य को स्वीकार करने से मैं इनकार करता हूं क्योंकि पिछले तीन साल से लगातार इस देश में अतिरिक्त चीनी का उत्पादन हुआ है, यह चौथा साल है जब इस देश में चीनी का उत्पादन हमारी खपत से कम हुआ। मैं आंकड़े पढ़ना चाहता हूं — 89-90 में 1 करोड़ 9 लाख टन चीनी हुई, 90-91 में 1 करोड़ 20 लाख टन चीनी हुई, 91-92 में 1 करोड़ 34 लाख टन चीनी हुई। जब भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष हम दुनिया के सबसे अधिक चीनी उत्पादक देशों में हो गए हैं और हमारा देश अब इस देश से बाहर चीनी को भेजने की स्थिति में आ गया है, पिछले साल भी 160 टन चीनी हुई जो हमारी खपत के करीब-करीब बराबर थी। 3 साल तक सरप्लस चीनी का उत्पादन करने के बाद 1 साल जब हमारी खपत से 7-8 लाख टन चीनी कम हो गई तो लगातार यह दाम क्यों बढ़े, इसकी जवाबदेही सरकार की इस सदन में है, इसलिये कि केवल समय से हमने आयात नहीं किया और चीनी की उत्पादन में कमी हो गई यही कारण नहीं है। इसका कारण इस सरकार की नीतियां, इस सरकार की नीतियों को चलाने वाले मंत्री और इस मंत्रालय में बैठने वाले अधिकारी सभी सम्मान रूप से जिम्मेदार हैं, यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस देश में कमी हुई तो सरकार को बाहर के बाजार की जरूरत नहीं थी, लेवी इम्पोर्ट करके, जब भी जिस साल उत्पादन कम होता है सरकार हमेशा मिलों के ऊपर जो फ्री सेल चीनी है और जो नियंत्रित दाम की चीनी है उसके रेश्यों को बदलती, बढ़ाती और घटाती रही है। जब एक बार चीनी की कमी हुई तो भारत सरकार ने 55 फीसदी लेवी लगा कर जो नियंत्रित मूल्य की चीनी थी उसको पीडीएस के जरिए बेचने की, मिलों से वसूलने का काम सरकार ने किया, लेकिन उस सरकार ने रेश्यो बदल दिया 35 फीसदी चीनी पीडीएस के लिए है और 65 फीसदी चीनी खुले बाजार के लिये मिल-मालिकों को यह सरकार दिये हुए है। दो छूट और दी कि यदि आप नयी मिल लगाते हैं तो आपको लेवी चीनी देने से छूट होगी, यह सरकार ने अपनी तरफ से नियम बना रखा है। नतीजा यह हुआ कि खुला पूरा बाजार हिन्दुस्तान के मिल मालिकों के हाथ में हिन्दुस्तान की सरकार ने दे रखा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, जब चीनी की इस साल उत्पादन में कमी हुई तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी लेवी का प्रतिशत बढ़ा करके भारत के चीनी मिल मालिकों से उस चीनी के हिस्से को इस देश के अपने बफर स्टॉक में अधिक-से-अधिक जमा कर सकती थी लेकिन उस काम को नहीं किया। दूसरी बात क्या हुई कि जो ओपन लाइसेंस पॉलिसी इस सदन के भीतर हम लोग बहस कर रहे थे उस पर सवाल किया गया तो हमारे मंत्री जी कहने लगे कि आप अटैची लेकर जाइये और बाहर से चीनी लेकर आइये। फिर पूछा गया कि भई आने वाले मानसून सीजन में इस देश के बाहर की जो महंगी चीनी है उसको मंगा कर इस देश में आप चीनी कैसे सस्ती बेचेंगे तो हमारे मंत्री जी का इस सदन में जवाब था कि हम जुलाई महीने में चीनी मिलों को उत्पादन के लिये चालू कर देंगे। इतने गंभीर ढंग से मंत्रालय ने और माननीय मंत्री जी ने चीनी के सवाल को लेने का काम किया है, लेकिन मैं

[श्री महोन सिंह]

कहना चाहता हूं कि ऊपर से जो इन्होंने गंभीरता का वातावरण बनाया उतने गंभीर यह अंदर से नहीं हैं यह मिलीजुली भगत थी। जिन चीनी मिलमालिकों ने अपने पास सरप्लस स्टॉक रखा है उन्होंने ज्यों ही जनरल ओपन पॉलिसी खुली तो बाहर से चीनी का आयात किया है। मैं उनके नाम पढ़ना चाहता हूं। वे सारे हिन्दुस्तान के बड़े चीनी मालिकान हैं जिन्होंने आपकी इस पॉलिसी का उपयोग करते हुए बाहर से चीनी मंगाई। वे हैं — ऐशिया शुगर्स, बलरामपुर, धामपुर, भोपाल शुगर, अरूणा शुगर वगैरह-वगैरह, मैं सब नाम पढ़ना नहीं चाहता। वे हिन्दुस्तान के जाने-माने चीनी मिलमालिक हैं जिनके पास इस देश में चीनी थी और उन्होंने ही अब इनकी इस नीति का उपयोग करते हुए बाहर से चीनी मंगाने का काम किया है और उस चीनी को यहां के बाजार में खुलेआम, मैं कहना चाहता हूं कि दो देशों से चीनी मंगाई गई, पहली थाईलैंड से चीनी आई, इसके साथ-साथ पाकिस्तान से चीनी आई और वह चीनी बाजार भाव से 50-100 डालर प्रति टन अधिक देकर खरीदी गई, जिसमें मूल्यवान भारतीय विदेशी मुद्रा को बरबाद किया गया। उन चीनी मिल-मालिकों ने चीनी खरीद कर बाजार को अपने हाथ में कर लिया और इस देश की गरीब जनता को लूटने का काम किया। यह काम सरकार की छत्रछाया में हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जिस साल 134 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, उस साल किसानों का चीनी मिल-मालिकों का 700 करोड़ रुपया बकाया था। उसके भुगतान के लिए आपने क्या किया? इस साल जब चीनी मिलें चालू हुईं, तब पिछले साल का भुगतान किया गया, जबकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आने वाले जून तक किसानों के बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन इस साल की चीनी को बेच कर पिछला भुगतान किया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि किसान का गन्ना खांडसारी और कोल्हु की तरफ चला गया, जहां किसान को 60 रुपए प्रति क्विंटल नकद भुगतान मिला। आप कहते हैं कि चीनी का उत्पादन इसलिए कम हुआ, क्योंकि गन्ने का डायवर्शन हो गया। लेकिन जो खांडसारी और गुड़ पैदा हुआ, उसमें भी तो चीनी का कंटेट था, वह कहां गया? मैं कहना चाहता हूं कि वह सारा गुड़ और खांडसारी शराब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से नेपाल और बंगला देश के लिए स्मगल हो गई और इस सरकार ने उन तस्करी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं थी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उस वक्त उत्तर प्रदेश में रैली होनी थी और उस रैली के इंचार्ज खाद्य मंत्री जी थे और चीनी मिल-मालिकों को लाभ दिलाने के लिए शीरे के दाम बढ़ाए गए, उसको डी-कंट्रोल किया गया, उसमें कितना लेन-देन हुआ, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन यहां पर कहा गया कि शीरे से मिल-मालिकों को जितना लाभ होगा, उसका 50 प्रतिशत किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। आज भी क्या सरकार की हिम्मत है कि जितना लाभ चीनी मिल-मालिकों को हुआ है, उस रेशो में किसानों को गन्ने की कीमत पर बोनस दिया जाएगा, यह आदेश आप निकालिए, तब हम भी समझेंगे कि आप किसानों की भलाई चाहते हैं, लेकिन यह काम आप करने वाले नहीं हैं। आज होर्डर्स, तस्कर, कालाबाजारिए अधिक दाम लेकर खुलेआम जनता को लूट रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस मामले में चुप है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या इसके आंकड़े सरकार के पास हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस लूट में भारत सरकार के अधिकारी और खद्दरपोश नेताओं की मिलीभगत है और ये सब मिल कर हिदुस्तान की जनता को लूट रहे हैं। स्कैम के बाद यह दूसरी तरह का सबसे बड़ा घोटाला है। सार्वजनिक जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए एक ज्यीड्शियल कमीशन बनाया जाए और इस मामले की पूरी जांच की जाए। इस मांग के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रणव मुखर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

डा० वसंत पवार (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझा था आपने मेरा नाम बोला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मेरे पास अब कोई नाम नहीं है। क्या आप बोलना चाहते हैं?

डा० बंसत पवार : मैं केवल पांच मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं।

डा० वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया देने के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि यह प्रस्ताव पूर्णतः राजनैतिक मंशा पर आधारित है। सरकार चीनी की मिठास और कड़वाहट के बारे में अच्छी तरह अवगत है। जैसा कि यह कहा गया है कि चीनी नीति के कारण एक सरकार गिर गई थी, हमें चीनी की कड़वाहट की पूरी जानकारी है।

विगत में, खाद्यन्नों का आयात किया गया था। उस समय भी, विपक्षी सदस्यों द्वारा इसी प्रकार के भाषण दिए गए थे। मैं एक डाक्टर हूं और मेरी एक मित्र है जो स्त्रीरोग विशेषज्ञ है स्त्रीरोग विशेषज्ञ उस मित्र ने एक बार मुझे बताया था ----

अध्यक्ष महोदय : अब उन बातों और स्त्रीरोग विशेषज्ञ का उल्लेख न किया जाए।

(व्यवधान)

डा० वसंत पवार : उनका उद्देश्य पूर्णतया राजनैतिक है। वे हरेक चीज काले चश्में से देख रहे हैं। वे घोटाला आदि का आरोप लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है।

डा० वसंत पवार : यह सच है कि चीनी के उत्पादन में कमी आई है। वर्ष 1991-92 में चीनी का उत्पादन 134.11 लाख टन हुआ था; वर्ष 1992-93 में 106 लाख टन और वर्ष 1993-94 में इसका उत्पादन गिरकर 96 लाख टन रह गया। चीनी की उत्पादन लगात बढ़ गई है। चीनी मिलों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मैं यहां यह अवश्य कहूंगा कि महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र से जुड़े किसानों ने हमारे देश के लिए सर्वाधिक अंशदान दिया है। उन्हें लेवी चीनी पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नुकसान हुआ है। इससे उन्हें 2000 करोड़ रुपए की हानि हुई है और उन्होंने इस राष्ट्र की मदद की है। आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप केवल चीनी की मिठास जानते हैं। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति, गन्ने से गुड़ और खांडसारी बनाने के कारण गन्ने की कीमत निम्न स्तर पर पहुंच गई और गन्ने की पैदावार कम हो गई थी। इसी कारण सरकार ने गन्ने की कीमत में वृद्धि करके उचित कार्यवाही की है और इसमें 36.5 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि हुई है। इस सरकार ने पूर्व सरकार की बकाया राशि का भुगतान किया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस सरकार द्वारा किसानों को 475 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार ने उचित कदम उठाए

[डा० बंसत पवार]

हैं। इस संसद में चीनी के आयात संबंधी निर्णय की घोषणा 15 मार्च, 1994 को की गई थी। ओपन जनरल लाइसेंस आयात की अनुमति दी गई थी और कच्ची चीनी को भी शुल्क मुक्त किया गया था। भूतल परिवहन मंत्री महोदय भी चीनी से जो जहाजों को ठहारने की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गए हैं और रेल मंत्री ने भी हमारी सहायता की है। इस चीनी आयात की निगरानी के लिए एक समिति है और यह समिति साप्ताहिक ब्यौरा लेती है। वैकल्पित मीठे पदार्थ जैसे गुड़, खांडसारी को बाजार में भेजने की अनुमति दी गई है और इनके स्टॉक रखने की सीमा नियत कर दी गई हैस्टॉक और गुड़ व्यापारियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यही गुड़ नियंत्रण आदेश है। यह पूरी तरह से ठीक है। राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से 6.13 लाख टन चीनी के आयात का अनुबंध किया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है, चीनी लेकर आया पहला जहाज मद्रास पहुंच गया है। इसके अलावा 1.36 लाख टन चीनी इस महीने और जुलाई महीने के अन्त तक भारतीय पत्तनों पर पहुंच रही है। लगभग 6.81 लाख टन चीनी गैर सरकारी पार्टियों द्वारा आयातित की गई है। इसमें से 2.30 लाख टन चीनी अब तक पहुंच गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा व्यवस्था को बनाए रखा गया है और हमें अगले फसल सत्र के प्रारम्भ होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर चीनी की लागत 9.50 प्रति कि० बैठती है। और इस दाम पर चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अभी उपलब्ध है। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। हमें इसकी उपलब्धता वृद्धि के लिए इंतजार करना होगा और यह निश्चित रूप से भविष्य में कमी दिखाएगा। उत्पादन में सुधार लाना होगा और गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमत अवश्य दी जानी चाहिए। अधिक चीनी मिलों की स्थापना करनी होगी। सरकार द्वारा ये सभी प्रयास किए गए हैं और यह ठीक ढंग से दूर हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चीनी आयात के संबंध में उठाए कुछ मुद्दों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चीनी आयात करने का निर्णय 9-3-94 को लिया गया था और इसी दिन मंत्रालय ने ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी आयात करने के लिए अधिसूचना जारी की थी और इसे शुल्क से भी मुक्त किया गया था। समान्यतः महोदय, जब ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने का निर्णय लिया गया था तब राज्य अधिकरणों को किसी प्रकार के दिशा निदेश देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य अभिकरणों को भी यह सलाह दी गई थी कि यदि वे, अपने व्यापारिक निर्णय के अनुसार, आयात करना आवश्यक समझते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चीनी आयात करने के लिए कोई दिशा निदेश अथवा अनुदेश जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने स्वयं ही अप्रैल में सीमित मात्रा में चीनी आयात करना प्रारम्भ किया और उन्होंने लगभग 78000 टन चीनी आयात करने का अनुबंध किया। राज्य व्यापार निगम भी बाजार में उस समय आया जब एक महीने बाद यह पाया गया कि गैर सरकारी क्षेत्र के अभिकरण ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत अपेक्षित मात्रा में चीनी का आयात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब हमने राज्य व्यापार निगम और खजिन एवं धातु व्यापार निगम से चीनी खरीद बढ़ाने के लिए कहा और अब तक दोनों ने मिलकर लगभग 6.26 लाख टन चीनी के आयात पर अनुबंध किया है जो आज से अक्टूबर-नवंबर तक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। चीनी का पहला जहाज पहुंच चुका है।

दूसरा प्रश्न जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा मूल्यों के बारे में है। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है और कुछ आंकड़ों को उद्धृत भी किया गया है कि गैर-सरकारी पार्टियों ने चीनी 350 डालर प्रति टन के औसत

मूल्य पर खरीदी है। एक माननीय सदस्य ने इस आंकड़े को 350 डालर प्रति क्विंटल के रूप में उद्धृत किया था। यह प्रति क्विंटल नहीं है लेकिन यह प्रति टन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी 350 डालर प्रति टन पोत पर्यन्त निशुल्क खरीदी है। यदि आप भाड़े के 50 डालर और जोड़ते हैं तो यह 400 डालर प्रति टन आएगा। और वास्तव में औसतन मूल्य जिस पर खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने चीनी खरीदी थी वह भाड़ा सहित 382 डालर प्रति टन आता है। इसी प्रकार, राज्य व्यापार निगम ने चीनी औसतन मूल्य 392 डालर प्रति टन के हिसाब से खरीदी थी और जब वे ढुलाई के लिए अग्रिम धन चाहते थे तो उन्होंने कुछ ढुलाई के लिए और अधिक अदायगी की। उदाहरणार्थ, जून की खेप के लिए हमने ढुलाई के अग्रिय धन दिया तो इसे ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ा। लेकिन उनके किए गए अनुबंध के अनुसार औसतन मूल्य, 392 डालर प्रति टन आता है। जहां तक खनिज एवं धातु व्यापार निगम का संबंध है, चीनी का औसतन मूल्य 382 डालर प्रति टन है और राज्य व्यापार निगम के मामले में इसका मूल्य 392 डालर प्रति टन आता है।

और लंदन बाजार में मूल्यों में किस प्रकार उतार-चढ़ाव आया? लोग कह रहे हैं कि वहां सस्ती चीनी उपलब्ध थी। यदि सस्ती चीनी उपलब्ध थी तो गैर सरकारी पार्टियों ने इसे क्यों नहीं खरीदा? हमें बताया गया कि कीमतें 100 डालर अथवा 40 डालर अथवा 60 डालर तक कम थी। लेकिन यह कैसे हुआ कि गैर-सरकारी पार्टियों ने यह सस्ती चीनी खरीदने का लाभ क्यों नहीं उठाया? यह कैसी बात है कि ये सभी पेशकशें राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम को मिल रही थी? राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम को क्या विशेष लाभ मिला? शुल्क मुक्त की बात हरेक पर लागू है। अतः इन मुद्दों का पता लगाना होगा। किस मूल्य पर, उस वक्त, बंगला देश ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी खरीदी, जार्डन ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किस मूल्य पर चीनी खरीदी, उस समय मूल्य स्तर क्या था? और ये आंकड़े टेलीप्रिंटर पर प्रतिदिन उपलब्ध होते हैं। जिस क्षण भारत ने भारी मात्रा में चीनी खरीदने का निर्णय लिया तो चीनी मूल्यों में उसी समय 324.50 डालर प्रति टन से बेतहाशा वृद्धि हुई। यह 15 अप्रैल को हुआ था। 18 अप्रैल को हमने निर्णय लिया कि राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम बड़े पैमाने पर चीनी खरिदेंगे। मूल्य 343.50 डालर तक चले गए, इसके बाद 27 मई को ये 358 डालर प्रतिटन तक गए और इसमें 359 डालर प्रतिटन तक वृद्धि हुई। इस सदन को इस समस्या पर स्वयं ही विचार करना होगा। पूर्व अवसरों पर भी मैंने कहा था कि यदि हम केवल कोई भी चीज खरीदने के लिए चाहे वह चीनी हो, खाद्य तेल हो, अथवा अन्य वस्तु का विचार करते हैं और जिस क्षण हम चीनी आयात करने का निर्णय करते हैं तो लोग समझते हैं कि भारत भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदने जा रहा है और तुरन्त ही चुनौती खड़ी कर दी जाती है और हमें स्थिति का मुकाबला करना पड़ता है। अतः किस प्रकार की कार्य पद्धति पर विचार किया जाए और किस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं अन्य मामलों के संबंध में, इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत इन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये वे मुद्दे हैं जिन्हें मेरे मित्र, खाद्य मन्त्री सक्षमता से निपट सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी भी ओर से कोई खामियां हैं तो सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी और उचित समय पर उचित कार्यवाही करेगी। यह उचित कार्यवाही क्या होगी, इसका निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो काम रोको प्रस्ताव हमारे मित्र श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और श्री अटल बिहारी जी लाये हैं मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और 13 मई तक चला है, इन तीन महीनों में चाहे राज्य सभा हो या लोक सभा हो, कभी भी इस सवाल पर कोई बहस नहीं हुई है। मैंने आपकी बात सुनी है और आप भी मेरी बात को सुनिये।

[श्री कल्प नाथ राय]

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तब चर्चा का विषय बना जब 19-5-94 को बिना मंत्री से पूछे एफ०सी०आई० ने चीनी मंगाने के टेंडर्स फ्लोट किये। मैं भी इस प्रजांतत्र में आप लोगों की कृपा से मंत्री हूं और आप भी मंत्री रह चुके हैं तो मंत्री जी निर्णय लेते हैं उसे ब्यूरोक्रेसी एक्जाक्यूट करती है। इस पर अब उन्होंने कोई निर्णय लिया तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। इसका कारण यह है कि आदरणीय वाजपेयी जी पी०ए०सी० के सभापति थे और 1989 के शुगर स्कैडल के बारे में उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उस समय के प्रधानमंत्री जी ने सी०बी०आई० का इंक्वायरी बैठायी थी। यदि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पी०ए०सी० मिनी पार्लियामेंट है। इस कमेटी में सभी दलों के योग्यतम एमपीज़ हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें निम्न तीन बात कही थीं :

[अनुवाद]

"किसी भी अपंजीकृत कम्पनी को चीनी आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चीनी के घपले की जिम्मेवारी नियत की जानी चाहिए। समिति इस बात पर भी जोर देगी कि खाद्य मंत्रालय पूर्ण रूप से मामले की जांच करे ताकि मंत्रालय द्वारा भविष्य में किए जाने वाले आयातों के मामले में आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाये जा सकें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे आयात लागत-प्रभावी तथा समयवद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। समिति इस संबंध में भविष्य में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित नीति के बारे में जानना चाहेगी।"

"समिति यह महसूस करती है कि यदि आयात ओ जी एल के माध्यम से किया गया होता, तो वह निश्चय ही सस्ता तथा शीघ्र होने वाला होता। समिति यह महसूस करती है कि उस समय भी जी एल के माध्यम से आयात, की अनुमति देना ही सबसे अच्छा होता।"

[हिन्दी]

उस पर हमारे मंत्रालय ने जो एक्शन प्लान लिया है, उस पर एक्शन किया है। उसने 19-4-93 को आपने रिपोर्ट दी है और 18 फरवरी, 1994 को हमारे मंत्रालय ने जो एक्शन टेकन प्रोग्राम यहां दिया, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा :

[अनुवाद]

"अब, भविष्य में, केवल एस०टी०सी० ही चीनी का आयात करेगा क्योंकि वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तथा उन्हें आयात और निर्यात की जानकारी है।"

हमारे मंत्रालय द्वारा लिखी गई दूसरी बात यह थी कि :

"अब किसी भी अपंजीकृत कम्पनी को भविष्य में चीनी के मुक्त आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

तीसरी बात जो कही गई, वह यह थी कि :

"भारतीय खाद्य निगम का कार्य बन्दरगाह पर आई चीनी को केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उसका प्रबंध करना होगा।"

[हिन्दी]

चौथी बात उन्होंने लिखी कि यह ऐक्शन प्लान है। आप बताइए कि पी०ए०सी० जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है और उसने 1989 के इस घोटाले की जांच की है उस पर सी०बी०आई० की इनक्वायरी बैठी हुई है और हमारे विरोधी दल के आज के नेता और पहले के चेयरमैन ने सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के बाद हमने जो ऐक्शन और स्ट्रेटेजी बनाई है। आदरणीय मित्र मोहन सिंह जी, इतनी-सी बात प्रजातंत्र में मंत्री से बिना पूछे कोई 400 करोड़ या 500 करोड़ का आदेश हो जाए और उसके लिए टैण्डर फ्लांट हो जाए तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। ... **(व्यवधान)** ...

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : या तो उस अफसर को निकालिये या स्वयं हटिए।

श्री कल्पनाथ राय : आरदणीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात यहां चीनी की उठाई गई है। आदरणीय वाजपेयी जी जानते हैं कि जिस समय मैं खाद्य मंत्री बना उस सयम 475 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के किसानों का बकाया था। उसमें 460 करोड़ रुपया बकाया भुगतान दे दिया गया है। पूरे देश से रिपोर्ट आ रही थी कि हिन्दुस्तान के किसान गन्ने की खेती छोड़कर सोयाबीन और सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। इसलिए ऐसा काम किया जाए जिससे किसान ज्यादा गन्ना पैदा करें। इस मंत्रालय में आने के बाद किसानों को गन्ने का दाम आज़ादी के बाद जितना केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया हो 1947 के बाद, आप मोहन सिंह जी बता दें। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आपने किसानों की मदद नहीं की है। **(व्यवधान)** आपने चीनी कारखानों की मदद की है। **(व्यवधान)** आपने यह लाभ किसानों को नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : हम सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। आप सत्ता में भी रहे हैं और एक बार नहीं कई बार रहे हैं। जितना गन्ने का दाम केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया है आप बताएं? ... **(व्यवधान)** ...

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : किसानों को दिया कितना ? ... **(व्यवधान)** ...

श्री कल्पनाथ राय : आप बोल रहे थे तो ये हमारे छोटे भाई हैं यह समझकर हमने इनकी बात सुनी। जो इनको नहीं बोलना चाहिए वह भी इन्होंने बोला लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद किसानों को इतना दाम कभी दिया गया हो तो बताएं ... **(व्यवधान)** ... अध्यक्ष महोदय, गन्ने का दाम बढ़ाने का निर्णय हमने प्रधान मंत्री की शुभकामनाओं से किया। भारत के करोड़ों करोड़ किसानों ने आज गन्ने के दाम बढ़ाने के कारण आज इतना गन्ना बोया है कि जब अगले साल हम मिलेंगे तो हिन्दुस्तान इतनी चीनी पैदा करेगा कि हम विदेशों को निर्यात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मदद चाहता हूं कि मेरी बात को हमारे मित्र ध्यान से सुनें। मैं चाहूंगा कि अटल जी मेरी बात को दो-चार मिनट सुन लें। मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन मुझे यह बात कहनी है कि जैसा यहां कहा जा रहा है कि नवम्बर में आपने चीनी इम्पोर्ट क्यों नहीं की? नवम्बर और दिसम्बर में, कृषि मंत्रालय ने देश में गन्ने के उत्पादन से संबंधित आंकड़े हमारे पास भेजे थे जिनके अनुसार पिछले साल जितने गन्ने का देश में उत्पादन हुआ था, उससे कुछ ज्यादा उत्पादन इस साल देश में गन्ने का हुआ। उन आंकड़ों में हमें यह भी बताया गया कि जहां एक करोड़ 6 लाख टन चीनी देश में पिछले साल उत्पादित हुई, इस साल लगभग एक

[श्री कल्प नाथ राय]

करोड़ 7 लाख टन चीनी उत्पादित होने की संभावना है। आप जानते हैं कि नवम्बर में चीनी का उत्पादन बढ़ा और दिसम्बर में भी चीनी का उत्पादन बढ़ा लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने गुड़ बनाने पर लगे बैन को हटाया तो जिस गन्ने से लगभग 10 लाख टन चीनी का उत्पादन होना था, वह गुड़ बनाने की तरफ डाईवर्ट हो गयी। उसी समय हमने एक नोट बनाकर कैबिनेट सचिवालय को भेजा और कहा कि अब देश में चीनी की कमी होगी, चीनी की शौर्टेज होगी इसलिये एक मिलियन टन चीनी बाहर से मंगा ली जाये। वह नोट कैबिनेट सचिवालय को हमारे मंत्रालय ने 24 जनवरी को भेजा। उसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग 9 मार्च को हुई जिसमें इस बारे में निर्णय लिया गया। दो तरह की चीनी देश में लोगों को दी जाती है—एक चीनी वह है जो 9 रुपये किलो के हिसाब से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत देते हैं और जिसका प्रबंध हर स्टेट के मुख्य मंत्री लोग करते हैं और दूसरे तरह की चीनी हमारे यहां से फ्री मार्केट में कम्पटीशन के आधार पर बेची जाती है, वह चीनी हमारे यहां से फ्री सेल कोटा के अंतर्गत रिलीज की जाती है। उस फ्री सेल की चीनी का भाव ठीक रहे, उसके लिये 15 मार्च को हमने इसी पार्लियामेंट में घोषणा की थी जिसमें से छः या साढ़े छः लाख टन के बारे में बात हो चुकी है, अभी हमारे मिश्र जी ने बताया कि 2 लाख टन उसमें से भारत में आ चुकी है, उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली के मार्केट में चीनी का दाम गिर गया है। यदि आप चाहें तो इसकी जानकारी ले सकते हैं। **(व्यवधान)** आप इसकी जानकारी करा लें।

अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के उपभोक्ता भंडारों में तथा 500 आउटलैट्स में साढ़े चौदह रुपये प्रति किलो के भाव पर आप जितनी चीनी लेना चाहें, वह उपलब्ध है और हम देने को तैयार हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपकी कमेटी की रिकमेडेशन है कि ओ जी एल से अगर चीनी मंगाई जाये तो वह चीपर होगी, हमने आदरणीय वाजपेयी जी के इस सुझाव को मानकर ही यह निर्णय लिया और ओ जी एल में चीनी मंगाई। जो गरीब जनता 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी ले जाती है उस चीनी को 9 रुपए किलो मिले, उसके लिए हमने पूरे देश में इसको 9 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, यह गलत बात है। आप बार-बार उठ रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से पूरे देश में 9 रुपए 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है और उसका कोटा हम सभी सरकारों को भेज चुके हैं। अब यह जिम्मेदारी शेखावत जी की, मुलायम सिंह यादव की और लालू यादव जी की है कि वे इस चीनी को अपने-अपने प्रदेशों में इसी भाव पर मुहैय्या करवाएं। **(व्यवधान)** अभी हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने कहा कि क्या किया भारत सरकार ने, कितने ब्लैक मार्केटीयर्स और होरडर्स तथा स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है? आदरणीय मोहन सिंह जी, यह जिम्मेदारी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, गुड़ का डाइवर्शन हुआ, इसके नाते यह हुआ। आज आपसे कहना चहता हूं कि ओ०जी०एल० में मार्केट में चीनी आ चुकी है और गरीब जनता के लिए हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने साढ़े 6 लाख टन चीनी खरीद ली है और हम भारत की जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि पहली नवंबर को जब पिराई सीजन शुरू होगा, तब तक हम 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी देंगे और फ्री सेल की चीनी का दाम -- **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : एफ०सी०आई० में कैसे हुआ यह तो बताइए। **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने अध्यक्ष महोदय कहा कि मौलेसिस को डीकंट्रोल क्यों किया गया? जिसको डीकंट्रोल कराने के लिए चन्द्र शेखर, चौधरी चरण सिंह, बसन्त दादा पाटिल और गैंदा सिंह जैसे नेताओं को जेल जाना पड़ा, उस मौलेसिस को डीकंट्रोल कर के हमने किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाहे : किन्तु, शीरे के इस विनियंत्रण से किसको फायदा हुआ है? क्या आपने 50 प्रतिशत लाभ किसानों को दिया है, जिसका आपने उन्हें वचन दिया था? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं अपनी एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि इस मुल्क के अन्दर लोकशाही की हुकूमत होगी या नौकरशाही की हुकूमत होगी, यही सवाल है। इस सवाल के ऊपर हमने निर्णय लिया है।

(व्यवधान)

आदरणीय चन्द्र शेखर जी, आपने मुझसे कहा कि आपके गुरू अटल जी हैं, आप मेरे गुरू हैं। ... **(व्यवधान)** ... आप कह रहे हैं कि कल्पनाथ जी, आज बताइए, आज आपको सच-सच बोलना है। मुझे एक ही बात आपसे कहनी है :

हम करें क्या दरिया अगर लबरेल मैखाने में है,

हम तो इतनी जानते हैं जितनी पैमाने में है।

अध्यक्ष महोदय, अगर चन्द्र शेखर जी प्रधानमंत्री हों और मैं उनकी कैबिनेट में रहूं तो मेरा धर्म है कि (अनुवाद) मैं उनका अक्षरशा पालन करूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

अब दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

प्रश्न यह है :

"कि यह अब सभा स्थगित हो।"

7.52 म०प०

विभाजन संख्या-2

पक्ष में

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अब्दुल फूर, श्री

अशोकराज, श्री ए०

आ

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उ

*उमराव सिंह, श्री

उमराव, श्री ललित

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

क

कटियार, श्री विनय

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कमोजिया, डी०जी०एल०

कनोडिया, श्री महेश

कमल, श्री श्याम लाल

कालकादास, श्री

काष्यां, श्री राम सिंह

कुन्जी लाल, श्री

कुमार, श्री नीतीश

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती

कौरी, श्री गया प्रसाद

कोली, श्री गंगा राम

ख

खनोरिया, मेजर डी०डी०

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

ग

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी

गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि

गौतम, श्रीमती शीला

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चन्द्रशेखर, श्री

* गलती से पक्ष में मतदान किया।

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

चौहान, श्री शिवराज सिंह

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह

छोटे लाल, श्री

ज

जटिया, श्री सत्यनारायण

जनार्दनन, श्री एम०आर० क़ादम्बूर

जय प्रकाश, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झ

झा, श्री भोगेन्द्र

ट

टंडेल, श्री डी०जे०

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

त

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित वरण

तौमर, डा० रमेशचन्द

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

द

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

ध

धर्मभिक्षम, श्री

धूमल, प्रो० प्रेम

न

नारायणन, श्री पी०जी०

प

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री बृशिण

पटेल, श्री सोमाभाई

पटेल, श्री हरिभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बंलराज

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

प्रकाश, श्री शशि

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम, श्री बी०एल० शर्मा

प्रेमी, श्री मंगलराम

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, पलास

बसु, श्री अनिल

बालियान, श्री नरेश कुमार

बेरवा, श्री राम नारायण

भ

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

म

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज

मलिक, श्री पूर्ण चंद्र

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०

महतो, श्री बीर सिंह

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री प्रमोथेस

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मुण्डा, श्री कड़िया

मुरूमु, श्री रूप चन्द्र

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोर्य, श्री आनन्द रत्न

य

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव श्री राम लखनसिंह

र

राजनारायण, श्री

रजे, श्रीमती वसुन्धरा

राणा, श्री काशीराम

राम, श्री प्रेमचन्द्र

रामदेव, राम, श्री

राम सिंह, श्री

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री रवि

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

राय चौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

रेड्डी, श्री बी० एन०

ल

लोढा, श्री गुमान मल

व

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, कु० विमला

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई

श

शर्मा, श्री जीवन

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

स

संघानी, श्री दिलीप भाई

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे

सिवारमन, श्री एस०

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, श्री देवी बक्स

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सोरेन, श्री शिबू

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

ह

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अ

अजित सिंह, श्री

अडईकलराजू, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए०आर०

अन्बारासु, इरा, श्री

अय्यर, श्रीमणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्स श्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

इ

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के०पी०

उपाध्याय श्री स्वरूप

उम्ब्रे, श्री लाईता

ओ

ओडियार, श्री चनैया

क

कमल नाथ, श्री

करैहुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहाडोले, श्री जेड०एम०

कामसन, प्रो०एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

कालियापेरूमल, श्री पी०पी०

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी०के०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो० पी०जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

केनिथी, डा० विश्वानाथम

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

ख

खन्ना, श्री राजेश

खुर्शीद, श्री सलमान

ग

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलौत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गालिब, श्री गुर चरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी०पी०

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी०के०

गोमांगो, श्री गिरिधर

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह

च

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी

चाक्को, श्री पी०सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चिदंम्बरम, श्री पी०

चिन्ता.मोहन, डा०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, स्क्वा० लीडर कमल

चौधरी, डा० के०वी०आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौरे, श्री बापू हरि

ज

जंगबीर सिंह, श्री

जयमोहन, श्री ए०

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जावाली, डा० बी०जी०

जीवरत्नम, श्री आर०

झ

झिकराम, श्री मोहनलाल

ट

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

ड

डामौर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एन०

डेका, श्री प्रबीन

डेलकर, श्री मोहन एस०

त

तंगकाबालु, श्री के०वी०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी

थ

थामस, श्री पी०सी०

थुंगन, श्री पी०के०

थौरात, श्री संदीपन भगवान

द

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवराजन, श्री बी०

देवी, श्रीमती विभू कुमारी

न

नंदी, श्री येल्लैया

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री मृत्युंजय (फुलबनी)

नायक, श्री मुबास चन्द्र

नायकर, श्री डी०के०

निकाम, श्री गोविन्दराव

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिददप्पा भीमप्पा

प

पांडियन, श्री डी०

पंवार, श्री हरपाल

पटनायक, श्री शरत

पटेल, श्री उत्तमभांई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

डा० (श्रीमती) पद्मा

पवार, डा० वसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री प्रकाश वी०

पाटील, श्रीमती प्रतिभा

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालावोला, श्री वी०आर० नायडू

पेरूमान, डा०पी० वल्लल

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फारूक, श्री एम०ओ० एच०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

भ

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भडाना, श्री अवतार सिंह

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव,

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपासिन्धु

म

मरबनिआंगा, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माडे गोडा, श्री जी०

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरूलाल

मुजाहिद, श्री बी०एम०

मुनियप्पा, श्री के०एच०

मुरलीधनर, श्री के०

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

मैथ्यू, श्री पाला के०एम०

य

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री राम

यादव, श्री सूर्यनारायण

र

रथ, श्री रामचन्द्र

राजेश्वरन, डा० वी०

राठवा, श्री एन०जे०

राम अवध, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए०जी०एस०

राममूर्ति, श्री के०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री जे० चौक्का

राव, श्री पी०वी० नरसिंह

राव, राम सिंह कर्नल

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभु लाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डय्या यादव, श्री के०पी०

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री एम० बागा

रेड्डी श्री जी० गंगा

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा

रेड्डी, श्री एम०जी०

रोशन लाल, श्री

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

व

वर्मा, कु० विमला

वर्मा, श्री शिव शरण

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी०एस०

व्यास, डा० गिरिजा

श

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शिंगडा, श्री डी०बी०

शिवप्पा, श्री के०जी०

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

स

सईद, श्री पी० एम०

सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय , श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिदनाल, श्री एस०बी०

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के ० तारादेवी

सिल्वेरा, डा० सी०

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देव, श्री के०पी०
सुखराम, श्री
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोडी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी० वेंकट

ह

हरचन्द सिंह, श्री
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा* :

पक्ष में–177

विपक्ष में–217

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

7.57 म०प०

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

(1) मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 13 जून, 1994 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :

प्रस्ताव

"कि राज्य सभा 13 जून, 1993 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक जिसे राज्य सभा ने 29 अप्रैल, 1992 को पारित किया था और जिसे 4 मई, 1992 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था, को वापस लेने के लिए लोकसभा द्वारा दी जा रही अनुमति से सहमत हुई।"

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्रीमती सरोज दुबे, श्री वी० धनंजय कुमार, श्री योगानन्द सरस्वती, डा० रामकृष्ण कुसमरिया

विपक्ष में : सर्वश्री उमराव सिंह, विलास मुत्तेमकर, सन्ययाल सिंह यादव, राम बदन, लक्ष्मण सिंह जयसूर्य प्रकाश रेड्डी कोटला, कुमारी सुशीला तिरिया, श्री मारुति देवएन शेल्का, श्री बापू सहिब थिटे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 14 जून, 1994 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.59 म०प०

(तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 जून, 1994 24 ज्येष्ठ, 1916 (शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई)